राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या: 08

सोमवार,

17 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत।

सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर अवैध कब्जे

100. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 में सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा अवैध कब्जे करने और चोरी कर पानी का दोहन किये जाने के प्रकरण दर्ज किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दवारा पूर्व में इस सम्बन्ध में किसी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब व किस-किस का?

(3) उक्त समिति की रिपोर्ट की पालना में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2019 में नमक के अवैध उत्पादन से सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। उद्योग विभाग/सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जे/पानी चोरी कर दोहन करने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। सांभर साल्ट लिमिटेड ने यह अवगत कराया गया है कि वर्ष 2019 में सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा अवैध कब्जे करने और चोरी कर पानी का दोहन किए जाने के संबंध में समय-समय पर सांभर साल्ट लिमिटेड, विद्युत विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की मदद से निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

(उद्योग मंत्री)

(2) हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(7)उद्योग/ग्रुप-2/2010 दिनांक 10.3.2010 द्वारा मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा किए गये अवैध कब्जे और चोरी कर पानी के दोहन हेतु खोदे गए टयूबबैल, बोरवेल एवं अवैध पाइप लाइनों के संबंध में जांच करवाए जाने के निर्णय के क्रम में श्री विनोद कपूर, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री विनोद कपूर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की अनुपालना हेतु प्रस्तुत सुझावों के आधार पर निम्न समितियों का गठन किया गया:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन दिनांक 14.12.2010 से किया गया है।
2. जिला कलेक्टर, (संबंधित) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड अधिकारी, (संबंधित) की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन दिनांक 15.6.2011 से किया गया है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना में निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है। जिसका विवरण संलग्न है:-

1. भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सांभर झील क्षेत्रफल का निर्धारण कर दिया गया है।
2. सांभर झील में हुए अतिक्रमण हटाने एवं अवैध विद्युत कनेक्शन हटाने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।

(4) नमक उत्पादन पर किसी भी प्रकार का राजस्व/टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, इस कारण से वर्ष 2019 में नमक के अवैध उत्पादन से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है।

सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को किराये के रूप में 5.50 लाख रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। सांभर साल्ट लिमिटेड निरंतर घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार को कोई लाभांश भी नहीं प्राप्त हुआ है।

मैसर्स सांभर साल्टस लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है कि निजी नमक उत्पादकों द्वारा झील से अवैध रूप से पानी की चोरी कर उत्पादन करने से हुए नुकसान का आकलन सम्भव नही है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लगने के बाद सरकार जागी और सैकड़ों बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है।

(श्री निर्मल कुमावत)

मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि बास्बार आपके सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की कार्यवाही क्यों होती है? जैसा आपने अपने जवाब में कहा कि यह घाटे में चल रही है तो क्या सरकारी कम्पनी के हिस्से का पानी निजी क्षेत्र वाले ले रहे हैं? यदि ऐसा है तो उनको बार-बार विद्युत कनेक्शन क्यों मिल जाता है? आपने यह भी कहा है कि प्रकरण दर्ज नहीं है मगर कार्यवाही की जा रही है, तो यह कैसी कार्यवाही है? आपने खुद ही अपने जवाब में कहा है ...।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करें।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): प्रकरण दर्ज क्यों नहीं होते इनके? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती? बार-बार इनको विद्युत कनेक्शन दे देते हैं और यह कार्यवाही क्यों हो जाती है, इसके लिए जवाब दें, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को उत्तर में बताया सांभर साल्ट लिमिटेड पर भारत सरकार का नियंत्रण है। राज्य सरकार को इसमें केवल लीज राशि मिलती है, 60 प्रतिशत भारत सरकार का और 40 प्रतिशत राज्य सरकार का और सारा प्रशासनिक नियंत्रण पूर्णतया भारत सरकार का है। अभी भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में राज्य सरकार को कहा है कि सांभर साल्ट को हम राज्य सरकार को देने के लिए तैयार हैं यदि राज्य सरकार नहीं लेगी तो हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि यह निरंतर घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार ने इसमें चीफ सैक्रेटरी के लेवल पर कमेटी बनाई है, इस कमेटी की दो-तीन मीटिंग हो गई हैं। यह प्रकियाधीन है कि राज्य सरकार इसे लेगी या नहीं लेगी, बहुत जल्द इसका निर्णय कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने अपने प्रश्न के उत्तर में जो बातें मानी हैं इससे यह तो स्पष्ट है कि वहां अवैध रूप से पानी की चोरी होती है। आपने जो कमेटी बनाई, विनोद कपूर, सेवानिवृत्त अधिकारी की, उसके पीछे भी आपका परपज यही है कि यह जो अनियमितता होती है उस पर किसी तरह से कण्ट्रोल किया जाए, इसीलिए कमेटी बनाई। अंत में, आपने लिखा है, मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

द्वारा सूचित किया गया है कि निजी नमक उत्पादकों द्वारा झील में अवैध रूप से पानी की चोरी कर उत्पादन करने से नुकसान हो रहा है। यह आप स्वयं मान रहे हो, फिर आपने लिखा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो विभाग की क्या मंशा है? यह प्रूव है आपके उत्तर से कि इस प्रकार की अनियमितताएं लगातार हो रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या आप उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज करवाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा कहा, माननीय सदस्य को कि पूरा नियंत्रण भारत सरकार का है। जो कार्यवाही करनी है, वह भारत सरकार की कम्पनी को करनी है। राज्य सरकार के पास इस तरह की सूचना आती है, अतिक्रमण हटाने की जहां तक बात है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का भी है। आप इसको टाल नहीं सकते, यह आपका जवाब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते?

अगला प्रश्न, श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान

101. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक किन-किन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है? शिक्षण संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान निर्धारित समय पर कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी शिक्षण संस्थाओं का छात्रवृत्ति भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त छात्र-छात्राओं का समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के

(श्रीमती संतोष)

विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी, हां। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के छात्र-छात्राओं को जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक शिक्षण संस्थावार, छात्र-छात्रावार, वर्षवार एवं योजनावार वितरित की गई छात्रवृति राशि का विवरण परिशिष्ठ-'अ' पर संलग्न है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित (सीएसएस) अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2016-17 से जनवरी, 2020 तक वितरित छात्रवृत्ति का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। यह छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नेशनल स्कालरशिप पोर्टल के माध्यम से दी जाती है जिस पर जिलेवार ही सूचना संधारित की जाती है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत बजट उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जो कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं, को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2019 तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बकाया नहीं है। उक्त अवधि के कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप/कमियां होने के कारण शिक्षण संस्था या विद्यार्थियों के स्तर पर ही लम्बित हैं, जिनका वर्षवार, शिक्षण संस्थावार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप वरीयतावार पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

(3) विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अन्तर्गत आनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को बजट उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण से विभाग द्वारा निर्धारित 1 से 17 प्राथमिकताओं में आने वाले विद्यार्थियों को 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति के अनुसार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति बजट उपलब्धता के आधार पर दी जा रही है। क्या यह सही है कि कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां होने के कारण शिक्षण संस्था या विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लम्बित हैं? उनके आवेदन पत्रों की कमियों को दूर करके भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित किये जाते हैं। शिक्षण संस्थाओं या विद्यार्थियों द्वारा कमियां निकालने के बाद आक्षेप ज्यों ही वापस हमारे विभाग में आते हैं, छात्रवृत्ति तत्काल दे दी जाती है। यदि संस्था अथवा विद्यार्थी द्वारा कोई कमी रहती है तो वे आवेदन हमारे पास नहीं आते हैं। मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कमियां हैं, उनकी पूर्ति करते ही उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आईटी के माध्यम से ऑनलाइन आक्षेप आने के बाद संस्था उसका जवाब नहीं दे तो उसकी मोनिटरिंग करने के लिये आप क्या कर रहे हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग द्वारा उस छात्र को डायरेक्ट एसएमएस के जरिये सूचना दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: यदि संस्था उसके आक्षेप का जवाब नहीं दे रही है तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप से वंचित क्यों रखा जा रहा है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर वह छात्र सीधे हमारे एसएमएस के आधार पर फार्म भरता है, शिक्षण

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

संस्था अगर कमी नहीं निकालती है और उसका आक्षेप पूरा नहीं करती है तो निर्धारित अवधि के बाद स्वत: अग्रेषित होकर उस छात्र को छात्रवृत्ति देने का आजकल हमने आदेश जारी कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो आपके मन की भावना है, वही मेरी भी है। चार्ट नम्बर 'स' पर जो आपने दिया हुआ है, उसमें जो अधिकांश गवर्नमेंट संस्थाएं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कालेज हैं, अगर उनके द्वारा भी इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है तो आखिर जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल अथवा कालेज हैं, क्या विभाग के पास उन्हें पाबंद करने का कोई तरीका है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग का काम छात्रवृत्ति देने का है। कार्यवाही हमारा विभाग नहीं कर सकता। हम हमारे डायरेक्टर को लिखते हैं, हमारे डीओ और डीडी को लिखते हैं कि इस संस्था के खिलाफ कार्यवाही करें, लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। मैंने जैसा कहा है कि हमारा विभाग शिक्षण संस्था को लिखता है कि यह कमी रह गयी, इसकी पूर्ति करें। अगर वे नहीं करते हैं तो हम फिर विद्यार्थी को डायरेक्ट एसएमएस करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले एक साल से पहले चार लाख छात्रवृत्ति बकाया थी। हम उसकी पूर्ति पिछले एक साल में कराकर पैंडेंसी को जीरो लाये हैं। वर्तमान की 2019-20 की जो छात्रवृत्ति है, उसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि हमारे छात्रों को हम एसएमएस के जरिये सूचना देते हैं, तब जाकर हम उसे छात्रवृत्ति दे पाते हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, अच्छे काम के लिये धन्यवाद, पर संस्था यदि नहीं करे तो विद्यार्थी डिप्राइव्ड क्यों रहेगा? उसके लिये कौन डायरेक्शन देगा? आप कह रहे हैं कि हमारा काम स्कॉलरशिप देने का है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है आपके विभाग ने ही इतनी सूचना दी है कि ये-ये विद्यार्थी हैं, इस-इस कालेज से हैं, इसका मतलब यह है कि आपके विभाग को यह तो कन्वे हो गया कि इन बच्चों की छात्रवृत्ति किसी कारणवश नहीं जा रही है। यह पूरी सूची 'स'

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने जो दी है, वह संस्था के अनुसार बच्चे के नाम के अनुसार दे रखी है। इसका मतलब आपके रिकार्ड पर यह तो कहीं आया है कि उस बच्चे ने अपनी छात्रवृत्ति मांगी है। अब आप उसके आधार पर क्या उस विद्यालय को या उस कालेज को उसके लिये पाबंद या लायबल नहीं कर सकते हैं? जब सूची ही आप दे रहे हैं, इसका मतलब जानकारी तो डिपार्टमेंट के पास है।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा सवाल है और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। निश्चित रूप से हम हमारे शिक्षा विभाग में इस बात के निर्देश देंगे कि समाज कल्याण विभाग से अगर किसी बच्चे की कोई कमी है और उसकी पूर्ति करने के लिए आता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस कमी को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला में लम्बित सैम्पल

102. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी औषधि नियंत्रण प्रयोगशालाएं कहां-कहां कार्यरत हैं?

(2) उक्त प्रयोगशालाओं में जांच हेतु कितने सैम्पल लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन सैम्पल की रिपोर्ट्स अमानक पायी गयी हैं, सैम्पल जांच में देरी की वजह से वे दवाएं बाजार में बिक चुकी होती हैं? यदि हां तो क्या सरकार इन सैम्पल्स की जांच एक निर्धारित समय-सीमा में कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) प्रदेश में विगत दो वर्षों में कितने सैम्पल जांच हेतु लिए गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त सैम्पल में से कितने सैम्पल तय मानकों से भिन्न पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) विगत दो वर्षों में नकली व मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री व वितरण के विरुद्ध कितने मामले दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) प्रदेश में वर्तमान में एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में संचालित है।

(2) वर्तमान में उक्त औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर में 7461 सैम्पल जांच हेतु लम्बित हैं।

(3) औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेंस सम्बन्धित निर्माता को उस राज्य के औषधि नियंत्रक/औषधि महानियंत्रक भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत् औषधि निर्माता के पास औषधि के निर्माण एवं उसके विश्लेषण/जांच की सुविधाओं की उपलब्धता के बाद ही जारी किये जाते है।

बाजार में औषधियां उपलब्ध होने से पूर्व उनकी गुणवत्ता की जांच औषधि के निर्माता द्वारा स्वयं की प्रयोगशाला में करवायी जाती है एवं जिन औषधियों की जांच की सुविधा औषधि निर्माता के यहां उपलब्ध नहीं होती, उनकी जांच औषधि निर्माता द्वारा, औषधि नियंत्रक/औषधि महानियंत्रक भारत सरकार द्वारा बाहर की प्रयोगशालाओं से औषधि के बाजार में रिलीज करने से पूर्व अनुमोदित करवायी जाती है एवं उक्त जांच में औषधि के मानक कोटि की होने पर ही नियमानुसार इन औषधियों का विक्रय बाजार में किया जाता है।

औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा शिकायत, संदेह एवं औचक जांच के दौरान औषधियों के लिये गये नमूनों की जांच/विश्लेषण की प्रक्रिया औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा अवधिपार तिथि से पूर्व ही सम्पादित की जाती है।

औषधि के अवमानक कोटि की घोषित होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित औषधि के बैच की बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी जाकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगामी कार्यवाही की जाती है।

जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर में निर्मित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को शीघ्र ही क्रियाशील करवाकर प्रदेश में औषधियों के सैम्पल्स की जांच निर्धारित समय-सीमा में करवाये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(4) प्रदेश में पिछले दो वर्षों में औषधियों के कुल 8379 नमूने जांच/ विश्लेषण हेतु लिये गये जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(5) प्रदेश में पिछले दो वर्षों में औषधियों के लिये गये नमूनों में से 161 नमूने तय मानकों से भिन्न पाये गये जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(6) प्रदेश में पिछले दो वर्षों में नकली/मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री व वितरण के कुल 76 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि आपने जो जवाब दिया है, उसमें लिखा है कि पिछले दो सालों में 8379 मामले दर्ज हुए और 7461 सैम्पल अभी लम्बित हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि 718 नमूने ही जांचे गये हैं, बाकी के नमूने अभी तक नहीं जांचे गये हैं, जबकि जिन दवाओं से वे सैम्पल लिये गये हैं, वे दवाएं अभी बाजार में चल रही हैं। जो 718 सैम्पल्स लिये गये हैं, उनमें से 161 नमूने फेल हुए हैं। रेशो प्रतिशत कितना ज्यादा है कि 718 में से 161 नमूने तो फेल हो गये हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नकली दवाइयां बाजार में नहीं बिकती हैं और सैम्पल्स हम समय से ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? एक प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब जोधपुर और उदयपुर में प्रयोगशालाएं बनकर तैयार हो गयीं, यह पिछली सरकार के 2016-17 के बजट में घोषित हुई थीं और बनकर के तैयार हो गयीं, सरकार इन्हें क्यों नहीं प्रारम्भ कर रही है जब तक कि इतने सारे ये नमूने अभी लम्बित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न है कि 161 नमूने फेल हुए और इनका कहना है कि हमने 76 प्रकरण दर्ज किये हैं। जब 161 नमूने फेल हुए हैं तो सिर्फ 76 प्रकरण ही क्यों दर्ज हुए हैं। 161 के 161 प्रकरण ही क्यों नहीं दर्ज हुए?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, तीन प्रश्न हो गये आपके।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इससे ज्यादा प्रश्न नहीं कर रही हूं। मेरा बस यह प्रश्न ही है कि जो 76 प्रकरण दर्ज हुए हैं, उसमें किस एक्ट में आपने मुकदमे दर्ज किये, कितनी आपने गिरफ्तारियां कीं और कितने मैन्यूफैक्चरर्स को सज़ा मिली है, यह बता दें आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में 2018-19 में जो नमूने लिये गये, उन 161 नमूनों में 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करायी गयी हैं। ये हैं- मिस ब्रैण्ड, मिलावटी और नकली। तीन तरह के ये प्रकरण हैं, 14 प्रकरणों में सम्बन्धित औषधि निर्माता के

(श्री रघु शर्मा)

लाइसेंस या प्रोडक्ट परमिशन को निलम्बित और निरस्त किया गया है, 161 प्रकरणों में से 34 प्रकरणों में निर्माता राजस्थान के हैं और 127 प्रकरणों में राजस्थान के बाहर के हैं, 13 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों में जो एफआईआर हुई हैं, वे राजस्थान के मामलों में हुई हैं। जिन 14 प्रकरणों में लाइसेंस, प्रोडक्ट परमिशन निलम्बन की कार्यवाही की गयी है, उनमें से 9 प्रकरण राजस्थान के निर्माताओं के हैं।

एफआईआर का एक प्रकरण लाइसेंस/प्रोडक्ट परमिशन निलम्बन के 5 प्रकरण राजस्थान के बाहर के निर्माताओं से सम्बन्धित हैं। जिनमें कार्यवाही सम्बन्धित राज्य के औषधि नियंत्रक के द्वारा की जाती है। जिन प्रकरणों में औषधि निर्माता राजस्थान के बाहर के हैं उनमें प्रकरणों को निर्माता से लिंक करना पड़ता है एवं कार्यवाही हेतु वहां के औषधि नियंत्रक को लिखा जाता है। इसके अलावा जो नकली और मिलावटी दवाओं के प्रकरणों के सम्बन्ध में माननीय सदस्या ने पूछा है, वे करीब 76 हैं, जिनमें से 24 प्रकरण दो वर्ष की अवधि के पहले के हैं और 52 प्रकरण गत दो वर्षों के हैं, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 76 प्रकरणों में से 20 प्रकरण राजस्थान के निर्माताओं के हैं व 56 प्रकरण राजस्थान के बाहर के निर्माताओं के हैं। इनमें से 21 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है एवं दो प्रकरणों में लाइसेंस निरस्त किया गया है। उक्त 21 एफआईआर में से 18 प्रकरणों में निर्माता और फर्म राजस्थान के हैं और 3 राजस्थान के बाहर के हैं। दो प्रकरणों में राजस्थान के निर्माता का लाइसेंस किया गया है और शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, माननीय सदस्या ने जो प्रयोगशालाओं के बारे में सवाल पूछा था उसमें मैं इनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो तीन प्रयोगशालाएं हैं, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। इनके बारे में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब 2012-13 के बजट के बिन्दु संख्या 43 पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनको बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद में पिछले पांच साल ये....

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हमारी सरकार ने बनाये हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बात तो सुन लो। जवाब दे दूं? उसमें इन्होंने भवन निर्माण का काम 3-4 साल में किया। फिर पैसे की

(श्री रघु शर्मा)

जो स्वीकृति उपकरणों की है, असली चीज है कि प्रयोगशाला कब काम करेगी, उसके लिए 14 करोड़ से ज्यादा की राशि थी वह इनका जो लास्ट बजट 2018 का था उसमें इन्होंने घोषणा मात्र की थी और तब तक इनकी सरकार बदल गई। अभी 26.3.2019 को हमारी सरकार ने यह स्वीकृति जारी की है और उसमें 62 प्रकार के इक्विपमेंट्स खरीदे जाने हैं जिनमें से 15 हमने खरीद लिए हैं और 15 वे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिन पर अधिकांश राशि, 11 करोड़ रुपये खर्च की जा चुकी है। अगले दो महीने में ये तीनों प्रयोगशालाएं हम चालू कर देंगे और जो पैंडेंसी है यह इनके टाइम से लगातार चली आ रही है और उसका फीगर मैंने माननीय सदस्य को दे दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस बात को माना कि जो भी दवाई बाजार में आएगी उसके पहले या तो उसकी स्वयं की लैबोरेट्री में या किसी अधिकृत लैबोरेट्री में उसका टैस्ट होने के बाद ही मार्केट में सेल के लिए आएगी। आपका उत्तर यह भी बता रहा है कि उसके बाद जो सैम्पलिंग होकर उसमें जो गुणवत्ता के आधार पर कमजोर पाये गये तो एक बार जो मार्केट में आ गई और उसके बाद गुणवत्ता में अगर वह कम पायी गयी तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कानून इतना सख्त हो, इसमें कहीं गिरफ्तारी नहीं होती है, केवल कागजों में चलता रहता है और पांच-दस सालों में रफा-दफा हो जाता है, एक भी आदमी को सज़ा हुई हो तो बता दें। इतनी बड़ी दवाइयों में हेराफेरी करने के बाद अगर एक भी व्यक्ति को दण्ड नहीं मिले तो या तो कानून कमजोर है तो उसको सख्त बनाइये, अगर उसमें कहीं लेकुना है तो सुधारिये लेकिन लोगों की जिन्दगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको किसी प्रकार से रोकिये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता, प्रतिपक्ष को जो इसमें जवाब दिया है उसमें पूरा अपने आप सैल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि कोई भी दवाई बाजार में आती है तो निर्माता को लाइसेंस ही तब दिया जाता है जब उसके पास परीक्षण की पूरी व्यवस्था हो। उसके बाद उसके पास जो परीक्षण की सुविधा नहीं है तो भारत सरकार ने जो लैबोरेट्री अधिकृत कर रखी है उससे वह जांच करवाएगा तब वह दवाई बाजार में आएगी। तो यह जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं यह तो हमारी वह प्रक्रिया है जिसमें कभी शिकायत मिलती है या हमारा डिपार्टमेंट सैम्पलिंग करता है। कई बार हम औचक निरीक्षण करते हैं, जाकर सैम्पल उठाते हैं। यह रेगुलर

(श्री रघु शर्मा)

प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, सैम्पल उठाना सतत प्रक्रिया है। आप मेरी बात सुनिये। जो कानून बना हुआ है वह भारत सरकार का बना हुआ है। यह मैंने आपको जवाब में भी कहा है कि यह भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 बनाई हुई है। आवश्यकता के हिसाब से हम भारत सरकार को लिखेंगे कि इनके नियमों में वह परिवर्तन करे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय भरत सिंह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा पूछना यह था कि जिसको आपने गुणवत्ता की दृष्टि से सही माना, या तो स्वयं की लैबोरेट्री या भारत सरकार की इसी लैबोरेट्री से, उसके बाद अगर सैम्पल फेल हो जाता है तो या तो उसी कम्पनी की कोई नकली दवाई बना रहा है तब फेल हो सकता है और या फिर वह कम्पनी ही उसको पास कराने के बाद जब वह मार्केट में आ जाती है तो उसके सैम्पल को गिरा देता है तभी तो आपका सैम्पल फेल होता है बाकी होना नहीं चाहिए। यह जो सैम्पल फेल हो रहा है यह इस बात को इंगित कर रहा है कि या तो नकली दवाई बन रही है या बनाने वाला ही उसको नकली बनाकर बाद में उसको बेचने का काम करता है। इन दोनों में से है तो इसको सख्त करिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह कानून भारत सरकार का है और मंत्री जी ने बोला है कि सरकार भारत सरकार को लिखेगी कानून परिवर्तन करने के लिए। माननीय भरत सिंह जी।

कोटा में पर्यटन विकास की कार्ययोजना

103. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में विगत एक वर्ष में सरकार द्वारा पर्यटन विकास हेतु कोई कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौने से?

(2) क्या मुकंदरा टाइगर रिजर्व के पास कनवास गांव के समीप किशोर सागर महलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या सरकार के किसी उच्च अधिकारी ने किशोर सागर महलों का पर्यटन के विकास की संभावना को देखते हुए अवलोकन किया है? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) जी हां। कोटा जिले में विगत एक वर्ष में सरकार द्वारा चन्द्रसेल मठ, श्री धाभाई जी का मन्दिर-द्वितीय, श्री बालाजी मन्दिर छत्रपुरा पीपल्दा, मंदिर समूह आवां तथा सूर्य मंदिर बूढादीत में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

(2) विभाग में कनवास गांव के समीप किशोर सागर महलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय, कोटा द्वारा दिनांक: 29.01.2020 को ग्राम किशोरगंज (दरा-कनवास रोड) स्थित किशोर सागर महल का निरीक्षण किया गया है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के खण्ड 2 में जो उत्तर दिया है किशोर सागर महल जो हैरिटेज सम्पत्ति है राजस्थान सरकार की और 200 साल पुरानी है और बिल्कुल मुकुन्दरा नेशनल पार्क से जुड़ी हुई है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार रणथम्भोर नेशनल पार्क ने राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर पहचान बनाई है, क्या उसी प्रकार मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व की व्यापक सम्भावना को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा मंत्री स्तर पर वन विभाग के बीच उच्च अधिकारियों के साथ एक वर्ष में कोई बैठक आयोजित की गई है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं इतना ही निवेदन माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका विचार बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा है लेकिन इसमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट से बात चल रही है, आज आपने फरमाया है। आप इतने अनुभवी सदस्य हैं, निश्चित रूप से आपके सुझाव भी अगर प्राप्त हो जाएं तो उस पर हम कार्यवाही जल्दी चालू कर देंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। बजट भाषण, 2019-20 में प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण के उचित सार-सम्भाल के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना का उल्लेख किया गया है और 24 जनवरी के राज्यपाल के अभिभाषण में राजस्थान को बैस्ट हैरिटेज डेस्टिनेशन 2019 से सम्मानित होने का उल्लेख किया गया है।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

क्या इस प्रकार की पृष्ठभूमि में हैरिटेज महत्व के किशोर सागर को तीन वर्षीय कार्य योजना में शामिल करेंगे?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा यही जवाब है कि इसकी जांच कराकर मैं खुद, अगर माननीय सदस्य के पास समय हो, खुद फोरेस्ट और टूरिज्म आफिसर्स के साथ जाकर निरीक्षण करते हैं और जिस तरीके से आपके सुझाव आये हैं और पहले भी आते रहे हैं, इन पर हम तत्परता से काम करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ में बेमौसम बरसात से खराब फसलों की गिरदावरी

104. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्ष, 2019 में अक्टूबर-नवम्बर माह में बेमौसम बरसात से मूंगफली की कटी हुई फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और मोठ, मूंग, ग्वार व अन्य फसलें चौपट हुई हैं? यदि हां, तो कितनी फसल बर्बाद हुई है? गिरदावरी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या फसल खराबे का गलत आकलन करने एवं मौसम यंत्रों को निजी स्थानों पर लगाकर बीमा कम्पनियों को लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर तथा किसानों को पूरा लाभ दिलाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019 में अक्टूबर-नवम्बर माह में बैमौसमी वर्षा से मूंगफली की कटी हुई फसल को नुकसान पहुंचा है एवं मोठ बाजरा व ग्वार की फसलों में भी नुकसान हुआ है। माह नवम्बर में फसल पकने के पश्चात् फसलों की कटाई हो चुकी थी। खेतों में जो फसल काटकर रखी गई थी उस पर वर्षा होने से फसलों में नुकसान हुआ है। आपदा राहत प्रावधानों के तहत कृषक की खेत में खड़ी फसल में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ नोर्म्स के तहत आदान-अनुदान सहायता राशि वितरित की जाती है। फसल कटाई के पश्चात् बीमित कृषकों के नुकसान बाबत प्रधानमंत्री फसल

(राजस्व मंत्री)

बीमा योजना के तहत किसान द्वारा फसल खराब होने पर प्रतिवेदन/सूचित करने पर कृषि विभाग एवं अधिकृत बीमा कम्पनी के द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कार्यवाही की जाकर फसल खराबे का आकलन किये जाने का प्रावधान है। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार तहसील श्रीडूंगरगढ़ के 6963 प्रतिवेदन/ इन्टीमेशन प्राप्त हुए जिन पर सर्वे आकलन अनुसार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के 45 पटवार मण्डलों की फसलों में 5 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक खराबा पाया गया। फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। कटी हुई फसल की गिरदावरी का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन राजस्व व कृषि विभाग के कार्मिकों द्वारा किया जाता है जिसमें कृषक व बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं। यह कार्य मोबाइल एप के माध्यम से कराया गया है जिसमें उपस्थित कार्मिकों एवं उपज की फोटोग्राफी भी होती है। बीमा कम्पनियों को लाभ पंहुचाये जाने संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिये, अक्टूबर और नवम्बर में डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसल खराब हुई और उसमें मोठ और बाजरी जब कटी भी नहीं थी, मान लें कट गई, उस समय मूंगफली की फसल की कटाई नहीं होती। उस समय बेमौसम बरसात की वजह से मूंगफली में भारी नुकसान हुआ था। जिसका मंत्री महोदय आपने जवाब दिया है, श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में 6963 प्रतिवेदन प्राप्त हुये। जिसमें आकलन 5 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत किया। जबकि मैं आपको पाइंट 2 पर बढ़ा देता हूं, कई तो गांव किया ही नहीं..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): ये प्रश्न का ही जवाब है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): प्रश्न का ही जवाब है, साहब।

श्री अध्यक्ष: पढ़ लिया हमने, प्रश्न क्या है आपका?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मेरा प्रश्न है डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बेमौसम बरसात की वजह से जो फसल खराब हुई, उस आकलन का ही समझ में आया, अध्यक्ष जी। उसमें जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है, रिपोर्ट अलग-अलग, गलत, एक-एक, जो 30 परसेंट से 50 परसेंट फसल खराब हुई थी, जिसमें मैं नामवार बता देता हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न पूछें। आपका सीधा प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): इसका आकलन है, सर। आदासर में 20 परसेंट।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न क्या है आपका?

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, +++

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। नमस्कार। बैठें आप। अगला प्रश्न।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): किसान की बात आती है, तो आप मतलब क्या है कि...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, बैठें आप। अगला प्रश्न राजेन्द्र राठौड़।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आठ परसेंट ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न राजेन्द्र राठौड़। बैठें, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। राजेन्द्र राठौड़, अगला प्रश्न किरण माहेश्वरी का। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): 000

राजसमन्द के आदिवासी बहुल गांवों में पाइप लाइन से पेयजल वितरण

105. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) (श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) के स्थान पर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में आदिवासी बहुल गांवों में वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष में क्या-क्या विकास कार्य करवाए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) उक्त गांवों में से कितने गांवों में पाइपलाइन से पेयजल वितरण की सुविधा है एवं कितने गांव इससे वंचित हैं? तथा शेष रहे गांवों में पाइपलाइनों से पेयजल वितरण व्यवस्था कब तक लागू कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: जनजाति मंत्री जी। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप। माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज, नीचे बैठें, नीचे बैठें। नीचे बैठें, अंकित नहीं होगा। माननीय पूनियां जी, माननीय बलवान जी पूनिया, मैं बाहर निकालूंगा, माननीय बैठें। जवाब दीजिए, माननीय मंत्री जी। आप जवाब दीजिए, मंत्री जी।

बहिर्गमन

(श्री गिरधारी लाल, माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) राजसमन्द विधान क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा माडा एवं बिखरी क्षेत्र में आदिवासी बहुल गांवों में वर्तमान एवं विगत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 18 विकास कार्य करवाये गए। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल कुल 9 गांव व 9 मजरे हैं, 9 गांव में से 3 गांव में पाइप योजना, एक गांव में पम्प व टैंक योजना तथा शेष 5 गांव हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं, 9 मजरों में से एक मजरे में पम्प व टैंक योजना तथा 8 मजरे हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं। जिन्हें जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन क्रियान्वयन योजना अन्तर्गत वर्ष, 2024 तक पाइप योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। गांव व मजरों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने परिशिष्ट 'अ' पर जो कामों की सूची दी है 18, और ये सारे काम वर्ष 2018-19 के हैं तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से जो काम प्रगतिरत हैं, जो चार काम प्रगतिरत हैं, वे काम पूरे क्यों नहीं हुए? कब तक पूरे हो जाएंगे? नम्बर एक। नम्बर दो, ये जो सारे काम हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
अध्यक्ष महोदय, जिनमें आपने पाइप योजना और पम्प व टैंक योजना के अलावा हैण्डपम्प से भी कुछ मजरों को लाभान्वित बताया है। क्या जो मजरे हैण्डपम्प से लाभान्वित हैं, उनमें हैण्डपम्प की जांच आपने करवाई कि आज की तारीख में ये हैण्डपम्प सूख चुके हैं। इस प्रकार की कोई आपके पास रिपोर्ट है क्या?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हैण्डपम्प का काम पीएचईडी विभाग देखता है। माननीय सदस्य के पास अगर ऐसी सूचना है कि कोई सूख चुका है और टीएडी विभाग उस मजरे, ढाणी में कोई काम कराना चाहते हैं तो आप मुझे अवगत करा दें, हम जरूर उसको दिखवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पद

106. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं? उक्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के कितने पद स्वीकृत हैं? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन महाविद्यालयों में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद रिक्त हैं, उक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश में कुल 292 राजकीय महाविद्यालय में से वर्तमान में 290 संचालित हैं। राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर व राजकीय विधि महाविद्यालय, डूंगरपुर को सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किया जावेगा।

वर्तमान में प्राचार्य के 292 पद स्वीकृत हैं तथा 32 उपाचार्य कार्यरत हैं। उपाचार्य संवर्ग "मृत संवर्ग" (Dying Cadre) होने के कारण नियमानुसार शेष पद समाप्त हो चुके हैं।

प्राचार्य एवं उपाचार्य के पदों का महाविद्यालवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) उक्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के 267 पद रिक्त हैं तथा राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 31.01.2018 में विहित प्रावधानों के अनुसार उपाचार्य संवर्ग "मृत संवर्ग" (Dying Cadre) होने के कारण उपाचार्य का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

उक्त नियम, 1986 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण प्राचार्य के पद रिक्त हैं।

(3) प्राचार्य के रिक्त पदों को यथाशीघ्र विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरा जाएगा।

उपाचार्य संवर्ग "मृत संवर्ग" (Dying Cadre) होने के कारण उपाचार्य का कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1 में बताया कि 290 में से 267 पद रिक्त हैं प्राचार्य के। 31 मार्च, 2017 तक डीपीसी कर दी गई थी। जब सरकार ने 2017-18 की डीपीसी की गाइडलाइन्स और नियम जारी करके आरपीएससी को 2018 में भिजवा दिये, सरकार ने घोषणा पत्र में समयबद्ध पदोन्नति का वादा भी किया। ये नियम राज्य सरकार द्वारा 2018 में सीनियोरिटी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। लेकिन, कुछ लोग चूंकि पीएचडी नहीं हैं, इसलिए सरकार ने नियमों में दो बार परिवर्तन करने की कोशिश की, जिसे फाइनेंस ने अस्वीकार कर दिया। मैं पूछना चाहूंगा कि पूरे महाविद्यालयों का प्रशासन प्राचार्य के अभाव में बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, सरकार इनकी डीपीसी क्यों नहीं करवा रही है? और कब तक करवा देगी? फिर, मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 05.10.2018 को जब आचार संहिता लागू होने वाली थी। उससे दो दिन पहले 03.10.2018 को प्राचार्यों की चयन प्रक्रिया हेतु संशोधित नियम जारी किये गये थे। जिसमें प्राचार्यों के लिए पीएचडी योग्यता रखी गई थी।

आदेश के विरुद्ध विभिन्न संगठनों के कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और इस आदेश को इसीलिए एक बार रिव्यू किया जा रहा है और अति शीघ्र निर्णय लिया जा करके डीपीसी की शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसी में मैंने तारीख पूछी थी या माह पूछा था, वह अब तक इन्होंने नहीं बताया है। इसके साथ ही, मैं दूसरा प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि कालेज शिक्षा में वाइस प्रिंसिपल डाइंग कैडर है और आपने मुझे सूची दी है कि 32 वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। अजमेर गवर्नमेंट कालेज में यह मेरे पास में प्रिंसिपल का आदेश है, 5 वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, उसको वाइस प्रिंसिपल नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है कमिश्नर ही कर सकता है तो क्या आप उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये 4 फरवरी और 19 अक्टूबर के प्रिंसिपल के आदेश हैं कि पांच वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। कृपया इसका उत्तर दें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो सदन को अवगत कराया गया है अजमेर राजकीय महाविद्यालय के बारे में तो निश्चित रूप से उसकी पूरी जानकारी करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं इसको टेबल कर दूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जांच करवाकर कार्रवाई कर देंगे। माननीय मंत्री जी, अगले सत्र के पहले 267 कालेजों में प्रिंसिपल नहीं हैं, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट डाइंग है। क्या विभाग कोशिश करके अगले सत्र के पहले प्रिंसिपल की पोस्ट की डीपीसी करवा देगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, जो नए नियम आए हैं उनमें हमारे जो वरिष्ठ पुराने शिक्षक हैं, हालांकि वह आरपीएससी से चयनित हैं लेकिन नए नियमों के अनुसार बहुत सारे लोग इसमें वंचित हो रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनको हम रिव्यू करा रहे हैं जैसा आपने आदेश किया है अगले सत्र से पहले तो निश्चित रूप से अगले सत्र से पहले हमारे राजस्थान के जितने भी प्राचार्य के रिक्त पद हैं और जिसमें योग्यता के अनुसार नियमानुसार जितने प्राचार्य बनाए जा सकते हैं डीपीसी के माध्यम से वह बनाने की कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री पानाचंद मेघवाल।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): एक छोटा सा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। यह गलत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी भावना समझ गए हैं। कार्यवाही के लिए कह दिया इन्होंने।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2021 तक इन्होंने कहा है कि कालेज शुरू कर देंगे। बार काउंसिल ने मना कर रखा है कि 3 साल तक कोई लॉ कालेज खुल नहीं सकता, आप 2021 तक कैसे खोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सरकार कह रही है और आप प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे खोलेंगे। जब नहीं खोलें, तब प्रश्न पूछ लेना। अगला प्रश्न श्री पानाचंद मेघवाल।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की आडिट रिपोर्ट

107. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को विगत 5 वर्षों में केन्द्र सरकार से और अन्य संस्थाओं से कितनी राशि किस कार्य के लिए प्राप्त हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का उपयोग किस-किस कार्य के लिये किया गया। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 5 वर्षों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की आडिट कब-कब, किस-किस संस्था द्वारा की गयी? उक्त आडिट रिपोर्ट में कितने आक्षेप लगाये गये? क्या उक्त आक्षेपों की पूर्ति कर दी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा और इससे सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में अनियमितता व शिक्षकों और कर्मचारियों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उक्त शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 की अवधि में केन्द्र सरकार से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) व अन्य परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु राशि रुपये 2762.05 लाख प्राप्त हुई।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

उक्त अवधि में राजस्थान सरकार से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) में अंशदान, ब्लाक ग्रान्ट व अन्य परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु राशि रुपये 1652.00 लाख प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त राशि का उपयोग परिशिष्ट-1 में उल्लेखित कार्यों हेतु किया गया है। उक्त राशि के उपयोग का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विगत 5 वर्षों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की आडिट प्रधान महालेखाकार सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा की गई। नियमित अंकेक्षण विश्वविद्यालय से अनुबंधित चार्टेड एकाउन्टेन्ट एवं टेक्यूप-II की स्टेट प्रोजेक्ट फेसिलेशन यूनिट (एसपीएफयू) टेक्यूप-III की आडिट स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट (एसपीएफयू) द्वारा कराई गई इन आडिट संस्थानों द्वारा गत पांच वर्षों में कुल 268 आक्षेप लगाये गये जिनमें से 183 का निस्तारण हो चुका है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4). सरकार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा और इससे सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में अनियमितता व शिक्षकों और कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 व 5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने प्रश्न संख्या-4 में जो जवाब दिया है उसमें यह लिखा है कि 92 कर्मचारियों व शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट भेजने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई यह बताने का प्रयास करेंगे? नंबर दो- जो ऑडिट 2014 से पिछले 5 साल के कार्यकाल की गई है उसमें 268 आक्षेप ऑडिट के द्वारा लगाए गए हैं उसमें से 85 आक्षेपों की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है। इसमें कई 2014 के आक्षेप भी हैं तो क्या इनकी पूर्ति कराने का प्रयास करेंगे? साथ ही कोटा यूनिवर्सिटी में 2014 से मैस का ठेका बिना टेंडर के लगातार एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है। क्या यह नियम है कि बिना टेंडर के किसी व्यक्ति को मैस का ठेका दिया जा सकता है? उसकी आडिट होती है या नहीं होती है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह जिन आडिट पैराज की बात कर रहे हैं, मैंने इसमें दिया है कि 92 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-4 व 5 पर संलग्न है तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो कार्यवाही की गई है, कुछ प्रक्रियाधीन है और कुछ का निस्तारण किया जा चुका है। दूसरी बात की गई आक्षेपों को लेकर के, आक्षेपों में कुछ इस तरह आक्षेप हैं, सामान्यतः जिनका जवाब भिजवा दिया गया है। गंभीर शिकायत, मैंने जितना अध्ययन किया है इसमें कोई ऐसी गंभीर शिकायत नहीं है। एक जो आपने प्रश्न उठाया मैस के संबंध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वहां मैस का ठेका देने का जो प्रोसीजर है वह यह है कि वहां एक मैस कमेटी है, स्टूडेंट्स की वह तय करती है जिसमें प्रशासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का तो मैस कमेटी ही टेंडर का जो भी सिस्टम उन्होंने कर रखा है उसके अनुसार इन्वाइट करती है, हालांकि जो मेरी जानकारी में आया है कि पिछले 5 वर्षों में ही नहीं जब से वहां होस्टल्स चालू हैं उसमें कुछ राजनीतिक प्रभाव रहते हैं और इस बात के प्रयास रहते हैं कि वह राजनीतिक लोग मैस का ठेका दिलाने की बात करते हैं। जिसकी मैंने भी आरटीयू के वाइस चांसलर से बात की और इस बात की व्यवस्था की कि सारा यह जो मैस कमेटी के माध्यम से प्राइवेट को ठेका दिया जाता है उसको बंद किया जाए और जिस तरह से विश्वविद्यालयों में नामी विश्वविद्यालयों में होस्टल्स कमेटी होती है, वार्डन होता है वह तय करते हैं और पर महीने कास्ट निकाली जाती है और वह कास्ट इक्वली स्टूडेंट्स में वितरित कर दी जाती है तो इसके माध्यम से व्यवस्था की जाएगी यह टेंडर वाला जो सिस्टम है जो राजनीतिक लोग इसका दुरुपयोग करते रहे हैं पिछले 5 सालों में इसको बंद करके और हास्टल में रहने वाले मैस कमेटी के छात्र ही तय करेंगे, वो ही सारा कुछ काम करेंगे और उसी के अनुसार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कास्ट आएगी उसका स्टूडेंट्स में किया जाएगा।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बिंदु नंबर-4 में जो जवाब दिया है कि 92 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई हैं और जांच रिपोर्ट भेज दी गई है, जबकि वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षकों ने निर्धारित अवधि में पीएचडी की उपाधि प्राप्त

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

नहीं की फिर भी उनको इंक्रीमेंट देकर उनका प्रमोशन किया जा रहा है तो एक तरफ तो उनके खिलाफ शिकायत की गई उनकी जांच रिपोर्ट चल रही है और दूसरी तरफ उनको प्रमोशन दिया जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय आटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका डायरेक्ट कंट्रोल चांसलर के अधीन होता है फिर भी जो शिकायतें आती हैं उनको संबद्ध विश्वविद्यालयों को भेज दिया जाता है। पर्टिकुलर अगर कोई शिकायत है तो उसकी जांच करा ली जाएगी और उसके विरुद्ध राज्यपाल महोदय जो हमारे चांसलर हैं, को लिख दिया जाएगा कि उसकी जांच करवाएं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

जैतपुरा में रीको की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना

108. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जैतपुरा में रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयां विकसित की गई हैं? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि रीको को जो भूमि आबंटित की गई है? उसका स्वामित्व भी अभी तक रीको के नाम नहीं है। यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि रीको को जो भूमि आबंटित है उस आबंटित भूमि पर कई भू-माफियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बार-बार शिकायत के उपरान्त भी रीको के अधिकारियों द्वारा न तो स्वामित्व अपने नाम कराया जा रहा और न ही अतिक्रमण हटाया जा रहा। क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। ग्राम जैतपुरा तहसील

(उद्योग मंत्री)

चौमूं में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। कुल 191 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित किये जाकर आबंटित किये जा चुके हैं जिन पर 156 औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 22.02.1983 द्वारा ग्राम जैतपुरा तहसील-चौमूं में कुल 197 बीघा 18 बिस्वा राजकीय भूमि का आवंटन औद्योगिक प्रयोजनार्थ रीको को किया गया था। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा आबंटन पत्र में संशोधन कर उक्त रकबे को 180 बीघा 18 बिस्वा (45.75 है.) किया गया।

उक्त आबंटित भूमि में से निगम द्वारा 43.04 है. भूमि पर दिनांक 15.02.1983 को औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्र अनुमोदित किया गया। निगम को आबंटित भूमि का राजस्व-रिकार्ड में इन्द्राज जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में किया हुआ है जिसके शुद्धिकरण करने के लिए माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर-तृतीय के यहां दावा संख्या 45/2014 द्वारा प्रार्थना-पत्र दायर किया हुआ था जिस पर दिनांक 30.12.2019 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर-तृतीय द्वारा निगम के पक्ष में निर्णय दिया गया है। राजस्व-रिकार्ड में उक्त निर्णय अनुसार निगम को आबंटित भूमि का नामान्तरण रीको के पक्ष में खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) भूखण्ड संख्या जी-91 जो रीको द्वारा 1950 वर्गमीटर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय को आबंटित है, के पीछे औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा के अनुमोदित नक्शे में दर्शायी गई निगम की अनियोजित भूमि पर दुकानों के रूप में अतिक्रमण है जिसको हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित व्यक्ति द्वारा जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए यह अवगत कराया गया है कि निर्मित दुकानें निगम को आबंटित भूमि पर नहीं है तद्नुसार प्रकरण निस्तारण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व दिशा में निगम को खसरा नम्बर 848 एवं 849/1 की कुल भूमि 123 बीघा 12 बिस्वा का आबंटन किया गया था जिसमें 111 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा निगम द्वारा प्राप्त किया गया है एवं इन खसरा नंबरान की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तर-पूर्व की ओर राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस चौकी, मंदिर आदि

(श्री उद्योग मंत्री)

निर्मित हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिमी भाग में रीको द्वारा नियोजित भूखण्ड संख्या जी-187, जी1 187(ए), जी 1-187(बी) व एच1-187 (डी) की भूमि पर वर्तमान में पानी की टंकी, ग्राम पंचायत भवन राजीव गांधी सेवा केन्द्र व कुछ दुकानें निर्मित हैं एवं कुछ भूमि रिक्त पड़ी है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

निगम को आबंटित खसरा नम्बरों के सीमाज्ञान करवाने एवं अतिक्रमणों को चिन्हित करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को एक दल गठित कर कार्यवाही करने हेतु दिनांक 04.07.2019 को पत्र को प्रेषित किया गया है एवं इस संबंध में पुन: तहसीलदार चौमूं को उनके पत्र क्रमांक 3516 दिनांक 07.02.2020 को लिखा गया।

(4) रीको द्वारा भूमि के स्वामित्व को अपने नाम करवाये जाने हेतु माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय के यहां दावा संख्या 45/2014 द्वारा प्रार्थना पत्र दायर किया हुआ था, जिस पर दिनांक 30.12.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा निगम के पक्ष में निर्णय दिया गया है। राजस्व रिकार्ड में उक्त निर्णय अनुसार निगम को आबंटित भूमि का नामान्तरण रीको के पक्ष में खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है। तदुपरान्त निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित भूमि को खाली करवाए जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में कहा कि 1983 में सरकार ने यह जमीन रीको को आबंटन की। 1983 से लेकर अब तक जब आपको उस जमीन का स्वामित्व ही प्राप्त नहीं है तो क्या बिना स्वामित्व के आपको प्लाट बेचने का अधिकार है और अगर यह प्लाट बेचान किया है तो वह क्या नियमानुसार है? यदि 37 साल तक आपको स्वामित्व प्राप्त नहीं करना, इसमें आप अपने विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को दोषी मानते हैं और अगर दोषी मानते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रीको को जमीन आबंटित हुई थी, सरकार ने कब्जा दिया था, पर यह भूमि जेडीए के नाम थी और जब यह ध्यान में आया कि यह रीको के नाम हो, प्रकरण एडिशनल कलेक्टर के यहां दायर किया गया। उसका फैसला अभी 12वें

(श्री परसादी लाल)

महीने में ही आया है और इसकी जल्दी ही कार्यवाही करके रीको के नाम कराएंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 37 साल तक नहीं हुई तो क्या इसमें कोई दोषी भी है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): जो भी दोषी होगा, उसकी जांच करा देंगे। यह प्रकरण जब रीको के ध्यान में आया तभी हमने तुरंत इसका प्रसंज्ञान लिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा जो यह 12 बीघा जमीन है, इस जमीन में पंचायत भवन बन चुका है, मंदिर भी बना हुआ है, एक पुलिस चौकी बनी हुई है। जो यह संस्थान बन चुके, रीको इनको जमीन आबंटन करने का विचार रखता है क्या कि हम पंचायत भवन के नाम कर दें, या इन्हीं के नाम कर दें। दूसरा यह कि आपने कुछ अतिक्रमण माना है, तो क्या आप इस अतिक्रमण की समय सीमा निर्धारित करना चाहते हैं कि हम इतने दिन में तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर अतिक्रमियों को बेदखल कर देंगे, निर्धारित समय सीमा आप बता दें और जो फैसेलिटी डवलप हो चुकी, उनको उनका स्वामित्व आप दे दें, यह देने का विचार रखते हैं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि स्कूल है, सब सेंटर है, पुलिस चौकी है, मंदिर है, इनको हटाया जाना संभव नहीं है। रीको इस पर विचार करेगा और इनको छोड़ने के लिये भी हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ओम प्रकाश हुडला।

महुवा में आगजनी के प्रकरणों में देय सहायता

109. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में विगत पांच वर्षों में कितने लोगों के द्वारा कच्चे, पक्के मकान व झोंपड़े में आग लगने के कारण सहायता हेतु आवेदन किया गया तथा उक्त में से सरकार द्वारा कितने लोगों को सहायता राशि दी गई व कितने आवेदन कब से लम्बित हैं ? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर मुआवजा राशि देने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि आगजनी के कारण होने वाली घटनाओं पर सरकार द्वारा मुआवजा राशि कम दी जाती है? यदि हां, तो कितनी एवं क्या? सरकार उक्त सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है यदि हां, तो कितनी व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में विगत पांच वर्षों में हुए अग्निकाण्ड पर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता दिये गये प्रकरणों की संख्या सहित ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर एवं निरस्त किये गये प्रकरणों की संख्या परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में अग्निकाण्ड का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अग्निकाण्ड का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है। एसडीआरएफ नोर्म्स में भारत सरकार द्वारा ही समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2019 तक मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में कुल आगजनी की घटनाओं की संख्या 180 रजिस्टर्ड हुई। उन 180 में से मात्र 93 लोगों को ही लाभ मिल सका, 87 लोगों के प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले जो इस तरह की घटना होती है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): यह जो 93 हैं यह लगभग 50 प्रतिशत हैं, उन गरीब लोगों से ऐसी क्या गलती हो गई जिनके फार्म रिजेक्ट कर दिये गये और उन बेसहारा किसानों को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। माननीय मंत्री जी।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): 50 परसेंट लोगों को ही क्यों मदद मिली?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीआरएफ नोर्म्स के मुताबिक गैर आवासीय परिसर में अगर मकान बना हुआ है, पड़त पर, नालों पर, गोचर जमीन पर, तो ऐसी स्थिति में उनको यह राशि नहीं दी जाती। जो कैंसिल हुए उनके कारण मैं बताना चाहूंगा, अवैध निर्माण, बिजली के करंट से आगजनी होना, यह जो इस प्रकार के जितने भी आवेदन थे, उनको खारिज किया गया है। 2016 से पहले खारिज होने का कारण यह था कि पहले एसडीआरएफ नार्म्स के मुताबिक जिसके दो घर हैं, उनमें से एक घर का नुकसान हुआ है और अगर उसका दूसरा घर है तो उसको नहीं दिया जाता था। लेकिन 2016 के बाद चाहे दो घर हो, चाहे तीन घर हो, उसको दिया जाता है। इस कारण 2016 से पहले वह आवेदन निरस्त हुए हैं।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गरीब आदमी आवेदन लगाता है उसको आज तक सरकार ने यह कारण नहीं बताया कि इस कारण से उसका रिजेक्ट किया गया। मेरा आग्रह है कि भविष्य में जब भी इस तरह की बात हो तो उसको बताया जाये। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 8 अप्रैल, 2015 को भारत सरकार ने एक सर्कूलर जारी किया एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संदर्भ में, जिसमें चाहे जितने भी कपड़े जल जाएं, उस प्रार्थी को 1800 रुपये ही मिलेगा। बर्तन चाहे जितने भी खराब हो जाएं उसको 2000 रुपये ही मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं वही पूछ रहा हूं। छप्पर के लिये 4100 रुपया, भेड़ के लिये 3000, भैंस के लिये 30000 ...

श्री अध्यक्ष: यह तो आ गया, आपका प्रश्न क्या है?

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि इसमें सरकार कोई सुधार करने की मंशा रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, 3000 में नहीं, 20000 में भेड़ मिलती है और छप्पर 50000 में बनता है जो 4000 रुपये सरकार देती है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस गरीब की कोई मदद करने की मंशा रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री सतीश पूनियां।

राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा परीक्षाओं का आयोजन

110. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पैरामेड़िकल काउन्सिल द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का टेन्टेटिव टाइम टेबल सितम्बर, 2019 में जारी किया गया था? यदि हां, तो जारी किये गये टाइम टेबल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार मुख्य परीक्षा आयोजित कर परिणाम जारी कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा पिछले सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम जारी किये बिना ही नया टाइम टेबल जारी किया गया हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी नहीं। राजस्थान पैरामेड़िकल कौंसिल जयपुर द्वारा सितम्बर, 2019 में परीक्षाओं का टेन्टेटिव टाइम टेबल जारी नहीं किया गया था, बल्कि टेन्टेटिव शिड्यूल जारी किया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस टेन्टेटिव शिड्यूल के अनुसार परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी हैं।

सत्र 2016-17 के प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा जुलाई, 2018 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया जिसका परिणाम मई, 2019 में जारी किया गया। किन्तु इससे पूर्व ही माह अप्रैल, 2019 में सत्र 2017-18 के अभ्यर्थियों से प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये थे। सत्र 2016-17 की इस रिमाण्डेड परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सत्र 2016-17 के अनुतीर्ण अभ्यर्थियों, जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया था, द्वारा भी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

ऑनलाइन फार्म भरे गये थे। परीक्षा आयोजन से पूर्व कुछ अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाने के कारण उनसे इस आशय का ऑनलाइन आप्शन फार्म भरवाया गया कि वे इनमें से कौनसे परिणाम (पुनर्मूल्यांकन या रिमाण्डेड) को रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें अटेम्प्ट की गणना में कोई हानि न हो। विकल्प प्राप्त किये जाने के पश्चात् इनके अन्तिम परिणाम 22 जनवरी, 2020 तक जारी किये गये हैं। इस प्रक्रिया में समय लग जाने के कारण इन परीक्षाओं को टेन्टेटिव शिड्यूल में प्रस्तावित अक्टूबर 2019 में आयोजित नहीं किया जा सका। अत: इसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

वर्तमान में द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर परीक्षाएं 15 फरवरी, 2020 से आयोजित की जा रही हैं।

(3) जी नहीं। राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा पिछले सत्र के विद्यार्थियों का परिणाम जारी किये बिना नया टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसव के दौरान महिला की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में राज्य सरकार द्वारा 70 दिनों की नहर बंदी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के माखीदा क्षेत्र के किसानों की तैयार फसल सिंचाई के अभाव में सूखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में सिद्धमुख नहर से किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से परिवहन विभाग में अधिकारियों व दलालों की कथित रूप से मिलीभगत होने से ओवरलोड वाहनों से की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश के परिवहन विभाग में कथित रूप से खुलेआम वाहन चालकों से ली जा रही मासिक बंधी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा-पत्र में प्रदेश में नियुक्त संविदाकर्मियों को स्थाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों के फसलीय ऋण की वितरण व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव उपरान्त विकास अधिकारियों द्वारा बैक डेट में चैक काटकर ठेकेदारों को किये गये भुगतान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विभागों में हाल ही में निकली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से पिण्डवाड़ा की कोजरा नदी से बजरी खनन करते हुए पुलिस द्वारा जब्त किये गए ट्रकों पर खनन विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर

(श्री अध्यक्ष)

से प्रदेश के किसानों को कृषि विद्युत बिलों में दी जा रही सब्सिडी बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्री बलजीत यादव, श्री संयम लोढ़ा, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री नारायण सिंह देवल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

माननीय गृह मंत्री जी आज स्टेटमेंट देंगे, परिवहन विभाग के संबंध में जो स्टेटमेंट चाहते हैं।

नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा छोटे-छोटे कार्यों की प्रक्रिया को आनलाइन किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल की ग्राम पंचायत बड़ी खाटू का विभिन्न विभागों में अलग-अलग नाम दर्ज होने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(3) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश के एम.बी.सी. वर्ग के बालक-बालिकाओं हेतु जयपुर शहर में आवासीय छात्रावास खोले जाने के संबंध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विद्यालय के बिजली, पानी आदि के बिल जमा कराये जाने हेतु स्थानीय निवासियों पर दबाब बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में बड़े पैमाने पर औद्योगिक वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई में ऊर्जा विभाग का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

(8) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से मेवात विकास योजनान्तर्गत अलवर में वर्ष 2010 में निर्मित बालिका छात्रावास का संचालन अभी तक भी नहीं किये जाने से छात्राओं को हो रही परेशानी के संबंध में।

(9) सुश्री रीटा चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बसी आबादी की किस्म परिवर्तन नहीं होने के कारण ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से हो रही परेशानी के संबंध में।

(10) श्री विजयपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड में क्रमोन्न्त किये जाने के संबंध में।

(11) श्री भरतसिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से मुकंदरा टाइगर रिजर्व में सुरक्षा हेतु स्थानीय नवयुवकों को नियुक्त करवाये जाने के संबंध में।

(12) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पादरू पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में।

(13) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था में सुधार किये जाने के संबंध में।

(14) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने के लिए ठोस कदम उठाये जाने के संबंध में।

(15) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में स्टेडियम बनाने के लिए ग्राम पंचायत कानपुर व कलड़वास में बसी आबादी को बेघर किये जाने की आशंका से ग्रामीणों में व्याप्त भय के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 17 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 24 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:

(श्री अध्यक्ष)

क्र.सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
(1)	श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा)	विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में ट्रोमा सेंटर का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(2)	श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)	अजमेर जिले में जल आपूर्ति की मुख्य पाइप लाइन टूट जाने से उत्पन्न गंभीर पेय जल संकट के सम्बन्ध में।
(3)	श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़)	तहसील सूरतगढ़ में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
(4)	श्री धर्मनारायण जोशी (मावली)	मावली में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में।

श्री रामलाल शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

विकास अधिकारियों द्वारा बैक डेट में चैक द्वारा ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कल जो परिवहन विभाग के अंदर कार्यवाही की गयी, उसके लिए एसीबी को बधाई देता हूं और साथ में यह उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से परिवहन के अंदर जो कार्यवाही हुई, वैसी ही कार्यवाही सम्पूर्ण विभागों के अंदर की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जब चुनावों की घोषणा की गई और ग्राम पंचायतों के चुनावों की तिथियां घोषित की गयीं, उसी समय प्रदेश के सभी विकास अधिकारियों ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए सभी ग्राम पंचायतों के सैक्रेटरी को निर्देश दिये कि एक घंटे के अंदर-अंदर आचार संहिता लग चुकी है, आप अपनी ग्राम पंचायतों की चैक बुक को, पट्टा बही और कार्यवाही रजिस्टर को तत्काल पंचायत समितियों के अंदर जमा कराएं। अगर कोई सैक्रेटरी कहीं दूर होने की वजह से निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाया तो फिर उसको रिमाइंडर

(श्री रामलाल शर्मा)

कराया गया कि अभी तक आप नहीं पहुंचे, आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, नया खेल तब शुरू होता है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा सम्पूर्ण पत्रावलियां जमा करा दी जाती हैं, चैक बुक जमा करा दी जाती है, कार्यवाही रजिस्टर जमा करा दिया जाता है, पट्टा बही जमा करा दी जाती है, उसके बाद में पंचायत समिति के अंदर ठेकेदार चक्कर लगाना शुरू करते हैं कि हमने इतनी ग्राम पंचायतों के अंदर काम कर दिया, अभी तक हमको भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद राजस्थान के अंदर सम्पूर्ण पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के द्वारा चैक काटने का एक प्रयास शुरू किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, निर्धारित समय के अंदर जब घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद में चैक काटे जाते हैं और चैक भी बैक डेट में काटे जाते हैं। चैकों को बैक डेट में काटकर एक मोटी राशि वसूल करने का काम राजस्थान के विकास अधिकारियों द्वारा, उनके एकाउंटेंटों के द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन है कि कितने ऐसे चैक हैं, जो आचार संहिता लागू होने के बाद बैंकों के अंदर लगाये गये? कितने ऐसे चैक हैं, जो आचार संहिता लगने के बाद बैंकों से स्वीकृत किये गये? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के कई विकास अधिकारी तो ऐसे हैं, जिनको सत्ता का डर नहीं है, नियमों का भी नहीं है, उन्हें किसी का डर नहीं है। नये सरपंच चुनकर आ गये, नये सरपंच चुनकर आने के बाद भी कई विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति के अंदर बैठकर ग्राम सचिवों को धमकाकर उनसे बैक डेट के अंदर चैक कटवाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि इस प्रकरण की जांच की जाए, एक स्पेशल सैल बनायी जाए। कितने चैक ऐसे हैं, जिन चैकों को सरपंच बनने के बाद बैंकों के अंदर लगाया गया? कुल कितने ऐसे चैक हैं, जिनकी राशि स्वीकृति की गयी? आज तक सरपंचों को चैक के पावर भी नहीं दिये गये, इससे कई ग्राम पंचायतों के अंदर, विभाग के अंदर बिजली के कनेक्शन काट दिये गये, इसलिए नये सरपंचों को तत्काल चैक के पावर दिये जाएं। जो बैक डेट से चैक काटने का एक बड़ा भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ है,

(श्री रामलाल शर्मा)

उसकी भी एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच की जाए। आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

कोचिंग संस्थानों द्वारा मनमानी फीस वसूली

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जयपुर सहित अलग-अलग, पंचायत मुख्यालय तक चल रहे कोचिंग सेंटरों की लूट की तरफ कराना चाहता हूं। बड़ेबड़े अख़बार में एड देकर ये कोचिंग सेंटर, जैसे कोई ठग किसी को लुभाता हो, भोले-भाले स्टूडेंट्स को लुभाते हैं। उनको सब्जबाग दिखाए जाते हैं। उनसे कांस्टेबल, एलडीसी, इनमें 13 हजार, 20 हजार से लेकर सवा-सवा लाख रुपये तक ये उनसे फीस वसलूते हैं। उनको कहा जाता है कि आपका इसमें सिलेक्शन करा देंगे। उनसे फीस ले ली जाती है। एक क्लास के अंदर 500-500 बच्चों को भेड़-बकरियों की तरह भरा रखते हैं ये लोग। एक्ट बन गया लेकिन फिर भी इन पर कोई लगाम नहीं लगी, कोई कार्यवाही इनके खिलाफ नहीं होती। ये इतने सक्षम लोग हैं कि कहीं भी कोई भी जैसे इनके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं पा रहा हो। दूसरा, वही चीज स्कूलों में है। स्कूल के अंदर 80-80 हजार रुपये एक बच्चे की फीस, ऊपर से ड्रेस का खर्चा, ऊपर से प्राइवेट स्कूलों में बुक्स का खर्चा, गांव में भी चले जाएं तो इतना ज्यादा खर्चा कि गरीब आदमी, दो बच्चे जिसके हों, उसका खर्चा...

श्री अध्यक्ष: विषय पर बोलें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): दो लाख रुपये तक पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, वह बेचारा कैसे गुजारा करे? मैं चाहता हूं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर रोक लगनी चाहिए। यहीं जयपुर के अंदर ये सरेआम लूट रहे हैं। लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। उनके परिवार डिप्रेशन में आ रहे हैं और गरीब, मजदूर कर्जा लेकर कोचिंग सेंटर में भेजता है। कोई सरकार कुछ तो हो कि एक्ट बन गया, उसे ऐसा स्ट्रांग बनाया जाए कि उन पर कार्यवाही हो। एक्ट बन गया, लेकिन कार्यवाही किसी कोचिंग सेंटर पर नहीं होती है। आप अभी जाकर चैक करवा लें, 500-500 बच्चे भेड़-बकरी की तरह भरे हुए हैं। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो कहीं न कहीं सरकार कंट्रोल करे, नहीं तो जनता बिलकुल लुटती-पिटती रहेगी और ये माफिया लोग लूटते रहेंगे, जैसे स्कूलों में कभी आडिट ही नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जो पैसा फीस का है, स्कूल में लगना चाहिए लेकिन नहीं लगता। वह पैसा निकाल लिया जाता है। सरकार को चैक करना चाहिए कि वह पैसा जा कहां रहा है? वह कोई उद्योग नहीं है। यह वैलफेयर के लिए है, लूट मची हुई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि देखिए बहुत सी जगह..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सरकारें चली गईं, स्कूल एक्ट की उपेक्षा हुई। सरकारें चली गईं। सरकार ध्यान दे और सरकार गरीब विद्यार्थियों का, गरीब जनता का संरक्षण करे और उनको राहत दिलाए। लोक कल्याणकारी सरकार है। यही मैं आशा रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

कोजरा नदी से बजरी का अवैध खनन

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, रातों-रात धनवान बनने की अंधी दौड़ में हम पर्यावरण से खेल रहे हैं। नदी नष्ट कर रहे हैं, नाले नष्ट कर रहे हैं और अपने घर भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम न्यायालय को नहीं गिनते। हम ग्रीन ट्रिब्यूनल को नहीं गिनते। अब्दुल रहमान के मामले में न्यायालय ने फैसला दिया, हम आज तक उसकी पालना नहीं कर पाये। गुलाब कोठारी के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया, हम उसकी पालना नहीं कर पाये। परसों सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर टिप्पणी की कि अगर अधिकारी हमारी नहीं मानते हैं तो इसे बंद कर दो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों के संरक्षण के लिए लगातार सुनवाई करके एक के बाद एक विस्तृत आदेश दिए लेकिन हम इसकी पालना नहीं करते। मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय खान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 14 तारीख की रात को दो डम्पर कोजरा नदी में अवैध खनन करते हुए पकड़े गये। लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि उदयपुर की ओर रोजाना रात को डम्पर भरकर ले जाए जा रहे हैं। डम्पर रात को तेज गति से भागते हैं, खंभे गिरा देते हैं, बिजली के तार गिरा देते हैं और थानों के बाहर से गाड़ियां निकलती हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। लगातार नागरिकों की ओर से दबाव बना कि ये नेशनल हाइवे बन रहा था तब भी इस कोजरा नदी पर इस तरह 50-50 फीट के गहरे खड्डे कर

(श्री संयम लोढ़ा)

दिए गए। बरसात आई इसमें पानी भरा। दो बच्चे नहाने गये, वे डूब कर मर गए तो प्रशासन को गश्त शुरू करनी पड़ी, 14 तारीख की रात को 8 बजे पिण्डवाड़ा के तहसीलदार और पिण्डवाड़ा के पुलिस उप अधीक्षक ने दो डम्पर को नदी से खनन करते हुए पकड़ा। ये उदयपुर के हैं, जिनमें एक का तो नंबर भी नहीं है और दूसरे का नंबर है आरजे-27-जीसी 9917 और गैर मुमकिन नदी से खनन की फर्द मौका बनाकर 14 तारीख की रात को नौ बजे पुलिस थाना अधिकारी, पिण्डवाड़ा को तहसीलदार, पिण्डवाड़ा ने सुपुर्द कर दी। लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी खनन विभाग का कोई अधिकारी वहां थाने पर नहीं पहुंचा और लगातार इस प्रकार का एटीट्यूड बनाये हुए हैं। लगातार मिलीभगत से पूरी नदी को खोद दिया है। पचास-पचास मीटर के खड्डे कर दिए हैं। हम लोग लगातार अखबारों में पढ़ते आए हैं। अखबारों में छप रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार की किसी तरह की इच्छाशक्ति नहीं दिखती है। मैं आपके माध्यम से माननीय खान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे मिलीभगत से प्राकृतिक सम्पदा की लूट करने में भागीदार बनने वाले अपने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाहीं करें और जो लोग अवैध खनन में लगे हुए हैं, उन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाएं जिससे नदी का संरक्षण किया जा सके और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की पालना की जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

कृषि विद्युत कनेक्शन में सब्सिडी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक किसान की विद्युत दरों को नहीं बढ़ाने का राग अलापने वाली यह सरकार, अपने जन-घोषणा पत्र में किसान को गुणवत्तापूर्ण आसान दरों पर बिजली उपल्बध कराने वाली इस सरकार ने किसानों पर ऐसा कहर ढाया है कि अभी 1 फरवरी को जो घरेलू उपभोक्ताओं पर 15 से 20 परसेंट विद्युत दरों में बढ़ोतरी हुई है जिसकी परिधि के अंदर राजस्थान का 60 परसेंट किसान आ गया। 15 से 20 परसेंट विद्युत दरों की बढ़ोतरी हो गई। उसकी स्याही सूखी नहीं थी कि राज्य सरकार ने जो पिछली सरकार का एक महती फैसला था, जो 1 नवम्बर, 2018 से साढ़े सात हार्स पावर तक के छोटे किसान को मुफ्त में बिजली मिले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और आगे अगर हम धीरे-धीरे सत्ता में आते तो इस साढ़े सात को पन्द्रह और पन्द्रह को पच्चीस करते, वह दिन आ जाता कि राजस्थान में किसान को मुफ्त में बिजली मिलती। खैर, सत्ता परिवर्तन हो गया। जनता की मर्जी है।

अध्यक्ष महोदय, इसी अक्टूबर से किसान को 833 रुपया, जो डायरेक्ट सब्सिडी मिला करती थी उसके बिल में, उन पैसों का समायोजन होता था, वह सरकार ने बंद कर दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि मंत्री जी कहते हैं कि मेरी जानकारी में नहीं है। अखबारों में बयान देते हैं। आपके एमडी ए.के. गुप्ता कहते हैं कि डायरेक्ट बिजली सब्सिडी की पत्रावली पर वित्त विभाग ने अनुमोदन नहीं किया, समयावधि बढ़ाई नहीं इसलिए हम नहीं देंगे। मंत्री महोदय, अब हो क्या रहा है कि जिन किसानों ने यह सोचकर कि उनको सब्सिडी 833 रुपये मिलती है, साढ़े सात हार्स पावर तक के किसान का तो बिजली का बिल आता ही नहीं था, उन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं कराए, 12 लाख 96 हजार किसान आज आपको कोस रहे हैं। उन्होंने बिजली के बिल जमा नहीं कराए, इस कारण से वह डिसकनेक्ट की उस परिधि में आ गए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप 1150 करोड़, जो किसान को झटका देकर, उसकी जेब से वापस ले रहे हैं जो पिछली सरकार ने रियायत दी। अगर आपने यह कर दिया तो आपको खड़े होकर यह कहना चाहिए ताकि कम से कम उस गरीब किसान का कनेक्शन कट तो नहीं जाए। आप कुछ कहते भी नहीं हैं और आपने इस योजना को 833 रुपये प्रतिमाह जो गरीब किसान के खाते में वसुन्धरा जी की सरकार ने सीधी सब्सिडी दी थी, उसको रोककर आपने विद्युत दरों को बढ़ाकर जो अन्याय किया है फिक्स चार्ज के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर, अडाणी टैक्स के नाम पर, ये राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी, इसलिए आपको सदन को यह बात साफ-साफ बता देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसानों को जो एग्रीकल्चर कनेक्शन थे, उसकी सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी है। पूरे प्रदेश में लगभग 13 लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 नवम्बर से 10 हजार रुपये और एक बिल में,

(श्री नारायण सिंह देवल)

एक महीने में 833 रुपया बिल सरकार ने भरने का निर्णय किया था और इस निर्णय से जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं, छोटे-छोटे खेत हैं, जिनके साढ़े सात हार्स पावर के कनेक्शन थे, उनको एक भी रुपया बिल भरने की आवश्यकता नहीं थी। डीबीटी देने का इस सरकार ने फैसला भी किया, 5 लाख 65 हजार काश्तकारों को 688 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से फायदा भी मिला और जो किसान लिंक नहीं हुए थे, 7 लाख 46 हजार उनको सीधे बिलों में सब्सिडी दे रहे थे।

अभी दो महीने पहले राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा। माननीय राठौड़ साहब ने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में था बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे, आपने यह स्वीकृति नहीं दी, इस कारण बिल आने चालू हो गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रबी का सीजन पीक पर है, कृषि कनेक्शन कट रहे हैं, कई माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता भी जताई है। किसान पिछले तीन साल से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने अलाउ कर दिया आपके साथ, बस हो गया।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): एक मिनट, किसान पिछले तीन साल से कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि और अभी टिड्डी का मामला था, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि डीबीटी सब्सिडी को तुरंत प्रभाव से चालू करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्रीमती अनिता भदेल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा नहीं है तो कम से कम कनेक्शन नहीं काटें, उनको मौका दें।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर मान्यवर, मंत्री नहीं बोलेंगे, मैंने पहले ही कहा, चैम्बर में आकर बात करें।

295, श्रीमती अनिता भदेल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर विकास प्राधिकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया से आमजन को परेशानी

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा

(श्रीमती अनिता भदेल)

कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत एडीए की ऑनलाइन सेवाओं से छोटे कामों में भी हो रही परेशानी के संबंध में निवेदन है कि राज्य सरकार ने जब से अजमेर विकास प्राधिकरण की नियमित सेवाओं को ऑनलाइन किया है उसके बाद से योजना और गैर योजना क्षेत्र के आबंटियों की परेशानी बढ़ गई है यूडीएच के सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामियों का हाल यह है कि योजना क्षेत्र में भूखंड खरीदने वालों को भूखंड का अपना नाम म्यूटेशन खुलवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद उसे निराशा हाथ लगती है। जब वह भूखंड पर निर्माण के लिए बैंक में लोन लेने जाता है, म्यूटेशन में आदेश ही डिफेक्टिव है। यूडीएच की साइट से जारी म्यूटेशन आदेश में विक्रेता के नाम का उल्लेख नहीं होता। वही म्यूटेशन आदेश में यह और लिखा होता है कि जिन दस्तावेज के आधार पर यह म्यूटेशन खोला गया है उसके लिए एडीएम प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। यदि दस्तावेज फर्जी या जालसाजी से बनाए हुए निकले तो किया गया म्यूटेशन स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। इसी लाइन को पढ़कर बैंक जिसके नाम म्यूटेशन खोला है, उसे मकान बनाने के लिए लोन देने से साफ इन्कार कर रहे हैं। यही नहीं पावर होल्डर के माध्यम से कराए जाने वाले म्यूटेशन में पावर का उल्लेख भी नहीं होता। जबकि पावर के म्यूटेशन में अखबारों में सूचना प्रकाशन के साथ ही पावर देने वाले से लिखित सहमति तक मांगी जाती है। उसके बाद ही म्यूटेशन की कार्यवाही की जाती है। सवाल यह है कि जब म्यूटेशन के लिए अपलोड के लिए दस्तावेज के आधार पर कमोबेश के लिए आबंटित खुद ही जिम्मेदार है, तो फिर पावर से जुड़े प्रकरणों में इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

जायल की ग्राम पंचायत बड़ी खाटू का विभिन्न विभागों में अलग-अलग नाम

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत नागौर जिले के बड़ी खाटू ग्राम को एक नाम से पहचान के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में एक ग्राम पंचायत है जिसे वर्तमान में व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में लगभग तीन चार नामों (जैसे खाटूकलां, खाटू बड़ी, बड़ी खाटू, खाटू बडोडी) से जाना जाता है और यह नाम अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में भी अलग-अलग नामों से दर्ज है। थाने में खाटू बड़ी पटवार मंडल में खाटू कलां, रेलवे स्टेशन पर केवल खाटू नाम अंकित है।

(श्रीमती मंजु देवी)

इस प्रकार से जब आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, या अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाते हैं तो अलग-अलग नाम छाप देते हैं, जिससे आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि बड़ी खाटू नाम से इस गांव को पहचान दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिलाएं तथा शीघ्र एक ही नाम से कार्य व्यवहार हेतु समस्त विभागों में निर्देश दें, ताकि आम आदमी को स्वयं द्वारा नहीं की गई गलती का हर्जाना नहीं भुगतना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

एम.बी.सी. वर्ग के बालक-बालिकाओं हेतु जयपुर शहर में आवासीय छात्रावास

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र 2018 के पैरा संख्या 23/5 में अत्यन्त पिछड़े वर्ग एमबीसी के बालक-बालिकाओं के उत्थान अर्थ प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में आवासीय शैक्षिक संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की थी।

महोदय, विदित है कि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का अधिकांश तबका प्रदेश के दूर-दराज एवं बीहड़ क्षेत्रों में निवास करता है, जिसका शहरी क्षेत्रों से कोई सरोकार नहीं है। उक्त समुदाय के बालक-बालिकाओं में शिक्षा के प्रति विशेष रुझान बढ़ा है, जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा में 90 से 97 प्रतिशत तक अंक लेकर अपनी परीक्षाओं में उतीर्ण हो रहे हैं, किंतु शहरी क्षेत्रों में उनके लिए आवास की व्यवस्था न होने के कारण यह मेधावी छात्राएं अपनी-अपनी उच्च शिक्षा हेतु शहरों में नहीं आ पाते और विशेषकर बालिकाओं की उक्त समस्या को मद्देनजर रखते हुए उनके अभिभावक 10-12वीं कक्षा के बाद ही उनकी शादियां कर देते हैं। जिससे हर वर्ग की प्रतिभावान बालिकाओं की शैक्षिक इच्छा दम तोड़ देती है। पिछले एक दशक में एमबीसी, राइका, गाडुलिया, लुहार, रेबारी, गुर्जर समाज के ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाएं पढ़कर जयपुर शहर में उच्च अध्ययन एवं कोचिंग के लिए आने लगे हैं, जिन्हें जयपुर शहर में आवास की बहुत ही समस्या हो रही है, विशेषकर बालिकाओं को। इसलिए 1000 बैड्स का बालिका पन्नाधाय छात्रावास बनाने का अनुरोध करती हूं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पन्नाधाय दर्द न सहती तो महाराणा प्रताप कहां से आते। क्षत्राणी पन्नाधाय के नाम से आवासीय छात्रावास की स्वीकृति प्रदान कर, नारी शक्ति को संबल प्रदान करने की कृपा करें। बिना खून बहाए आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया, धन्यवाद की पात्र है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

सरकारी विद्यालयों के बिलों हेतु अपर्याप्त बजट

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सरकारी विद्यालय के अध्यापक सामान्यतया वहीं के निवासियों के सामने हाथ फैलाए नजर आते हैं, क्योंकि विद्यालयों को पानी बिजली और साफ सफाई हेतु प्रतिवर्ष प्रति स्कूल कम्पोजिट ग्रांट मिलती है। वह क्रमशः छात्र संख्या 50, 100, 200, 400 व 400 से अधिक पर राशि रुपये 12500, 25000, 50,000 व 100000 इससे ज्यादा नहीं मिलती है। परंतु इसी राशि में से पानी बिजली में साफ सफाई पर खर्च कर सकते हैं अर्थात लगभग 100 रुपये प्रति माह सफाई पर खर्च कर सकते हैं।

महोदय, बिजली के दाम पहले से लगभग दोगुना हो गए हैं, सफाई कराने की डर से, या तो सफाई नहीं कराते या एक गरीब व्यक्ति का शोषण कर विद्यालय के पांच से दस कमरों की सफाई के लिए मात्र 100 से 200 तक प्रति माह सफाईकर्मी को देते हैं।

महोदय, कई विद्यालय बिजली के बिल के डर के मारे बिजली का कनेक्शन ही नहीं लेते हैं, इसके कारण भीषण गर्मी में भी तपती छत के नीचे मासूम बच्चे गर्मी के मारे पसीना-पसीना होते रहते हैं, या फिर वह स्कूल ही नहीं जाते हैं। विद्यालयों में लगे हुए कम्प्यूटरों को भी विद्यालय के अध्यापक जानबूझकर खराब करके रखते हैं क्योंकि कम्प्यूटर चलेंगे तो बिजली का भार भी पड़ेगा। इतना ही नहीं मिड-डे मील के तहत बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर बिजली का बिल व साफ-सफाई का खर्चा उस विद्यालय के मिड डे मील को देख रहे अध्यापक द्वारा भरा जाता है। विद्यालयों के शौचालय एवं मूत्रालय की साफ सफाई के लिए राशि अत्यंत कम होने के कारण उनको खोला नहीं जाता है, या फिर गंदगी से अटे पड़े रहते हैं, जिसके कारण छात्र-छात्राएं खुले में शौच जाने को मजबूर होते हैं।

(श्री मदन दिलावर)

यह राशि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है। इसमें पर्याप्त राशि मिलाकर राज्य सरकार को विद्यालयों को दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना। श्री संजय शर्मा।

अलवर शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत अलवर ज़िले की अलवर शहर विधान सभा से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार में गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पूर्ण रूप से भय का वातावरण बना हुआ है। अलवर शहर में कानून व्यवस्था इस तरह चौपट हो चुकी है कि आए दिन शहर के व्यस्ततम बाजारों मैं चोरी व एटीएम मशीनों को तोड़ने की घटनाओं को अपराधी खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। श्रीमान हर दिन इस प्रकार की घटनाओं से अलवर शहर शर्मसार हो रहा है। पीड़ितों की थाने में शिकायतें तक दर्ज नहीं की जाती हैं। पुलिस की अकर्मण्यता के चलते अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस चौकी से करीब 30 फीट की दूरी पर स्थित एटीएम मशीन को लूटने का प्रयास कर लिया जाता है। अपराधियों द्वारा शहर में थाना कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी की रात को एक साथ सात दुकानों के ताले तोड़े गए, वहीं दिनांक 20 जनवरी को एन ई बी थाना अंतर्गत मन्ना का रोड स्थित एक्सिस बैंक का एटीएम, दिनांक 23 जनवरी को अरावली विहार थाना अंतर्गत हनुमान चौराहा स्थित आई सी आई सी आई बैंक का एटीएम, इसी रात अरावली विहार थाना अंतर्गत नयाबास सर्किल एक्सिस बैंक का एटीएम, दिनांक 30 जनवरी की रात थाना कोतवाली अंतर्गत यूआईटी परिसर स्थित ओबीसी बैंक का एटीएम तोड़कर लूटने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा आज तक उक्त घटनाओं के एक भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। पुलिस की नाकामी के चलते अलवर ज़िले में वर्ष 2019 में चोरी-लूट के प्रकरणों में 36.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस समस्या के निराकरण हेतु मेरा आपसे निवेदन है कि अलवर शहर में एक कठोर कानून व्यवस्था बनाने संबंधी निर्देशित किया जाए, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षा पूर्ण व भयमुक्त वातावरण में सुरक्षित रह सके।

(श्री संजय शर्मा)

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि आमजन को सुरक्षा व न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लोकतंत्र में सरकार का प्रथम दायित्व है। मेरी आपसे मांग है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में शीघ्र से शीघ्र एक भय मुक्त व सुरक्षा पूर्ण वातावरण बनाया जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सफिया जुबेर।

मेवात विकास योजनान्तर्गत अलवर में स्थित बालिका छात्रावास का संचालन

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेवात विकास योजनान्तर्गत अलवर जिला मुख्यालय पर अरावली विहार फेज-प्रथम, अलवर में वर्ष 2010 में 200 बैडेड बालिका छात्रावास का निर्माण 5000 वर्ग मीटर भूमि में जिला परिषद अलवर द्वारा कार्यकारी एजेन्सी नगर विकास न्यास, अलवर के माध्यम से प्रारम्भ करवाया गया था। वित्तीय स्वीकृति 656.82 लाख से छात्रावास में 100 कमरे मय अटैच लैट-बाथ, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर रूम, खेल मैदान सहित आदि विभिन्न कार्य करवाये गये और छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हुए लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है।

वर्तमान में अलवर जिले की मेवात बहुल क्षेत्र की 08 पंचायत समितियों की 296 ग्राम पंचायतों में कुल 515 ग्रामों से भी अधिक है। मेवात क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के कारण बालिकाओं का शिक्षा स्तर निम्न है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में मेव समुदाय की बालिकाएं कक्षा बारहवीं के पश्चात उच्च अध्ययन के लिये शहर में कालेज होने, अभिभावक भी सुरक्षा की दृष्टि से संकोचित होने एवं खर्चा वहन करने में सक्षम नहीं होने के कारण अधिकांश बालिकाएं बारहवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। अलवर जिले में पहले से ही 11 मेवात आवासीय विद्यालय कक्षा आठवीं तक ही संचालित किये जा रहे हैं। तत्पश्चात बालिकाओं को आठवीं के बाद आवासीय विद्यालय नहीं होने के कारण आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि उक्त छात्रावास का शीघ्र संचालन करवाया जाए। ताकि मेव समुदाय की गरीब तबके की मेधावी छात्राएं जिला मुख्यालय पर रहकर उच्च

(श्रीमती सफिया जुबेर)

शिक्षा प्राप्त कर सकें और सरकार द्वारा निर्मित भवन का सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कुमारी रीटा चौधरी।

सरकारी भूमि का किस्म परिवर्तन

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि प्रदेश के गांवों में आबादी बढ़ रही है, परन्तु आबादी भूमि सीमित होने के कारण ग्रामीण सरकारी भूमि पर बसते जाते हैं। गांवों में आबादी भूमि विस्तार हेतु भूमि की किस्म सबसे बड़ी समस्या है। गांवों में सरकारी भूमि को पुराने समय से जोहड़ नाम से जाना जाता था, जिसके चलते जोहड़ नाम से ये भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। जबकि ज्यादातर भूमि में जोहड़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोहड़ किस्म की भूमि को अन्य उपयोग हेतु प्रतिबंधित किया हुआ है। इससे गांवों के लोग जो सरकारी भूमि पर पीढ़ियों से बसे हुए हैं और जहां उन्होंने मकान बना रखा है, वह भूमि राजस्व रिकार्ड में जोहड़ दर्ज होने के कारण उन्हें मालिकाना हक नहीं मिलने से इन्हें काफी परेशानी हो रही है और किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत कार्यवाही कर ग्राम पंचायतों द्वारा राजस्व विभाग के साथ मिलकर सर्वे करवाया जावे ताकि वस्तुस्थिति का पता लग सके। वास्तव में जो जोहड़ हैं, उनको छोड़कर शेष सरकारी भूमि की किस्म परिवर्तन कर आबादी विस्तार के लिये आबंटित करवाया जा सके, ताकि गांवों के गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं यथा, बिजली, पानी मकानों के पट्टे आदि का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयपाल मिर्धा। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

मुकंदरा टाइगर रिजर्व में सुरक्षा हेतु स्थानीय युवकों को जिम्मेदारी

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

कि मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है कि निष्ठावान स्थानीय युवकों को इसकी सुरक्षा हेतु चयन करके लगाया जाए। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा हेतु जिन गार्डों की भर्ती की गई थी उनमें से लगभग 60 गार्डों ने अपने प्रोबेशन के दो साल पूरे करने के बाद ही अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण अपना स्थानान्तरण अपने गृह जिलों में करवा लिया है। होम गार्ड के जो जवान वन विभाग नियुक्त करता है, उनका लगाव न तो जंगलों से है व न ही उन पर नियंत्रण वन विभाग का है। होम गार्ड के जवान को जहां 30 हजार मासिक भुगतान वन विभाग करता है, वहीं उसका आधा 15 हजार प्रति माह भुगतान करने पर निष्ठावान स्थानीय युवकों की दुगुनी संख्या में वन विभाग को सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। मुकंदरा में अवैध शिकार, आगजनी व वन कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। टाइगर व वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा स्टाफ का होना आवश्यक है। मुकंदरा से लगे गांवों के निवासियों को यदि वन विभाग विश्वास में लेकर कार्य करेगा तो टाइगर की सुरक्षा बेहतर हो सकेगी। स्थानीय लोगों को इस टाइगर रिजर्व से कुछ लाभ होगा, तो हम रिजर्व का बेहतर संरक्षण कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना की तहसील पादरू, पी.एच.सी. की सी.एच.सी. में क्रमोन्नति व नई पी.एच.सी. की स्वीकृति

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की पी.एच.सी. पादरू लम्बे समय से संचालित है। दूरी के हिसाब से 35 किलोमीटर के दायरे में कोई सी.एच.सी. नहीं है। साथ ही जिले में सबसे अधिक आउटडोर वाली पी.एच.सी. की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। इसको सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करवाने की मांग यहां की जनता द्वारा बरसों से की जा रही है और तो और इसके भवन के निर्माण के लिये भामाशाह भी तैयार हैं।

नवीन पी.एच.सी. खोलने के नियमों के अनुसार अगर देखें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कम हैं। दूरी व जनसंख्या के आधार पर मेरे क्षेत्र के डण्डाली और सिणेर में पी.एच.सी. खोला

(श्री हमीर सिंह भायल)

जाना नितांत आवश्यक है। मेरे द्वारा पिछले पांच वर्षों से उपरोक्त मांगों को लेकर निरन्तर प्रयास किया गया है, जिसकी पत्रावली विभाग द्वारा सकारात्मक टिप्पणी के साथ राज्य सरकार के पास लम्बित पड़ी है।

मेरा निवेदन है कि पादरू पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराएं एवं डण्डाली व सिणेर में नवीन पी.एच.सी. स्वीकृत करवाकर जनता को राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था हेतु नफरी में बढ़ोतरी

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सुमेरपुर शहर की आबादी करीब 50 हजार है। यहां उपखण्ड कार्यालय सहित सभी विभागों के कार्यालय व कोर्ट हैं। शहर में पाली, जालौर, सिरोही जिलों की सबसे बड़ी कृषि उपज मण्डी समिति, ऑटोमोबाइल्स मार्केट, स्टील मार्केट, लकड़ी फर्नीचर व लकड़ा मार्केट, ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित खाद्य पदार्थों का तीन जिलों का सबसे बड़ा व्यावसायिक बाजार है। सरकारी हास्पिटल क्षेत्र के सबसे बड़े महावीर हास्पिटल सहित 50 से ज्यादा प्राइवेट हास्पिटल्स हैं। राजकीय महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, सरकारी प्राइवेट विद्यालयों सहित 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थान हैं। फोर-व्हीलर व टू-व्हीलर के दस से ज्यादा शोरूम हैं। सुमेरपुर शहर में व्यापारी, किसान, मजदूर, विद्यार्थियों व आमजन का वाहनों के साथ भारी संख्या में आना-जाना रहता है। कृषि व खाद्य पदार्थों की मण्डी होने से ट्रकों, ट्रैक्टरों, जीपों, लोडिंग टैम्पो व छोटे वाहनों का आना-जाना ज्यादा रहता है। बाजारों में हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। शहर का विस्तार भी पिछले 10 वर्षों में काफी हुआ है। शहर के मुख्य बाजारों में गांधी मूर्ति, मेहता प्याऊ, भैरू चौक, झांसी रानी सर्किल, वोण माता, खेड़ा देवी सर्किल, महाराणा प्रताप सर्किल, आर्य समाज सर्किल, मण्डी गेट सर्किल, सुभाष सर्किल, गणेश टाकीज रोड, राजगुरु सर्किल, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल, चन्द्रशेखर सर्किल, भगतसिंह सर्किल, बस स्टैण्ड, टाउन हाल सर्किल सहित 20 चौराहे हैं। यहां ज्यादा भीड़-भाड़ रहती है, हमेशा जाम लगा रहता है। व्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था के लिये पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होती है। वर्तमान में 1-4 ट्रैफिक पुलिस की नफरी है व तीन होम

(श्री जोराराम कुमावत)

गार्ड हैं। इस नफरी से पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं सम्भाल पा रहा है। सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था संचालन हेतु शहर में 20 की नफरी होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुमेरपुर में सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था हेतु ट्रैफिक की नफरी 20 करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

पचपदरा में बालिका शिक्षा को बढ़ावा

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है जिसमें भी बालिका शिक्षा का औसत तो बहुत ही कम है इसलिए विधान सभा क्षेत्र पचपदरा डी.आर.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय जो वर्तमान में यू.जी. है, उसे हिन्दी विषय के साथ पी.जी. में क्रमोन्नत करने एवं यू.जी. स्तर पर इतिहास विषय खोलने के साथ ही प्रशासनिक कार्य हेतु सहायक प्रशासनिक अधिकारी का एक पद नवसृजित करने एवं एम.बी.आर. पी.जी. कालेज में स्नातक स्तर तक विज्ञान संकाय खोलने के साथ ही पी.जी. स्तर पर एक इतिहास, भूगोल और हिन्दी साहित्य का अतिरिक्त विषय एवं एन.सी.सी. की विंग भी खोलें और दोनों महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की लंबे समय से मांग की जा रही है, वह भरें।

इसी प्रकार लगातार सरकारी प्रयासों के उपरांत भी मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में आज भी 9 स्थानों पर नवीन प्राथमिक, 33 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 31 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 8 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यालयों की नितांत आवश्यकता है।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं शिक्षा मंत्रीजी से विनम्र निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इस क्षेत्र में, विकसित एवं अग्रणी जिलों की तुलना में नवीन विद्यालय सर्जन, नवीन संकाय खोलने एवं क्रमोन्नति के क्षेत्र में शिथिलता एवं उदार हृदयता बरतते हुए अधिक

(श्री मदन प्रजापत)

विद्‌यालय खोलें ताकि देश की आजादी से आज दिन तक हर क्षेत्र में पिछड़े इस क्षेत्र के लोग शिक्षार्जन कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में स्टेडियम निर्माण में बेघर परिवारों को मुआवजा

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत कानपुर व ग्राम पंचायत कलड़वास के गांव पारा खेत में बरसों से बसी आबादी को यू.आई.टी. द्‌वारा तोड़कर बेघर कर दिया है क्योंकि वहां पर सरकार द्‌वारा खेल स्टेडियम बनाने की कोई योजना बता रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार कोई भी सरकारी योजना बना सकती है मगर किसी भी गरीब जनता को इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाए।

मैं पूछना चाहूंगा कि इस गरीब जनता को कहीं मकान या कहीं पर उन नागरिकों को बसाने का विचार है या नहीं? क्योंकि कई वर्षों से वह गरीब बड़ी मुश्किल से उसने अपना मकान बनाया था और आज वह परिवार भटक रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि यूआई.टी. पटवारी या कोई भी अधिकारी पूरा ध्यान रखें कि कोई भी आम जनता या कोई भी व्यक्ति ऐसी सरकारी जमीन पर कोई भी अतिक्रमण या कब्जा नहीं करें और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसे तुरंत रोका जाए ताकि न तो अतिक्रमण या कब्जा होगा और न उस गरीब के साथ भी अन्याय होगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब मकान बनाया जाता है तब तक अधिकारी व कर्मचारी रोकते नहीं हैं और वह मकान बना लेता है और फिर उस मकान को तोड़ा जाता है। क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है? यदि सारे अधिकारी ध्यान रखें तो यह गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं होगा और मेरी सरकार से यह मांग है कि इन गरीब परिवारों को मकान बनवाकर दे या उनको मुआवजा दिलाने का आदेश फर्माएं।

अतः इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री प्रताप लाल भील।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

गोगुन्दा में ट्रोमा सेंटर का निर्माण

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 गुजरता है जो पिंडवाड़ा से देवारी तक 150 किलोमीटर लगता है। पूरा हाईवे पहाड़ी के बीच में गुजरता है। बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं, टर्न-मोड़ भी हैं और आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाएं होने के बाद में जो दुर्घटनाग्रस्त मरीज हैं उनको उदयपुर तक ले जाना पड़ता है। उस डेढ़ सौ किलोमीटर दूरी को तय करने में समय अधिक लगता है और मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देता है। पूर्व में भी इस हाईवे पर 70-80 लाख रुपये खर्च करके एक ट्रोमा सेंटर का निर्माण करवाया गया था। पहाड़ी जमीन होने से वह 70-80 लाख रुपये में यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका, लंबे समय से यह जो निर्माण का कार्य हुआ है, वह भी खुर्द बुर्द हो रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि इस ट्रोमा सेंटर के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाए ताकि जो दुर्घटनाग्रस्त मरीज हैं उनको लाभ पहुंचे। मंत्री जी विराज रहे हैं, थोड़ी आज घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में जल आपूर्ति की मुख्य पाइप लाइन टूट जाने से उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध पूरा भरा होने के बावजूद आज अजमेर पानी की समस्या से जूझ रहा है। बड़ी मुश्किल से 48 घंटे में कम प्रेशर से पानी आ रहा है। ऐसे समय वहां के अधिकारियों की लापरवाही से जो लीकेजेज लगातार हो रहे हैं, उन लीकेजेज को पूरे बंद न करने के कारण कल अजमेर में दो भयंकर घटनाएं हुईं।

पहली घटना, सवेरे साढ़े छह बजे, नाथनी चौराहा, अद्वेत आश्रम के पास हुई। वहां पर पाइप लीकेज हो रहे थे। वहां पर डी.पी. थी, उसके नीचे खड्डा था और उसमें पानी भर गया, जिसके कारण से विकराल स्थिति बन गई और अधिकारी उसको अभी तक भी नहीं देख पाए हैं।

दूसरा, लीकेजेज ठीक न करने के कारण जो भयंकर घटना हुई, शाम

(श्री वासुदेव देवनानी)

को 6 बजे आदर्श नगर के जहां पर आवास हैं, जहां पर मार्केट है, वहां के मध्य में 1000 एम.एम. की पाइप लाइन धमाके से फटी और उस समय पत्थर उछलकर राहगीरों को लगे। यह विशाल फव्वारा डेढ़ घंटे तक चलता रहा, पानी बहता रहा, वहां पर जो बाइक्स खड़ी थीं, वह बहकर चली गईं, 15 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा खड्डा बन गया। वहां पर बाइक सवार आते गए और जो बच्चे आते गए, वह उस खड्डे में गिरते गए लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। 2 घंटे बाद एस.आर. 7 टैंक का वाल्व बंद किया तब जाकर थोड़ा सा पानी कम हुआ। यदि कोई चपेट में आता तो उसके छिछड़े उड़ जाते। मकानों की छतों तक यह बौछारें पहुंची हैं। दुकानों के बेसमेंट में तीन-तीन फीट तक पानी भर गया। सारा शहर इसके कारण से आज पानी की सप्लाई से बाधित है। जब उन अधिकारियों से कहा गया तो भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। शहर के सारे लीकेजेज रोके जाएं, नहीं तो कभी भी कोई दुर्घटना होगी तो उससे जन हानि भी होगी और सरकार की बदनामी होगी लेकिन आम जन उससे बड़ा परेशान होगा। आज भी हमको 48 घंटे में पानी नहीं मिल रहा है। यदि सारे शहर के लीकेजेज आप बंद कराओगे तो पानी की सप्लाई में भी उन्नति होगी और इस प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। कल की दुर्घटना को मैंने वास्तव में आंखों से देखा कि वह इतनी भयावह थी कि जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते।

मंत्री महोदय, आप एक बार विजिट करें और अधिकारियों के साथ बैठक लें ताकि हमको राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने के लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा गंभीर है इसलिए मैं 2 मिनट का समय ज्यादा चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान फिर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग के अंदर वर्षों से जो बीमारी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पेंडिंग पड़ी हुई है, टी.सी. से पुख्ता खातेदारी होने का प्रकरण आज भी पेंडिंग है और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डीकालोनी एरिया के अंदर तहसीलदार को खातेदारी नि:शुल्क देने के पावर हैं, पर दे नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे नगरपालिका क्षेत्र के इर्द-गिर्द टी.सी. का जो रकबा है, 55 से पूर्व का है, बाद का है, वह रकबा धन्ना सेठ खरीद-खरीदकर खातेदारी ले रहे हैं। काश्तकारों को खातेदारी नहीं मिल रही है। वहां मैं नाम नहीं लेना चाहता। बड़ी-बड़ी फर्में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है दो किलोमीटर की परिधि के आबंटन के लिये, तो बड़े-बड़े लोग आबंटन करवा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, शहर की छोड़ो, ग्रामीण क्षेत्र में भी टी.सी. से पुख्ता के प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं। कुछ चक ऐसे हैं दो-दो हजार बीघा के, जिसमें पानी ही नहीं लगता और खातेदारी देने पर शुल्क है, पैसा लगता है। उन टीबों पर ऊंट ही नहीं चढ़ता, ऐसे एरिये को डी-कालोनी करके काश्तकारों को खातेदारी देने का काम करें और कई प्रकार के राइडर हैं, अध्यक्ष महोदय, इस भूमि पर शहर के इर्द-गिर्द। कहीं पैरीफेरी, कहीं प्लानिंग क्षेत्र, कहीं वन विभाग प्रस्तावित, यह उपनिवेशन विभाग जब सन् 1985-86 में रेवेन्यू को कागजात संभलवाये थे, उस टाइम जितना रकबा राज खाली बच गया, उसमें लिख दिया वन विभाग प्रस्तावित और साथ में काश्तकारों को टी.सी. पट्टे भी दे दिये। वह लोग आज खातेदारी से महरूम हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पोंग डैम का विषय सरकार ने जिन लोगों के कब्जे थे, उनसे पैसे वसूल कर लिये और पोंग डैम काश्त वाले हमारे इलाके के लोग आज भी भटक रहे हैं। वकील की कमी कह दो, सरकार की कमी कह दो, सुप्रीम कोर्ट में एक भूमाफिया तहसीलदार रिटायर गया था, जो हिमाचल का रहने वाला था, वह अकेला केस जीत गया और हजारों काश्तकारों को बर्बाद कर दिया। मैं सरकार से यह चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय ने पहले भी जवाब में कहा था मौके पर कैम्प लगाकर जितनी छोटी-छोटी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बीमारी और है गजट वाली, यह पटवारी रिकार्ड में अमल दरामद नहीं करते। चाहे खातेदारी हो, चाहे पुख्ता आबंटन हो और खुद वही पटवारी रकबा राज की सूची में पकड़कर गजट में

(श्री रामप्रताप कासनियां)

रकबा साया करवा देता है। पात्र काश्तकार खातेदारी लेने से वंचित रह जाते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह छोटी-छोटी बातें हैं, हर आदमी के बस की बात नहीं है। अधिकारी लोग बड़ा गुमराह करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे पैरीफेरी हो, चाहे टी.सी. हो और चाहे 1955 से पूर्व की हो, बाद की हो, चाहे बालिग पुत्र हो, चाहे गजट से रकबा निकालने की बात हो, सारी की सारी समस्याओं का समाधान करें और मंत्री महोदय, आप तो किसान हो।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, हो गया। श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मावली विधान सभा क्षेत्र में पानी का जो भीषण संकट है, उसके लिये मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा है कि आज मंत्री महोदय भी सामने विराजमान हैं। महोदय, दो-तीन बातों पर मेरा निवेदन है। उदयपुर में हिन्दुस्तान जिंक मानसी वाकल जब बांध बना तो उन्होंने उस हिन्दुस्तान जिंक ने कुछ हिस्सा बांध बनने के लिये दिया था और वह उदयसागर का पानी पाइप से दरीबा ले जा रहे हैं। दो प्रकार का पानी ले जा रहे हैं। एक जो गंदा पानी है, उसको साफ करके एक पाइपलाइन से ले जा रहे हैं, दूसरी पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल दरीबा ले जा रहे हैं, उसका एग्रीमेंट माननीय मंत्री, 2020 में समाप्त हो रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है वह एग्रीमेंट हिन्दुस्तान जिंक का आगे नहीं बढ़ाकर वह जो पाइपलाइन जा रही है, उसी पाइपलाइन से मावली क्षेत्र को पीने का पानी सप्लाई किया जाए। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका और मेरा विधान सभा क्षेत्र लगभग लगा हुआ है और आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आपने बाघेरी का नाका बनवाया। बाघेरी के नाके से मावली विधान सभा, बाघेरी के नाके का पानी पीने के लिये जो सप्लाई हो रहा है नाथद्वारा विधान सभा में, मावली विधान सभा 500 मीटर पर है और बाघेरी के नाके पानी आमेट तक, लगभग 60-70 किलोमीटर तक पानी पीने के लिये जा रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है अगर

(श्री धर्मनारायण जोशी)

बाघेरी के नाके का पानी अब नया देना संभव नहीं है, माननीय कल्ला साहब, बाघेरी के नाके का पानी मावली को देना संभव नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है चिकलवास डैम का पानी राजसमंद को दिया जाए, राजसमंद की कटौती नहीं की जाए और मेरी 11 पंचायतों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। यानी बाघेरी का 60 किलोमीटर पर पानी जा रहा है और मावली हमारी 500 मीटर है, वहां पर पानी नहीं जा रहा है। वहां पर पानी दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी तीसरी प्रार्थना एक डी.पी.आर. बागोलिया की बनी हुई है, उसका सर्वे भी हो चुका। उदयसागर का पानी नहर से, क्योंकि उदयसागर का पानी इस बार भी वेस्ट पानी बीसलपुर तक गया, बीसलपुर ने पहले पानी छोड़ दिया इससे वह पानी बेकार गया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर टाइम पर वह नहर होती इस बार तो बागोलिया इस बार भर जाता और बागोलिया डैम से मावली की सप्लाई हो सकती थी। माननीय गुलाबसिंह जी शक्तावत इस सदन के सदस्य थे, उन्होंने एक सर्वे करवाया। जाखम बांध का पानी मावली-वल्लभनगर में ग्रेविटी से अगर आता है तो पीने का पानी और कृषि के लिये बहुत ही उपयुक्त होगा। जाखम का पानी बहुत पर्याप्त पानी है। मेरे तीनों-चारों निवेदन आपसे हैं कि इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मेरी मांगों को स्वीकार कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष: 131, माननीय ओमप्रकाश हुड़ला।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

महुवा में जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियम विरुद्ध शराब की दुकानों का आबंटन

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आबकारी मंत्री महोदय का राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देशी मदिरा समूह नगरपालिका महुवा ग्राम पंचायत हडिया, ग्राम पंचायत रामगढ़, ग्राम पंचायत कमालपुरा,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

ग्राम पंचायत पाली, ग्राम पंचायत खोजपुर, ग्राम पंचायत खेड़ला गादली और ग्राम पंचायत ठेकड़ा को सम्मिलित कर देशी मदिरा समूह महुवा वार्षिक 3,01,24,811/- (अक्षरे तीन करोड़ एक लाख चौबीस हजार आठ सौ ग्यारह) का गठन किया गया था। इसका आबंटन विभाग द्वारा 2019-2020 की अवधि में लाटरी की प्रक्रिया से दिनांक 05.03.2019 को श्रीमती द्रोपदी देवी धर्मपत्नी फूलचन्द खण्डेलवाल को किया गया था। अनुज्ञाधारी उक्त समूह में शामिल नगरपालिका महुवा ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के नियमानुसार अधिकतम पांच मदिरा दुकानें और एक मदिरा गोदाम संचालित करने के लिये स्वतंत्र थे। तत्कालीन आबकारी निरीक्षक श्री लोकेश कुमार यादव की अनुशंसा पर तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी दौसा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अवधि में विधान सभा क्षेत्र महुवा में जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुकान मालिक श्री रघुबीर दयाल ताम्बी पुत्र बाबूलाल ताम्बी निवासी ग्राम हडिया की दुकान में मदिरा दुकान/गोदाम स्वीकृत किये गये थे, जिन्हें पश्चात्, बाद में निरस्त कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो देशी मदिरा की दुकान थी, वह आगरा हाइवे रोड पर है और आगरा हाइवे रोड पर वह द्रोपदी देवी के नाम पर थी। दुकान का जो मालिक था, वह रघुबीर दयाल था। यह आबकारी निरीक्षक के द्वारा जो अभिशंसा की गयी थी, उसी के तहत में 09.05.2019 को जिला आबकारी अधिकारी दौसा के द्वारा स्वीकृत की गयी थी। लेकिन, इसी दुकान को आबकारी निरीक्षक द्वारा 12.8.2019 द्वारा जो अभिशंसा की गयी, उसमें दिनांक 14.8.2019 को यह निरस्त कर दी गयी। दूसरी जो दुकान थी, वह महुवा आगरा रोड पर थी। वह भी द्रोपदी देवी के नाम पर ही थी। इसको भी आबकारी निरीक्षक के पत्र 22.8.2019 की अनुशंसा पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 03.09.2019 को निरस्त कर दिया गया। यह भी खारिज हो गयी। तीसरी जो आखिरी थी, वह थी भरतपुर एन एच-11, रोत गांव की तरफ, यह भी द्रोपदी के नाम पर थी और आबकारी निरीक्षक वृत्त 25.10.2019 की अभिशंसा के जरिये इसको आधार मानते हुए आबकारी अधिकारी दौसा के कार्यालय द्वारा 28.11.2019 के द्वारा इसको भी निरस्त कर दिया गया।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(13.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, शराब की दुकान व गोदाम की अवस्थिति को निरस्त किया जा चुका है।

उपरोक्त प्रकरण में मदिरा दुकान व गोदाम की अवस्थिति स्वीकृति के लिए तत्कालीन आबकारी निरीक्षक लोकेश कुमार यादव को आबकारी आयुक्त के द्वारा सीसीए नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है एवं तत्कालीन आबकारी अधिकारी दौसा, श्री लक्ष्मीनारायण देवंदा को 31.01.2020 से कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से इतना अनुरोध है कि 9 मई, 2019 को नेशनल हाई-वे नम्बर-11 आगरा-जयपुर मार्ग पर एक आबकारी निरीक्षक अवैध रूप से एक लोकेशन पास करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 15.12.2016, 31.03.2017, नगरपालिका क्षेत्र से बाहर अगर कोई भी नेशनल हाई-वे और स्टेट हाई-वे लोकेशन पास की जाएगी तो कम से कम 220 मीटर दूरी पर होनी चाहिए।

हमारी माननीय आबकारी निरीक्षक महोदय 09.05.2019 को दुकान की लोकेशन पास करते हैं। 14 अगस्त, 2019 को जब हम और उपखण्ड अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत पर वहां पहुंचते हैं, उस बात को रखते हैं उसके बाद निरस्त करते हैं। उसके बाद उसी दुकान में वो आबकारी निरीक्षक जी गोदाम का काम शुरू करवा देते हैं और गोदाम की लोकेशन पास कर देते हैं। इससे सीधा-सीधा मतलब यह है कि जो भी द्रोपदी देवी है, जो सम्बन्धित व्यक्ति है और हमारे आबकारी निरीक्षक, दोनों की मिलीभगत होना प्रतीत होता है।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय को लेकर के जब मैं तत्कालीन कमिश्नर साहब +++ से मिला, मैंने अगस्त के महीने में लिखित में शिकायत दी और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका सीधा-सीधा मतलब यह व्यक्त होता है कि आबकारी निरीक्षक और कमिश्नर साहब के भी तार जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद फिर मैंने शिकायत की, विभाग ने एक इंस्पेक्टर से जांच करायी और इंस्पेक्टर ने जांच में पाया कि मदिरा का गोदाम निकटतम दूरी से, जो अधिकतम पास की

(श्री ओम प्रकाश हुडला)

दुकान है उससे एक हजार मीटर पर होनी चाहिए, उस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में 1700 मीटर दे रखा है, यह 25.10 की रिपोर्ट है।

दूसरा, नगरपालिका के जो गोदाम हैं नगरपालिका क्षेत्र से बाहर उसमें भी उन्होंने जानबूझकर, हालांकि दुकान सड़क के किनारे है फिर भी 160 मीटर दे रखा है ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये, बात हो गई यह इंस्पेक्टर की।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मेरे कहने का मतलब यह है कि मंडावर रोड पर भी इसी तरह कर रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस सदन के विधायक जिसको दो लाख, ढाई लाख लोग चुन करके भेजते हैं और वो कमिश्नर, स्टेट एक्साइज के आफिस में जाता है, उसको कोई मान्यता नहीं मिलती और जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जब आपका डंडा चलता है, अध्यक्ष महोदय, 131 में जवाब आता है, 26 जनवरी को यह 131 का प्रस्ताव विधायक पेश करता है और आनन-फानन में 16 सीसीए की कार्यवाही करते हैं।

महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मुख्य सचिव ने 2014 में यह लिख रखा है कि प्रत्येक विधायक और सांसद को कोई भी पत्र आता है उसको एक महीने के अन्दर-अन्दर जवाब देना चाहिए। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के आफिस के अलावा किसी भी अधिकारी के यहां से किसी विधायक का कोई जवाब नहीं आता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है। माननीय सदस्य, अपनी बात पर, प्रश्न पर आएं।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं क्या जब इन्होंने इसकी गलती मान ली तो फिर 16 सीसीए की कार्यवाही करके तुरन्त उसको सस्पेंड किया जाए।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। राजस्थान के गांधीवादी विचारधारा के मुख्य मंत्री हैं, आज मुझे नीरोगी राजस्थान का पोस्टर मिला है जिसमें लिखा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य, बैठें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि गुजरात की तर्ज पर राजस्थान को भी शराब पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठें प्लीज, ऐसे नहीं। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 16 सीसीए का नोटिस देकर के उसको सस्पेंड किया जाए। तो 16 सीसीए का नोटिस तो जारी हो गया। यह बात सही है कि मिलीभगत तो थी। आप वहां पर पहुंच गये, आपने शिकायत कर दी, उसके बाद में तीनों दुकानें निरस्त हो गईं।

आपने कहा कि, साहब, उसके तार वहां जुड़े हुए थे, तारों का तो जमाना ही नहीं रहा, अब तो टावर का जमाना आ गया, भाई, तार कहां से जुड़ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज, आप बैठ जाएं। I'll not allow you. मैं आपको डिप्राइव करूंगा बोलने से। यह इस तरह का नहीं चलेगा मन चाहे जब खड़े हो जाएं, मंत्री खड़े हैं तब भी खड़े हो रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक सवाल इस बात का है कि, साहब, आपके पत्र का जवाब, तो राजस्थान का मुख्य सचिव आपके पत्र का जवाब दे दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपको मान्यता का सवाल है कि जहां आपकी शकल देखते ही तो उसने तीन-तीन, जो उसी की अनुशंसा पर उसको दुकानें अलाट की गई थीं, उसी व्यक्ति के द्वारा आपकी शकल देखते ही तो उसने तीनों को निरस्त करने के लिए कह दिया। इससे ज्यादा आप इस सरकार से क्या चाहते हो?

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): इस अधिकारी को सस्पेंड करो साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप बैठें, आप बैठें एक मिनट।

माननीय मंत्री जी, यह गम्भीर प्रश्न है। यह गम्भीर प्रश्न है, एक

(श्री अध्यक्ष)

विधायक प्रश्न उठाये, आप स्वयं मानें कि इसमें गड़बड़ हुई है, ध्यानाकर्षण के बाद विभाग कार्यवाही करे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य।

मेरा आपसे अनुरोध है कि विधान सभा की गरिमा बनी रहे, सरकारी अधिकारियों को यह जानकारी रहे कि विधान सभा का सदस्य कोई प्रश्न उठा रहा है, उसमें गड़बड़ है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह एग्जम्पलरी बात बताने के लिए आप सदन में इसकी कार्यवाही की घोषणा करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसमें कोई दोराय नहीं, मैंने तो खुद ने स्वीकार किया है कि इनकी विजिट के बाद में ही जाकर के ये निरस्त हुए हैं और उसी के बाद में 16 सीसीए का नोटिस दिया है। इससे ज्यादा तो फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकते थे।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, मंत्री जी, आप अनाउंस करिये कि उसको सस्पेंड किया जाता है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निश्चित तौर पर, 16 सीसीए का ...(व्यवधान) दौसा का जो जिला आबकारी अधिकारी था उसको तो नोटिस दे दिया गया है, नोटिस देना जरूरी था, अगर नोटिस नहीं देते तो हाई कोर्ट में जाकर के वो स्टे ले आता। तो उसका जवाब आ जाने दीजिए, जवाब आने के बाद में जो भी मैक्सिमम कार्यवाही हो सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, मंत्री जी, नो, प्लीज। मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, यह सरकारी अधिकारियों को मैसेज जाना चाहिए कि विधान सभा के सदस्य कोई बात उठाते हैं, विधान सभा में सरकार मानती है कि उसकी गलती हुई है और वो भी गलती इसलिए कि यह 131 लगा तब 16 सीसीए की कार्यवाही हुई है। यह गम्भीर प्रश्न है इसलिए आप इसको कॉग्निजेंस लेकर 24 घंटे में इसमें कार्यवाही करके सदन को सूचित करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अगली चर्चा। श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली के रानी खेड़ा गांव में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का निर्माण

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण है।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि मावली विधान सभा क्षेत्र के साकरोदा ग्राम पंचायत के रानी खेड़ा गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं है परन्तु वर्तमान में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र उखलियाखेड़ा के नाम से 1997 के अन्दर स्वीकृत हुआ था। उसके हैडक्वार्टर साकरोदा पंचायत में उखलियाखेड़ा की बजाय रानीखेड़ा 1997 के अन्दर किया गया और वहां पर अभी भी आंगनबाड़ी सेन्टर किराये के भवन में चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से सदस्य से कहना चाहूंगी कि आईसीडीएस विभाग के पास में स्वयं की कोई भवन निर्माण की एजेंसी नहीं है। आंगनबाड़ी आईसीडीएस विभाग शहरों के अन्दर पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण, रूरल डवलपमेंट विभाग द्वारा आंगनबाड़ी सेन्टर्स का निर्माण करवाते हैं।

विभाग ने नवम्बर, 2017 में सात लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति उखलियाखेड़ा के लिए जारी की थी परन्तु रानीखेड़ा के नाम से आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत नहीं था, इस वजह से ग्राम पंचायत ने इसको नहीं बनाया। विभाग ने जब बार-बार ग्राम पंचायत को और सम्बन्धित रूरल डवपलमेंट विभाग को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने इसका पट्टा जारी करके विभाग को नाम परिवर्तन के लिए पत्र भेजा है कि उखलियाखेड़ा की जगह रानी खेड़ा आंगनबाड़ी सेन्टर का नाम परिवर्तन किया जाए जिससे वहां पर भवन का निर्माण, शीघ्र बनाया जाए।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि हमने नाम परिवर्तन की फाइल बना दी और हम आज या कल उसका स्थान का नाम परिवर्तन कर देंगे और नाम परिवर्तन होते ही, पैसा जारी हो चुका है, पट्टा भी मिल चुका है तो शीघ्र इसका कार्य शुरू किया जाएगा।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जो जवाब दिया है वो भ्रमित करने वाला है। अधिकारी ने छह महीने पहले नाम परिवर्तन के लिए लिख दिया था, वो नहीं हुआ। 15 महीने पहले भवन निर्माण की स्वीकृति हो

(श्री धर्मनारायण जोशी)

गई, वो काम चालू नहीं हुआ और उसके बाद भी किराये के भवन में चल रहा है।

नम्बर तीन, उखलियाखेड़ा में केवल दो बच्चे पढ़ते हैं उखलियाखेड़ा के और वहां पर रानी खेड़ा के 18 बच्चे आते हैं और अभी आनन-फानन में दोनों गांवों से अधिकारियों ने लिखवा कर लिया कि कहीं भी खोला जाए, हम उसकी स्वीकृति देते हैं, अभी चार दिन पहले। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसकी पुन: जांच करवाकर इसका समाधान करावें।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सदस्य, आपने जो हमारा ध्यान आकर्षित किया है उस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी और 1997 में यह भवन स्वीकृत हुआ था, यह आंगनबाड़ी सेन्टर उस समय भी उखलियाखेड़ा के नाम से हुआ था। लेकिन बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसी समय से रानीखेड़ा में चल रहा है। जिसका हम शीघ्र ही एक-दो दिन में परिवर्तन करके आपको सूचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

याचिका। श्री छगनसिंह।

याचिका

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित 2 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

कुण्डली ग्राम (आहोर) में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर की ग्राम पंचायत नोखा के ग्राम कुण्डली में प्राथमिक विद्यालय खोलने बाबत।

मायलावास (आहोर) में एनीकट का पुन: निर्माण

(2) विधान सभा क्षेत्र आहोर के मायलावास (ग्राम पंचायत-मेड़ा) स्थित कटकेश्वर महादेव मंदिर के पास बने एनीकट का पुन: निर्माण करने बाबत।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। मंत्री जी को स्टेटमेंट देना है इसलिए विधायी कार्य को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्वास्थ्य विभाग की नीरोगी राजस्थान नीति पर विचार। श्री रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

विभिन्न विषयों पर विचार

स्वास्थ्य विभाग की निरोगी राजस्थान नीति पर विचार

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की नीरोगी राजस्थान नीति पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि "a healthy mind is in a healthy body" मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि वह राइट टू हैल्थ केयर लॉ असेम्बली में ला रहे हैं, निरोगी राजस्थान।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में इतिहास गवाह है कि चरक, सुश्रुत और धन्वन्तरि, उस वक्त विश्व में माने हुए चिकित्सक थे। जिस वक्त जो आज डवलप्ड कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, वहां

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सर्जरी में एनेस्थिसिया देने के लिए उस वक्त सिर पर प्रहार करके एनेस्थिसिया दिया जाता था। रोगी बेहोश हो जाता था। तब सर्जरी होती थी।

(13.12 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, उस वक्त चरक, सुश्रुत और धन्वन्तरि ने भारत में सर्जरी की शुरुआत की। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उस वक्त के जो वैद्य थे, मुझे मौका मिला जर्मनी जाने का, मैं वहां म्युनिख मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहा था, वहां देख रहा था। मेरे साथ दुभाषिया थी। वहां ब्लड बैंक के सामने मैं खड़ा हुआ तो ब्लड बैंक के बाहर लिखा हुआ, डिपार्टमेंट आफ चरकोलॉजी, मैंने उस जर्मन दुभाषिए से कहा, madam, it should be a department of Serology. it means the study of blood. वह मेरे मुंह की तरफ देखकर के हंसने लगी। उसने कहा, well Sir, Charak was a great physician of India and in honour of Charak, we have named our department as department of Charakology. मैं शर्म से नीचे देखने लगा। क्या कद था? मेरी बहन आस्ट्रेलिया में है। वह मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में गई थी। वहां मेलबोर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुश्रुत का स्टेच्यू लग रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में कहां थे।

सभापति महोदय, मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि मेडिकल में राजस्थान का बहुत बड़ा स्थान है। आज पूरे कंट्री में राजस्थान का मेडिकल की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। एसएमएस मेडिकल कालेज आज से 80 साल पहले 1940 में बना था। मिर्जा इस्माइल ने इसकी नींव रखी थी। उत्तरी भारत का सबसे खूबसूरत अस्पताल था, वैल इक्विपड अस्पताल था, लेकिन अब यह अस्पताल बीमार हो गया है। इसमें बड़े-बड़े डिपार्टमेंट बने। लेकिन आज आवश्यकता है कि होरिजेंटल की जगह हमें वर्टिकल हास्पिटल बनाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे यहां पूरे उत्तरी भारत के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से पेशेंट आते हैं। यहां 10 हजार का आउटडोर है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा आउटडोर आज एसएमएस मेडिकल कालेज का है। आवश्यकता यह है कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए वर्टिकल्स बिल्डिंग्स बनाई जाएं। आज कोई डाक्टर तो 20 किलोमीटर दूर रहता है। कोई 10 किलोमीटर दूर रहता है। जो आसपास के बंगले हैं, उनको डिसमेंटल करके

(श्री जितेन्द्र सिंह)

वहां वर्टिकल, जिस तरह से जसलोक हास्पिटल और एम्स बने हुए हैं, वहां डाक्टर्स के रेजीडेंस हों, यह व्यवस्था होनी चाहिए। जो एसएमएस के आसपास का इलाका है, उसको खाली कराकर के यह किया जाए। आज यह अत्यंत आवश्यकता है। एसएमएस राजस्थान का ही नहीं उत्तरी भारत का वन आफ दी लीडिंग प्राइमरी सेंटर है।

सभापति महोदय, आईसीयू नए बन रहे हैं। आईसीयू बहुत जरूरी हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी 10 करोड़ रुपया दिया है। एसएमएस की पूरी फर्स्ट फ्लोर के अंदर आईसीयू बन रहे हैं। जो एसएमएस हास्पिटल का ब्लड बैंक है, कैन यू कम्पेयर, इंडिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, 80 हजार यूनिट्स प्रति वर्ष वहां पर डोनेट होती हैं। हमारे फोरमर स्टेट मिनिस्टर आफ हैल्थ थे, वह तो अपने जन्मदिन पर जगह-जगह ब्लड कैंप कराते हैं। बहुत आवश्यक है रेयर ब्लड, ओ नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड है। मैं तो आग्रह करुंगा कि इस तरह के स्पेशली बोम्बे में जिनका ओ नेगेटिव ब्लड है, टीवी पर आ गया, दे रस फोर दैट। हमारी जो सबसे बड़ी लीडर थी कंट्री की, उनका खुद का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। वह आती थी, उस वक्त रिजर्व रखा जाता था।

सभापति महोदय, यह आवश्यकता है। हमें खून की जरूरत है। महिलाओं को गांवों में डिलीवरी केसेज में जरूरत होती है। मैं तो खुद गांव में चिकित्सक रहा हूं। Haemoglobin should be 10-12 grams, चार-चार ग्राम्स के अंदर उनकी सर्जरी मेरे पिताजी किया करते थे। वह कहते या तो जयपुर ले जाओ, जयपुर लाने की हिम्मत नहीं थी तो उन कंडीशंस में करना पड़ता था। ब्लड का महत्व आप इससे कंपेयर कर सकते हैं।

सभापति महोदय, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जयपुर कार्डियोलॉजी में पूरे कंट्री का सेंटर हो गया। मैं 1983 में तीसरी बार एमएलए बना था। मेरी मदर के कैंसर था। वह नंबर 9 काटेज में थी। नंबर 1 या 2 में बिशन सिंह जी शेखावत साहब थे। आनरेबल भैरोंसिंह जी शेखावत साहब के ब्रदर and he had CA prostate, वह चर्चा करते रहते थे। मैं चला जाता तो, कि डाक्टर साहब कैसे अपलिफ्ट करें? माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, हैल्थ मिनिस्टर थे। मुझे हाउस में मदेरणा जी ने बोलने के लिए खड़ा किया। जैसे आज हमारे डिप्टी व्हिप ने किया है। मैंने शुरूआत की, हमारे डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन जो उस समय हैल्थ मिनिस्टर थे, ने बहुत खूबसूरत आईसीयू

(श्री जितेन्द्र सिंह)

बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय देवराज अर्स जो चीफ मिनिस्टर थे, कर्नाटका के, उनकी सिस्टर को रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक हुआ और एसएमएस में लाए, there was no cardiac emergency and she expired in emergency. मैं जब बोलने लगा तो मैंने बड़ी ही शुरूआत की कि एसएमएस इमरजेंसी तो बहुत शानदार है। मदेरणा साहब खड़े हो गए। वह मेरे मुंह की तरफ देखने लगे कि डाक्टर साहब बड़ाई करने के लिए थोड़े ही खड़ा किया। मैंने कहा कि सर, लैट मी स्पीक, लेकिन जो अच्छा काम किया है वह तो अच्छा बोलूंगा। लेकिन हेयर नीड ए कार्डियक यूनिट, मेरे साथ ही डाक्टर मधोक और कार्डियोलॉजिस्ट आते थे। जो डी.एम. कार्डियोलॉजी में किए हुए थे, वह कहते थे कि डाक्टर साहब, मेडिसिन में घुस रहे हैं सारे के सारे। इन बड़े-बड़े हाथियों को कौन बोले? मेडिसिन के भी वही हैड, न्यूरोलॉजी के भी वही हैड।

माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी भैरोंसिंह जी ने उस समय कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सैपरेट किया। मधोक उसके एचओडी बने। कार्डियोलॉजी का आईसीयू बना। यह शुरूआत हुई। आज उसी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में नोर्थ इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं बधाई दूंगा चीफ मिनिस्टर को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को। सरकार, कार्डियक ट्रांसप्लांट इज नाट ए इजी थिंग। वर्ल्ड में एक दिन में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता। एक डाक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला साउथ अफ्रीका में किया था। यूएस में भी नहीं हुआ था। उस समय पूरे विश्व में धूम मची थी। हालांकि वह patient survived for 36 hours only. आज एक-एक साल हो गए, वह काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम है। आज हमारे 12 हजार कार्डियक इंटरवेंशन होते हैं, 6 हजार एंजियोप्लास्टी होती हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि एंजियोग्राफी फ्री कर दी।

मैं हमारे सभी माननीय साथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे एक हैड आफ द डिपार्टमेंट थे कार्डियोलॉजी के, उनके भाई हैड आफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी के थे। ट्रेडमिल पर चलते-चलते डाक्टर शर्मा कालेप्स होकर गिर गए। अमेरिका ने अपने स्टेण्डर्ड्स बना रखे हैं, हैल्थ के उसमें उन्होंने कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं विशेष तौर पर स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनकी आयु 50 साल की या 60 साल की हो गई है, they should go for angiography. Angiography just

(श्री जितेन्द्र सिंह)

denotes, CT angiography अलग होता है जो 90 प्रतिशत पता लगा देता है कि हार्ट में ब्लाकेज हैं या नहीं। सबका जीवन अमूल्य है, अगर हम लोग स्वस्थ्य रहेंगे तो हम हमारी सेवा कर सकेंगे। मेरा आग्रह है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो एंजियोग्राफी फ्री की है, इट शुड बी, हमें गम्भीरता से, डरे बिना, मैंने स्वयं अपनी एंजियोग्राफी करवाई है, यह जरूरी है। अदरवाइज डाक्टर का भाई कालेप्स होकर गिर गया ट्रेडमिल पर।

माननीय सभापति महोदय, third important thing is Kidney. किडनी फेल्योर हो गया, there is no treatment. हिन्दुस्तान में ढाई लाख लोग क्यू में हैं हमारे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। करीब साढ़े सात हजार किडनी आपरेशंस होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होती है। राजस्थान के अंदर एसएमएस हास्पिटल में 1997 से करीब 500 रीनल लाइव किडनी ट्रांसप्लांट हो गए जिन्होंने डोनर से दिया, केडेवर किडनी ट्रांसप्लांट हो गए चालीस।

माननीय सभापति महोदय, हम चाहते तो हैं कि किडनी डोनर हमको मिले, आपको तैयार करना पड़ता है। जो माता-पिता है, कोई मानने को तैयार नहीं है, 20 साल का लड़का बेहोश पड़ा है, एंड निश्चित है, कोई नहीं देने वाला है, हार्ट और किडनी कोई नहीं देने वाला है। आप लोगों को कंवींस करने के लिए जो डोनर है, जिस मृतक का अंगदान किया जा रहा है, उसको अलग से सरकार पर्क्स दे। माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब, आप इसको अलग से गौर करें, किडनी का अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है वह दे रहा है लेकिन उनको स्पेशल प्रिविलेज सरकार अगर देगी, किडनी ट्रांसप्लांट वालों को या लीवर ट्रांसप्लांट वालों को तो वह देने के लिए निश्चित रूप से प्रोत्साहित होंगे, एक जागरूकता आएगी। आज हरेक आदमी नहीं है, एक-एक बच्चे हैं। खुद मेरे भानजे का लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसकी वाइफ से उसका टिश्यू मिला नहीं, उसका लड़का 22 साल का जो आईआईटी, बैंगलुरू में पढ़ रहा है, वह डोनेट कर रहा है, 22 साल का लड़का, मेरे भानजे का लड़का खुद अपने पिता के लिए डोनेट कर रहा है। Now, its not possible. आपको इसको एंकरेज करना पड़ेगा, तैयार तो ठीक है डाक्टर बैठकर कर देंगे, किडनी डोनेट करिए, हार्ट डोनेट करिए लेकिन मृतक के परिवार वालों को जब तक एक्स्ट्रा पर्क नहीं देगी सरकार, यह आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में एसएमएस में फिर किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, डाइबिटिज, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डाइबिटिक इस समय हिन्दुस्तान के अंदर है। Our 6.5 percent population of Country is suffering from diabetes. We have to be very cautious. Diabetes is a root of every disease. तो इसलिए डाइबिटिज के लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, खानपान में वाकिंग में, फिजिकल एक्सरसाइज में। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि एसएमएस हास्पिटल का मेडिकल कालेज का डिपार्टमेंट आफ एंडोक्रोनोलॉजी, वह सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट में से है कंट्री का। आजकल सबसे खतरनाक तो, माननीय सभापति महोदय, जुवेनाइल डाइबिटिज, बच्चा पैदा हुआ, दस-दस साल के, पांच-पांच साल के बच्चों के लिए। आज जरूरी है, ईवन जो हमारा जेके लॉन हास्पिटल है, वहां करीब 1200 पर डे उनका अपना आउटडोर है लेकिन वहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां बच्चों के हार्ट के आपरेशन के लिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एसएमएस का न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया का यहां सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको जेके लोन हास्पिटल से एसएमएस हॉस्टिल में भेजना पड़ता है। इसलिए कार्डियोलॉजी का यूनिट हमारे जेके लॉन हॉस्पिटल में बनना नितांत आवश्यक है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, I am just finishing it, Sir.

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तम्बाकू बंद किया है और मैं समझता हूं कि तम्बाकू सबसे बड़ा कारण है कैंसर और अन्य रोगों का। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नैसेसरी कर दिया कि तम्बाकू बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

मेडिकल यूनिवर्सिटी में नए मेडिकल कालेजेज खुले, 15 मेडिकल कालेज खुले, यूनिवर्सिटी बनी, निश्चित रूप से जिला मुख्यालयों पर हॉस्पिटल इम्प्रूव होंगे, 400 बैडेज हास्पिटल बनेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बढ़कर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें पांच लाख रुपये प्रति वर्ष सर्जरी के लिए लोगों को मिलता था, सर्जरी के लिए मिलेगा लेकिन उसके अलावा जो सीनियर

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सिटीजन हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो they should also be included in Ayushman Bharat Yojana.

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। नीरोगी राजस्थान, यह ठीक वैसी ही घोषणा है, जैसे सरकार पुराने माल को नए डिब्बे में पैक करके लाई है। यह नीरोगी राजस्थान, केवल यहां दस पाइंट बनाने से नीरोगी राजस्थान नहीं होगा। यहां सरकार के मंत्रीजी भी बैठे हैं, बार-बार मुख्य मंत्रीजी भी यहां कहते हैं, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा की बात करते हैं, मानवीयता विहीन विज्ञान की बात करते हैं। मैं इनका कुछ ध्यान इनके ही आंकड़ों के माध्यम से दिलाना चाहूंगा। जब तक हम ये चीजें ठीक नहीं करेंगे तब तक हम नीरोगी राजस्थान की कल्पना कैसे कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी आयुष्मान भारत का नाम बदलकर, चलो इन्होंने 'आयुष्मान भारत' को एक्सेप्ट किया, लेकिन जब यहां पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी उसमें राजस्थान सरकार की भाजपा सरकार ने तीन लाख रुपये तक का फ्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने का बजटरी प्रोविजन किया हुआ था। आयुष्मान पांच लाख की आ गई योजना, अच्छा होता कि राजस्थान पहला प्रदेश बनता, इस देश में मिसाल कायम करता कि राजस्थान के सात करोड़ लोगों को आठ लाख रुपये का फायदा मिलेगा। बजट प्रोविजन तो हमने कर रखा था, आपको क्या करना था? आप आयुष्मान में जोड़कर देते पर इन्होंने वह भी नहीं किया। आयुष्मान में जो 40 परसेंट देना था उसमें भी एक लाख रुपया बचाने का काम राजस्थान सरकार ने किया और एक तरफ नीरोगी राजस्थान की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, इनकी क्रेडिट ऐसी है कि गत दिसम्बर से आज तक एक भी इंश्योरेंस कम्पनी आ नहीं रही है कि उसमें इलाज करने के लिए सरकार को खुद के स्तर पर योजना चलानी पड़ रही है, उसके कारण आधे से ज्यादा हॉस्पिटल इसको एक्सेप्ट करने से मना कर चुके और ये नीरोगी राजस्थान की बात करते हैं तो यह कैसे साकार होगा, इसके बारे में एक बार माननीय मंत्रीजी बताएं।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने बजट में घोषणा की कि राजस्थान तेरह हजार करोड़ रुपये का मेडिकल का बजट लाया। मैं आज कहना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ तीन दिन के बाद मुख्य मंत्रीजी बजट लेकर आने वाले हैं, उस तेरह हजार करोड़ रुपये में भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, केवल छह प्रतिशत पैसा इन्होंने विकास के नाम पर रखा था 790 करोड़ रुपये और उसमें भी इनकी सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है, परसों जब आएगी और बजट जब आएगा तो इनका 50 प्रतिशत पैसा भी ये अभी तक खर्च नहीं कर पाए हैं और नीरोगी राजस्थान की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं यदि राजस्थान की तुलना करें तो राजस्थान पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में गुजरात से भी पीछे है, गुजरात 935 रुपये कर रहा है और राजस्थान केवल 789 रुपये खर्च कर रहा है। ये दस पाइंट बनाकर नीरोगी राजस्थान नहीं होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा इस पर नहीं जाकर केवल आपको यह बताऊंगा कि आपने कहा कि हमने मेडिकल कालेज खोले। मेडिकल कालेज में एक भी रुपये का बजटरी प्रावधान राज्य सरकार अभी तक अपने स्तर पर नहीं कर पाई है। इन्होंने केवल हां भरी है कि हम 40 परसेंट देंगे, जब तक इन्होंने जो हां भरी है, उस 40 प्रतिशत का हश्र क्या है, वह मैं आपके सामने लाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने घोषणा की कि 104 दवाएं हमने फ्री कर दीं, इसी सदन में कई बार तालियां बजाई, कई बार टेबलें बजाई, आज मंत्रीजी अपने जवाब में यह बता दें कि 104 में से एक भी दवा खरीदी गई है क्या? एक भी दवा अभी तक नहीं खरीदी गई है, माननीय सभापति महोदय, 104 दवाइयों के केवल आंकड़े बनाए गए। इसके साथ-साथ इन्होंने केवल अभी तक उन कम्पनियों में किस कम्पनी से दवा खरीद होनी है और किससे नहीं होनी है, एक साल इस सैटिंग में ही लग गया, अभी तक दवा खरीद नहीं हो पाई है।

(13.29 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पेंशनरों को मेडिकल दवाएं वही दी जा रही हैं। महंगी दवाएं पिछले छह महीने से पेंशनरों की दुकानों पर उपलब्ध नहीं हैं,

(श्री अशोक लाहोटी)

यदि उपलब्ध हो तो आंकड़ों सहित बता दें कि कितनी दवाएं आई और कितनी बिकी। इतना ही नहीं आपने घोषणा की कि हम जनता क्लीनिक खोलेंगे। हमें भी बड़ी उम्मीद बनी, जनता क्लिनिक खोलेंगे, मंत्री महोदय बता दें कि 10 हजार ग्राम पंचायतों में और इतने ही वार्ड क्षेत्रों में राजस्थान में आज तक केवल 17 जनता क्लिनिक खोले हैं, एक भी जनता क्लिनिक में एक भी पैसा राजस्थान सरकार का नहीं लगा है।

कहीं पर किसी कम्पनी से सीएसआर लेकर आये हैं तो कहीं पर किसी दानदाता से सीएसआर लेकर आये हैं। अभी तक मात्र 17 जनता क्लिनिक खोले गये हैं। केवल 17, यदि ज्यादा हों तो मंत्री जी इस बारे में भी बताएं। इतना ही नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात तो चले, आज मैं नहीं करता, यह नीरोगी राजस्थान की बात है, पर इससे फुर्सत मिले तो दूसरे काम हों। सभापति महोदय, वैलनेस सैंटर एक स्कीम आयी थी। यह मीडिया में भी आया। केन्द्र सरकार के मंत्री हर्षवर्धन जी और वहां की सचिव वंदना गुरनानी ने राजस्थान को पत्र लिखा कि राजस्थान देश में सबसे लास्ट पायदान यानी 28वें नम्बर पर है। मात्र 14 अंक उसमें आये हैं। यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात है।

सभापति महोदय, क्यों आये हैं 14 अंक? इसी सदन में मंत्री जी ने कहा था, कम्युनिटी हैल्थ आफिसर्स की इन्हें 2500 भर्तियां करनी थीं। इन्होंने कहा, भर्तियों में धांधलियां हुई हैं। इसी सदन में बयान दिया। तब भी मैंने खड़े होकर कहा था कि यदि धांधलियां हुई हैं तो आप जांच करवाएं। चीफ सैक्रेटरी के अण्डर में कमेटी बनी। कमेटी बनाकर इन्होंने केवल एक आईएएस को हटाने का काम किया, 31 हजार फार्म आये, एक में भी यदि शिकायत की हो, एक भी यदि धांधली हुई हो तो मंत्री जी बयान देकर बताएं कि किसमें धांधली हुई थी। वे 2500 भर्तियां आप नहीं कर पाये, इसलिए आप वैलनेस सैंटर में पिछड़े।

राजस्थान में इसी मार्च में उन भर्तियों के नहीं होने के कारण 20 प्रतिशत पैनल्टी लगने वाली है। उस पैनल्टी का पैसा कौन देगा? राजस्थान की जनता देगी या मंत्री जी देंगे या अधिकारी देंगे? कौन देगा उसके पैसे? कौन भुगतेगा वह 20 प्रतिशत पैनल्टी, इससे भी सदन को अवगत कराएं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यहां पर दवाइयों की बात हुई। मैं एक ऐसा

(श्री अशोक लाहोटी)

विषय आपके सामने लाता हूं कि अभी तक जो इन्होंने दवाइयां कीं, उन दवाइयों के मैंने 300 सैम्पल इनकी लैबोरेटरी के स्टडी किये।

सभापति महोदय, 20 सैम्पल तो मैं साथ लेकर आया हूं, 20 के 20 सैम्पलों में नकली दवाई की रिपोर्ट उस दिन आयी है, जिस दिन उसकी एक्सपायरी डेट थी यानी दो साल पहले सैम्पल उठाया गया। दवाई फरवरी, 2020 में एक्सपायर होनी है और रिपोर्ट भी फरवरी, 2020 में आ रही है। क्यों? ताकि वे दवाइयां बाजार में बिक जाएं। यह बहुत गम्भीर आरोप है। ये नकली दवाएं बेचने का गिरोह क्या सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है? नकली दवाएं बेचने का गिरोह क्या सरकारी लैब के माध्यम से चलाया जा रहा है? इतना ही नहीं, इन्होंने 200 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे। उसमें लैब टैक्नीशियन को इन्होंने तकनीकी सहायक का पद देकर 200 करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद की। सभापति महोदय, इसकी भी जांच कराएं।

इतना ही नहीं, इनसे यह पूछा जाए कि इस प्रयोगशाला में लैब टैस्टिंग के लिये जो साफ्टवेयर है, वह साफ्टवेयर किसका है? सरकार का आज तक साफ्टवेयर नहीं बना हुआ है। वे प्राइवेट दवा कम्पनियों और दवा माफियाओं के साफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। उसका लॉग-इन और पासवर्ड भी सरकार के अधिकारी के पास नहीं है। यदि हो तो ये सदन में अभी लिखकर दे दें कि यह लॉग-इन एवं पासवर्ड है। दवा कम्पनियों के अधिकारियों के पास उसका लॉग-इन एवं पासवर्ड है। वे ही रिपोर्ट बनाते हैं और घर बैठकर रिपोर्ट बनाते हैं। यह मैं जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं। सभापति महोदय, मंत्री जी इसका जवाब दें।

सभापति महोदय, आपने कहा कि 40 परसेंट पैसा दवा खरीद में हम मिला रहे हैं, 2017 में बीजेपी की सरकार थी। लास्ट तीन महीने हमारे पास भी थे। हम गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद डेढ़ साल हो गया, 2017 में केन्द्र सरकार ने लिखा था कि एनआरएचएम और एनयूएचएम के कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ाया गया, लायल्टी बोनस बढ़ाया गया, वह पैसा राजस्थान की सरकार आज तक नहीं दे पायी। सरकार दिवालियापन की तरफ आगे चल रही है। सदन में बैठकर केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर रही है। एक भी पैसा उसका अभी तक नहीं दे पायी। राजस्थान के हजारों कर्मचारियों का लाखों रुपया ड्यू पड़ा है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो 60 प्रतिशत पैसा केन्द्र से आया, वह भी वापस चला गया और 25 परसेंट नुकसान राजस्थान का हुआ, क्योंकि सरकार नहीं दे पायी। पांच हजार नर्सिंगकर्मियों की भर्ती करनी थी, आपके पास 40 प्रतिशत पैसा केन्द्र का आया हुआ था, वह पैसा वापस चला गया। आप उन पांच हजार नर्सिंगकर्मियों की भर्ती नहीं कर पाये, क्योंकि राजस्थान सरकार अपना शेयर नहीं मिला पायी उसमें। मैं फिर जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं कि राजस्थान सरकार केवल तनख्वाहें बांटने तक ही सीमित रह जाएगी और वह दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है।

सभापति महोदय, यह एक बहुत गम्भीर विषय है। तीन दिन बाद बजट आ रहा है। आपने नयी-नयी घोषणाएं कीं, हम स्वागत करते हैं। आपने दस बिंदु बनाये, हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां है? उसका प्लान कहां है? उसके लिये बजट कहां है? आपकी फैसिलिटीज कहां हैं? इतना ही नहीं, कोटा की रिपोर्ट आयी है, केन्द्र सरकार की सचिव प्रीति सूदन ने कोटा की रिपोर्ट भेजी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रसंज्ञान लिया है। मैं इस रिपोर्ट की दो लाइनें आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उसने लिखा है कोटा की एनआईसीयू में 15 में से 7 वार्मर खराब थे। आईसीयू में 20 में से 11 वैंटीलेटर खराब थे, 28 में से 22 नेबुलाइजर खराब पाये गये। इतनी गम्भीर स्थिति होने के बाद भी 4 घंटे का कोटा का सफर करने में 34 दिन हमारे मंत्री जी को लग जाते हैं। 100 बच्चों की लाशों पर कारपेट बिछाकर मंत्री जी चले, यह राजस्थान की 7 करोड़ जनता का अपमान है। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये इस तरह की बकवास और बेसिर-पैर की बातें कर रहे हैं यहां। सदन का समय खराब कर रहे हैं। कौन कारपेट पर चला है?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि मैं बेसिर-पैर की बातें कर रहा हूं। बकवास कर रहा हूं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप संयम रखिए। बताइए कौन कारपेट पर चला है? जबर्दस्ती।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं एक रिपोर्ट और दे रहा हूं। अभी एनयूएचएम की ही यह नोटशीट है। (व्यवधान) मैं नोटशीट लेकर आया हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें अब।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात कर रहा हूं। मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बकवास कर रहा हूं। मैं एक नोटशीट लाया हूं। इस नोटशीट में मंत्री जी के पीएस ने एनयूएचएम के फण्ड से जो सामान मांगा है, उसकी रिपोर्ट मैं सदन के सामने रख रहा हूं। उसमें एसीएस ने टिप्पणी भी की है। इन्होंने लिखा है- The Rajasthan Health Minister, एनयूएचएम की बिल्डिंग से एसीज खरीदे जाएं, वाटर बाटल्स खरीदी जाएं, रीचार्जिंग करवायी जाए, केबल टीवी खरीदी जाए, एसी लगवाये जाएं, यह लिखा है। एसीएस ने लिखा है, ये सुविधाएं नहीं दी जा सकतीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह एनयूएचएम के डिपार्टमेंट की नोटशीट है। ये नोटशीट के पेपर हैं, आप चाहें तो इनकी जांच करवा लें। मंत्री जी कह रहे हैं, मैं बकवास कर रहा हूं। हां, मैं बकवास कर रहा हूं। राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिये बकवास कर रहा हूं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कौन कारपेट पर चला है, यह बताएं मुझे। कौन कारपेट पर चला है?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह नोटशीट है मंत्री जी। यह एसीएस ने लिखा है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कारपेट पर चला है कोई?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कारपेट पर चले हैं आप। आपने कारपेट बिछाने वालों पर क्या कार्यवाही की?

श्री सभापति: सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): कारपेट बिछाने वालों पर क्या कार्यवाही की?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): छोड़िए इन बातों को।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। मंत्री जी ने क्या बयान दिया? मंत्री जी ने कहा कि बच्चे इन इक्विपमेंट्स से नहीं मरे हैं। खिड़कियां टूटी हुई थीं, पीडब्ल्यूडी की गलती थी। मंत्री जी यह भूल गये कि पीडब्ल्यूडी मंत्री बीजेपी के नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। समय का ध्यान रखें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): या आपने उन्हें बीजेपी का मान लिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री बीजेपी के हों तो बताएं। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे केवल यही निवेदन करूंगा कि इन्होंने केवल दस पाइन्ट बताये और मैं आपको केवल दस सुझाव दे रहा हूं। एक मिनट का समय और लूंगा। सभापति महोदय, यह राजस्थान नीरोगी हो जाएगा। हम आपके कदम का सम्मान करेंगे, लेकिन आप प्रदेश भर में अस्पतालों की दुर्दशा को ठीक करें। डाक्टरों की लापरवाही को ठीक करें। आप डॉक्टरों की कमी व स्टाफ को ठीक करें। नकली दवाइयों पर लगाम लगाएं। झोलाछाप डाक्टरों को ठीक करें। भवनों की कमी को ठीक करें। जांचों का जो अभाव है, उसे ठीक करें। रोगी गम्भीर रोगों से ग्रस्त होता जा रहा है। उसकी खाद्य सामग्री में मिलावट है। उसकी मृत्यु को अटैम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में दर्ज करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): ब्लड बैंकों को ठीक करें। सरकारी अस्पतालों की लम्बी कतारों को ठीक करें। एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध कराएं। तब जाकर राजस्थान नीरोगी होगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपका आभार।

श्री सभापति: माननीय श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, आज एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय नीरोगी राजस्थान के सम्बन्ध में सदन में चर्चा चल रही है। सबसे पहले मैं राज्य के मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने नीरोगी राजस्थान योजना की दिसम्बर में शुरुआत की। अब ये इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह एक ऐसी योजना है जिसमें बीमारी का इलाज तो होना ही चाहिए, लेकिन बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, उसे रोकने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा सकते हैं और उन प्रयासों के माध्यम से किस तरह से पूरी तरह से बीमारियों पर नियंत्रण हो सकता है, इस पर भी सोचा गया है।

सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना में केवल बीमारियों के लिये नहीं, अपितु अभियान की तरह जिस तरीके की कार्ययोजना बनायी गयी, वह सराहनीय है। इस योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी और बीमारियों से लड़ने की किस प्रकार से शरीर में क्षमता पैदा हो सकती है, इसके प्रति जागरुकता पैदा की जा

(श्री बाबूलाल नागर)

रही है। सारी की सारी दवाइयों के लिये मुफ्त का प्रोविजन किया गया है। बीमारियों के सम्बन्ध में जानकारी देना, उनसे मुकाबला करना, यह सब इस योजना में सम्मिलित है। मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान का जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो गांवों-ढाणियों में रहता है, इस तरह की नीरोगी राजस्थान योजना से लाभान्वित होगा।

विभाग ने इस नीरोगी राजस्थान योजना में बहुत अच्छे प्रोविजन्स किये हैं। विभाग द्वारा वैबसाइट लान्च की जा रही है। टोल फ्री नम्बर लान्च किये जा रहे हैं।

टोल फ्री नम्बर के अनुसार कोई भी व्यक्ति बीमारी के सम्बन्ध में और सरकार की क्या सुविधाएं हैं उनकी जानकारी ले सकता है, मैं समझता हूं कि यह बहुत कारगर सिद्ध होगी। सभापति महोदय, इस अभियान में विशेष तौर से सरकार ने संक्रमण, टीकाकरण आदि के बारे में जो विस्तार से जानकारी का प्रोविजन रखा है कि जो छोटी-छोटी असावधानियों से बीमारियां होती हैं उनमें अगर पूरी तरह से आम आदमी को जागरूक कर दिया जाए तो वह बीमारी ही पैदा नहीं हो। यह सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है।

सरकार ने पोर्टल, टोल फ्री नम्बर के साथ इसमें विशेषज्ञों को भी जोड़ने का प्रयास किया है और जिस बीमारी से जो विशेषज्ञ सम्बन्धित हो, सरकार टाई-अप करके उन विशेषज्ञों को उससे जोड़ रही है जिससे आम आदमी को उसका फायदा मिल सके। सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ मां, स्वस्थ शिशु के बारे में मैं, मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि जब किसी भी महिला को गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के पश्चात् जो टीकाकरण है वह करने का आवश्यक रूप से पूरे राजस्थान में आपने अभियान चला रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल हेतु जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं इनके पद रिक्त चल रहे हैं। जब गांवों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है तो अभियान नहीं चल सकता है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर इसको कारगर करना चाहते हो, माता और शिशु को स्वस्थ रखना चाहते हो तो आप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती करें।

इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि जो लैब टेक्निशियन हैं उनके अधिकतर पद राजस्थान में रिक्त चल रहे हैं इसलिए लैब टेक्निशियन की भर्ती की जाए।

(श्री बाबूलाल नागर)

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में सरकार ने अपने स्तर पर कई प्रोविजन कर रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ऐसे प्रोत्साहन देने चाहिए और अगर सरकारी नौकरी भी देनी पड़े और उसको भी लिया जाए तो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आप स्कूलों से और महिला बाल विकास विभाग, तीनों का समन्वय करके इस अभियान में उनको शामिल किया जाए। जितनी भी हमारी महिला अध्यापक विद्यालयों में हैं और हमारी बालिकाएं भी वहां पढ़ती हैं तो वे चिकित्सकों और बालिकाओं के बीच में समन्वय का काम करें तो बहुत सी बीमारियों पर नियंत्रण हो सकता है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

पहला सुख नीरोगी काया, अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है और अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर जो हम सपने देख रहे हैं, समृद्ध राजस्थान की बात कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारा विकास हो वह अधूरा ही है। जो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने सपना देखा है और सपना ही नहीं, इन्होंने जो शुरूआत की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ी योजना नीरोगी राजस्थान है जिस पर पक्ष और विपक्ष आपस में जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आपस में वाद-विवाद कर रहे हैं उसमें अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित ही राजस्थान की सात करोड़ जनता को बहुत बड़ा लाभ इसमें होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबसे पहले राजस्थान में गरीब को देखा कि इसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बीमार है तो वह इलाज कैसे करायेगा। वह या तो अपने गहने बेचता या किसी से ब्याज पर उधार लेता और कई तो ऐसे थे जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे। इसमें माननीय

(श्री मेवाराम जैन)

मुख्य मंत्री जी ने जो कदम उठाया है कि आम आदमी की जिन्दगी कैसे बचा सकें इसके लिए मुफ्त दवा की योजना प्रारम्भ की और पूरे देश में राजस्थान में सबसे पहले शुरूआत की। पूरे देश में इस योजना को सराहा गया और राजस्थान की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी इसकी शुरूआत की गई। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी इन्होंने नीरोगी राजस्थान के अन्दर जिस तरह से उनकी भावना है कि हम राजस्थान को नीरोगी कैसे रख सकें उसके लिए आप सबसे भी अपील की, उसके लिए सभी जगह मीटिंग लीं, हर जिला मुख्यालय, पंचायत समिति, तहसील स्तर पर कार्यक्रम रखे कि किस तरह से हम सब मिलकर काम करें। चाहे मिलावटखोरी की बात करो, चाहे आज जगह-जगह दूध की जगह जो दारू चल रहा है उसके लिए किस तरह से इनको समझायें, किस तरह से इनको तैयार करें। मैराथन दौड़ करो, चाहे रैलियां करो, चाहे जगह-जगह यह आयोजन करें कि हम किस तरह से राजस्थान के लोगों को इस बीमारी से मुक्त करें, यह मुख्य मंत्री जी की पहल है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि चाहे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, चाहे टीकाकरण को लेकर, चाहे सुरक्षित मातृत्व को लेकर, चाहे नीम-हकीम की बात करें, खाद्य पदार्थों की मिलावट की बात करें, इन पर कार्य करने के लिए मुख्य मंत्री जी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस नीरोगी राजस्थान के लिए सबसे पहले आवश्यकता है कि जो मिलावटखोरी है उसको रोका जाए। आज शुद्ध क्या है? दूध नकली, घी नकली, मसाला सही नहीं, पानी सही नहीं और जब तक इनको हम नहीं रोक पाएंगे, इन पर सख्ती नहीं कर पाएंगे तब तक इन बीमारियों को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी मावे की मिठाई है इस पर आप टोटल बैन लगाओ और मावे की मिठाई बिल्कुल भी नहीं। अब किसी के शादी है और आप दूध वाले को कहो कि हमें 5 क्विंटल दूध चाहिए तो दो घंटे में लेकर आ जाता है। अब गायें हैं नहीं, दूध नहीं है फिर भी पता नहीं दूध कहां से आता है। इसी प्रकार घी की बात करें, आप टैस्ट कर लें, पता नहीं कैसे सैम्पल पास होते हैं यह भगवान जाने पर घी बहुत ही कम शुद्ध मिलता है। बाजार में मिलावटी घी आता है और उससे सेहत खराब होती है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि अगर मिलावटखोरी पर अगर जोर दिया जाए और उन पर सख्ती की जाए तो अपने आप ये बीमारियां रुक सकती हैं।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी पद खाली हैं उनको भरा जाए और सबसे ज्यादा जोर मिलावटखोरी पर दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि दवाइयां नकली हैं और जिस तरह से हर बात का विरोध कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी योजना शुरू करें तो जैसे मिलावटखोरी है इसमें सरकार तो प्रयास कर रही है कि उनको रोकें, मिलावटी दवाइयां बाजार में नहीं आएं पर उसके बाद भी कई जगह सैम्पल फेल हो रहे हैं तो इन पर सख्ती की आवश्यकता है न कि क्रिटिसाइज करने की बात। आप सुझाव दो, अच्छे सुझाव दो कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ठीक करने का प्रयास करो। नशामुक्ति के आयोजन की बात करो। आज शराब, गुटखा इसमें पता नहीं क्या-क्या है और युवा पीढ़ी जिस नशे की गर्त में जा रही है इसको हम कैसे रोकें तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्य मंत्री महोदय ने और हमारे मंत्री महोदय ने मेडिकल कालेजों की बात की और एक साथ 15 मेडिकल कालेज खोलना बड़ी बात है। हमारे पिछले कार्यकाल में कितनी पीएचसी, सीएचसी और सब सैंटर खुले। देख लो, 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया, उनकी तुलना कर लो, भर्तियों की बात कर लो, डाक्टर भर्ती करने की बात करो, सब सेन्टर में एएनएम, जीएनएम की बात करो, सरकार का पूरा प्रयास रहा कि किस तरह से हम पद भरें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन और भी करना चाहूंगा कि जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, जो पद खाली हैं। उनको भरने का प्रयास करें और अभी भी कई जगह पीएचसी में, सब सेन्टरों में स्टाफ की कमी है उसको भरा जाए। ताकि, पद अगर भरे जाएंगे तो लोगों को उनकी सुविधा भी मिलेगी और यह बहुत जरूरी भी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हों, अस्पतालों में अचानक आप विजिट करें, इससे बहुत ज्यादा रेस्पोन्स मिलेगा। जितनी भी चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे एंजियोग्राफी की बात करें, कार्डियोलोजी की बात करें, ये जितनी भी योजनाएं हैं, इतनी महत्वूपर्ण हैं। आज राजस्थान के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किये जा रहे हैं। राजस्थान के एसएमएस में किस तरह से

(श्री मेवाराम जैन)

एंजियोग्राफी के लिए लाइनें लगी हैं, तो ये सारे इलाज राजस्थान में हो रहे हैं। मैं इस पर माननीय सीएम साहब और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी मेडिकल पर काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। इनको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, आप ज्यादा से ज्यादा इस पर जोर दें। ज्यादा मेहनत करें ताकि ये योजनाएं जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि नीरोगी राजस्थान, राजस्थान में एक भी बीमार नहीं रहे, उसके लिए हमें यह पहल करनी होगी। यदि सारा स्टाफ भर जाएगा, सारी मेडिकल दवाएं ये सब सेन्टर से लेकर पीएचसी, सीएचसी और हास्पिटल में मिल जाएगी तो मैं कहना चाहूंगा कि लोगों की सारी समस्या का समाधान वहां हो सकता है। उसके साथ-साथ हम किस तरह से अवेयरनैस करें, किस तरह से हम लोगों को समझाएं, जिस तरह से ये बीमारियां फैल रही हैं। उनको हम किस तरह से समझाकर रोकें, हम सभी अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरे बाड़मेर की बात करना चाहूंगा। एक तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को और मंत्री जी को बाड़मेर में आए, मेडिकल कालेज का उदघाटन हुआ। उसके साथ-साथ में इन्होंने वहां घोषणा भी की कि बाड़मेर मेडिकल अस्पताल में तीन सौ सीटों की जगह पांच सौ सीटें करने के लिए वहां घोषणा की थी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके साथ-साथ एक बड़ी घोषणा यह की थी कि बाड़मेर के अन्दर मेडिकल कालेज के स्पेशलिस्ट अस्पताल, जिसके लिए हम शुरुआत करेंगे। वहां की जमीन 100 बीघा उसको अलाट कर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। केयर्न, राज वेस्टर्न की सहायता लेकर सीएसआर फण्ड से, जो मरीज वहां से बाहर इलाज के लिए अहमदाबाद, गुजरात, चाहे बाहर भेज रहे थे, वे वहां रुकेंगे, क्योंकि बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी है, तेल बाड़मेर में है, गैस बाड़मेर में है, लिग्नाइट बाड़मेर में है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): प्लीज दो मिनट में, इतनी सारी रायल्टी बाड़मेर दे रहा है तो बाड़मेर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं निवेदन

(श्री मेवाराम जैन)

करना चाहूंगा कि जो घोषणा की है। उस पर अमल किया जाए, ताकि जल्दी इसकी शुरुआत हो सके। बाड़मेर अस्पताल में मैं चाहूंगा कि कार्डियोलॉजी विभाग खोला जाए, ताकि वहां जो हार्ट के पेशेन्ट हैं, आज दिनोंदिन बढ़ रहे हैं। उनको बाहर रैफर किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें एक एक्स-रे मशीन नई वहां देने की व्यवस्था कराएं। बाड़मेर के अंदर जिला मुख्यालय दिन में 100 डिलीवरी करीबन वहां हो रही हैं तो वार्ड छोटा पड़ रहा है, उसका एक्टेंशन हो, यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा जिस तरह से चाहे 108 की सेवा हो, चाहे 104 की सेवा हो, जिस तरह से सरकार चिकित्सा की तरफ जो कार्य कर रही है, एक अनुकरणीय कार्य है। हमारे प्रधान मंत्री ने वहां इस मेडिकल के बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी की सराहना की है। मैं चाहूंगा पक्ष हो या विपक्ष सब मिलकर इसमें आप सुझाव दें, किस तरह से हम नीरोगी राजस्थान में सहयोग कर सकें। किस तरह से हम बीमारियों को दूर कर सकें। इसके लिए अच्छे-अच्छे सुझाव दें, मेहनत करो, आप सब जाकर अस्पतालों में देखो, जहां भी आपको लगे, इसमें कैसे हम ठीक करें, बच्चों की मौतों की बात करें..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): किस तरह से कैसे दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य यहां दिये जा रहे हैं। कौन चाहेगा एक बेटा जाए, कौन चाहेगा इस तरह की बात हो, इस तरह की बात करके वातावरण खराब करना ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि वहां कैसे ठीक कर सकते हैं। वहां पर हम कैसे बच्चों को इलाज बढ़िया दिला सकें, बात यह करनी चाहिए, न कि इस जगह आप कोटा की बात करोगे, हम राजकोट की बात करेंगे, कहीं और दूसरों की बात करेंगे, ये फालतू की बातें हैं, ये ऊपर वाले के हाथ में हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए अच्छी सुविधा हो, कैसे अच्छी सुविधा हम दे सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह शानदार कार्यक्रम है। मुख्य मंत्री जी का जो सपना है नीरोगी राजस्थान, इसमें हम सब सहयोग करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने अभिभाषण पर बहस के बाद, जब रिप्लाई दिया था, तो कुछ सुखों का जिक्र किया था। उसमें पहला सुख नीरोगी काया। हममें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, जिसके शरीर में कोई न कोई रोग नहीं पल रहा होगा, कोई छोटी-मोटी बीमारी सब शरीर में लेकर चल रहे हैं। सरकार यह नीति लाई, नीति अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन, सरकार की नीयत पर संदेह तो बराबर रहेगा, क्योंकि सरकार के कामकाज का जो तरीका रहा न, वह तरीका कभी भी संतोष देता नहीं है। एक अविश्वास सरकार के प्रति हमेशा मन में बना रहा है। अब यहां हम चर्चा कर रहे हैं तो आवश्यक है कि बीमारी को आने से पहले ही उसकी रोकथाम कैसे कर दी जाए। उस दिशा में हमारा क्या प्रयास होना चाहिए। हम बीमारी होने के बाद कितने प्रयास कर रहे हैं, कई सारे अस्पताल, कई सारे मेडिकल कालेजेज, नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, करोड़ रुपये साल का बीमारी होने के बाद खर्च, पर बीमारी की रोकथाम में जो प्रयास होना चाहिए। उस दिशा में हमारा प्रयास उसकी तुलना में बहुत बौना, लगभग नहीं के बराबर है।

माननीय सभापति महोदय, जो बीमारी की मुख्य वजह होती है। वह होती है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है न, उसकी कहीं न कहीं कमी है। अगर हम बाल अवस्था से ही इस कमी को दूर करने का प्रयास कर दें न, तो शायद कइयों को हम बीमारी से बचा सकते हैं। चाहे पीलिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, टीबी हो, मच्छर सबको काटते हैं, गंदा पानी कइयों को पीना पड़ता है, पर बीमारी उसमें से कुछ लोगों को ही होती है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है।

माननीय मंत्री महोदय, हम इस दिशा में कुछ प्रयास करें, कोई काम करें, हमारी स्कूलों के माध्यम से, जैसे हम पोषाहार देते हैं, उसी प्रकार कोई ऐसी अश्वगंधा जैसी दवाई जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। चाहे हम आयरन की गोली देते हैं, गर्भवती बहनों को तो उसकी शुरुआत भी करें। हो सकता है हमें उसके बेहतर परिणाम हमको देखने को मिले।

माननीय सभापति महोदय, अब बीमारी नहीं हो, हमने क्या प्रयास किये, हम थोड़े से प्रयास कर लें। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को बहुत बड़ा वरदान माना है। यदि बच्चे में, आदमी में योग की रुचि है और वह रोज योग

(श्री ज्ञानचंद पारख)

करता है तो उसको भी कई बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है।

(14.00 बजे)

पर, हमारी मानसिकता कैसी है क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम कैसे लागू करें। क्या हो गया अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह कार्यक्रम शुरू किया और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन है तो हम लोग प्रत्येक विद्यालय में चाहे वह सरकारी हो, चाहे निजी हो उसमें लागू क्यों नहीं करते? उसमें सूर्य नमस्कार भी है। यह मैं नहीं कह रहा, हमारे योगी ऋषि-मुनि थे न, जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने भी योग को बहुत महत्व का माना था और मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आपकी नीयत यदि सही है, मैंने पहले ही कहा न कि आपकी नीयत में हमें संदेह है, आप योग को बढ़ावा देने के लिए भी कहीं न कहीं कोई न कोई आदेश जारी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, गंदगी मुक्त भारत, सम्पूर्ण स्वच्छता किसको तकलीफ है इससे, यह गंदगी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। अगर सफाई की व्यवस्था बराबर हो जाए, सारा इलाका स्वच्छ हो तो मच्छर भी नहीं पनपेंगे और बीमारी भी नहीं पनपेगी। हम प्रयास करें माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान में अपने आपको जोड़ने का। करोड़ों रुपये केन्द्र सरकार दे रही है आपके नगर निगमों को, आपकी पंचायत समितियों को इस गंदगी से लड़ने के लिए। पर, आपके मन में वही बीमारी है कि नरेंद्र मोदी जी का अभियान है कहीं उनको वाहवाही नहीं मिल जाए और जिस तेजी से आपको इस दिशा में काम करना चाहिए आपके कदमों में वह तेजी आती नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नाम उसमें आगे आ जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): मोदी जी से पहले तो सारे लोग गंदे ही रहते थे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): पहली बार भारत सरकार ने गंदगी से मुक्ति के लिए जितना बजट पंचायतों को या नगरपालिकाओं को दिया है, उतना बजट पहले भारत सरकार की ओर से इस काम के लिए नहीं मिला है और इसके लिए हमको आवश्यकता है कि हम इस गंदगी से लड़ने के लिए उसको एक अभियान के रूप में लें। जिस प्रकार भारत सरकार कार्यक्रम भेजती है न स्वच्छता सप्ताह, हम भी हमारे लोगों को प्रेरणा देकर कोई न कोई

(श्री ज्ञानचंद पारख)

स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर बनाए रखें तो शायद हो सकता है कि हमें बीमारियों से काफी हद तक कुछ मुक्ति मिल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, यह आज का जो बच्चा है न वह कमरे में कैद होकर रह गया है चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटाप के जरिए या खिलौने भी ऐसे कि वह कमरे में बैठकर के खेलें और बच्चा जब तक बाहर मैदानी खेल नहीं खेलेगा न उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। हम प्रयास करें एक जागृति लाएं कि हमारा जो बच्चा है जो आने वाले कल में युवा बनेगा उसके बाद में बुजुर्ग बनेगा और बचपन से उसके मन में खेल के प्रति, मैदानी खेल के प्रति इतनी रुचि पैदा हो जाए कि वह कमरे के खेल से मुक्ति पा ले और उसके लिए आवश्यकता है कि जहां भी संभावना हो वहां हम खेल मैदानों को विकसित करें। जहां संभावना हो हम बगीचे विकसित करें और मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, मैं 1994 से 1999 तक चेयरमैन भी रहा हूं उसके बाद से लगातार विधायक हूं।(व्यवधान) मैंने कभी नहीं देखा कि भारत सरकार स्थानीय निकायों में बगीचों को विकसित करने के लिए केन्द्र की ओर से कोई राशि भेजती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो भी नगरपालिकाएं हैं, चाहे नगर निगम हैं, चाहे नगर परिषद हैं वहां गार्डन, जिसका काम या तो स्थानीय निकाय का होता है या राज्य सरकार का होता है, उसको विकसित करने के लिए भी बड़ी राशि, ताकि बगीचे विकसित होंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और अच्छे बगीचे होंगे तो बाहर जाने के लिए लोग कहीं न कहीं आकर्षित भी होंगे। जब भारत सरकार करोड़ों रुपये भेजती है तो हमको भी यह व्यवस्था करनी चाहिए कि स्थानीय निकाय जितने भी मैदान, बगीचे हैं वहां भी किसी प्रकार से उनको विकसित करके ऐसा सुंदर बना दें कि बच्चा घर में कैद नहीं रहे अपने माता-पिता को मजबूर करें कि मुझे बगीचे में लेकर चलो वहां मुझे खेलना है। यह काम यदि हम करेंगे न तो कहीं न कहीं बीमारी में कमी आएगी।

मिलावट की बात सबने की है। सारे लोग त्रस्त हैं सबको पता भी है। पशु घट रहे हैं, घी बढ़ रहा है। पशु घट रहे हैं, दूध बढ़ रहा है। कहीं न कहीं नकली बन रहा है, पर हम कितने पकड़ पाते हैं। सुमेरपुर हमारे इलाके में बहुत-बड़ी मंडी नकली घी की है। पता नहीं हम कहां बंधे हुए हैं क्यों नहीं कार्यवाही कर पाते। हमने इन मिलावटी चीजों पर यदि प्रभावी अंकुश लगा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

दिया और मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर दी तो भी हम कइयों को बीमार होने से बचा देंगे, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, बीमार होने के बाद इलाज करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर बीमारी से पहले ही मुक्ति दिला दें यह बड़ा काम जरूर है। भारत सरकार ने एक योजना चला रखी है बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम। पैसा भारत सरकार देती है आपका कुछ नहीं लगता है। गंभीर से गंभीर बीमारी के आपरेशन का पैसा भी जितना आप देते हो चाहे भामाशाह के माध्यम से हो उससे डेढ़ी रकम भारत सरकार देती है और उसमें नियमित जांच-परीक्षण का भी प्रावधान है। जो भी सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं उनका वर्ष में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए यह इसमें प्रावधान है और उसका पैसा भारत सरकार देती है अपना कुछ लगने वाला नहीं है पर हम कितना क्रियान्वित कर पाते हैं उसको। माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह रहेगा कि यह जो बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम है इसको प्रभावी ढंग से आप लागू करवाएं। भारत सरकार ने तो सरकारी विद्यालयों के लिए दे रखा है तो राज्य सरकार अपने खर्चे से जो निजी विद्यालय हैं उनके बच्चों के भी स्वास्थ्य परीक्षण की एक नई घोषणा कर देगी न तो बीमारी के बाद होने वाला आपका खर्चा काफी कम हो जाएगा। यह टीकाकरण में लगभग सारे टीकों को लगाते हैं, 3 टीकों को छोड़कर, एमएमआर का, टाइफाइड का और हैपेटाइटिस ए का। जब सारे टीके आप सरकारी अस्पतालों में लगा रहे हो तो अब तो यह तीन बचे हैं, इन तीनों के लिए भी है न आप सरकार की ओर से व्यवस्था करा दो आप जब नि:शुल्क दवाई का प्रावधान बढ़ा रहे हो, उसकी संख्या बढ़ा रहे हो तो यह टीके लग जाएंगे तो यह लीवर की बीमारी है, टाइफाइड है, एमएमआर में जो भी कवर होती है वह बीमारियां हैं उससे भी हमारी जनता को मुक्ति मिल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, यह मांसाहार भी है न बीमारी का कारण है। हो सकता है मेरे कई साथी भी मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो विकसित देश हैं न वह भी आज यह कहने लगे कि शाकाहार की ओर जाओ तो हो सकता है कई बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी और यह जो कोरोना वायरस फैला है न तो उससे भी स्पष्ट हो गया कि मांसाहार की वजह से ही इतनी गंभीर बीमारी जिसने चीन में हजारों लोगों की जान ले ली तो हम प्रयास करें कि मांस का सेवन कम हो और यह हमारी जैन जीवन पद्धति

(श्री ज्ञानचंद पारख)

है न, मैं जैन हूं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं और जो जैन जीवन पद्धति है वह भी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उतारे इस दिशा में भी कोई प्रयास सरकारी स्तर पर होने चाहिए। चाहे रात को खाना नहीं खाना, सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, बीमारी से बचाएगा गलत नहीं है कुछ भी इसमें। चाहे पानी को उबालकर पीना, किस सीजन में कौनसी सब्जी खानी है, कौनसा अनाज खाना है, कौनसा खाद्यान्न खाना है वह भी और मसालों का कम से कम उपयोग जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग। ज्यादा तेल मसाले नहीं। यह जैन जीवन पद्धति के बारे में भी कहीं शिक्षा पाठ्यक्रमों में जोड़कर हम अगर बच्चों को शुरुआती शिक्षा दे देंगे न तो शायद हो सकता है कई बीमारियों से उनको मुक्ति मिल जाए। माननीय सभापति महोदय, अब कितनी सारी बीमारियां हैं किस-किसका इलाज आप करोगे। जितना आप इलाज करते हो रोगियों की संख्या उतनी ही आपकी बढ़ती जा रही है, कोई कमी नहीं आ रही है।

एक नहीं, पता नहीं हार्ट के कितने सेंटर हो गये लेकिन कोई कमी नहीं है। पहले जयपुर में एक था, आज सरकारी एक है, निजी दस से भी ज्यादा हो गये, पर हर जगह लंबी कतार लगी हुई है। यह हार्ट की बीमारी क्यों होती है, यह सबको पता है। ज्यादा चिंता करते हैं या नकली घी इसका या मिलावटी पदार्थ भी इसका एक कारण हो सकता है। आप लोगों को इस चिंता से मुक्त कैसे करोगे? जब तक इतनी सारी समस्याएं हैं और जैसी हमारी जीवन पद्धति बन गई है कि हमको हर चीज की आवश्यकता लगने लग गई और ऐसे में जब संसाधन कम होते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, वह हमारी चिंता का बहुत बड़ा कारण होता है और वह चिंता हमारे अंदर बीमारी को जन्म देती है। हम प्रयास करें रोजगार के अवसर बढ़ाने का ताकि आय बढ़े, आय बढ़े तो हो सकता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये और आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाये तो उसकी चिंता भी कम हो जायेगी और चिंता कम होगी तो शायद बीमारी कम हो जायेगी। इलाज तो आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो शुगर है, उसका कारण भी टेंशन ही है। कितनी टेंशन आदमी के जीवन में है, उसको कम करने की आवश्यकता है। यह जो कैंसर है, उसमें भी तंबाकू है, सिगरेट है, मिलावटी खाना है और खाद्य पदार्थों में विशेष तौर से गर्म खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक का उपयोग, यह कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। हम प्लास्टिक को किस प्रकार जीवन की

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रोजमर्रा आवश्यकता से घटा सकें, कम कर सकें, वह करने की आवश्यकता है। अब उसमें भी हो सकता है कि आपको लगे कि यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी का कार्यक्रम है इसलिए उसको कैसे अपना लें। प्लास्टिक को जीवन से बाहर निकालना पड़ेगा और विशेष तौर से जो गर्म पदार्थ हैं, उसमें तो समझाइश करनी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें वरना उसको आने वाले कल में गंभीर बीमारी हो सकती है। किडनी की बीमारी जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य कर रहे थे, यह क्यों होती है, हैवी एंटीबायोटिक या हैवी एंटीपाइरेटिक लेने से। बीमारी होती है तो आदमी चाहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तत्काल ठीक हो जाऊं और उस जल्दी ठीक होने के चक्कर में वह हैवी एंटीबायोटिक, हैवी एंटीपाइरेटिक लेता है और उसका सीधा असर किडनी पर होता है। हम हमारे डाक्टरों को इस बात के लिये पाबंद करें कि दवाई की जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा दवाई वह नहीं लिखें। आवश्यकता हो तभी भारी दवाई लिखे, अगर कम दवाई में ठीक हो सकता है, हल्की दवाई में ठीक हो सकता है तो ठीक करने का प्रयास करें। हो सकता है ठीक होने में दो से तीन दिन लग जाएं लेकिन आने वाले कल में वह गंभीर बीमारी से बच जायेगा वरना यह किडनी की बीमारी भी बहुत फैल रही है। यह जो टीबी है, यह भी कुपोषण, पर्यावरण, कहने को हम कहते हैं कि टीबी पर हमने कंट्रोल कर लिया। इलाज हो गया लेकिन आज भी टीबी के बहुत सारे मरीज हैं और विशेष तौर से जो रूई का काम करते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, टीबी के साथ साथ एक जानलेवा बीमारी सिलिकोसिस की बीमारी भी उनमें आ रही है। यह सिलिकोसिस पहले नहीं था। हम किस प्रकार प्रिकोशन करें, पाबंद करें उस इंडस्ट्री की इकाई को, उस खान के मालिक को, उस सीमेंट फैक्ट्री के मालिक को कि जो भी लेबर आपके यहां काम करता है, उसका समय-समय पर परीक्षण करें और उसको बचाने के जो-जो प्रावधान किये जा सकते हैं, चाहे वह देशी प्रावधान हों और चाहे एलोपैथी के प्रावधान हों, अगर वह प्रावधान करेंगे तो हम टीबी के मरीजों की संख्या भी कम कर देंगे, सिलिकोसिस जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, एक बार होने के बाद में मृत्यु के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं, कोई उसका उपचार नहीं है, उससे भी कइयों को मरने से बचा लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर बीमारी हमारे प्रदेश की महिलाओं में हो रही है डिप्रेशन की शिकार, मानसिक रोग, मानसिक तनाव।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी इस क्षेत्र में काफी काम करता हूं इसलिए मुझे पता है कि कितनी सारी महिलाओं को नशे की दवा लेने की लत लग गई, आदत पड़ गई। छोटी-छोटी बातों को लेकर उसको मानसिक तनाव होता है, नींद नहीं आती, सीधी नींद की गोली ली या कोई और ऐसी दवा जिससे तनाव कम हो जाये और बाद में उसकी लत लग जाती है, बिना दवा के काम नहीं चलता। हम डाक्टरों को भी पाबंद करें और कहीं महिला समूहों के माध्यम से भी हम यह जागृति लाएं कि तनाव को कैसे कम किया जा सकता है और जैसा मैंने पहले कहा था कि योग सबसे बड़ा माध्यम है। योग के माध्यम से तनाव भी कम कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री जी से आप बात करो, वह आपके डिपार्टमेंट के लिये बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे। स्कूलों में आपने योग की शुरूआत कर दी, गली मौहल्लों में आपने योग के कैंप लगवा दिये, भारत सरकार की ओर से साल में एक बार अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, उसको हम और गति दें। योग का अगर हम जगह-जगह विकास कर देंगे तो इस मानसिक तनाव की बीमारी से भी हमको मुक्ति मिल जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, बीमारी का एक कारण, हो सकता है मेरी बात कई सदस्यों के मन में नहीं लगे, यह जो गंभीर बीमारी होती है या कष्टदायक बीमारी होती है, यह कहीं न कहीं हमारे बुरे कर्मों का फल भी होता है। यह हमारे पापों का फल भी होता है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): यह बात सही है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेरी कौनसी बात गलत थी, थोड़ा आप खड़े होकर बता दो। मैं कष्टदायक बीमारी कह रहा हूं, छोटी-मोटी बीमारी सबमें होती है। जिसमें आदमी लंबे समय तक कष्ट भुगतता है, कहीं न कहीं हमारे बुरे कर्मों का, हमारे पापों का फल है और यदि हम इस बात के लिये भी जागृति लाएं कि हम गलत काम नहीं करें, बेईमानी कम से कम करें, नहीं के बराबर करें, किसी का शोषण नहीं करें, किसी की बद्दुआ, हाय नहीं लें, यह जागृति लानी पड़ेगी, आपको यह शुरूआत करनी पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी कितने ईमानदार हैं। उनके जैसा बनना है, करना क्या है हमको। ईमानदारी से सेवा करें और यह सेवा सबसे बड़ा टीका है हर बीमारी से बचने के लिये। अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है, किसी के दु:ख में काम आता है, किसी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

की तकलीफ मिटाता है, इससे बड़ा टीका इस धरती पर कोई नहीं है। आप सेवा के साथ सबको जोड़ो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस व्यक्ति ने सेवा की है, जिस व्यक्ति ने जान बचाई है, जिस व्यक्ति ने किसी को दु:ख से मुक्ति दिलाई है, उसको कभी गंभीर या कष्टदायक बीमारी नहीं होगी, इस बात को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, आपकी चिकित्सा व्यवस्था की हालत, माननीय मंत्री महोदय, आप थोड़ा गंभीर बनें। एंजियोग्राफी फ्री होती है, इसकी बात अभी सदन में आई। कहां फ्री होती है, यह थोड़ी सी जानकारी आप दे देना। एसएमएस में जिसके पास भामाशाह कार्ड नहीं है या बीपीएल कार्ड नहीं है, उसके पहले की तुलना में ज्यादा पैसा एंजियोग्राफी में लग रहा है। आपके जो भी सरकारी अस्पताल हैं, अगर आपने आदेश जारी कर दिये हों और आपके आदेश की पालना वह नहीं करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते, आप यह कार्यवाही कराओ। यह भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना वरदान साबित हुई थी, वरदान। किस सरकार की है, किस पार्टी की है, उसका लेना-देना नहीं है। यह योजना कैसी है, इस योजना के माध्यम से गरीब आदमी स्वाभिमान के साथ मात्र सरकारी नहीं, निजी अस्पतालों में जाकर अपनी गंभीर बीमारी का इलाज भी आराम से, आसानी से, सम्मान के साथ कराकर आ सकता था। वरना पहले क्या होता था, गंभीर बीमारी हो गई, वह किसी न किसी का मोहताज था। किसी के सामने हाथ फैलाता, हाथ जोड़ता, पैर पकड़ता, कई सामान गिरवी रखता, कई मकान गिरवी रखता तब जाकर गंभीर बीमारी का इलाज होता था। इस भामाशाह योजना ने एक नहीं, राजस्थान के लाखों ऐसे रोगियों को सम्मान के साथ इलाज कराने का अधिकार दिया है। मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि इस योजना में आप और प्रावधान बढ़ाओ। किसकी योजना है, यह विषय नहीं है डिस्कस का। योजना अगर बेहतर है, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में आप कोई न कोई प्रावधान कराओ। चाहे आप नाम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नाम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके मन आये वह नाम रखो। अभी तीन लाख तक का प्रावधान है, आप चार लाख करो, पांच लाख करो और यह जो आयुष्मान भारत योजना है, यह तो आपके बजट प्रावधान में काफी मददगार साबित हो रही है।

इसमें कितने ही परिवारों को जोड़ सकते हैं, आप वह जोड़ने का काम

(श्री ज्ञानचंद पारख)

करें। उसमें आप जोड़ देंगे, आपका बजट प्रावधान कम हो जाएगा। आपने सरकारी मेडिकल कालेजों में नि:शुल्क सीटी स्कैन की घोषणा की थी, आज भी आपकी उस घोषणा पर अमल नहीं हुआ है। जो भी सरकारी मेडिकल कालेज से सम्बंधित अस्पताल हैं, वहां पर आपकी घोषणा के अनुसार सीटी स्कैन नि:शुल्क हो जाए, उसके आदेश भी आप जल्दी निकलवा दें। आपने जो 104 दवाइयां नि:शुल्क की बढ़ायी हैं, वे अस्पतालों में भिजवा भी दें। कागजों में आपने आदेश कर दिये और उससे मरीज को मिल गयी, ऐसा नहीं होगा। आप हर अस्पताल को पाबंद करें कि सरकार ने जो नि:शुल्क दवा की सूची बना रखी है, वह हर दवा सरकारी अस्पताल में हर समय उपलब्ध होनी चाहिए, तब जाकर उसका लाभ मिलेगा, मात्र सूची बना देने से कुछ नहीं होगा, जोड़ने से कुछ नहीं होगा। प्रावधान तो है कि ये-ये जांचें सरकारी मेडिकल कालेज में नि:शुल्क होंगी। थोड़ी मेहरबानी करके पता लगाएं कि सरकारी मेडिकल कालेज से सम्बंधित जो भी अस्पताल हैं, उनमें कितनी जांचें नि:शुल्क हो रही हैं और कितनी जांचों के लिए मरीज को मजबूरन निजी जांच केन्द्रों में जाकर वह जांच करवानी पड़ रही है। आपके सिस्टम की पूरी की पूरी पोल खोल खुल जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट और। माननीय मंत्री महोदय, लास्ट में यही कहूंगा कि आप थोड़ा अपने विभाग को लेकर गंभीर हो जाएं तो आपने यह जो नीरोगी राजस्थान नीति, जिस पर आज चर्चा हो रही है, उसका लाभ मिल जाएगा, वरना आप बातें कितनी भी कर लें, बातें करने से नीरोगी राजस्थान नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा विश्वास है कि आप कोई न कोई कठोर या ठोस कदम उठाकर जो आपकी मंशा है, उस मंशा के अनुरूप राजस्थान की जनता को एक नीरोगी काया देंगे। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार 'नीरोगी राजस्थान' नीति की सोच, संकल्प और सपना लेकर आगे आयी है। हर सरकार का यह लक्ष्य होना

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहिए और मैं आपके माध्यम से अलग-अलग राजनैतिक दलों की देश और प्रदेश में जो सरकारें रही हैं, जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, जो भामाशाह हैं, उन सबका धन्यवाद दूंगा कि सबने अपने-अपने स्तर से देश के नागरिक नीरोगी हों, स्वस्थ हों, उनकी मदद हो, इसके लिए अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास किये हैं। लेकिन यह पहली बार है कि नीरोगी राजस्थान की सोच लेकर कोई सरकार आयी है। नीरोगी राजस्थान का मतलब यह है कि बीमारी होने के बाद इलाज करना अलग है, प्रदेश के नागरिक नीरोगी कैसे रहें, उस सोच के साथ आगे बढ़ना, वह एक दूसरी तरह का नजरिया है।

माननीय सभापति महोदय, हम जिस माहौल और परिवेश में पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, हमारी परवरिश होती है, वे सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं और हमें प्रभावित करती हैं और हमारे माध्यम से पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। इस कारण से मानसिक और सामाजिक रूप से व्यक्ति प्रभावित रहता है और उसके वे अनुभव कहीं न कहीं उसके शरीर को प्रभावित करते हैं और उसकी बीमारी का कारण बनते हैं।

मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं। खुद से प्यार नहीं करते, इसलिए खुद का ध्यान नहीं रखते। खुद का ध्यान नहीं रखते, इसलिए इस तरह की जीवन शैली अपनाते हैं, इस तरह का जीवन अपनाते हैं और व्याधियों को अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं, खुश रहने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, वह समाज को वैसा लौटा भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। जैसे हमारे मुख्य मंत्री नीरोगी राजस्थान की सोच लेकर आये हैं, दुनिया में ऐसे मुल्क हैं, जिन्होंने लोगों की हैप्पीनैस को महत्व दिया, लोगों की खुशी को महत्व दिया और अपने संविधान के अंदर हैप्पीनैस को एक गोल के रूप में इनक्लूड किया। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, हैप्पीनैस के नाम से देश के अंदर राष्ट्रीय कमीशन बनाया, देश के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष बने। भूटान ने 2008 में हैप्पीनैस को अपने कांस्टीट्यूशन में इनक्लूड किया और वहां लगातार इस बात की कोशिश होती है कि नागरिक प्रसन्न कैसे रहें? हमारे यहां क्या है, बच्चा पैदा होता है तो बाप समझता है कि इसको पीटना तो मेरा अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है। छोटी-सी कोई हरकत करे और वह कोई थोड़ा प्रतिरोध कर दे तो आस पड़ौस के और परिवार के लोग बैठे हुए हैं, वे भी। उस बच्चे के ऊपर क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

गुजरती होगी? किस रूप में उसका व्यक्तित्व बनता होगा? वह क्या भावना अपने अंदर लेकर बड़ा होता है और वही वह वापस देता है। परिवार के भी जिस सदस्य ने पीटा है, उसके प्रति भी उसके अंदर उसी तरह का भाव रहेगा। हम सर्वे करा लें, हम पता कर लें, बहुत कम प्रतिशत मां-बाप ऐसे मिलेंगे, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पीटा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे बिना पिटाई के बड़े हुए हैं वे समाज में जहां जाकर खड़े होते हैं, वहां वे प्रेम की खुशबू फैलाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं और लोग उनसे जुड़ जाते हैं। सबसे जरूरी तो यह है कि हम सब नागरिकों को यह समझाएं कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करें। बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में मास्टर समझता है कि ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अपन ने कितनी मार खायी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने तो खायी है, पर मेरे बच्चों ने नहीं खायी है। मेरे बच्चों को एक बार भी अवसर नहीं मिला कि उन पर हाथ उठाने की नौबत आयी हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप यह जो बार-बार भुगतते हो, वह उस मार का नतीजा ही भुगतते हो। क्योंकि हमें भी वह आक्रोश मिला।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो ज्यादा फुदकता है, उसने ज्यादा मार खायी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनके बारे में तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा रखी है, जो इस प्रदेश, देश और पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम सब लोगों को सीखने की जरूरत है। गवर्नेंस एक ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम नागरिकों को बहुत बड़ी संतुष्टि दे सकते हैं। हमारा नागरिक किसी भी काम के लिए जाता है, बस में खड़ा हो जाए, हमारा कंडक्टर उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा? वह थाने में चला जाए, हमारा कार्मिक उसके साथ कैसा व्यवहार करता है।

अभी देश के अंदर एक सरकार बनी है, जो तीसरी बार सत्ता में आयी

(श्री संयम लोढ़ा)

है, दिल्ली के अंदर। माननीय सभापति महोदय, मैं दलगत राजनीति के आधार पर टिप्पणी नहीं करूंगा, अपने कार्मिकों को, शिक्षा विभाग के लोगों को, चिकित्सा विभाग के लोगों को उन्होंने विदेशों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा। प्राणिक हीलिंग के कैम्प उनसे अटेंड करवाएं। विपश्यना में उनको भेजा और उसके कैम्प अटेंड करवाये। उनका ट्रांसफोर्मेशन किया कि उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति, मरीजों के प्रति। आज दिल्ली शहर जो कि अपराध के लिए भी जाना जाता है, आपराधिक घटनाओं के लिए भी जाना जाता है, वहां की शिक्षण संस्थाओं और चिकित्सा संस्थानों के अंदर इतना बड़ा बदलाव अगर आया है तो वह प्राणिक हीलिंग और विपश्यना और बुद्ध के दिये उस ध्यान की पद्धति से आया है। उनके माध्यम से उनके व्यक्तित्व में इतना परिवर्तन लाया गया है और वह परिवर्तन गवर्नेंस में आया और गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को एक मेंडेट भी मिला।

मेंडेट भी किस तरह, वह आप देखिए। लोगों का जजमेंट देखिए कि आठ महीने पहले जो चुनाव हुआ, जिस पार्टी को पचास फीसदी से ज्यादा वोट दिया, उसी में परिवर्तन करते हुए उसी प्रदेश के नागरिकों ने उनको मेंडेट दिया जिन्होंने यह परिवर्तन लाने की चेष्टा की।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि हमारे एम्प्लाइज के, हमारे नागरिकों के प्राणिक हीलिंग के आप कैम्प लगाएं जिससे उनके अंदर जन्म के समय से, परवरिश के समय से, परवरिश के दौरान जो कमियां आ गई हैं, उन कमियों को बाहर निकाला जा सके। ऊर्जा का विज्ञान सब जगह काम करता है। मैं यह मानता हूं, मैं इसका बेनिफिशियरी हूं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं। आंध्रप्रदेश की सरकार ने अपने एम्प्लाइज के लिए प्राणिक हीलिंग के कैम्प किये, विपश्यना के कैम्प किये। बिहार की सरकार ने किये। राजस्थान सरकार को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कितने ही हम दावे करें, राजस्थान सरकार का जो बजट है, 80 फीसदी पैसा आपका तनख्वाह, पर्क्स और वेजेस में जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में, पीछे कितना पैसा बचता है? ये सरकार हो, पहले की सरकार हो, आपकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूं, उसमें आपका खर्चा भी नहीं है।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे बहुत अच्छा होता यदि जिस समय परिवार नियोजन को देश में लेकर आए थे, उस समय यदि हमारे

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकारी कार्मिकों ने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुंवारे लोगों का या बुजुर्गों का नसबंदी का नहीं किया होता तो आज ये मुल्क, ये प्रदेश जो कठिनाई का सामना कर रहा है, पापुलेशन एक्सप्लोजन की, वह सामना हमें नहीं करना पड़ता। हम कुछ ही सालों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले राष्ट्र हो जाएंगे। हमारे पास जमीन तो उतनी नहीं है, हमारी इकोनोमी भी उतनी बड़ी नहीं है लेकिन आबादी के लिहाज से हम सर्वोच्च शिखर पर जाकर खड़े हो जाएंगे। चूंकि हमारे ही लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे ही अलग हुए हैं, उनके भी लक्खन हमारे जैसे ही हैं। जनसंख्या विस्फोट में वे भी पीछे नहीं हैं। वे भी दुनिया के प्रथम दस राष्ट्रों में शामिल हो गये हैं, लेकिन अब समय आ गया है। समय-समय पर अनेक लोगों ने सुझाव दिए कि आबादी का नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाए? मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, पूर्ववर्ती सरकार भी इस दो बच्चे वाले निर्णय को लेकर चली और यह सरकार भी लेकर चली। क्यों नहीं राजस्थान का यह सर्वोच्च सदन यह प्रस्ताव पारित करे कि विधायिका, लोक सभा के चुनाव में भी ये दो बच्चों की बाध्यता आने वाले समय में आप लागू करेंगे जिससे पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि छोटा परिवार रखना क्यों आवश्यक है? आप कितने ही दावे करें, आप बढ़ती आबादी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि कठोरता के साथ आप इस पर एक नीति लेकर सामने नहीं आए, आप प्रोत्साहन दीजिए कि जिनके परिवारों में एक बच्चा रहेगा, नौकरी में हम फलां प्रतिशत उनको अवसर प्रदान करेंगे तो लोग प्रेरित होंगे। ये हल्के तरीके से लेने की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते। हम वोट की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस कारण से आज हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी, आज हमें बहुत आगे होना चाहिए क्योंकि आबादी की इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास में हैं लेकिन इसके बाद भी हमारी इकोनोमी उस रूप में आगे नहीं बढ़ पा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीतिक रूप से आलोचना करना तो बहुत आसान है। हमारे कुछ मित्रों ने गुजरात का उदाहरण दिया कि गुजरात ने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन रिजल्ट क्या है? गुजरात में 2019 के अंदर 36 हजार बच्चों की मौत हुई हैं, 36 हजार और सरकार का वक्तव्य सभी जगह वो ही होता है। सरकार का वक्तव्य, इस पार्टी की सरकार है या उस पार्टी की सरकार है, इससे

(श्री संयम लोढ़ा)

वक्तव्य नहीं बदलता है। वक्तव्य यह होता है कि आपके टाइम में इतने हुए थे और हमारे टाइम में इतने। तुमसे हमारे टाइम में कम है। आप तो कुपोषण के पीड़ित हो, एनिमिया के पीड़ित हो, इस कारण से मौतें हुई हैं। लेकिन इससे देश के नागरिकों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। चिकित्सा के क्षेत्र में चूंकि कांस्टीट्यूएशन के अंदर हैल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। भारत सरकार को जिस रूप में इस चुनौती को लेना चाहिए, उस रूप में नहीं लेती है। टोटल हमारी जीडीपी का कितना पैसा भारत सरकार हैल्थ पर खर्च कर रही है? पैसा तो बहुत है, जस्ट 1.16 परसेंट। यह पैसा भारत सरकार को बढ़ाना चाहिए। राजस्थान, दूसरे हमारे प्रदेशों की स्टेट गवर्नमेंट हैं, कितना पैसा खर्च कर रही हैं, हैल्थ पर? तीन से पांच परसेंट। इससे आप लोगों को माकूल चिकित्सा उपलब्ध नहीं करा सकते। जब तक सारे स्टेट यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम आठ से दस परसेंट पैसा हैल्थ पर खर्च करेंगे तब तक नागरिकों के स्वास्थ्य की अपेक्षा पूरी नहीं की जा सकेगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा एक भी आदमी बीमार होता है तो वह छुट्टी लेगा। छुट्टी लेगा, काम नहीं करेगा। इसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर आयेगा।

अब 60 परसेंट लोग अपने पैसे से इलाज करवाते हैं। यह रिकार्डेड है, यह सर्वे में आ चुका है। उनका जो पैसा वहां खर्च हो रहा है, उस पैसे के खर्च को भी स्टेट को रोकना पड़ेगा। अब आप लेकर आए हैं नया कांसेप्ट, भारत सरकार भी लेकर आई है, आप भी आने वाले वक्त में लेकर आने का सोच रहे हैं कि हम 'राइट टू हैल्थ' देंगे। आपकी हालत है 'राइट टू हैल्थ' देने की? आप हैं इस हैसियत में? आपके संस्थान हैं इस हैसियत में? क्या अस्पतालों की हालत है? क्या पीएचसी की हालत है? क्या सीएचसी की हालत है? क्या डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की हालत है? मैं निवेदन करूंगा आपको, मैं विधायक नहीं था। मैं पराजित हुआ था। मेरे वहां सिरोही के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 42 पोस्ट और 15 डाक्टर। मैं कलेक्टर के पास गया एक डेमोंस्ट्रेशन लेकर तो उन्होंने यह हालात पैदा कर दिए कि आईपीसी का मुकदमा दर्ज हो जाए। फिर ये तो ठीक है कि थोड़ा कन्फ्रंट करने का साहस नहीं होता है तो उनको हथियार डालने पड़े कि मैं तो बिलकुल करने की स्थिति में ही नहीं हूं। मैंने सोचा कोई बात नहीं, राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी से आकर मिला और मैंने उनसे कहा कि ये 15 डाक्टर हैं, 42 पोस्ट हैं, कुछ कीजिए। उन्होंने भी हथियार डाल दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से सारे डाक्टर

(श्री संयम लोढ़ा)

मुझे लगवाने पड़े। पैरा मेडिकल स्टाफ भी नहीं है। आज भी वहां पर 60 डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ इस सरकार के आने के बाद में अंडर ट्रांसफर हैं, ट्रांसफर करवा लिए। अब वे चले जाएं तो सब खाली। मुझे माननीय मुख्य सचिव से जाकर मिलना पड़ा कि मैंने तो बड़ी मुश्किल से लगवाया। उन्होंने आदेश निकाला कि जब तक दूसरा नहीं आए तब तक एक भी रिलीव नहीं किया जाए। जब हम यह देख ही नहीं रहे कि किस जिले की क्या हालत है और हम किस आधार पर लोगों को इधर से उधर कर रहे हैं, जिसमें सरकार के जन-प्रतिनिधि तो होते ही हैं साथ ही साथ पांच-पांच, सात-सात आईएएस बैठे हुए हैं, एक दर्जन आरएएस बैठे हुए हैं। कोई देखता है? किस आधार पर आप 'राइट टू हैल्थ' के लिए जा रहे हैं? वहां पीएचसी के अंदर तो सफाईकर्मी आपकी डिलीवरी करवा रहा है। ज्यादातर पीएचसी के अंदर आपका इनडोर कुछ है नहीं, सीएचसी के हालात देखिए। इस तरह के लोक-लुभावन निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। पहले आप खुद को इस लायक बनाइए, अपने संस्थान को इस लायक बनाइए कि आप लोगों को यह अधिकार दे सकें वरना इस तरह के अधिकार सिर्फ वाह-वाही कराने के लिए लाने से कुछ नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से भी विनती करना चाहता हूं कि आपने 2022 तक का टारगेट किया है, यह फाइनेंस कमीशन की जो स्वास्थ्य समिति है, इसने रिकमंड किया है कि 'राइट टू हैल्थ' दिया जाए। लेकिन जब तक हम संसाधन विकसित नहीं करेंगे, हम विशेषज्ञ सेवाएं जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक 'राइट टू हैल्थ' की दिशा में आगे बढ़ना किसी भी रूप में उचित नहीं है। जैसी आपकी व्यवस्था है इसमें और सुधार लाइए। उसके बाद इस दिशा में आगे बढ़िए। यह अच्छी बात है कि इन्हीं परिवेश के अंदर हम अपना बैस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय चिकित्सा मंत्री जी को कि जैसे ही भारत सरकार और स्टेट की भागीदारी की एक नई योजना मेडिकल कालेज की आई, आपने हिन्दुस्तान के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर अच्छी तैयारी की। आपके अधिकारियों ने अच्छी तैयारी की और आप राजस्थान में 15 सरकारी मेडिकल कालेज लाने में सफल हुए।

विशेषज्ञ सेवाओं की हमारे यहां कमी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि करीब 900-950 आप पी जी की सीटें लाने में भी सफल हुए, लेकिन इन सबमें समय लगेगा। आप इतने नए मेडिकल कालेज ला भी देंगे, आपके पास

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रोफ़ेसर कहां है, फैकल्टी कहां है? जिस तरीके से पिछले दौर में मेडिकल कालेज खुले हैं, मेडिकल काउंसिल का दौरा होता है, आप तो खुद ही डाक्टर हैं, आपको पता है, यहां के उठाकर वहां ले जाएं, वहां के उठाकर वहां ले जाएं और किसी तरह औपचारिक रूप से निरीक्षण की कार्यवाही हो जाती है। इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। राजस्थान सरकार ने कई तरीके की चीज़ें दी हैं, लोगों को यह समझाना पड़ेगा। सिगरेट, साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। लोगों को एहसास कराना पड़ेगा। आप नीरोगी राजस्थान का कांसेप्ट लेकर आ रहे हैं तो इसे बंद क्यों नहीं करते। किसी गांव में, किसी भी जगह पर चले जाइए, कोई डैथ में चले जाइए, सिगरेट, तंबाकू, चूना, गुटखा सभी आगे पड़े हुए मिलते हैं। आपने अफीम बंद कर दी, डोडे बंद कर दिए, पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नहीं मिलते हैं, ऐसा कौन सा गांव है? हम कब तक अपने लोगों के साथ पाखंड करेंगे, अपने पाखंड के लिए कब तक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। वास्तव में ही हम यह इच्छा रखते हैं कि हमें राजस्थान के नागरिकों को नीरोगी जीवन देना है, तो दृढ़ इच्छाशक्ति से आइए, इन पर कार्यवाही करिए।

मैंने जैसा निवेदन किया कि सामाजिक, आर्थिक सारी चीज़ें लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आप गांव में चले जाइए, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जाति के आधार पर फलां आदमी नीचे बैठा हुआ है, फलां आदमी ऊपर बैठा हुआ है, आप क्या समझते हैं, इस तरह से अपमानित होना, किसी आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। क्या आपका कॉन्स्टेबल वहां नहीं है, पटवारी नहीं है, ग्राम सेवक नहीं है, क्या उनका यह संवैधानिक कर्तव्य नहीं बनता कि नागरिकों को समान अधिकार किस तरह से मिले, वह सुनिश्चित करें। यह खाली शरीर की व्याधि नहीं है, आत्मा को कष्ट पहुंचता है, मन को कष्ट पहुंचता है, पीड़ा होती है, उन सब से शरीर में व्याधियां पैदा होती हैं। यह ब्लड प्रेशर क्या है, किससे होता है, तो यह सारी चीजें हैं। आप सभी जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करुंगा कि लोगों के सामाजिक आर्थिक सारे परिवेश को ठीक करके, हम उनको नीरोगी राजस्थान के सपने में शामिल कर सकते हैं। आपने मुझे अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीया सुश्री रीटा चौधरी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय धन्यवाद। आज अच्छा विषय है, और दिन भी अच्छा है, इसलिए कहूंगी कि एच एम की कुर्सी पर आप बैठे हैं। पिछली बार जब बोलने का मौका मिला तो चश्मे से दो आंखें ऐसे घूर रही थीं तो बोला नहीं जा रहा था। आज आप विराजमान हैं, मैं समझती हूं कि ज़िले का आप ध्यान रखेंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मुझे आपत्ति है।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वरिष्ठ हैं। उप चुनाव जीत कर आई हैं, पहली बार बोल रही हैं, इन्हें मौका दीजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरा तो एक ही निवेदन है, कि मेरे फूफा जी के लिए यह कहना कि मोटी-मोटी आंखें और मैं डर गई, मुझे उचित नहीं लगता।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): मैंने बड़ाई की है, साहब। मोटी आंखें तो अच्छी बताई जाती हैं। सभापति महोदय, पिछले कार्यकाल में मुफ्त दवा योजना लागू करने वाले हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपने तीसरे कार्यकाल के अंदर भी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर, फिर एक बड़ी सौगात, हमारे राजस्थान प्रदेश को दी है। अभी मैं पूर्व वक्ताओं को सुन रही थी। प्रतिपक्ष के सदस्य सांगानेर से आने वाले बोले थे, वह अभी नहीं है, मैं समझती हूं कि आज का विषय बहुत अच्छा और उपयोगी विषय था, वह इस विषय की सार्थकता और गंभीरता को नहीं समझे। जिस तरीके से उन्होंने हाउस के अंदर अनर्गल आरोप शिक्षा मंत्री पर लगाए, जैसे कोई नुक्कड़ सभा में भाषण दे रहे हों, इस तरीके से अपना भाषण देकर चले गए। अच्छा होता कि नीरोगी राजस्थान योजना है, उसमें अपने बहुमूल्य सुझाव देते, लेकिन उनका आचरण हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि नीरोगी राजस्थान स्कीम, सरकार की नई स्वास्थ्य नीति है, वह दो मुद्दों पर निर्भर करती है, राज्य में नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपस्थिति, उसकी उपलब्धि कैसी हो, दूसरा Prevention is better than cure हमारी अवधारणा है, उसके ऊपर आधारित है। मैं हमारे माननीय सदस्यों को सुन रही थी। पाली, सिरोही से आने वाले माननीय लोढ़ा जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इनको

(सुश्री रीटा चौधरी)

सुनकर। इन्होंने विस्तार से अपनी बातों को कहा, तो कुछ कहने को बचा नहीं, लेकिन मैं अपने विचारों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अपने कुछ विचार इस पर देना चाहूंगी।

नीरोगी राजस्थान स्कीम में जिस तरीके से सरकार वैबसाइट के जरिए, हैल्पलाइन के जरिए, व्यक्तियों को, नागरिकों को वह सुविधा प्रदान करने जा रही है, जिसके तहत वह अपनी बीमारी व उसके उपचार के बारे में जानकारी ले सके। यह एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय चिकित्सा मंत्री यहां बैठे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगी, जब हम इतनी बड़ी स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से पहले स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं चलती आई हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य कर्मचारी बहुत नगण्य हैं। पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर नहीं मिलते हैं, एएनएम बहनें नहीं मिलती हैं। अगर स्थाई रूप से उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी, भर्तियां नहीं होगी, तो इस अवधारणा को भी साथ में लागू करने में बहुत दिक्कत आएगी।

नीरोगी राजस्थान स्कीम के अंदर जिस तरीके से स्कूल व कालेज के अंदर एक अवेयरनैस प्रोग्राम चालू करने की प्लानिंग दी गई है, वह स्वागत योग्य है। इसमें मेडिकल, एजुकेशन, डीपीआर विभाग को शामिल किया गया है। जिस तरीके से यूएसए में हैल्थ कांशियस हैं, वहां पर स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च होते हैं, बहुत सारी नीतियां, योजनाएं इसमें आती हैं। यूएसए के अंदर इंटीग्रेटेड अवेयरनैस प्रोग्राम चलाया जाता है। केवल मेडिकल विभाग के लिए ही यह नीति लागू हो ऐसा नहीं है, इसके अंदर अदर डिपार्टमेंट चाहे वह एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, एन्वायर्नमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पीएचइडी डिपार्टमेंट हो, इंटीग्रेटेड अवेयरनैस प्रोग्राम होना चाहिए, सभी विभागों को इसके अंदर शामिल करना चाहिए। मेरी चिकित्सा मंत्री महोदय से यही दरख्वास्त है कि जिस तरीके से यूएसए में यह प्रोग्राम चलाया जाता है उसी तरीके से, स्वास्थ्य के अंदर बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, लीवर, पेट संबंधी, हृदय रोग संबंधी बीमारी है, यह गंभीर बीमारियां हैं।

हम एग्रीकल्चर में पेस्टीसाइड का उपयोग करते हैं। इससे आने वाले टाइम में बहुत गंभीर बीमारियां होगी। जैसे कैंसर है, पंजाब, हरियाणा इससे

(सुश्री रीटा चौधरी)

ग्रसित हो रहा है, अब हमारे राजस्थान में इसका इंपैक्ट आ रहा है। उसी तरीके से पीएचईडी है, ग्राउंड वाटर में पेस्टीसाइड के मात्रा होने से गंभीर रोग सामने आ रहे हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। मेरे मंडावा में जिसे कहते हैं एक पट्टी है, एक गांव से दूसरे गांव में हम लोग जाते हैं, कोई डैथ होती है, बैठने जाते हैं एक घर छोड़कर दूसरे में अधिकतर यह कारण सुनने को मिलता है कि कैंसर से पीड़ित था, कैंसर की वजह से खतम हो गया, अचानक से साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, यह गंभीर बीमारियां हैं।

इसके लिये मैं अपनी तरफ से चिकित्सा मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूंगी कि एक रिसर्च सेन्टर डवलप किया जाये और इस तरीके के डाटा कलेक्शन किये जायें, जिससे कि हम आने वाले समय के अन्दर वहां पर, चाहे वह सोइल के अन्दर हो, चाहे वाटर के अन्दर हो, इस तरीके की बीमारियों के कारण क्या हैं, उन कारणों का पता लगे। तब हम इसके अन्दर आगे बढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय, इसी तरीके से मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। हम लोग जब बात करते हैं, अपना जब पुराना टाइम था, हम लोगों ने 108 एम्बुलेंस की यहां पर शुरुआत की थी। उसी के आधार पर जैसे दिल्ली के अन्दर मौहल्ला क्लीनिक चलता है, और हमारे अभी चिकित्सा मंत्री ने नया नवाचार किया है, जनता क्लीनिक खोला है। जनता क्लीनिक खोलना अपने-आपमें शहरों के अन्दर अच्छी बात है, नगरपालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगमों के अन्दर, शहरी इलाकों में हम सक्सैसफुल हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिये मैं सुझाव देना चाहूंगी कि मोबाइल क्लीनिक खोले जाएं। हम लोग पर्टिकूलर किलोमीटर्स के ऊपर इस तरह की सुविधा उपलब्ध करवा दें ताकि ये जो मोबाइल क्लीनिक्स हैं, विशेषकर स्कूलों और कालेजों से इनको जोड़ा जाये।

एक बहुत बड़ी बात झुंझुनूं के अंदर निकलकर आई है कि वहां पर जो लड़कियां हैं, वे बहुत ज्यादा एनेमिक हैं, उनका हीमोग्लोबिन 5, 6, 7 है। वहां लड़कियों के अंदर 8 से ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता और विटामिन-डी की भी बहुत कमी पाई जाती है तो इस तरह के मोबाइल क्लीनिक स्कूलों और कालेजों के अन्दर हम लोग मूव करवाएंगे, जिले के अन्दर पंचायतों में, गांवों में, तो हम लोग अपने, जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, स्कूलों

(सुश्री रीटा चौधरी)

के अन्दर पढ़ते हैं उनको हम एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करवा देंगे और जो हमारी यह नीरोगी राजस्थान की स्कीम है, यह अपने आप में बहुत सक्सैसफुल होगी, अगर इस तरीके का कदम हम लोग उठाते हैं।

तीसरा, मैं कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा विभाग को इससे जोड़ा जाये। गम्भीर मुद्दा है। जिस तरीके से खाने की चीजों में मिलावट पाई जा रही है, उससे बहुत सी गम्भीर बीमारियां लोगों के अन्दर उत्पन्न हो रही हैं। हम लोग उसके अन्दर कितनी भी कड़ी कार्यवाही कर लें, लेकिन आप देख लें रोज कहीं न कहीं मिलावटी मावा पाया जाता है, पनीर पाया जाता है, दूध पाया जाता है, सड़ी हुई मिठाइयां मिलती हैं, होटलों के अन्दर सब्जियां मिलती हैं। लेकिन हम उसके ऊपर कोई चैक नहीं कर पा रहे हैं। इसके अन्दर एक कड़ा कानून लाना चाहिये। मैं तो कहना चाहूंगी कि जो धारा अटैम्प्ट टू मर्डर के अन्दर लगती है, उन्हीं धाराओं का प्रयोग इसके अन्दर करना चाहिए। इसमें हमें खाद्य सुरक्षा विभाग है, उसको भी इस स्कीम के अन्दर शामिल करना चाहिए।

ग्रामीण इलाकों के अन्दर जिस तरीके की व्यवस्था आज के दिन है, 15-15, 20-20 किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। 40 किलोमीटर के अन्दर आपको हास्पिटल मिलता है। हास्पिटल्स के अन्दर डाक्टर्स की संख्या नहीं होती है, यह गम्भीर विषय है। यह भी हमारी सरकार को, हमारे मंत्रीजी को सोचना पड़ेगा। अचानक हार्ट अटैक होता है, घर से जब व्यक्ति निकलता है तो हास्पिटल इतना दूर होता है कि पहुंच नहीं पाता है। किसी तरीके से अगर वह हास्पिटल पहुंच जाता है तो, सभापति महोदय, उसको इलाज नहीं मिलता। इलाज के अभाव के अन्दर बहुत सी मौतें होती हैं।

हम लोगों को नीरोगी राजस्थान स्कीम के साथ हमारे चिकित्सा विभाग का जो पुराना ढर्रा है, इसको बदलते हुए, उसमें भी सुधार करते हुए, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर नीरोगी राजस्थान स्कीम का फायदा पूरे राजस्थान में लोगों को मिलेगा, गरीब जनता के अन्दर मिलेगा।

सभापति महोदय, पाली से आने वाले हमारे सदस्य बता रहे थे, वे प्रधान मंत्रीजी के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम है, उस योजना की चर्चा कर रहे थे। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भामाशाह योजना लेकर आई। मैं समझती हूं कि वह एक अच्छी योजना थी। उस योजना का उद्देश्य, नीयत

(सुश्री रीटा चौधरी)

अच्छी हो, लेकिन उसमें मोनिटरिंग का अभाव था। उसकी वजह से जितने भी, सरकारी अस्पताल नहीं कहूंगी, निजी अस्पताल, जो बिलकुल आई.सी.यू. में चले गये थे, वेंटीलेटर की श्रेणी में आ रहे थे, उन्होंने इस योजना के माध्यम से बाहर निकलने का काम किया। सभापति महोदय, मैं यह बात यहां इसलिये कह रही हूं, क्योंकि हम लोग इतना पैसा, सरकार अपना बजट इसके अन्दर लगाती है, और बहुत पैसा हम लोग जनता की सुरक्षा के लिये, जनता के स्वास्थ्य के लिये, जनता की शिक्षा के लिये लगाते हैं, चिकित्सा के लिये लगाते हैं। लेकिन अगर मोनिटरिंग नहीं होंगी, तो मैं समझती हूं, जो भी योजनाएं यह सरकार लेकर आयेगी, वह बिलकुल भी सफल नहीं होगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल। (अनुपस्थित) श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आज नीरोगी राजस्थान विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जिस भावना से नीरोगी राजस्थान के विषय को ले करके आये हैं, बहुत अच्छी भावना है, पर अनेकों बार हम समस्या को सिर्फ एकाकी रूप में देखते हैं। समस्या को कभी भी पूर्णता के रूप में नहीं देखते। जब वह पूर्णता में नहीं देखी जाती है, तो उसका समाधान नहीं होता है। चूंकि राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व है, इसलिये वही देखेंगे और बाकी के विभाग अपने काम ठीक प्रकार से नहीं करें, तो अकेले स्वास्थ्य मंत्रीजी राजस्थान के लोगों का ध्यान नहीं रख पाएंगे।

जैसे, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है, और जैसे-जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे हम बहुत सारी बीमारियों को ले करके आ रहे हैं। आज इस सदन में आने वाले सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर्स की चिंता करते हैं कि हमारे पास डाक्टर्स नहीं हैं, हमारे यहां हास्पिटल्स खोले जायें, हमारे यहां मेडिकल कालेज खोले जायें। इस बात का बार-बार आग्रह करते हैं, पर सरकार जितने साधन जुटाती है, कुछ दिनों बाद वे साधन वापस कम पड़ जाते हैं। फिर सरकार को चिंता होती है कि और साधन कैसे जुटायें। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि उसके लोग बीमार रहें। क्योंकि मानव संसाधन यदि बीमार होता है तो उसकी उत्पादक क्षमता कम होती है। जब उसकी उत्पादक क्षमता कम होती है तो वह देश के विकास में भी किसी भी सूरत में भागीदार नहीं बन सकता। हम समस्या की जड़ को पकड़ें और वहीं से उपाय प्रारम्भ करें तो शायद राजस्थान सरकार का जो यह अरबों का बजट है, अरबों के उस बजट में हम किसी न किसी प्रकार से कमी ला पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जब एक महिला गर्भवती होती है और उसके गर्भ में शिशु पलता है, यदि वह महिला खून की कमी से ग्रसित होती है और अनेक बीमारियों से ग्रसित होती है, तो जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है, वह बच्चा भी जनम से एनेमिक होता है। वह बच्चा फिर पीढ़ियों तक ठीक नहीं हो सकता। यह स्थिति क्यों आई? यह स्थिति इसलिये आई, क्योंकि इस विकास की दौड़ में हमने हमारे परम्परागत भोजन को त्याग दिया। जिस भोजन से कैल्शियम मिलता था, जिस भोजन से प्रोटीन मिलता था, वह भोजन हमने त्याग दिया, और हमने नई रेसीपीज, विदेशों से आने वाली रेसीपीज और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को महत्व देना प्रारम्भ कर दिया। पहले एक आम धारणा थी। हमारे सामाजिक जीवन में होटल पर जा करके खाना अच्छा नहीं माना जाता था। समाज में यह बुरा माना जाता था। लेकिन आज होटल पर खाना खाना एक फैशन हो गया और एक स्टेटस सिम्बल हो गया कि हम तो होटल पर जा करके खाना खा करके आये हैं। होटल के खाने में कितनी गुणवत्ता है, उस खाने को बनाने में कितनी शुद्ध खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है, इसकी हमें जानकारी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा आज ही के अख़बार में आया है कि पनीर को खपाने के लिये राजस्थान लाया गया। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि पशुधन तो घटता जा रहा है लेकिन दूध की मात्रा बढ़ती जा रही है, पनीर की मात्रा बढ़ती जा रही है।

तो जब पशुधन नहीं है तो दूध और पनीर आया कहां से? तो मांग की पूर्ति के लिए नकली बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला और उस प्रोत्साहन ने बहुत सारी बीमारियों को जनम दिया।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, पहले व्यक्ति का जीवन बहुत ही मेहनती

(श्रीमती अनिता भदेल)

और पारिश्रमिक हुआ करता था और जब तक उसके शरीर से पसीना न गिरे जब तक वह समझता था कि कोई काम किया ही नहीं है और इस कारण से शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्याएं उसको नहीं थीं लेकिन आज की जीवनशैली में 99 परसेंट लोगों को शुगर है और ब्लड प्रेशर की प्राब्लम है तो हम अपने जीवन को कहां लेकर गए हैं? यह जीवनशैली यदि बदली जाए तो निश्चित रूप से हम हमारे लोगों के स्वास्थ्य को बचा पाएंगे और उसको स्वस्थ जीवन दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हम शहरों में जब आते हैं तो शहरों में प्रदूषण की समस्या है। हवा में इतना प्रदूषण है कि आदमी सांस ले तो यह नहीं कह सकता कि कितनी आक्सीजन उसके शरीर में गई है। इस प्रदूषण से बचाने के लिए हम पहले चूंकि, हरा-भरा राजस्थान होना चाहिए तो, माननीय सभापति, एक जमाना था जब हमारे अजमेर से आने वाले वन और पर्यावरण मंत्री महोदय जूलीफ्लोरा के बीज उन्होंने हेलिकाप्टर से डाले थे कि हर-भरा राजस्थान होना चाहिए। आज 30 साल बाद उसी जूलीफ्लोरा को हटाने के लिए हमारे वन और पर्यावरण मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि यह जूलीफ्लोरा हटे और ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो छायादार हों, जिनके नीचे दूसरे पौधे पनप सकें तो हमारी नीतियां कितने समय में फेल हो जाती हैं? यह फेल क्यों होती हैं क्योंकि हम पश्चिम का अनुसरण बिना सोचे समझे करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हर किसी के घर में रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज बनाई और उसको अंदर रख दिया और उसको तीन दिन तक खा सकते हैं, एक आम धारणा यही है कि दो-तीन दिन तक संरक्षित रखकर उसको खाया जा सकता है परंतु यह ठीक नहीं है। गर्म भोजन जितना पौष्टिक होता है उतना रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ भोजन पौष्टिक नहीं हो सकता लेकिन हर गरीब-अमीर के घर में आज रेफ्रिजरेटर है और निश्चित रूप से उसमें दूध, पनीर, खाना रखा ही रहता है और दो दिन बाद में उसको गर्म करके लोग फिर उसको खाते हैं तो क्या हम उन चीजों के बारे में सरकार पूर्णता के साथ, कृषि मंत्री जी अपना काम करें, पेयजल मंत्री अपना काम करें और इस दिशा में हम सब एक होकर यह सोचें और लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था जब देश में अन्न की कमी थी और अन्न को पैदा करने के लिए हमने यूरिया और बहुत सारे पेस्टीसाइड्स को प्रोत्साहन दिया। उस जमाने में हमारे कृषक इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन हमारे वैज्ञानिक खेतों में जाते थे और प्रैक्टिकल करके बताते थे और कहते थे कि देखो कितना धान उत्पन्न हो गया है? इस कारण धीरे-धीरे किसान अब पेस्टीसाइड्स पर आ गया और उसका जो नतीजा हुआ वह हमारी माननीय सदस्य सुश्री रीटाजी कह रही थीं कि उनके जिले में हर दूसरे परिवार में कैंसर है। पंजाब से एक कैंसर की ट्रेन चलकर आती है तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण पेस्टीसाइड्स है और अब हम धीरे-धीरे वापस अपनी पद्धति की ओर लौट रहे हैं कि हमें आर्गेनिक खेती करनी चाहिए। आर्गेनिक खेती करके ऐसी धान की फसल उगानी चाहिए जो व्यक्ति को शुद्धता के साथ मिले और पूरी पौष्टिकता के साथ मिले। इसके लिए जो भी नीतियां बनाई जाएं, वह कम से कम हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि-मुनियों ने जो हमें दिया है क्योंकि हमारे पास ज्ञान का भंडार है। पहले हमारे दादी-नानी की जो रसोई के नुस्खे होते थे उसके लिए हमें डाक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था और उनके नुस्खों से ही बच्चे ठीक हो जाया करते थे लेकिन अब बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे खतम हो रही है।

(15.04 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

हमारी रहने की जो प्रणाली है, हमारा रहन-सहन इस क़दर हो गया है कि एकाकी परिवार हो गये हैं। यदि मां नौकरी करने जाती है, पिता नौकरी करने जाता है तो बच्चों को देखने के लिए घर में कोई बचता ही नहीं है इसलिए सिर्फ डाक्टर को ही दिखाया जाता है और डाक्टर जल्दी ठीक होने के चक्कर में बच्चे को एंटीबायोटिक दे-देकर उसकी जो थोड़ी बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी धीरे-धीरे खतम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं तो इतना ही आपको निवेदन करना चाहूंगी कि हम इस दिशा में सोच रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है पर सोचने के साथ अब हम क्या-क्या उपाय कर रहे हैं, यह भी हमें देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगी कि इस काम को बहुत बखूबी तरीके से हमारी आंगनबाड़ी की बहनें जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

महिला बाल विकास विभाग की बहनें हैं, जो हमारी आशा वर्कर हैं, वह बहुत अच्छे से कर सकती हैं। हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो मेडिकल डिपार्टमेंट की बहनें हैं वह बहुत अच्छे से कर सकती हैं पर आवश्यकता है उनको समय-समय पर टटोलने की, उनको मॉनिटरिंग करने की, उनको एप्रीशिएट करने की।

हम टीकाकरण के कितने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं? हम आंकड़ों में जरूर दिखा देते हैं कि यह हंड्रेड परसेंट हो गया है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आप यकीन मानिए कि यह हंड्रेड परसेंट नहीं होता है। जो हमारी कच्ची बस्तियों के बच्चे हैं, उनकी मां को तो आज भी बहुत सारे एरिया में पता नहीं है कि टीकाकरण का क्या लाभ है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में माननीय मंत्री महोदय, 90 परसेंट महिलाएं जो प्रेग्नेंसी के लिए जाती हैं वह एनीमिक होती हैं 90 परसेंट तो क्या हम उनको प्रमोट कर सकते हैं उस भोजन की तरफ जिनसे उनको आयरन मिल सके, जिनसे उनको प्रोटीन मिल सके, विटामिन मिल सके, उनको किसी तरह से खनिज मिल सके। यदि हम यह उपाय करते हैं क्योंकि हमारे पास साधन हैं, हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है, माननीय सभापति महोदय, उस नेटवर्क का इस्तेमाल हम अवेयरनैस के लिए कर सकते हैं। हम हरी पत्तेदार सब्जियों को कैसे खाया जाए, उसके लिए कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ईश्वर ने हमें जिस स्वरूप में खाने के लिए दिया, आज हमने उसका स्वरूप ही बदल दिया और उस स्वरूप को बदलकर इस तरह से मोड़ दिया कि वह खाने लायक रहता ही नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए रहता है। यदि ईश्वर उस स्वरूप में देना चाहता है तो ईश्वर ही दे देता वह व्यवस्था कर देता, माननीय सभापति महोदय, लेकिन हमको फल मिला तो हम ज्यूस बनाकर उसका पिएंगे, उसमें शक्कर और एड करेंगे। हमें खाद्यान्न दिया तो हम उसको इस तरह से पीस देंगे कि उसके सारे प्रोटीन ही खतम कर देंगे तो जो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने यह जो प्रकृति बनाई है यह बहुत सोच समझकर बनाई है। बहुत अच्छे से बनाई है उसने बहुत चीजों का ध्यान रखा है, हम तो वहां तक सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी चीजों का उसने ध्यान रखा है इसलिए यदि ईश्वर ने यह दिया है तो निश्चित रूप से जिस स्वरूप में ईश्वर ने दिया है उसी स्वरूप में हमको ग्रहण करना चाहिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदूषण के बारे में एक निवेदन और करना चाहूंगी। हमने खाद्यान्नों की संख्या बढ़ाई। दूध किस तरह से ज्यादा उत्पादन हो, उसके लिए हमने विदेशी गायों को आयातित किया, नस्ल में परिवर्तन किया और परिवर्तन करके आज हमारी देश की नस्लें खतम हो गईं और विदेशी नस्लें जो दूध देती हैं वह हमारी देसी नस्लों के दूध के बराबर नहीं है। इसका एक कारण और है कि हमारी गाय के लिए चरागाह नहीं है, जमीनों पर अतिक्रमण हो गया है और चरागाह के साथ-साथ में उनको जो चारा मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिलता है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि हम इन सब चीजों को यदि एक चेन बनाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से हम नीरोगी राजस्थान की बात को सच में साकार रूप में कर पाएंगे।

अभी यहां पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक थैली के यूज़ की बात आई। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करती हूं कि इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक की थैली को आप क्योंकि, यह मोदी जी ने तो निश्चित रूप से किया ही है, मोदी जी से पहले 2003 से 2008 के बीच में, सोरी, 1998 से 2003 के बीच में जब श्री अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री थे तब पहली बार उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक की थैली को बैन किया था और मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं उस समय नगर परिषद की चेयरमैन थी और हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था कि प्लास्टिक की थैली का जो भी इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और उसकी थैलियों को जब्त करेंगे तो मोदीजी ने भी उसको रिपीट किया है। मैं तो यह नहीं कहूंगी कि मोदीजी की बात को आप मानो। मैं केवल इतना कहूंगी कि मुख्य मंत्री जी ने जो 1998 से 2003 के बीच में जिस बात की शुरुआत की थी कम से कम आप उस बात का ध्यान रखते हुए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की थैली है उसको तत्काल प्रभाव से बहुत सख्ती से बंद करवाइए।

और न केवल जो इस्तेमाल करता है, उससे जब्त करिये बल्कि जो मैन्युफैक्चरर है, माननीय सभापति महोदय, उस मैन्युफैक्चरर से भी आप इसको बंद कराइए और उसको प्रमोट करिए दूसरी टैक्निक पर जाने के लिये। उसके पास यदि यही व्यवसाय है तो उसको आप मोटिवेट करिये हम आपको यह सब्सिडी देंगे, आप इस काम को छोड़कर दूसरे काम को अपना लीजिए। निश्चित रूप से यदि यह मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो यह पालीथिन सड़क पर आना बंद होगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण यह प्लास्टिक

(श्रीमती अनिता भदेल)

है और यह जो शादी समारोह होते हैं, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप भी बहुत सारे शादी समारोहों में जाते होंगे। उन शादी समारोहों में प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की कटोरियां एक बार इस्तेमाल करके उसको सड़क पर फेंक देते हैं। और तो और, जो शादी के कार्ड आते हैं, आप देखिए, मैं तो कई लोगों को टोकती हूं, आप भी टोकना प्रारम्भ करें, क्योंकि टोकना बहुत जरूरी है। शादी का कार्ड बहुत अच्छा छपा होता है उस कार्ड के ऊपर ट्रांसपेरेंट पालीथिन की होती है। मैं कई बार उनसे पूछती हूं कि ये पालीथिन की थैली को निकालकर ही देखूंगी न कि कौनसी तारीख की शादी है? इस पालीथिन की थैली का कोई उपयोग ही नहीं है। क्या मतलब है इसका? आप दो पैसे और ज्यादा लगा रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो और यह कचरे में भी जा रही है और कचरे में जा रही है तो कचरे को और बढ़ा रही है, खतम नहीं कर रही। इसलिए माननीय सभापति महोदय, यदि हम इन छोटी-छोटी चीजों की ओर ध्यान देंगे।

श्री सभापति: अब समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं इर्रिलिवेंट कुछ भी नहीं कह रही हूं।

श्री सभापति: आप नहीं कह रहीं, लेकिन समय की अपनी सीमा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पर किस तरह से यह ठीक हो सकता है, उसको निवेदन कर रही हूं।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं दो-तीन मिनट में खतम कर रही हूं। एक जनसंख्या नियंत्रण पर कहूंगी। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि जितने साधन हम तैयार करते हैं, जनसंख्या डबल बढ़ती है और वह हमारे साधन कम पड़ जाते हैं तो किसी भी तरह से जनसंख्या नियंत्रण को मोटिवेट करिए। जैसा अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं भी उनकी बात को ताकीद करती हूं कि यदि यह उपाय हम करेंगे तो निश्चित रूप से इस जनसंख्या नियंत्रण को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे साधन जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है, उसके लिये पर्याप्त बन सकें।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं जो किशोर बालिकाएं हैं, उनकी

(श्रीमती अनिता भदेल)

ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि वह किशोर बालिकाएं ही आने वाले आपके राजस्थान के भविष्य की नींव हैं। वही आपके आने वाले राजस्थान का भविष्य बनाएंगी इसलिए उन किशोर बालिकाओं के स्वास्थ्य पर हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। माननीय राजेन्द्र जी भाई साहब जब चिकित्सा मंत्री थे, तो उन्होंने मासिक धर्म के समय सेनेटरी नैपकिन देने की योजना चालू की थी, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में वह बालिकाएं इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करती हैं और उनको लगता है कि यह मंहगा है इसलिए इनका इस्तेमाल न किया जाए। यौन रोगों का बहुत बड़ा कारण यह एक समस्या है, जो अवेयरनैस नहीं होने के कारण इस्तेमाल नहीं करती हैं। उस स्कीम को आपको बढ़ाना चाहिए और मोनिटरिंग करके हम कैसे उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। सस्ती चीजें उनको कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एन.जी.ओज. यह काम कर रही हैं और वह आगे आकर करना चाहती हैं कि हमें आप काम दो, हम करना चाहते हैं तो आप उनका सहयोग भी ले सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अब दो-तीन निवेदन मैं अजमेर के बारे में कहकर समाप्त करूंगी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की बहुत सारी जांचों को निशुल्क करने के लिये, उनका तो धन्यवाद है। लेकिन घोषणा से काम नहीं होता है। काम तब होता है जब प्रेक्टिकल में वह चीज उस व्यक्ति को मिले जो हास्पिटल आ रहा है। जब वह उसको नहीं मिलती है न, तो घोषणाओं से व्यक्ति खुश नहीं होता है। वह तो मिलती है तब खुश होता है इसलिए अजमेर में जो संजीवनी सोसायटी है, उसने गुर्दा रोगियों के लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्या। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह जो डायलिसिस की सुविधा थी, वह बंद कर दी। उस सुविधा को आप वापस तुरंत चालू करें।

श्री सभापति: इधर देखिए आप। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बस एक ही बात और है। एक आयुर्वेद की पद्धति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और आयुर्वेद में नर्सों का जो कैडर है, उस कैडर को कैसे रिव्यू कर सकते हैं। एक दंत चिकित्सालय का जो हमारे डेमोंस्ट्रेटर है, वह डेमोंस्ट्रेटर का प्रमोशन का कैडर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, उनका 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत था, 25 प्रतिशत तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से था एसोसिएट की पोस्ट पर और 75 प्रतिशत प्रमोशन से था। लेकिन आर.यू.एच.एस. ने 100 प्रतिशत ही सीधी भर्ती कर दी। अब सीधी भर्ती से आने वाले जो लोग हैं, वह भी यंगस्टर हैं और जो डेमोंस्ट्रेटर हैं, वह भी यंगस्टर हैं तो उनके तो सारे के सारे पद ब्लाक हो गये, क्योंकि 100 प्रतिशत ही उन्होंने सीधी भर्ती से भर दिया है तो प्रमोशन 75 प्रतिशत लोगों का कैसे होगा? उनकी एक बात है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने मना कर दिया इसके बारे में कि हम नहीं करेंगे प्रस्ताव बनाकर यूनिवर्सिटी ने भेजा था, लेकिन उस प्रस्ताव को उन्होंने मना कर दिया। सिर्फ एक निवेदन और है उसके बाद मैं अपनी बात को पूरा कर रही हूं।

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज आप विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक सैकण्ड। यह है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीया, आप बैठिए। करीब 30 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष का भी भाषण होगा, उप नेता-प्रतिपक्ष का भी होगा, माननीय मंत्रीजी का भी रिप्लाई होगा। दस-दस मिनट आप सबको दे रहे हैं इसलिए समय पर अपनी बात समाप्त करें, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैंने इतना ही निवेदन करके खतम कर दिया। वह एक बार फिर आप उसको दिखवा लीजिए।

श्री सभापति: माननीय जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। मैं मेडिकल का स्टूडेंट तो नहीं हूं लेकिन सदन में बहुत ही ज्ञानवान प्रवचन दोनों तरफ से आ रहे हैं और कितना जोरदार फैसला राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने किया है नीरोगी राजस्थान, निश्चित तौर पर प्रदेश नीरोगी होगा तो भावी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी और एक चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी भी है कि इस तरफ

(श्री जगदीश चन्द्र)

ध्यान दे। राजस्थान सरकार के मुखिया ने जिस दिन यह फैसला किया कि राजस्थान नीरोगी होगा और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ-साथ मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बधाई देना चाह रहा हूं कि आपने जो सहयोग करके जो संकल्प लिया राजस्थान को नीरोगी करने का, निश्चित रूप से इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। किसी प्रकार का संकोच और शंका इस मामले में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपने फैसला किया कि नीरोगी राजस्थान हो। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग नीरोगी हों। जिस तरीके का वातावरण पूरी दुनिया में बन गया है, उस वातावरण से हम अलग नहीं हो सकते। हर सरकार की मंशा भी होती है कि उसके राज्य का नागरिक ठीक रहे, उसके बच्चे ठीक रहें, महिलाएं ठीक रहें। यह सरकार की एक सैद्धांतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी भी बनती है। राजस्थान सरकार के मुखिया ने और इस सरकार ने फैसला लिया कि राजस्थान को नीरोगी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम सब लोग इस बात पर सहमत भी हैं। काफी सदस्यों ने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये और उन सुझावों के माध्यम से मैं समझता हूं कि राजस्थान को इस अभियान में मजबूती मिलेगी और राजस्थान सरकार अपने उद्देश्य में निश्चित रूप से कामयाब होगी।

हमारे कुछ साथियों ने इस बिल के बारे में चर्चा की। मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक अच्छी शुरूआत के लिये कम से कम विपक्ष का सहयोग तो इसमें होना चाहिए। माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार के पास में संसाधन नहीं हैं, सरकार की हैसियत नहीं है। कोई गुजरात का उदाहरण दे रहा था, कोई जनता क्लीनिक की बात कर रहा था। सरकार, सरकार होती है और किसी सरकार से ऐसी कोई चीज नहीं होती अगर सरकार तय कर ले, जो फैसला करना है, उसमें कामयाबी नहीं मिले, यह हो ही नहीं सकता है।

राजस्थान सरकार ने राइट टू हैल्थ की बात की है। यह राजस्थान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। आपको याद होगा 2005-06 में, जब डा. मनमोहन सिंहजी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री थे, तब यह चर्चा की गयी राइट टू एजूकेशन, राइट टू हैल्थ और रोजगार का अधिकार। उसके बारे में भी यह चर्चा की गयी थी कि रोजगार का अधिकार का कानून इस देश में कामयाब नहीं होगा। आज मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है और आप सबके माध्यम से मैं डा. मनमोहन सिंहजी को बधाई देना चाह रहा हूं और यूपीए के

(श्री जगदीश चन्द्र)

चेयरपर्सन को बधाई देना चाह रहा हूं कि रोजगार की गारंटी का अधिकार था, पूरे देश में लागू करके लाखों-करोड़ों लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था की गयी है। जब सरकार ने तय कर लिया कि हम शिक्षा को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य को ठीक करेंगे तो ऐसी कौनसी दिक्कत है कि सरकार उसको ठीक नहीं कर सकती। इस बिल के माध्यम से सरकार ने काफी चीजों के बारे में अपना ध्यान डायवर्ट किया है कि सरकारी अस्पताल के अंदर वह सारी व्यवस्थाएं हों जो एक मरीज को मिलनी चाहिए। एक गरीब आदमी समय से पूर्व गरीबी की हालत में अपना इलाज नहीं कर सकता और राजस्थान सरकार फैसला करती है कि राजस्थान में मुफ्त दवाई योजना को लागू करके, मुफ्त जांच योजना को लागू करके और वह सारी गंभीर से गंभीर बीमारियां, जो प्राइवेट अस्पताल में संभव नहीं है, उनके लिये राजस्थान सरकार ने फैसला कर लिया कि हमें इनका इलाज करना है, उसमें सरकार कामयाब होती दिख रही है।

पिछले एक साल के अंदर मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को बधाई देना चाह रहा हूं कि आपने फैसला किया कि राजस्थान में पंचायत हैड क्वार्टर के ऊपर आपने आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की व्यवस्था की है। यह पहला मौका है कि राजस्थान की सरकार ने जहां गंगानगर जिले में एक मेडिकल कालेज की मांग करते थे, वहां पर आपने दो-दो मेडिकल कालेज दिये हैं, यह सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है और आपने यह भी फैसला किया कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने नौजवान साथी हैं, जितनी हमारी महिलाएं हैं, उनको सारी की सारी व्यवस्था इस सरकार के माध्यम से होनी चाहिए, जो उनके जीवन स्तर को ठीक रख सके, उनके स्वास्थ्य को ठीक रख सके।

रोग के लिए कोई एक चीज तो जिम्मेदार हो नहीं सकती है। जिस तरह से इस देश में वातावरण फैला हुआ है, जिस तरह का अडल्टरेशन इस देश में आ गया उसके लिए हम लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन माध्यम सरकार है अगर सरकार ने तय कर लिया तो मुझे लगता है इस चीज को ठीक करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि नीरोगी राजस्थान में ही नशे की बात की गई है कि नौजवानों को नशे से दूर

(श्री जगदीश चन्द्र)

रखना चाहिए। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि, मंत्री जी, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जिस तरह से मेडिकेटेड नशा फैला हुआ है और खास करके मैं दो गांवों को इंगित करना चाहूंगा, कालिया गांव में और सादुलशहर के चमारखेड़ा और पतली गांव में जो पंजाब बार्डर से लगते हुए गांव हैं, अगर आप देखें तो उस गांव का हर तीसरा नौजवान व्यक्ति मेडिकेटेड नशे का आदी हो गया है। इस क्षेत्र में आपने सरकार के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया है, आपने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया और आपके मंत्री बनने के बाद में, आपकी सरकार के आने के बाद में राजस्थान में जो मिलावटखोरी का काम शुरू हुआ था, आपने गंगानगर जिले में जो कंट्रोल करने का काम किया उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं कि हमने कम से कम गंगानगर में इस मामले में सफलता हासिल करने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब यह नीरोगी राजस्थान का कांसेप्ट आया, मैं डाक्टर सुधीर भंडारी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा कांसेप्ट देकर राजस्थान सरकार को एक उपहार योजना टाइप दी है जिस पर सरकार अपना काम कर रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी कि जो नि:शुल्क दवा योजना थी, जो व्यक्ति पांच रुपये की दवा भी नहीं खरीद सकता था, आज राजस्थान सरकार के अस्पताल में सारे के सारे इलाज, चाहे महंगे से महंगा इलाज हो वह हम सरकार के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं और हमारे आसपास के जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं, पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी राजस्थान सरकार के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणा कर रखी है उस पर अमल नहीं हो रहा। किसी बात को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज करना आपका कर्तव्य बनता है लेकिन वास्तव में अगर धरातल के ऊपर मेडिकल सुविधाओं को कोई लेकर आया है तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जो घोषणाएं की हैं उन पर राजस्थान सरकार निश्चित तौर पर अमल करेगी। आज मुझे इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हिन्दुस्तान में हैल्थ की व्यवस्था है, हिन्दुस्तान में स्वास्थ्य का जो सिस्टम है उसमें राजस्थान

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार नंबर वन पर है, इस बात पर किसी प्रकार की कोई शंका या संकोच नहीं होना चाहिए। यह भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं।

कुछ साथी भामाशाह योजना की बात कर रहे थे। जब भामाशाह योजना शुरू हुई थी यह हमारी पूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया जी की महत्वपूर्ण योजना थी, निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत कर रहे थे। 13 दिसम्बर, 2015 में जब यह योजना आई जिसमें तय किया गया कि हम तीन हजार से लेकर तीन लाख रुपये तक के बीमे की व्यवस्था करेंगे लेकिन भामाशाह योजना के साथ-साथ उस सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरह का भ्रष्टाचार इस योजना के माध्यम से हुआ है, राजस्थान में मिसाल कायम की है भामाशाह योजना के माध्यम से। यह अपने आप में एक चिंता का विषय था। कांग्रेस के साथियों द्वारा बार-बार सदन में और सदन के बाहर भी इस योजना की चर्चा की गई। भामाशाह योजना के बारे में मैं एक-दो बात निवेदन करना चाह रहा हूं। एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि करौली के अस्पताल में एक डायग्नोसिस किया गया और जब वास्तव में मरीज को शिकायत पर चैक किया गया तो वह बीमारी नहीं निकली। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं की भामाशाह योजना के माध्यम से सरकार के अस्पतालों में फर्जी बिल के सहारे बीमा की रकम का क्लेम किया जा रहा था। जिस अस्पताल में आईसीयू नहीं है वहां भी मरीज आईसीयू में भर्ती दिखाए जा रहे थे, मरीजों की सर्जरी नहीं होने पर भी उनकी सर्जरी करके दिखाई जा रही थी, एक ही एक्स-रे से कई मरीजों के एक्स-रे किए जा रहे थे, एक एक्स-रे की कापी तीन-तीन, चार-चार मरीजों पर लगाई जा रही थी, यह भामाशाह योजना के परिणाम हैं। अस्पताल में मिलीभगत से नाम बदलकर के अपात्रों का भी इलाज किया जा रहा था। सरकार की बीमा कम्पनी द्वारा ठोस साक्ष्य पेश किए जाने के बावजूद भी सरकार के अधिकारियों, निजी अस्पतालों के पक्ष में काफी फैसले किए गए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप भामाशाह योजना का पिछले 2 साल का 2016 और 2017 का रिकार्ड उठाकर देखें, कुत्ते काटने की और सांप काटने की घटनाओं में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कि जैसे पूरे राजस्थान में कोई जैसे कुत्ते काट रहे हों और सांप काट रहे हों। यह इस योजना की बहुत बड़ी खामी थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): फर्जीवाड़ा करने वाले अस्पतालों को डी-पैनल करने की बात थी, एक भी प्राइवेट अस्पताल डी-पैनल नहीं हुआ। जो 65 परसेंट प्राइवेट अस्पताल थे आज आप उनकी स्थिति देखो, जहां भामाशाह योजना नहीं है उन प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति आप जाकर देख लो कि उनका क्या हाल हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाह रहा हूं कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में कैंसर की जो बीमारी फैल रही है, पंजाब से जो दूषित जल आ रहा है, 60 परसेंट लोगों को गले का कैंसर है और मुंह के कैंसर के कारण गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला प्रभावित हो रहा है। 1927 में जब महाराजा गंगा सिंह गंगानगर लेकर आये पंजाब से, इस आशा और विश्वास के साथ गंग कैनाल को लेकर आए थे कि हमारे टीलों में रहने वाले जो किसान हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं वह अपनी फसल कर सकें, अपना परिवार पालन कर सकें, इस क्षेत्र का कायापलट होगा लेकिन पंजाब से आने वाला जो दूषित पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, जिस तरीके से कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका सारा का सारा असर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में आपको देखने को मिल रहा है। आपका जिला भी उससे संबंधित है, ज्यादा दूर नहीं है। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरा आग्रह है, मैं विनम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि, माननीय मंत्री जी, गंगानगर में कैंसर अस्पताल के माध्यम से कैंसर के बारे में आप रैगुलर निर्देशित करते रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कम से कम कीमोथैरेपी और रेडियोथैरेपी की व्यवस्था गंगानगर के अस्पताल में आप जरूर करिएगा क्योंकि आसपास 250 किलोमीटर पर बीकानेर है, 300 किलोमीटर पर लुधियाना है, 450 किलोमीटर दिल्ली है और 500 किलोमीटर जयपुर है, आस पास कोई भी अस्पताल नहीं है जो कैंसर के इलाज की व्यवस्था कर सकें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस पर ध्यान देकर इसकी कोई न कोई व्यवस्था कराइए।

एक निवेदन और करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरा

(श्री जगदीश चन्द्र)

विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर बार्डर का डिस्ट्रिक्ट है, हिंदुस्तान की सरहद के ऊपर है और जिस तरह की अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाह रहा हूं कि पिछले 30 साल से 30 बैड का एक ही अस्पताल है, कृपा करके उसको 50 बैड का अस्पताल करें।

हम आपका मन से धन्यवाद करना चाहेंगे और मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो महत्वपूर्ण बिल है, जो जोरदार बिल आप लेकर आए हो उसके लिए निश्चित तौर पर माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय चिकित्सा मंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूं, आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग यह बात कह रहे हैं कि आपकी हैसियत नहीं है, आपकी व्यवस्था नहीं है, उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह स्टेट का मैटर है, सरकार चाहे तो हर काम को कर सकती है।

सरकार को अननैसेसरी क्रिटिसाइज करना कुछ लोगों की आदत हो गई है, उनका फर्ज बनता है लेकिन वास्तव में उनको इस काम में सहयोग देना चाहिए कभी वह भी तो बीमार हो सकते हैं।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा 18 दिसम्बर, 2019 में राजस्थान 'पहला सुख नीरोगी काया' के अभियान की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य नीरोगी राजस्थान है। इस पर मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का और मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं।

आज के इस परिप्रेक्ष्य में, चाहे वह प्रदेश का हो चाहे देश का हो, स्वास्थ्य के प्रति चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और उसके कई कारण हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जो मित्र है वह पर्यावरण है। पर्यावरण संतुलन, जिसकी चिंता पूरी दुनिया कर रही है, उस पर लगातार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं, सेमिनार हो रही है क्योंकि पर्यावरण ही एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। चाहे वह एयर पोल्यूशन हो, चाहे वह वाटर पोल्यूशन हो,

(श्री आलोक बेनीवाल)

जिस-जिस तरह का पोल्यूशन लगातार हमारे इस पर्यावरण में बढ़ रहा है वह हमारे जीवन को भी बहुत प्रभावित कर रहा है।

जो गेसेज़ का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने का और उसको मिनिमाइज करने का प्रोग्राम सरकारें लगातार बना रही हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी थोड़े समय पहले दिल्ली की जो स्थिति थी वह आपने देखी है और सुनी है और वह खूब लंबे समय चर्चा में रही है।

हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जो स्थितियां बन रही हैं और इसके साथ-साथ हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, हमारी जो जीवन शैली है और हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, यह सारी चीजें मिल करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। निश्चित तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने यह बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं के विचार सुन रहा था। मैं विपक्ष से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार को सकारात्मक सुझाव दें। इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने का काम करें। जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह स्वस्थ रह सके। इस देश और इस प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। तब जाकर के हम समझेंगे कि हम अपने नागरिक होने का फर्ज पूरा कर पाए। आरोप-प्रत्यारोप लगाने से इस तरह के किसी भी अभियान को ठेस पहुंचती है। मैं तो विपक्ष के नेताओं से कहना चाहूंगा कि कमी खामी हो सकती है। कमी खामी तो आपके टाइम में भी रही हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन उस कमी को कैसे पूरा किया जाए?

सभापति महोदय, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं या कस्बाई क्षेत्र में है, उनमें से लाखों लोगों को यह पता नहीं है कि हमारे जो बीमारी होती है, उनमें से कौन सी बीमारी तो हेरेडिटी से होती है और कौन सी बीमारी की एक समय सीमा होती है। किस समय पर किस चीज का हमें इलाज कराना चाहिए। टीकाकरण कराना चाहिए। सरकार समय-समय पर अभियान के तौर पर यह कार्यक्रम चलाती रहती है। लेकिन उसके बावजूद गांव में अभी भी अवेयरनैस की बहुत कमी है। मैं तो, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे कहना चाहूंगा जो आज यह नीरोगी राजस्थान का फोल्डर मिला है इसमें जो सारी बातें रखी हैं, यह सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ-साथ यह भी आमजन तक प्रचार हो, आदमी महसूस करे कि हमारी दिनचर्या क्या है? हमारा जो खानपान है, हमारा जो रहन-सहन है, हमारा जो आना-जाना, उठना

(श्री आलोक बेनीवाल)

बैठना और सोना है, यह जो सारी चीजें हैं, जो कि दिनचर्या का चक्र है उसको कैसे सुनिश्चित करें और अपने आपको स्वस्थ रख पाएं। उसकी जानकारी वहां तक पहुंचेगी तब जाकर के हम समझेंगे कि यह अभियान सफल हो पा रहा है।

सभापति महोदय, अभी बहुत सारी बातें भी माननीय सदस्य महोदय ने रखी हैं। हमारे खाद्य पदार्थ हों, पेयजल हो, हमारा पर्यावरण हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन उनसे हम कैसे बच पाएं, उनका कैसे निराकरण कर पाएं, इस तरफ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम सब लगभग ग्रामीण परिवेश से चुन करके आए हैं। हम जानते हैं, मैं गांव में जाता हूं तो कई बार किसी के बैठने गए तो पूछा, कि कैसे क्या बात हुई? कहा कि हार्ट कालेप्स हो गया। वास्तव में यह स्थिति काफी गंभीर है। हो सकता है यह कस्बाई क्षेत्र में भी हो, लेकिन उसके कई कारण हैं। उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा और उनको इस बात के लिए सजग करना पड़ेगा कि हो सकता है यह चीजें आपके हेरेडिटी में हों। आप समय पर अपनी पूरी जांच कराते नहीं हैं। ज्यादातर गांव के व्यक्ति कोई जांच कराने नहीं जाते। उसकी तबीयत खराब होती है, बीमार होता है तभी वह हास्पिटल का रुख करता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं उनको प्राथमिकता से मजबूती के साथ खड़ा करने का काम करें। वहां पर जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, चाहे वह डाक्टर्स की हों, चाहे नर्सेज की हो, चाहे इक्विपमेंट की हो, चाहे ब्लड की हो, उसकी व्यवस्था अगर वहां तहसील स्तर पर ही हो जाए तो यह रैफर टू जयपुर करने का जो काम होता है, उसको हम रोक पाएंगे।

श्री सभापति: कनक्लूड करें माननीय सदस्य।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं खतम ही कर रहा हूं। एक समस्या और है, हमारे तहसील स्तर पर जो एंबुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें केवल आक्सीजन सिलेंडर तथा बाकी चीजों की ही व्यवस्था है। लेकिन आईसीयू स्तर की एंबुलेंस सुविधाएं हमारे तहसील स्तर पर कहीं भी नहीं हैं। आज की स्थिति में जब किसी के कार्डियक अटैक होता है और वहां

(श्री आलोक बेनीवाल)

से किसी को जयपुर रैफर किया जाता है तो हमारे पास कोई भी आईसीयू स्तर की सुविधा नहीं है कि उसको जयपुर के लिए लेकर आ सकें।

सभापति महोदय, ब्लड की सुविधा कई जगह उपलब्ध नहीं है। उसको कहीं से लाकर वहां पर व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं तो इतना ही कहना कहना चाहूंगा कि सरकार आने वाले समय में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल की स्थापना करें। वहां पर लगभग सब सुविधाएं मिलें। जिससे जो यह रैफर टू जयपुर, रैफर टू दिल्ली की व्यवस्था हो जाती है, वहां से उसको रोका जा सके। आम आदमी को वहां पर ही एक अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले। जिससे कि वह खर्चे से भी बचे। जब वह बड़े शहर में जाता है तो वहां उसका खर्चा भी ज्यादा होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में ही उसको अच्छी व्यवस्था मिलने लग जाए, चाहे सिटी स्कैन हो, चाहे एमआरआई हो, सोनोग्राफी हो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं अगर एक सेंट्रलाइज्ड एरिया में हो जाएं तो हमारे ग्रामीण परिवेश के गरीब परिवार के जो लोग हैं, उनको सहायता मिल पाएगी।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): इस तरफ सरकार अगर ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह एक अच्छा विजन लेकर के आगे बढ़े हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस मिशन में उनको निश्चित रूप से हमारा पूरा साथ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार एक अभियान के रूप में नीरोगी राजस्थान लेकर आई है। नीरोगी राजस्थान बनाने का सपना तो इन्होंने देखा है और अभियान का शुभारंभ भी कर दिया। लेकिन अगर इस अभियान के तहत सरकार यह कहती कि इतने करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान भी हमने इसमें किया है और यह-यह कार्य हम इस अभियान में करेंगे तो मुझे लगता कि राजस्थान के अंदर नीरोगी राजस्थान का सपना साकार करने का आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी राजस्थान को नीरोगी राजस्थान बनाने की बात इन्होंने कही है। मैं चाहता हूं कि इस सदन के जो भी माननीय सदस्य हैं, वह सब चाहेंगे कि

(श्री रामलाल शर्मा)

राजस्थान के लोगों में बीमारी उनके घर तक, उनकी दहलीज तक न पहुंचे, उसके लिए यह काम करें।

सभापति महोदय, हकीकत में यह भवन पिलर्स के ऊपर स्थित है जिसकी वजह से यह छत टिकी हुई है। मेरे खयाल से व्यक्ति के स्वास्थ्य के मेन पिलर्स भी यही हैं कि उसको पीने का शुद्ध पानी मिले, खाने को शुद्ध अनाज मिले, शुद्ध हवा मिले ताकि उसके लिए आक्सीजन की पूर्ति हो। हमारी पूर्व पीढ़ी ने तो मेरे खयाल से इस शुद्धता के पैमाने को ग्रहण करने का काम किया था। लेकिन वर्तमान पीढ़ी को तो यह कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। आज सदन के कई माननीय सदस्य इस बात की चिंता कर रहे थे कि अगर रात को किसी को यह कहें कि मुझे सुबह 10 बजे 15 क्विंटल मावा चाहिए या 50 क्विंटल दूध चाहिए तो हर कोई तैयार है, कि हां, साहब सुबह सप्लाई हो जाएगी। कहां डिलीवरी करनी है, वह डिलीवरी करने के लिए तैयार है। आखिरकार जब सभी माननीय सदस्यों की चिंता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर नकली मावा बन रहा है, नकली पनीर मिल रहा है, नकली दूध मिल रहा है, तो आखिरकार इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा?

इस पर कार्यवाही करने का पैमाना क्या रहेगा? आज भी राजस्थान के अंदर इस प्रकार के कृत्यों के अंदर शामिल होने वाले लोगों के ऊपर कभी कहते हैं कि पुलिस कार्यवाही करेगी, कभी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही करेगा, कभी कहते हैं कि खाद्य विभाग कार्यवाही करेगा। एक दूसरे के ऊपर टालने की बात सभी अधिकारी करते रहते हैं। मेरे खयाल से सबसे पहला काम यदि राजस्थान की सरकार को नीरोगी राजस्थान बनाना है तो इस प्रकार के कृत्य में शामिल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करे और सख्त कार्यवाही इसलिए कि भय बिना प्रीत नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, कानून के दायरे के अंदर उनको सज़ा का प्रावधान और निर्धारित समय के अंदर उनको सज़ा मिले, यह काम राजस्थान की सरकार करे तो मैं यह कहूंगा कि नीरोगी राजस्थान के क्षेत्र में यह पहला कदम राजस्थान की सरकार का होगा। दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से नकली दवाइयां मार्केट के अंदर हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम कौन करेगा? नकली दवाइयां भी इस पैमाने से, अभी हमारे केशोरायपाटन से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थीं कि एक बार मैं यहां से बीपी की दवा लेने के लिए चली गई, दो टेबलेट ले लीं लेकिन बीपी फिर

(श्री रामलाल शर्मा)

भी कंट्रोल नहीं हुआ। आप यह कह तो रहे हैं कि हम निशुल्क दवा दे रहे हैं लेकिन नि:शुल्क दवा आपकी कितनी असर कर रही है, इस मानदण्ड पर भी हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है कि वास्तव में उस मरीज को हम बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं या वास्तव में हम जो दवा दे रहे हैं, उस दवा से उसको लाभ भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जहां पर सीएचसी हैं, वहां सीएचसी पर सबमें ओटी बनी हुई हैं, उन ओ.टी. के अंदर जो सर्जन होना चाहिए वह सर्जन नहीं है, सर्जन है तो बेहोशी का डाक्टर नहीं है, बेहोशी का डाक्टर है तो आर्थोपेडिक्स का डाक्टर नहीं है। माननीय सभापति महोदय, निवेदन इतना ही है कि हम राजनीतिक आधार पर ट्रांसफर करने की बजाय उस सीएचसी का ओटी कैसे चालू रहे, उस ओटी को संचालित करने के लिए जो रिक्वायरमेंट हैं उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर जिले के आसपास जितनी भी सीएचसी हैं, उन सबमें कोई मरीज टांके लगाने भी आता है तो वहां का डाक्टर रैफर ही लिखता है कि आप एसएमएस चले जाइए। आज एसएमएस का जो भार है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज शास्त्री नगर के अंदर किसी व्यक्ति के लग जाए और उसके पांच टांके लगाने हो तो वह कांवटिया हास्पिटल नहीं जाता, उसका विश्वास ही नहीं है कि कांवटिया हास्पिटल के अंदर मेरे टांके लग सकते हैं। वह सीधे एसएमएस के अंदर आएगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि आज स्वास्थ्य विभाग के इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जहां-जहां भी व्यवस्थाएं जितनी हो सकती हैं, उनको वहीं ठीक करने का काम करें। मेरा सुझाव है कि राजस्थान सरकार जयपुर जिले में अगर एसएमएस का भार कम करना चाहती है तो जयपुर के तीस किलोमीटर की परिधि के अंदर जो भी सीएचसी हैं उन सबको क्रमोन्नत करके वहां पर अच्छे डाक्टर लगाने की आवश्यकता है, चाहे वह बगरू हो, चौमूं हो, अचरोल हो, चाहे चाकसू हो, चाहे बस्सी हो, ये तीस किलोमीटर की परिधि के अंदर है, वहां से आने वाले मरीजों को अगर वहीं सुविधाएं मिल जाएंगी तो वो क्यों जयपुर का इतना रास्ता तय करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस तरीके का संकट हम सबके सामने है, कभी रेजिडेंट डाक्टर हड़ताल पर

(श्री रामलाल शर्मा)

जा रहे हैं, कभी मेल नर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, कभी मेल डाक्टर मरीज को पीट रहा है, कभी मरीज डाक्टर को पीट रहा है तो आखिरकार यह सब दबाव की वजह से हुआ है। एक मरीज के परिजन चाहते हैं कि मेरे मरीज का कोई नुकसान नहीं हो इसलिए वह गुस्से में आक्रामक हो जाते हैं। डॉक्टर यह चाहता है कि मैं 250 मरीज देख चुका, मैं कहां से और मरीज देखूं, मेरी भी एक कैपेसिटी है। इसलिए वह भी तनाव में है। जब तनाव के बाद में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से इतना निवेदन जरूर है कि जिस तरीके से एसएमएस में कई वाकये हम सबको देखने को मिलते हैं, उन घटनाओं को यदि रोकना है तो एक व्यवस्थित तरीके से 250 मरीज देखने की एक डाक्टर की हिम्मत नहीं है कि वह 250 मरीज देखेगा। फिर आप उससे आउटपुट की कामना करो और अपेक्षा यह करो कि राजस्थान के अंदर कुछ देने का काम करे, मुझे नहीं लगता है कि वह कुछ दे पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो आसपास की सीएचसी हैं, उनका जो ढर्रा बिगड़ा हुआ है, उस ढर्रे को सुधारने का काम करें। एसएमएस हास्पिटल के अंदर हम जो सुविधाएं देने का काम राजस्थान के चिकित्सालयों के अंदर कर रहे हैं, हर चीज फ्री। डिलीवरी हो तो आपके 21 हजार रुपये फ्री, बच्चा बड़ा हो तो टीका भी फ्री, बड़ा होकर स्कूल जाए तो वह फ्री, बीमार हो जाए तो इलाज भी फ्री, माननीय सभापति महोदय, आखिरकार हम उस व्यक्ति को बना क्या रहे हैं? जब सब चीज उसको फ्री में मिल रही है तो क्यों उनके मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं भी कुछ काम करूं। ईमानदारी से सरकारी कर्मचारी टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स देते हैं, व्यापारी भी टैक्स देते हैं, उस पैसे से हम उन लोगों का भला कर रहे हैं, जो जीवन के अंदर यह चाहते हैं कि हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। जो कुछ काम करे वह सरकार ही कर दे। जनता की अपेक्षाएं तो हमने इतनी पैदा कर दीं कि अगर नाली के अंदर कोई पत्थर गिर जाए और नाली अवरुद्ध हो जाए और उससे बहता हुआ पानी सड़क पर आ रहा है तो भी अपेक्षा लोग यही करते हैं कि आएगा न जनप्रतिनिधि, वोट दिए हैं न उसको। फिर आकर हमको कहता है कि देखिए, नाली के अंदर पत्थर पड़ा है, ये आपके राज की व्यवस्था है। तो जनता की अपेक्षाएं हमने इतनी बढ़ा दीं कि नाली के पत्थर को निकालने का काम भी जनप्रतिनिधि ही करे।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कम से कम कुछ तो आप निर्धारण करो, मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि आज कई डाक्टर तो मुझसे कहते हैं कि निःशुल्क जांच के मामले में जिसको आवश्यकता नहीं वह भी जबर्दस्ती करा रहा है कि मेरी सोनोग्राफी कर, मैं कहता हूं कि सोनोग्राफी आवश्यक नहीं तो वह कहता है कि क्यों नहीं, आपको तो लिखनी पड़ेगी, करानी पड़ेगी मेरी सोनोग्राफी, कर मेरी सोनोग्राफी। कइयों को एमआरआई की आवश्यकता नहीं होती है, कर मेरी एमआरआई, ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्री में हो रही है न सब चीजें। इसलिए चिकित्सा मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कुछ मानदण्ड आप तय करें कि जिनको जरूरी है उन्हीं की आप सोनोग्राफी कराएं, एमआरआई कराएं, जो भी आपको उचित लगता है वह करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एमआरएस की जो स्थिति है वह इतनी बंटाधार हो चुकी है कि पांच रुपये का फण्ड भी उन एमआरएस के कोटे में नहीं है। या तो सरकार यह तय करे कि जिस जिले के अंदर चाहे माइनिंग से जो पैसा आता है या सीएसआर से जो पैसा आता है उस जिले के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आपके पीएचसी हैं, सब सेंटर्स हैं, या हास्पिटल्स हैं उनको सुधार करने के लिए डाइरेक्शन दें कि जो भी जिले में पैसा आएगा सीएसआर में या जो भी पैसा आएगा उसमें वह पैसा सीधा का सीधा हास्पिटलों की सुविधाएं ठीक करने में जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन यही है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि आप एक कानून ऐसा बनाएं कि जिसको राजकीय सेवा में जाना है, एक संतान रहेगी उसको हम प्राथमिकता देंगे तो आप एक काम कर दो, आप करके देखो अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो तो। आप सिर्फ सरकार से यह आदेश निकाल दो कि राज्य सरकार की जो सुविधाएं लेना चाहता है वह दो बच्चों तक सीमित रहे।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): एमएलएज के लिए कहा था।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, नहीं, सभी के लिए, एमएलएज का भी करो, मैं सहमत हूं। एमएलएज पर करो कि दो बच्चों तक सीमित रहे।

(श्री रामलाल शर्मा)

(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण करना चाहती है तो एक आदेश निकाल दो कि जिसको राज्य सरकार की सुविधाएं चाहिए वह दो बच्चों तक सीमित रहे। जिसको नहीं चाहिए वह आराम से दस-पन्द्रह करे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वोट देने का अधिकार भी न हो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हां। इतना ही कर दो आप। आपके आराम से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सदन के नेता यह तो कहते हैं कि घूंघट प्रथा एक तरीके से पुरानी परम्परा है इसको हटाना चाहिए लेकिन वह यह भी तो कहें कि बुर्का प्रथा भी एक परम्परा है इसको भी हटाना चाहिए लेकिन वह घूंघट की बात करते हैं, बुर्के की बात कभी नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि जब तुष्टिकरण के आधार पर आप बात करोगे, वोट बैंक की राजनीति के आधार पर बात करोगे तो यह स्वास्थ्य का ढर्रा ठीक नहीं हो सकता। उससे बाहर निकलकर अगर आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि नीरोगी राजस्थान का आपका सपना साकार होगा। नहीं तो आप जोरदार मेज थपथपाइए, पहले हम भी ऐसे ही थपथपाते थे, आ गए न इधर, थोड़े दिनों बाद आप भी इधर आ जाओगे। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक, खण्डार।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

यह अद्भुत और स्वर्णिम योजना है जिसे लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी आए हैं। राजस्थान के हर जन के लिए उपयोगी योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की मंशा से इसको लेकर आए हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके इरादे कामयाब होंगे। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, माननीय मंत्री महोदय की भी पूरी एक संवेदनशीलता है कि इस योजना को पूर्ण रूप से अमली जामा पहनाएं और राजस्थान के हर जन का स्वास्थ्य सुरक्षित हो, नीरोगी काया हो और स्वस्थ चित्त, मन से इस राजस्थान प्रदेश के विकास में भागीदार बने।

(श्री अशोक)

माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा योजना तो पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लागू की थी उससे गरीबों को इतना फायदा मिला, लोगों को गांव-गांव में इलाज मिला, आम गरीब आदमी इलाज करवाता था और सरकार को दुआएं देता था। पिछली सरकार ने इसकी काफी मजाक उड़ाई और इसको रेवड़ियां बांटने का नाम दिया। पेंशन योजना को रेवड़ियां बांटने का नाम दिया, नि:शुल्क दवा योजना को जहर बताया पर बंद नहीं कर पाए क्योंकि आम जन से जुड़ी हुई ये योजनाएं और आज फिर दुबारा सरकार आने के बाद में मजबूत इरादे के साथ में तकरीबन 650 से ज्यादा दवाइयां नि:शुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों पर मिल रही हैं और आम जनता को इनसे स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी भी इसका लाभ ले रहा है। मैं समझता हूं कि ये दुआएं हैं, जिससे सरकार आगे काम करेगी। इसके अलावा जांच की योजना भी जिस तरह से फ्री है, एक आम आदमी सोनोग्राफी, ईसीजी, एंजियोग्राफी फ्री कराएगा, कितनी बड़ी दिल की इच्छा, कितनी संवेदनशीलता, मानव के प्रति करुणा का भाव दर्शाया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने। गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज भी गरीब करा सकता है ऐसी उसके मन में इच्छा शक्ति रहेगी, उसके मन में यह विश्वास रहेगा कि सरकार मेरे साथ में है।

मुझे ध्यान आता है, पिछली बार जब मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री था, तब अनेक गम्भीर रोगों के इलाज के लिये मरीज हमारे पास आते थे। मात्र एक चिट्ठी लिखने से मुख्य मंत्री रक्षा कोष से गम्भीर बीमारियों- कैंसर, हार्ट, किडनी का इलाज भी उस गरीब का नि:शुल्क होता था। जब से सरकार आयी है, उस भावना से राजस्थान के आमजन के कल्याण के लिये, गांव-गरीब के कल्याण के लिये कृत संकल्पित है। मैं समझता हूं, इस योजना का काफी लाभ राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान नीरोगी बनेगा। ऐसी मेरी शुभकामना है, साधुवाद है माननीय मंत्री महोदय आपको भी।

मंत्री महोदय जी, एक निवेदन करना था, जिले में सीएमएचओ के अधीन पीएचसी और सीएचसी में जो अस्थायी पैरा-मेडिकल स्टाफ लगता है, डाक्टर लगते हैं, वे अपनी मनमर्जी से लग रहे हैं, जबकि यह सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से लगने चाहिए। वहां भारी भ्रष्टाचार की गंध फैल रही है। जब नया टेण्डर हो, उसमें आप इसे प्रभावी रूप से देखिएगा। यह सीएमएचओ के लेवल पर बड़ी भारी धांधली हर जिले में हो

(श्री अशोक)

रही है। इस पर आपको प्रभावी रूप से रोक लगानी पड़ेगी। तब जाकर वास्तविक लोगों को रोजगार मिलेगा।

मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में पूर्ववर्ती सरकार ने पीएचसी शिवाड़ को क्रमोन्नत किया था सीएचसी में। शिवाड़ जो बहुत बड़ा हमारे शिवजी का मंदिर है और लाखों दर्शनार्थी आते हैं। 23.05.2018 को आदेश भी जारी कर दिये गये थे। छह महीने उनकी सरकार रही और साल भर हमें हो गया। उस सीएचसी का अता-पता नहीं है। उसके लिये बजटीय स्वीकृति दिखायी थी, पत्र भी दिखा रखा है, परंतु उसका कहीं कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। ऐसी अनेकों असत्य घोषणाएं करके सरकार पता नहीं कहां चली गयी। मेरा आग्रह है कि उस पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिये आदेश करें। उन्होंने कर दिया जो उन्हें करना था। झूठी घोषणा थी, पर आप कृपया करके उस बात को पूरा करिएगा। वह एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, इसलिए सीएचसी बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के सीएचसी, भगवतगढ़ में 108 एम्बुलेंस नहीं है, इसके लिये मैंने आपको पत्र भी लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप 108 एम्बुलेंस स्वीकृत करेंगे। एनआरएचएम के संविदा कर्मियों की काफी लम्बे समय से उन्हें नियमित करने की मांग है। पूरे राजस्थान के संविदा कर्मचारी काफी दिनों से मांग भी कर रहे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद भी है। इसमें भी आप सहानुभूतिपूर्वक गौर फरमाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है।

पिछली सरकार ने पीपीपी मोड पर कई पीएचसी और सीएचसी ठेके पर दे दिये। मेरे यहां खण्डार में भी पीएचसी जब क्रमोन्नत हुई थीं, कुस्तला और लसोड़ा। उन्हें इन्होंने पीपीपी मोड पर दे दिया। वहां पर जो पीपीपी मोड वाली कम्पनियां हैं, उनके ठेकेदार कम तनख्वाह में दो कर्मचारी लगाते हैं, योग्य डाक्टर नहीं मिलते हैं और काफी बेकार सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। बजट पूरा जा रहा है। आधा पैसा ठेकेदार खा रहा है और आधा मेडिकल के अधिकारी खा रहे हैं और जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। पिछली सरकार ने किया क्या है? बेच दो, बंद कर दो, नाम बदल दो, इसके अलावा किया ही क्या है आपने? ठेके पर दे दिये।

बजट का आधा पैसा मेडिकल के अधिकारी और ठेकेदार खा रहे हैं।

(श्री अशोक)

अब बंद करने के लिये तो मैं अनुरोध कर रहा हूं कि पीपीपी मोड पर ये जो हमारे स्वास्थ्य संस्थानों को बेचा गया है, उसे बंद करें। बेचने की परम्परा अब खतम हो गयी है। नाम बदल गया है- राजीव सेवा केन्द्र। मेरा आग्रह है कि पीपीपी मोड पर जो स्वास्थ्य केन्द्र आपने दिये हैं, कृपया इन्हें वापस सरकार के अधीन लाएं ताकि जनता को सच्चे रूप में स्वास्थ्य लाभ मिले।

दूसरी बात, स्वच्छता पर सबने निवेदन किया है कि स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिये बजट भी आता है। मेरा आग्रह है कि आप मोदी जी की तरह फोटो खिंचवाकर इस काम को हाथ में मत लीजिएगा। आप तो सच में काम करिएगा ताकि स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वच्छता बनी रहे। वहां पर डिलीवरी रूम्स के आसपास जो टायलेट्स हैं, उन पर गंदगी का आलम रहता है। बजट भी जाता है, पर मेडिकल के अधिकारी उसे खा जाते हैं। प्रभावी रूप से बजट लगे और स्वच्छता पर पूरा ध्यान हो। मेडिकल का जो प्रांगण होता है, स्वास्थ्य केन्द्र होता है, वहां पर चारों ओर गंदगी न हो, क्योंकि उससे और बीमारियां फैलती हैं। अगर गंदगी है और रोगी इलाज कराने जाएगा तो वह दुबारा बीमार पड़ जाएगा। आप फोटो खिंचाने वाली परम्परा को दूर करके फोकट की थैलियां उठाने का काम न करके सच्चाई में स्वच्छता पर गौर फरमाएंगे और प्रभावी रूप से मोनिटरिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य केन्द्र स्वस्थ रहेंगे और वहां पर लोगों का इलाज अच्छा होगा। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

माननीय सभापति महोदय, फूड सेफ्टी पर सबने अपनी आशंका जताई है, चिंता जतायी है कि पूरे प्रदेश में मिलावट के ये जो बड़े काले-कारनामे चल रहे हैं- दूध, घी, पनीर, मसाले, दालें, मावे, सब मिलावटी है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सभी रेलेवेंट विभागों के साथ मिलकर इन पर प्रभावी कार्यवाही करें, छापे मारें। निश्चित तौर पर मिलावटखोरों पर अंकुश लगेगा। उन पर कठोर दण्ड का प्रावधान रखें ताकि मिलावट न हो और हमारे प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य सही हो।

माननीय सभापति महोदय और मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे एक आशंका और है। हमारे प्रदेश में गायें कम हैं। गाय का दूध कम है, पर इतना सारा पतंजलि के दूध का देसी घी कहां से आता है, यह बड़ी गम्भीर चिंता मेरे मन में रही है। इतना बड़ा भारी विज्ञापन- पतंजलि का

(श्री अशोक)

शुद्ध देसी घी लीजिए। गायें हैं नहीं, दूध है नहीं। घी कैसे बनेगा? वह आ कैसे रहा है? मेरा निवेदन है, एक साथ 20-25 बड़े-बड़े इनके गोदामों पर छापे मारिए। पतंजलि के घी की जांच कराएं ताकि सच्चाई पता लगे कि वह घी असली है या नकली। जिससे के हमारे प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री अशोक (खण्डार): दूसरी बात, मेरा यह निवेदन है कि हमारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार होना चाहिए। इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के रोगों की रोकथाम के, हमारे प्रदेश के युवाओं के स्वास्थ्य के लिये आपने अनेक योजनाएं चला रखी हैं। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की महती आवश्यकता है। हमारी पंचायत समितियों, हमारे राजीव सेवा केन्द्रों पर ये विज्ञापन जारी कराएं। खासतौर से जब मैं पिछली बार जन सम्पर्क मंत्री था तो इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार हम रोडवेज के माध्यम से कराते थे। मैं पिछली बार बोल नहीं पाया। इन तमाम योजनाओं का प्रचार-प्रसार रोडवेज की बसों पर लगाकर कराएंगे तो गांव-गांव में हमारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा। राजस्थान सरकार का बजट भी रोडवेज को जाएगा। वह घर में ही रहेगा। रोडवेज को फायदा होगा और हमारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार होगा तथा हमारे प्रदेश की जनता जागरुक होगी। हमारे युवाओं और राजस्थान की जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। नीरोगी राजस्थान की संकल्पना माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय आपकी जो है, वह साकार हो और हम प्रदेश में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर सकें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, देश और प्रदेश पोलियो मुक्त हुआ है दवाई से न कि किसी के आशीर्वाद से। राजस्थान प्रदेश ने नीरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया, जिस दिन इस अभियान की शुरुआत हुई, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की सीएचसी के कार्यक्रम में था। हमारा पहला लक्ष्य यही था, जैसे हमारे साथी जगदीश जी बोले, शुद्ध पेयजल से शुरुआत होगी कि हम स्वस्थ कैसे रहें। शुद्ध पेय पदार्थों से शुरुआत होगी कि हम ठीक कैसे रहें। मैं मौजूदा चिकित्सा मंत्री और पूर्व चिकित्सा मंत्री, दोनों को ही

(श्री बलवान पूनियां)

सुझाव देना चाहूंगा कि एक टीम बनाएं और आबकारी विभाग को भी साथ में लाएं। आबकारी के जो-जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों मंत्रियों को चैक करवाए जाएं। पूर्व चिकित्सा मंत्री तो बाहर चले गये। मैंने उनसे कहा था।

रात के दो बजकर 23 मिनट पर फोन आया, वह आदमी जाडा-जाडा बोल रहा था, उसकी जीभ मोटी हो रखी थी। सभापति महोदय, एक्सीडेंट हो गया था उसका, पांच लोग इतने इंजर्ड हो गये। गाड़ी खतम हो गयी, एक आदमी ठीक बचा था। उसका मेरे पास फोन आया कि हैल्प कीजिए। उसने शाम के चार बजे मुझसे बात की थी, इसलिए मेरा ही नम्बर डायल हुआ। सभापति महोदय, यह चिकित्सा विभाग पर भार है। उन्होंने ऐसा कौन-सा पेय पदार्थ पीया था कि रात के दो बजकर 35 मिनट तक भी उनका उतरा नहीं था। चार आदमी हाथ-पैर तुड़वाकर हमारे एसएमएस पहुंचेंगे या फिर हरियाणा के नजदीक किसी हास्पिटल में जाएंगे।

सभापति महोदय, ये सब चीजें हमें टच करती हैं। हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। कोई आदमी जिंदगी जीने के तरीके से आकर के चिकित्सा विभाग के गले में घल जाता है। आज एसएमएस की स्थिति यह है कि हर दिन लोगों के फोन आते हैं, विधान सक्षा क्षेत्र से लोग आते हैं कि मैं आया हुआ हूं मेरी बारी नहीं आ रही है दो महीने से। गंगानगर का एक पेशेंट है। सितम्बर में 19 तारीख मिली थी उसे आपरेशन के लिये। अभी तक उसकी बारी नहीं आयी है। उसकी वजह यह नहीं है कि डाक्टरों की कमी है। वजह यह है कि 8 की जगह 60 पेशेंट हैं।

सभापति महोदय, यह दबाव कम करने के लिये जो मेडिकल कालेज की घोषणा हुई, वह जल्द से जल्द लागू हो। वे जल्दी से जल्दी काम पर आएं।

(16.00 बजे)

उन हास्पिटलों में जल्दी से जल्दी स्टाफ लगे। एएनएम 2013 की भर्ती के लिए बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि हमें भर्ती कर लीजिए, वे आपकी योजनाओं को पंख लगाएंगे। गांवों में टीकाकरण के लिए एएनएम बाई काम कर रही हैं। आपके छोटे से छोटे अभियान को गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र पर उसको लागू कर रही हैं। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आपके नीचे वाले स्टाफ की तो आप माकूल भर्ती करिये। आपके हास्पिटल में डाक्टर्स की जो

(श्री बलवान पूनियां)

कमी है, हमारे एमएलए कोटे से भी आप आदेश करेंगे कि हास्पिटल में ये चीजें आपको करनी हैं तो हम करेंगे क्योंकि हमारा नारा ही यही है कि पहला सुख नीरोगी काया। नीरोगी काया के इस नारे को हम तब साकार कर पाएंगे कि हम मूलभूत चीजों को जुटा पाएंगे। अभी सरकार ने बहुत सारे उप स्वास्थ्य केन्द्रों को वैलनैस सेंटर में तब्दील करने का ऐलान किया, नाम के प्रस्ताव नीचे से मांगे गये, जल्दी से जल्दी वे करने वाले हैं लेकिन उन सब में एएनएम, जीएनएम का स्टाफ चाहिए इसलिए वह तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, दूसरा एक पोस्टर है जिसमें 4-5 नाम लिखे हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। सभापति महोदय, आयुर्वेद औषधालयों में आज के दिन कहीं दवाई नहीं है। वैद्य जी आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी तोड़कर वापस चले जाते हैं। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उन वैद्यों की भी मदद लें। आयुष डाक्टर, आपने सीएचसी पर एक डाक्टर अनिवार्य रूप से लगा दिया, वह भी पेशेंट देखने का काम करेगा। गांव के दूर-दराज में कम्पाउण्डर से काम चल जाएगा, आयुर्वेद कम्पाउण्डर लगा दीजिये और आयुष डाक्टर को आप सीएचसी, पीएचसी पर लगाइये यह मेरा सुझाव है। यूनानी चिकित्सक की एक बार भर्ती पिछली आपकी सरकार ने निकाली थी फिर कोई भर्ती नहीं निकली है। उन हॉस्पिटलों की बिल्डिंग उस समय बन गई, किसी दानदाता से जगह ले ली पर वह अभी काम में नहीं आ रहा। सभापति महोदय, मैं उनके कैम्प में गया था तो 150 पेशेंट उन्होंने पांच दिन में ठीक किये थे और बिना प्रचार-प्रसार के लोग आये थे। उसकी पद्धति को भी लोग पसन्द करते हैं इसलिए आपने जो प्रयास किया है इसको पंख लगाने का काम आप करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

योग की बात आई, बाबा रामदेव वाले योग के चक्करों में तो पड़ मत जाना क्योंकि अभी अशोक जी खण्डार कर रहे थे दूध है नहीं, गाय है नहीं और घी कितना ही ले लो तो, कहीं उलटी फूंक निकालने के चक्कर में नस उलटी-टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमारी जो पुरानी बुजुर्गों की योग चिकित्सा है, उसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशली इस पर काम करेंगे। क्योंकि हिन्दुस्तान में प्राब्लम है कि हमारे यहां बढ़िया चीज को भी लोग दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए आप प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा पर भी ध्यान देंगे।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मेडिकल कालेजों में और सीएचसी, पीएचसी में डाक्टर्स की कमी इसलिए है कि हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अब केन्द्र के निजीकरण के प्रावधान को हमने भी अपना लिया, 52 हजार रुपये फीस से अचानक आधा प्रतिशत कोई मैरिट में नीचे रह गया तो उसकी फीस साढ़े सात लाख रुपये हो जाती है तो डाक्टर नहीं बन पाएंगे। गायनाकोलॉजिस्ट मैं मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर लेकर गया था। गायनाकोलॉजी की लेडी डाक्टर ढूंढ़ने से नहीं मिलती। कहां से तैयार होगी? हमारा समाज ऐसा है कि पहले हम बच्चे को डाक्टर बनाना चाहते हैं, बच्ची को फिर बनाना चाहते हैं। इतनी फीस होगी तो न बच्चा डाक्टर बनेगा, न बच्ची डाक्टर बनेगी। इसलिए चिकित्सा मंत्री महोदय, आपने जिस तरीके से मेडिकल कालेजों का आगे आकर काम करने का काम किया है, आप इसकी फीस घटाइये ताकि बहुत सारे बच्चे, क्रीमिलेयर बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो इंटेलीजेंट हैं वे डाक्टर बनकर हमारे प्रदेश की जनता की सेवा कर पाएं।

सभापति महोदय, हमारे यहां सारे जो हास्पिटल हैं और बीसीएमओ और सीएमएचओ हैं, उसमें मेरा सुझाव है कि आप आरटीएस और आरएएस अफसर लगाइये। बढ़िया से बढ़िया डाक्टर प्रशासनिक काम में लग जाता है, पेशेंट को नहीं देख पाता है। बढ़िया से बढ़िया डाक्टर को आप प्रशासनिक काम में लगा दो, उसका काम प्रशासन का है ही नहीं, उसका काम डाक्टरी का है, वह नब्ज देखकर बता देगा कि आपके तकलीफ क्या है। उसका काम प्रशासन का नहीं है, सभापति महोदय, आप आरटीएस को लगाइये सीएमएचओ। डाक्टर को सीएमएचओ लगा दिया और सीएमएचओ लगने के बाद वह बाबू है। उन्होंने डाक्टर को न तो डाक्टर छोड़ा और न ही उसको प्रशासनिक अफसर छोड़ा तो फिर वही अशोक खण्डार वाली बात। उधर चन्द्रभान जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उस डाक्टर का काम ही नहीं था प्रशासन का, इसलिए आप इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करने का प्रयास करें।

ड्रग इंस्पैक्टर, मैंने तो मेरे 20 साल के राजनीतिक संघर्ष में ड्रग इंस्पैक्टर को नहीं देखा। मेडिकल में ट्रामाडोल इतनी मिल रही है, 3-3, 4-4, 5-5 हजार ट्रामाडोल के पत्तों के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पर एसपी का सिर्फ एक आदेश कि दवाई वालों का कोई मुकदमा लेकर आओ तो थाना मुकदमा कर रहा है, ड्रग इंस्पैक्टर ने सिंगल मुकदमा दर्ज नहीं कराया। ड्रग इंस्पैक्टर के कान खींचिये कि आप जाकर आओ, आपका काम है रूटीन का,

(श्री बलवान पूनियां)

दफ्तर में बैठे रहने का काम नहीं है। मेडिकल में मैं क्या बेच रहा हूं, मेरे पास क्या-क्या है, पर्ची किसकी आ रही है, मेडिकल में बैठा कौन है?

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि नशे पर हमारी हर सीएचसी, पीएचसी पर, जिले के अस्पताल पर नशामुक्ति केन्द्र खुले। खुद नशा करने वाले लोगों ने नशा मुक्ति केन्द्र खोल रखे हैं, इलाज वही कर रहा है जो खुद रोगी है और धन्धा बना रखा है। एक आदमी आता है कि हमारे यह आदमी दारू पीता है, उसको नशा मुक्ति केन्द्र में छोड़ दिया। दूसरे दिन झगड़ा करने आये और फिर फोन आये कि साहब, नशा मुक्ति केन्द्र में गया हुआ है छुड़ाइये।

सभापति महोदय, एम्बुलेंस की बात बताता हूं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं एक मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। एम्बुलेंस वालों का झगड़ा आपने देखा होगा। मेरी तहसील हैडक्वार्टर पर 15 एम्बुलेंस लगा रखी हैं। मैंने ब्लाक सीएमएचओ को पूछा कि इनको परमिशन किसने दी है तो बोले कि we don't know about this. फिर कौन जानता है इसके बारे में? मैंने उनके नाम, नम्बर पूछे तो हिसार और सिरसा के प्राइवेट हास्पिटलों के डाक्टरों की एम्बुलेंस मेरे वहां हास्पिटल में खड़ी हैं। वे पेशेंट को हमारी पीएचसी के अन्दर घुसने नहीं दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप यहीं रैफर मांगों, फिर वे झगड़ा कर रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा। किसलिए? कमीशन के लिए। वहां प्राइवेट डाक्टर पकड़ाकर आएगा और पकड़कर उस डाक्टर ने छोड़ा नहीं, साढ़े तीन लाख रुपये ले लिए। हृदय की धड़कन, जयपुर के लिए नहीं आने देंगे कि अभी दें, पैसे जमा कराओ आपका इलाज करूं, आप तो जयपुर पहुंचोगे ही नहीं। हमारे यहां 782 दवाइयां फ्री हैं तो वे तो जयपुर नहीं आने देंगे, सिरसा और हिसार में पकड़ लेंगे। एम्बुलेंस के लाइसेंस कौन देता है? चिकित्सा मंत्री जी बताएं। एम्बुलेंस के लाइसेंस देता कौन है, यह ठग गिरोह पनपाने की इजाजत किसने दे दी? निजी चिकित्सालय के लोगों ने एक-एक एम्बुलेंस खड़ी कर दी और एम्बुलेंस पर ड्राइवर कौन? प्रशिक्षित ड्राइवर नहीं है, लाइसेंस नहीं है और एम्बुलेंस के अन्दर दारू पकड़ी गई है। सभापति महोदय, छोटी बात नहीं है। हम नीरोगी राजस्थान का इतना बड़ा संकल्प लिये हैं, इसलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये गम्भीर चीज है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): दो बात और बची हैं। मुफ्त दवाइयां, आपने इतनी दवाइयां दी हैं, मैं कहता हूं कि इसमें रोग शामिल कर लीजिये। कैंसर, लिवर, श्वांस और हर्ट, ये चार-पांच ऐसे रोग हैं जिसके लग जाएं, अगर उसकी हम सरकारी मदद नहीं कर पाएं तो वह इलाज करवा नहीं पाता है इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इन चारों-पांचों बीमारियों को शामिल कर लें और जिसके लग गई उसको सरकार ठीक करेगी। मेरे एक साथी कह रहे थे कि हम फ्री-फ्री दे रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा-स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सरकार से यही काम तो मांगते हैं। अभी थोड़ी सी बात चली है, थोड़ी सी असमानता आई है तब दो-चार घरों में हमसे लोगों ने कहा होगा कि साहब, छोरे का रिश्ता करवा दो, नहीं कोई रिश्ते की बात थोड़े ही करता है। एमएलए से मंत्री से लोग ये चीजें मांगते हैं। इसलिए राजस्थान की सरकार ने जो नीरोगी राजस्थान का संकल्प और बीड़ा उठाया है, मैं तो यह कहता हूं कि मेरे विधायक कोटे से भी सरकार जिस तरीके से सुझाव देगी यह पैसे आपको इसमें खर्च करने हैं तो हम आगे आकर खर्च करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आयुर्वेद को तो हम केरल की तरह लोकप्रिय बनाएं। पूरे हिन्दुस्तान से लोग केरल जाते हैं क्योंकि वहां का आयुर्वेद इतना मशहूर है। उत्तराखंड वाली आयुर्वेद उतनी ज्यादा मशहूर नहीं है, केरल वाली मशहूर है और वहां इलाज बेहतर होता है इसलिए आयुर्वेद को भी आप बढ़ावा देने का काम करेंगे।

जिस तरह से यहां पर 108 का दफ्तर है वहां मैं एक दिन गया था, भारी लूट है। 108 में ड्राइवर कौन लगता है, उसका ट्रांसफर कैसे होता है उसका न तो राजस्थान के मंत्री जी को पता, न हमारे सैक्रेटरी, हैल्थ को पता है। यह 108 तो अलग ही ठग हो गई तो इस पर भी थोड़ा गौर करेंगे। एनजीओ क्या कर रहे इसको भी देखेंगे और आरएमआरएस की बैठक में मेरे कितने विधायक साथी जाते हैं, मैं तो दो-चार बार गया हूं, मैं तो कहता हूं कि बैठक भी परमानेंट हो और हम इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, सरकार इस अभियान को आगे लेकर जाएगी, लोगों को हम अच्छा स्वास्थ्य देने का काम करेंगे। आप लोगों ने हमें सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नीरोगी राजस्थान और समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इस विषय को यहां पर लेकर आये हैं, बहुत अच्छा विषय है। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 'पहला सुख नीरोगी काया' और इसके साथ ही जब जवाब दिया अभिभाषण पर तब भी उन्होंने इस बात को रखा।

इस तरफ तो विज्ञान के साथ आधुनिक युग में हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। जिसमें बहुत अधिक उन्नति कर मानव के स्वास्थ्य और सुरक्षा एवं रोग मुक्ति में सफलता प्राप्त की है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखें कि प्रत्येक विधायक, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि क्षेत्र में हर तरह से संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद भी, संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सा सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती हैं और उसके बावजूद भी अगर जनता को सुविधा नहीं मिले। एक एक्सीडेंट भी हो जाए और जनता या कोई व्यक्ति हास्पिटल में चला जाए और अगर उस समय डाक्टर शराब के नशे में उस पेशेंट को मिले तो आप देखें उसके परिजन और उसकी क्या हालत होती होगी। कहीं न कहीं लगतार पूरे राजस्थान में, कोटा में, बूंदी जिले में हम लोगों को कितनी बार इस तरह के मौके, इस तरह के दृश्य देखने का मौका मिला, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि विभाग कहीं न कहीं विवश है। मैंने तो वह दिन भी देखा कि डाक्टर्स लगातार हड़ताल करते हैं। चाहे 108 की हम लोग बात करें, चाहे और भी बहुत सारी बातें हों।

सम्माननीय मंत्री महोदय जी ने जो आज फोल्डर दिया, उसमें एक पत्र, उनका संदेश मिला है। उन्होंने उसमें इस बात को कहा कि 'नीरोगी राजस्थान अभियान' के तहत जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही और जन चेतना का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि अभियान में किशोर स्वास्थ्य टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। उन सभी के लिए विशेष ध्यान इन विषयों पर दिया जाएगा।

मैं उसी का एक जीता-जागता उदाहरण आपको बताना चाहती हूं। कल ही बच्चों के कुछ आंकड़े देख रहे थे वैबसाइट पर। जो स्वास्थ्य विभाग की हमारी वैबसाइट है, उस पर देखने पर मुझे मिला तो मैं खुद ताज्जुब रह गई कि लगतार नियुक्तियां हम लोग डाक्टर्स को दे रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन, उसके बावजूद भी जिस टीकाकरण की सम्माननीय बहन अनिता जी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हमारी सदस्य बोल रही थीं और सभी लोगों ने इस बात को रखा। आप देखिए, उनके जो विभागीय आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के अंदर मैंने देखा कि टीकाकरण का वर्ष 2018-19 का जो लक्ष्य था 21737, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा आंकड़ा था, वह था 14985, यानी, उपलब्धि हम लोग कहें तो 103 प्रतिशत और उसमें अगर हम रैंक मानें, मेरे बूंदी जिले की मैं बात करना चाह रही हूं। ये बूंदी जिले के आंकड़े हैं तो उसमें राज्य में जिले की जो रैंक थी, वह नम्बर एक रैंक थी।

अभी 2019-20 की हम बात करें तो आप देखें जो हमारा लक्ष्य था। वह लक्ष्य था 24223 और प्राप्ति थी हमारे पास 14274 और उपलब्धि जो हमारी रही वह 88.39 प्रतिशत, यानी कि बूंदी जिला, हम लोग इतना चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 27वें स्थान पर बूंदी जिला हमारा पहुंच चुका है। मैंने लगातार जबजब भी चिकित्सा पर चर्चा हुई, जब-जब भी मैं जहां कहीं किसी मीटिंग में गयी, हमेशा मैंने मांग की, आखिरी में क्यों नहीं हमारे अधिकारी हर योजना पर, हर हास्पिटल में, चाहे जिला मुख्यालय का हमारा हास्पिटल क्यों न हो, क्यों नहीं सुपरविजन होता और तो और चाहे हम सीएमएचओ की बात करें, चाहे हम ब्लाक सीएमएचओ की बात करें, लगतार हम फोन लगा-लगाकर उन लोगों को बताते हैं कि आप जाइये उस हास्पिटल में, फलां-फलां हास्पिटल में, आप करवर के हास्पिटल में जाइये और वहां जाकर देखिए कि एक डाक्टर जो पिछली सरकार के समय एक सीएचसी उसको घोषित किया गया पीएचसी से और जिसमें मात्र एक डाक्टर, सात डाक्टरों के पद रिक्त हैं और उस डाक्टर की भी यह हालत है। मैं खुद हॉस्पिटल में गयी, डाक्टर के पांच-पांच दिन के साइन एक्स्ट्रा होते हैं। मैं खुद लगातार सीएमएचओ साहब को बता रही हूं, उसके बावजूद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है डाक्टर्स के खिलाफ तो मुझे लगता है कि जनता के जीवन के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सरकार सुविधाएं देना चाहती है, जो योजनाओं का लाभ सरकार देना चाहती है जनता को, उस गरीब जनता को जो बीमारियों से जूझते रहते हैं, उनको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, और तो और मैंने देखा, आप देखिए पूरे जिले के अंदर, मैं तो कहूंगी पूरे राजस्थान में आप देखिए प्रत्येक जिला हैड क्वार्टर के जो हमारे हास्पिटल हैं, जो हमारे शहरी हास्पिटल हैं, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, भले ही पेशेंट 50 नहीं आएं, लेकिन हमने 20-20 डाक्टरों को भर रखा है।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आप इस बात को दिखवाइये कि वास्तव में पूरे राजस्थान में और राजस्थान को छोड़िये हम तो कोटा और बूंदी जिले की बात कर रहे हैं कि आखिर में हमारे डाक्टर्स कहां काम कर रहे हैं। क्या गांव की जनता को डाक्टर्स की आवश्यकता नहीं है? इस बात को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिनियुक्ति, व्यवस्थार्थ, डेपुटेशन के नाम से व्यवस्थार्थ लगाने का जो खेल चल रहा है, कहीं न कहीं जनता को इससे निजात मिलेगी। ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

हम संस्थागत प्रसव की बात करें। उसमें बूंदी जिले के आंकड़े आपको बताना चाहती हूं। आप देखिए, 2018-19 में 22666 का हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य के निमित्त जो हमारी प्राप्ति हुई, वह थी 11850, यानी कि 78.42 परसेंट और उसमें हमारी रैंक थी, बूंदी जिले की 20वीं रैंक। इस संस्थागत प्रसव में ही हम लोग देखें कि 2019-20 के हमारे क्या आंकड़े थे तो आप देखिए, 25248 का हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य के निमित्त हम लोगों ने जो प्राप्ति की, वह है हमारा 11816 और आप देखिए यही रैंक हमारी 32वीं रैंक पर वर्तमान में साल भर के अंदर पहुंच चुकी है। जबकि हम सोच रहे थे, माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि सरकार चेंज हुई है, कुछ सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी और सम्माननीय सीएम साहब की अच्छी नीयत है, अच्छी नीयत से कुछ अच्छी-अच्छी स्कीम्स भी ला रहे हैं और उनको लागू भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने पिछड़ क्यों रहे हैं?

मैं उस जिले से आती हूं। बूंदी जिला बिलकुल मजदूर इलाका, कुछ जगह हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैण्ड है और सिंचाई के अच्छे संसाधन वहां उपलब्ध हैं। लेकिन, ऐसे-ऐसे एरिया हैं, हम लोग दादी क्षेत्र में चले जाएं, हम लोग करवर एरिया में चले जाएं तो आप देखिए पूरे हमारे 2 तो स्वास्थ्य केन्द्र और उसके साथ कितने सब सेन्टर हैं। आप देखिए, पूरे हास्पिटलों में 50 हजार, 60 हजार की पापुलेशन को मात्र करवर का एक डाक्टर देख रहा है, ये हालात है हमारी।

हम बात करें प्रसव पूर्व पंजीकरण आपका जो होता है। उसके भी अगर हम आंकड़े की बात करें तो बूंदी जिले में वर्तमान में हमारी 17वीं रैंक थी, ये रैंक हमारी 2018-19 की थी और यही रैंक वर्तमान में 31वें नम्बर पर पहुंच गई। हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

हम शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को रोकना चाह रहे हैं। सरकार लगातार इस बात के लिए विशेष ध्यान दे रही है। लेकिन, उसके बावजूद हम टीकाकारण या प्रसव पूर्व पंजीकरण को देखें, या फिर संस्थागत प्रसव को देखें तो इसमें हम देखें कि हम किस जगह पर हैं, किस स्थान पर बैठे हुए हैं। दूसरा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी.

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति, मेरा पूरा मैटर देखिए साहब, कुछ नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें अपनी आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं इसी में आपको बताना चाहूंगी कि गर्भवती माता के टिटनस का टीकाकरण जो होता है, उसमें भी हम लोग अगर बात करें तो आप देखें हम 2018-19 में थे चौथे नम्बर पर और अभी हम पहुंच चुके 29वीं रैंक पर। इसी तरह से गर्भवती माता का जो एनएससी होता है, जो चैकअप होता है, उसका पंजीकरण किया जाता है, उसमें भी हम लोग बात करें तो हम साल भर पहले तीसरे स्थान पर थे और अब हम 14वें स्थान पर पहुंच चुके हैं तो निश्चित तौर पर मैं सम्माननीय मंत्री महोदय जी को कहूंगी कि आपकी नीयत अच्छी है, योजना को आप चलाना चाहते हो, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकना चाहते हो। कोटा के जेके लॉन में क्या हुआ, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम लोग बोल रहे हैं। सभी सदस्य इस बात से अपनी बात को शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें उन माताओं की ओर देखना पड़ेगा, जो लगातार 9 महीने तक अपने बेटे को गर्भ में रखती है, अपने बच्चे को, उसके बाद किस तरह से उनको पालती है। मेरे पड़ौस में रहने वाली एक महिला जो बच्चे के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी, छत्रपुरा में अगर उसका बेटा मात्र इस तरह से इलाज के अभाव में मर जाए तो निश्चित तौर पर यह राजस्थान की सरकार के ऊपर, हम सभी के ऊपर उसमें हम सब आते हैं, उनके ऊपर एक यह बहुत बड़ी अंगुली है और मैं कहूंगी कि निश्चित तौर पर इसमें हमें सुधार करना चाहिए।

जननी सुरक्षा योजना एक हमारी बहुत अच्छी योजना है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आपको भी मालूम है। हम सब इसकी बात

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

भी कर रहे हैं चाहे नि:शुल्क उपचार हो चाहे, रैफरल वाहन की सुविधा हो, चाहे नि:शुल्क जांच की सुविधा हो..

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मात्र अपने क्षेत्र की बात 2 मिनट में समाप्त कर रही हूं, 2 मिनट, साहब। मुझे आप 15 मिनट तो देंगे न कम से कम?

श्री सभापति: 10 मिनट।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): अनिता जी 20 मिनट बोली हैं और सदस्य भी 25 मिनट बोले हैं तो मुझे 2 मिनट का समय दीजिए।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए। प्लीज, आप सहयोग करें। विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज सहयोग करें। विराजिए आप। श्री जे.पी. चंदेलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सम्माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा सदन में हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चर्चा, मैं तो ब्यूरोक्रेसी से पालिटिक्स में आया हूं तो ब्यूरोक्रेसी में जब हम मीटिंग करते थे तो इस तरह की चर्चा होती थी बेरोकटोक बहुत पॉजिटिव तरीके से।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के इश्यू हैं, इनको लिखित में टेबल कर दूं?

श्री सभापति: विराजिए। कोई जरूरत नहीं है टेबल करने की। आप विराजिए। आगे से आप 10 मिनट में समाप्त करने का कोई तरीका ढूंढिए। विराजिए अब आप।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): बहुत शानदार डिस्कशन आज ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप सब जोर से मुस्कुराइए एक बार। बस हो गया?

(श्री सभापति)

अब बंद करिए। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग का मामला है हंसते रहिए, लेकिन समय का ध्यान रखें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): ... इस विषय पर हो रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण दिनांक 24 जनवरी, 2020 के बिंदु संख्या-5 पर राज्य सरकार का जो संकल्प आया है राइट टू हैल्थ केयर एक्ट बनाने का, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य की केयर के लिए, उसकी देखभाल के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने यह जो बात कही है, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के मुंह से उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जब बोलते हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं और विनम्र निवेदन है, कृपया मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। बीच में नहीं बोलें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सबसे पहले तो मैं पिलानी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पीएचसी से सीएचसी उन्होंने बनाई, उसके लिए कोटिश: धन्यवाद। दूसरा उससे भी बड़ा धन्यवाद मेरे झुंझुनूं जिले में मेडिकल कालेज की स्वीकृति की गई इसके लिए और भी राज्य सरकार का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय का, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुतबहुत धन्यवाद। आज जो नीरोगी राजस्थान के बिंदु पर अपन बात करने के लिए आए हैं, एक बहुत शानदार चिट्ठी राज्य सरकार से दिनांक 12.12.2019 को निकाली गई और उसमें नीरोगी राजस्थान अभियान के मुख्य बिंदु डेस्क्राइब किए गए। मैं आधा मिनट में वह बिंदु पढ़ रहा हूं, उससे स्पष्ट होगा कि वर्तमान राज्य सरकार को जो इस राज्य का आमजन है, उसके स्वास्थ्य के प्रति, उसके सामाजिक परिवेश के प्रति, उसका पारिवारिक परिवेश है उसके प्रति कितनी चिंता है। जनसंख्या नियंत्रण, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, महिला स्वास्थ्य जिसमें एनीमिया भी आ गया, कुपोषण भी आ गया, स्तन और बच्चेदानी का कैंसर भी आ गया, अन्य चीजें भी आ गईं। किशोरावस्था स्वास्थ्य, संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेज, गैर संचारी रोग, टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण, सम्पूर्ण टीकाकरण, व्यसन रोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट और प्रदूषण यह

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

अगर कंसेप्चुअल पेपर अपन पढ़ें राज्य सरकार का तो एक बहुत-बड़ा विस्तृत विषय डिस्कशन के लिए आज हमारे सामने है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आज का डिस्कशन हुआ बिना किसी रोक-टोक के और एक स्वस्थ परंपरा के अनुसार हुआ। देखिए एक पेपर, कुछ दिनों पहले एक अखबार की कटिंग सभी टेबल्स पर मिली थी। मेरी टेबल पर भी रखी गई थी जिसमें हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी थे, उनके प्रति बात कही गई थी पेपर में आई हुई मैं उसका पाजिटिव इंटरप्रिटेशन लेता हूं। उस दिन जो बात थी, हो गई बात खतम। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जो बात कटिंग के रूप में आई थी निश्चित रूप से उन्हें कोई न कोई बात ऐसी बुरी लगी होगी कि उनके हिसाब से स्वास्थ्य में जो बात होनी चाहिए वह डाक्टर्स के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं की जा रही होगी इसलिए ज्यादा संवेदनशीलता के कारण से, राज्य की जनता के प्रति चिंता की वजह से उन्होंने वह बात कही। उसका पाजिटिव आस्पेक्ट भी है, नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं है।

अभी जो बच्चों की बात आ रही थी, कोटा में डैथ की बात आ रही थी हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री महोदय का बार-बार इंटरव्यू भी आ रहा था, कथन भी आ रहा था, स्टेटमेंट भी आ रहा था। माननीय, मीडिया उनको दिखा भी रहा था, एक्सपोज भी कर रहा था। पाजिटिव आस्पेक्ट भी बता रहा था, नेगेटिव आस्पेक्ट भी बता रहा था बट द फैक्ट रिमेंस कि उन दिनों हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय का जो चेहरा टीवी में आ रहा था, उस चेहरे का अगर आप अध्ययन करो तो लग रहा था कि बहुत गहरी चिंता उन बच्चों की डैथ को लेकर के हमारे माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को थी। यह बात जब होती है तो उससे सरकार की जो सकारात्मकता है, स्वास्थ्य के प्रति चिंता है, प्रत्येक व्यक्ति की नीरोगी काया की चिंता है, वह बात बिल्कुल सामने आती है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के अंतर्गत यह बात मेरे करीब-करीब सभी साथियों ने कर दी लेकिन ब्लड के प्रिजर्वेशन के लिए कोई बात नहीं आई है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में ले गया था पिलानी। स्वास्थ्य मंत्री महोदय को भी ले जाना चाहता था लेकिन यह बाहर थे इसलिए राज्य मंत्री महोदय को भी मैं ले गया था। वहां एचडीएफसी के कुछ अधिकारी थे वे माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब, हमने अपने सीएसआर के अंतर्गत, हमारी कारपोरेट सोशल

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

रेस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत एक करोड़ रुपये ब्लड कंजर्वेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए खर्च किए हैं। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जो ब्लड प्रिजर्वेशन के लिए काम करना चाहती हैं, अपनी सीएसआर रेस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत पैसा खर्च करना चाहती हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारी जो ब्लड को कंजर्व करने की कैपेसिटी है वह अधिक से अधिक हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से दूसरा निवेदन करना चाहता हूं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जैसे आईएएस और आईपीएस का हर साल पूरी बाडी का चैकअप होता है, मैंडेटरी है, उसके बिना काम नहीं चलता है। आम आदमी के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं तो 2004 से पहले वाले जो एम्प्लाइज हैं, राजस्थान सरकार के उनके लिए तो काफी प्रावधान है लेकिन 2004 के बाद में जो पेंशन और जो मेडिकल के नियम बने हैं, वह ज्यादा ठीक नहीं है। इसलिए उन कर्मचारियों के लिए भी अलग से विचार करके अगर मेडिकल के इस तरह के रूल्स बन जाएं चाहे वह पीएचसी स्तर पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं आप, चाहे सीएचसी स्तर पर कराएं जहां-जहां राजस्थान का एम्प्लाईं फैला हुआ है वहां उनका साल में एक बार मेडिकल चैकअप हो जाए और वह नि:शुल्क हो तो मेरे विचार से एक अच्छी और पाजिटिव शुरुआत होगी।

दूसरा, मैं पिलानी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, माननीय सभापति महोदय अभी कह देंगे कि 10 मिनट हो गई, पहले मैं वह बात करना चाहूंगा। वहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मैक्सिमम डैथ तीन कारणों से हो रही है। पहला कारण है हार्ट, दूसरा कारण है कैंसर और तीसरा कारण है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में तो अधिकतर नौजवान मोटरसाइकिल पर जाते हैं और ज्यादातर एक्सीडेंट्स ज्यादा स्पीड के कारण होते हैं तो ड्रग वाली जो बात कही है, नशे वाली जो बात कही है वह भी आप ही का सब्जैक्ट है उसके इरेडिकेशन आफ सच थिंग्स के लिए भी कोई न कोई सेंटर्स को बढ़ावा मिलना चाहिए और जहां तक हार्ट का है, हार्ट की दो पाजिशन है या तो हार्ट फेल कार्डियक अरैस्ट हो या हार्ट अटैक आये, जिसके अटैक आ गया उसके लिये पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन पिलानी या झुंझुनूं जिले में भी कोई ऐसी सुविधा राज्य सरकार की तरफ से नहीं है कि हार्ट के लिये प्राथमिक उपचार

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उसको दिया जा सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले में भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कोई इस तरह की सुविधा आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही की जाये कि किसी को हार्ट की प्रोब्लम हो जाये तो कम से कम उसको प्राथमिक उपचार इस तरह से मिल जाये कि वह जयपुर आ सके या नियरस्ट जहां भी हार्ट की प्रोब्लम सोल्व की जा सकती है, वहां जा सके।

इसी तरह कैंसर का है, कैंसर के लिये मेरे विचार से या तो महावीर हास्पिटल जयपुर में आते हैं या फिर बीकानेर जाते हैं। इसके लिये शुरुआती स्टेज पर डायग्नोसिस करने का सिस्टम हो और वह सिस्टम बिलकुल अच्छा हो और वह आप सीएचसी तक भी दे सकें तो मेरे विचार से वह बहुत अच्छा होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। दो मिनट में बात समाप्त करें अपनी।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे भाई राजकुमार जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, चिड़ावा में वह 100 बैडेड हास्पिटल बनाने की घोषणा करके आये थे, वह घोषणा अभी तक अधूरी है। सरकार वही हमारी है जो उस समय थी। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चिड़ावा में जो स्टाफ की कमी है, वह पूरी की जाये और जो वह 100 बैडेड की घोषणा करके आये थे, उसको भी पूरा किया जाये, यह मेरी विनम्र शब्दों में आपसे डिमांड है। दूसरा, डाक्टर्स चार-चार, पांच-पांच साल से वहां जम कर बैठे हुए हैं। अधिकतर डाक्टर्स ने अपने हास्पिटल कर लिये हैं। अपने घर को ही हास्पिटल बना लिये हैं। मैं अलग से आपको पत्र भेजूंगा, सिस्टम बदला जाये, नये लोग आएं ताकि उनके अपने हास्पिटल में रैफर करने की प्रवृत्ति बंद हो, जयपुर रैफर करने की प्रवृत्ति बंद हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): एक मिनट सर, मण्ड्रेला हास्पिटल राज्य में प्रथम स्थान पर आया है, उसका भी कोई न कोई और पुरस्कार दिए जाएं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में इक्युपमेंट्स पुराने हो गये हैं, उनको बदलने के रूप में या अन्य कोई अच्छे स्पेशलिस्ट देने के रूप में आप हमें ब्लैस करें। सभापति महोदय, आपने, बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग की नीरोगी राजस्थान नीति पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये दिल से आभार। अब से पहले इस विषय पर लगभग सारे अनुभवी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। मैं इस पर बिना कोई टिप्पणी किये शासन प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि यथा नाम प्रयास किये जाएं जिससे राजस्थान नीरोगी बने। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अगर हम चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो चिकित्सा और शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाएं, क्योंकि जब तक व्यक्ति का रोग डायग्नोस होता है, उस समय तक वह ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि वह रोग ही लाइलाज हो जाता है। इसलिए प्राथमिक केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, यह मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जांच की सुविधा उपलब्ध हो। समस्त खाली पद तत्परता से भरे जाएं। कई जगह अच्छे डाक्टर्स भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सीएचसी पर उपलब्ध हैं लेकिन जांच सुविधाएं नहीं होने से उनको मजबूरी में जिला स्तर या राज्य स्तर पर रैफर करना पड़ता है। इसके लिये वहां पर्याप्त स्टाफ और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आप कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा जैसे बीच में स्वाइन फ्लू एक बहुत बड़ा प्रकोप हमारे प्रदेश में भी आया। उसमें एलोपैथी के साथ-साथ हमारी स्वास्थ्य की जो प्राचीन विधियां थीं, चाहे वह आयुर्वेद हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो, उसमें लोगों की बड़ी उत्सुकता भी थी और उन लोगों ने जागरूकता अभियान चलाकर स्वाइन फ्लू जैसी वायरस जनित बीमारी से भी हमें निजात दिलाने का पूरा प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करूंगा कि हमारी जो प्राचीन विधियां हैं, आज चाइना में कोरोना वायरस फैल रहा है, अभी मैं सुबह ही कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी हजारों साल की प्राचीन विधियों पर गहन शोध शुरू किये हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस में भी हमारी प्राचीन विधियों को अपनाकर आम आदमी को राहत प्रदान की जाये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो आयुर्वेद और जो प्राचीन विधियां हैं, उन पर आप गहनता से विचार करें। आज हमारी प्राचीन विधियों के हालात ठीक नहीं है। एकमात्र यूनिवर्सिटी है। पीएचसी पर आयुर्वेद के पद सृजित करने के आदेश भी निकाल रहे हैं लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि

(श्री नारायण बेनीवाल)

आयुर्वेदिक डाक्टर या आयुर्वेद का स्टाफ वह वहां जाये। पंचकर्म, योग, ओस्टियोपैथी, यह जो तमाम चीजें हैं, जो आज की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है, उसको लागू करने का मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी का जो संदेश है कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन के संकल्प को दोहराया गया है। सभापति महोदय, हम ईमानदारी से सोचें तो हम कहीं इसमें विफल रहे हैं, जिस पर गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोटा में हुए बच्चों की मौत का मामला, हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता ने एक बहुत बड़ी बात उस दिन भी कही थी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से भी अपील करूंगा कि इस मामले को दिखाकर और मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी तय करके और कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, उसके ऊपर कोई न कोई ठोस कार्यवाही करके जनता में यह मैसेज दें कि हम नीरोगी राजस्थान बनाने के लिये कृत संकल्प हैं, मैं ऐसी अपेक्षा मंत्री महोदय से करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने योग के बारे में काफी बातें कहीं। योग हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने बाबा रामदेव के योग से बचने की सलाह भी दी। आप चाहे बाबा रामदेव का नहीं तो कोई सफेद कपड़े पहनकर योग कराने वाला हो, उनसे योग करा लो लेकिन जो योग की हमारी पुरानी विधि है, उस विधि की लोगों में जागरूकता फैलाकर, हम रोगों से कैसे बचें, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं लेकिन हमारा देश आगे कैसे बढ़े, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो, इन सब चीजों पर हमें विचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से यह निवेदन भी करूंगा कि चिकित्सा को शिक्षा एवं अन्य सामाजिक तंत्र के साथ विश्लेषण करके ऐसी नीति बनानी चाहिये। आज जो हमें फोल्डर दिया गया है, उसमें हर पृष्ठ पर कहीं न कहीं डिप्रेशन शब्द जरूर लिखा है। डिप्रेशन क्यों आया, उसका कारण क्या है? आज सूचना प्रौद्योगिकी का जो तंत्र बना है, उसमें हमारे बच्चे धीरे-धीरे अवसाद की ओर चले जा रहे हैं। पोर्न साइट की बात पहले भी होनी चाहिये थी, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी मैं अपेक्षा कर रहा था। उसके अलावा बच्चे जो गेम खेलते हैं, उससे कहीं न कहीं बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह अपील करूंगा कि ऐसी कोई

(श्री नारायण बेनीवाल)

ठोस नीति आप आईटी में भी लेकर आएं ताकि बाल स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। मंत्री महोदय, जो पद खाली हैं, अभी पूर्व वक्ताओं ने भी सारी बातें कहीं कि चाहे एनआरएचएम हो, चाहे एनएचएम हो, जीएनएम, एएनएम के खाली पदों को भरकर जो आधारभूत सुविधाएं हैं, हास्पिटलों में कहीं ढांचे नहीं हैं, कहीं मशीनें नहीं हैं, कहीं उन मशीनों को चलाने वाले नहीं हैं या कहीं न कहीं प्रतिनियुक्ति के नाम पर इधर उधर लोगों को जो एडजस्ट किया है, उन सब चीजों को बहुत गंभीरता से देखकर हमें ऐसे प्रयास करने चाहिये कि जो हम सोच रहे हैं, उस पर हम चलें और एक दिन हमारा प्रदेश एक नीरोगी प्रदेश के रूप में विकसित हो, ऐसा मैं मंत्री महोदय से आश्वासन भी चाहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, अगर हम सभी लोग मिलकर इस प्रदेश को नीरोगी प्रदेश बनाना चाहते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मामले में हमें मिलकर विचार करना होगा। यह कोई धर्म और जाति का मामला नहीं है। यह देश की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिये भी कोई न कोई ठोस नीति का आश्वासन हम मंत्री जी से चाहेंगे। क्योंकि संसाधन भी सीमित हैं और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की परिकल्पना साकार करने के लिये हमें योग और हमारी प्राचीन विधियों पर लौटना होगा।

अंत में, मैं मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि एक तो आपकी जो भी सरकारी योजनाएं हैं, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जिस वर्ष चुनाव होते हैं, उस समय ऐसी-ऐसी योजनाएं बनाकर सरकारें घोषणा कर देती हैं और वे फिर धरातल पर फलीभूत नहीं होती हैं। आपको जो भी करना है, वे 2022 से पहले-पहले, ज्यादा काम करें और हमारे क्षेत्र में सीएचसी, पांचला जिसकी 2013 में तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा की थी, लेकिन आज दिन तक वह धरातल पर फलीभूत नहीं हुई है। खींवसर सीएचसी में भी कई चिकित्सकों के पद खाली हैं। प्रत्येक सब-सेन्टर के ऊपर, जहां भवन रहित सब-सेंटर हैं, वहां भवन बनाकर इस सिस्टम को ऐसा बनाया जाए कि राजस्थान का आम व्यक्ति यह कहे कि राजस्थान नीरोगी हो गया, इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे नीरोगी राजस्थान पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान को नीरोगी रखने के लिए, आदमी बीमार नहीं हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले, साफ-सफाई की व्यवस्था, जो कि मोदी जी की कल्पना है। मोदी जी ने वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता पर काफी ध्यान दिया। पिछले पांच-छह सालों में चाहे रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या गांव हो, साफ सफाई की व्यवस्था में काफी अवेयरनैस हुई है, उसका कारण मोदी जी की अवेयरनैस है। गांवों में स्वच्छ भारत मिशन को लागू करना बहुत ही जरूरी है, उससे बीमारियों पर काफी कंट्रोल किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में काफी इंडस्ट्रीज भी हैं, और इंडस्ट्रीज होना भी जरूरी है। फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण होता है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर भी हम मिलकर ध्यान देंगे तो उससे बीमारियों में काफी कमी होगी। पिछले सालों में वसुंधरा जी का राज रहा और शराब पर काफी बातें भी हुईं कि शराब बंदी होनी चाहिए, पर सरकार शराब बेचने के जो टारगेट दे रही है, वह भी नहीं देना चाहिए। उससे भी नीरोगी राजस्थान नहीं बन सकता है, क्योंकि जो टारगेट दिये हैं, वे टारगेट भी गलत हैं। माननीय सभापति महोदय, खाद्य सामग्रियों में मिलावट हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, छाछ हो, घी हो, जो रोजाना लोगों के काम आते हैं। उन मिलावटी चीजों की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, इस बात पर भी ध्यान दें और लोग जो बातें बोल रहें हैं, उन बातों को भी आप सुनें। बातें थोड़ी कम करें तो अच्छा रहेगा।

माननीय मंत्री जी, टीकाकरण के प्रचार-प्रसार और उसका उपयोग भी करना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी समय-समय पर करवाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योग को बढ़ावा देना भी जरूरी है। हम योग को बढ़ावा देंगे, बाबा रामदेव के बारे में भी काफी चर्चा कर रहे थे, मेरे साथी मित्र कई बातें कर रहे थे कि पतंजलि के घी में क्या हो रहा है? अगर वे गलत चीज देते तो आज मार्केट में पतंजलि को इतना बढ़ावा नहीं मिलता। वास्तव में योगी जी ने स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए काफी अच्छे से काम किये हैं, अच्छे पैकेज भी दिये हैं, अच्छी शुद्धता वाले सामान भी दे रहे हैं। इसलिए मैं सोच सकता हूं कि उसको भी आप लोग अपनाएं। अच्छा काम करें और योग को बढ़ावा भी दें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान बनाने के लिए प्रात: घूमने के लिए ट्रैक बनाना या अच्छे गार्डन डवलप करना, यह भी अपना काम है, उस पर भी हम ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, स्कूलों की पढ़ाई में एक पीरियड ऐसा होना चाहिए, जिसमें बच्चों को खेल के प्रति अवेयर करें। उससे भी एक अच्छा वातावरण बनेगा, लोग खेलों के प्रति जागरूक होंगे। माननीय सभापति महोदय, इन सब चीजों को तो हम कर लेंगे, पर राजस्थान में चिकित्सा की जो दशा हो रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। चूंकि आज कोई मांग नहीं है पर नीरोगी राजस्थान बनाने के लिए, जो स्थिति बिगड़ी हुई है, उस स्थिति को सुधारना भी बहुत जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी कह रहे थे कि हम जनता क्लीनिक खोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज डाक्टर नहीं है, एएनएम नहीं, जीएनएम नहीं है। सीएचसी, पीएचसी, खाली पड़े हुए हैं। उनकी आप पूरी लिस्ट लेकर देखेंगे, तो मैं सोचता हूं कि वहां पर 40 परसेंट सीटें भी भरी हुई नहीं हैं। हम जनता क्लीनिक खोलने की बात कर रहे हैं, वह अच्छी बात कर रहे हैं। पर, पहले उस स्टाफ को तो देखें, उस स्टाफ को तो भरें। आज की तारीख में गांवों में नर्सिंग स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। मेरे यहां बहुत से ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां एएनएम, जीएनएम नहीं हैं। लोग भटक रहे हैं, उस पर भी आप ध्यान दें।

आप फ्री दवा की बात कर रहे थे। वास्तव में, आपने फ्री दवा की बात की, उसके लिए मैं धन्यवाद दूं। वसुंधरा जी ने अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हास्पिटल में फ्री दवा देने वाला कोई स्टाफ ही नहीं है तो फ्री दवा कौन देगा? उस पर आप विशेष ध्यान दें। हम आयुर्वेद की बात करें। आयुर्वेद में स्टाफ नहीं है। आयुर्वेद मृत प्राय: पड़ा हुआ है। हम आयुर्वेदिक दवाओं की बात करते हैं वे कोई फैक्ट्री से पैदा नहीं होती हैं, उसके लिए औषधि पैदा करनी होगी, जमीन चयनित करनी होगी, उसे आप दिखाएं। अच्छी जमीन चयनित कर वहां आयुर्वेदिक दवाएं कैसे पैदा की जा सकती हैं, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, आज की तारीख में हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी गांवों और शहरों में बहुत ज्यादा हो गयी है, उसके लिए आर्गेनिक खेती भी करनी चाहिए। जो पेस्टीसाइड्स का छिड़काव हो रहा है, उस पर भी कंट्रोल करें। यूरिया, डीएपी और खाद की बढ़ोतरी हो रही है, उस पर भी अगर कंट्रोल करेंगे तो उससे अच्छा रिजल्ट आएगा और बीमारियों पर अच्छी तरह कंट्रोल होगा।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र की आयुष्मान योजना एवं आपने जो भामाशाह योजना बंद कर दी, वसुन्धरा जी ने जो भामाशाह योजना चालू की थी, वह आपने बंद-सी कर दी। आज लोग तड़प रहे हैं। इधर-उधर भटक रहे हैं। उन लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। काफी पहले अच्छा इलाज हुआ था। पहले लोग जमीन बेचकर इलाज करवाते थे। भामाशाह में तीन लाख का इलाज फ्री हुआ था और आज लोग भटक रहे हैं। केन्द्र की जो आयुष्मान योजना है, उसको आप अच्छी तरह से लागू करें, क्योंकि मोदी ने पांच लाख रुपये तक इलाज जो फ्री करवाया, उसको अच्छी तरह लागू करेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम इस योजना से आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जो निवेदन करना चाहता हूं निशुल्क दवाएं दी जा रही हैं, उस पर राम प्रताप कासनियां जी ने भी कहा कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मेरे वह दवाई काम नहीं आयी और ऐसा हो तो, मैं इस्तीफा भी दे सकता हूं, इस तरह की बात हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि दवाइयों की गुणवत्ता पर ध्यान दें और गुणवत्तापूर्ण दवाई देंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कालेज की बात हुई, राजस्थान में 15 कालेज की बात हुई और वास्तव में उसके लिए राजस्थान सरकार वाहवाही ले रही है कि हमने इतने मेडिकल कालेज खोल दिये, वह कर दिया, वह कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूं कि उन्होंने राजस्थान में जो 60 परसेंट हिस्सा केन्द्र का है और उन्होंने जो मेडिकल कालेज दिये हैं। मेरे चित्तौड़ में भी मेडिकल कालेज खुला है, उसके लिए भी आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद दूं कि उन्होंने मेडिकल कालेज खोलकर अच्छा काम किया है।

श्री अध्यक्ष: कन्क्लूड करें। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ हास्पिटल की दशा बहुत खराब है, वहां पर स्टाफ नहीं है। कोई नया स्टाफ नहीं आया है, 20-25 का स्टाफ खाली हो गया है, उस पर भी आप ध्यान दें तो अच्छा कार्य होगा। माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग स्टाफ की इतनी आवश्यकता है, उसकी भी आप भर्ती करवाएं, अच्छा होगा, नीरोगी राजस्थान का अच्छा काम होगा। माननीय सभापति महोदय, सीएचसी, पीएचसी पर जो स्टाफ खाली है, डाक्टर व नर्सिंग स्टाफ खाली, उन्हें भरवाएं। माननीय

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

सभापति महोदय, अस्पतालों में भवनों की आवश्यकता है। आरएमएस, आरएस का पैसा नहीं आ रहा है, उस पैसे को आप दिलवाएं।

सम्पूर्ण नर्सिंग स्टाफ के लिए, रख-रखाव के लिए फंड की भारी कमी है। सफाई व्यवस्था पर गौर फर्माएं। अस्पतालों में डाक्टर्स की कमी की वजह से, डाक्टर्स पेशेंट को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। डाक्टर्स कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देकर डाक्टर्स बढ़वाएं।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में झोलाछाप डाक्टर्स की बढ़ोतरी हो रही है और वे हाइडोज दवाइयां देते हैं। फिर शहर में डाक्टर्स के पास वे लोग इलाज करवाने जाते हैं। मैं मंच के माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इन झोलाछाप डाक्टर्स पर भी ध्यान दें। हम नि:शुल्क दवाइयों की बात करते हैं परंतु आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में डाक्टर बाहर की दवाइयां लिखते हैं तो डाक्टर्स को पाबंद करें कि वे बाहर की दवाइयां नहीं लिखें। जो दवाइयां अंदर होती हैं, वे ही लिखें। पेशेंट बीमार होता है तो मजबूरी में आदमी बाहर से दवाई लेकर आता है। उसके पैसे खर्च होते हैं। वह किसी को कहता भी नहीं है। इसका ध्यान रखें। मेरे चित्तौडगढ़ में एक पुराना हास्पिटल खाली है। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय...

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें, मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मंत्री जी सुन कम रहे हैं। पता नहीं इनको आज क्या हो गया? अख़बार में भी बहुत बड़े-बड़े पेज आ रहे हैं, इसके कारण क्या पता, पता नहीं लग रहा है कि सरकार कैसे चल रही है?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां एक पुराना हास्पिटल खाली है। उसमें सैटेलाइट अस्पताल की आपके मित्र राठौड़ साहब घोषणा करके पधारे थे। परंतु कार्यकाल पूरा हो गया, समय कम बचा इसलिए माननीय रघु शर्मा जी इस तरह की घोषणा करेंगे, जब भी बजट पेश करें। मैं सोचता हूं कि नीरोगी राजस्थान बनाने के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। इन सब चीजों को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

स्वास्थ्य विभाग की नीरोगी राजस्थान नीति पर विचार

श्री रूपाराम (जैसलमेर): नीरोगी राजस्थान की नीति पर चर्चा चल रही है। मुझको इस पर बोलने का मौका दिया, सभापति जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस मौक़े पर कहना चाहूंगा कि देश की आजादी से लेकर आज तक मेडिकल साइंस ने जो कुछ किया है, उसमें अपना भारत और राजस्थान भी पीछे नहीं रहा। बहुत कुछ किया है। एक समय ऐसा था जब विशेषकर गांव में छोटी या बड़ी माता, क्षय रोग, पोलियो इसी से अपंग होना या मृत्यु होना एक सामान्य बात थी। लेकिन आज हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने भी पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बताया जो हमारे यहां एसएमएस की हार्ट ट्रांसप्लांट की उपलब्धि हुई है, हम भी किसी से पीछे नहीं है, 72 साल में सरकारें अलग-अलग पार्टी की रहीं और जिस भी सरकार को स्वास्थ्य के बारे में जो भी लगा, उसमें सुधार के प्रयास किये गये और सफलता मिली। विशेषकर माननीय अशोक गहलोत साहब ने आमजन को बीमारी में जो पीड़ा होती है, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए व सुविधाओं की कमी को देखते हुए पहले दवाइयां फ्री कीं, उसके बाद दवाइयां और जांच का दायरा बढ़ाया और अब नीरोगी राजस्थान की नीति पर विचार करके हम इसको लागू करेंगे। ये आज के समय की आवश्यकता है।

आज हम सब विधायक और मंत्री महोदय जो विराजमान हैं, इसमें

(श्री रूपाराम)

क्या समावेश किया जाए, जो वर्तमान व्यवस्था है, इससे राजस्थानवासियों को और सुविधा मिले, जो औसतन आयु बढ़ी है और बढ़े, लोगों को किफायती दर पर नजदीक दूरी पर इलाज कराना संभव हो। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि हमारे जितने भी संस्थान, सब-सेंटर से लेकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक हैं, उसको जितना भी स्ट्रेंथन किया जा सके, चाहे उपकरण के माध्यम से, चाहे डाक्टर्स या सबोर्डिनेट की पोस्टिंग करके, इन सबके लिए एक अभियान चलाए। सभी उपकरण उपलब्ध हो, डाक्टर और नर्सेज की पोस्टिंग हो। इसकी सुनिश्चितता की जाए। क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान बहुत फैला हुआ है। 80 प्रतिशत लोग गांव-ढाणियों में रहते हैं। गांव-ढाणियों के अंदर सीएचसी, पीएचसी या सब-सेंटर हो, साधारणतया यह देखा जाता है कि कोई भी एएनएम वगैरह की गांव में पोस्टिंग होती है तो वह ईजीली अपनी एप्रोच करके, हम जन-प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर शहर में आ जाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को जिन्होंने राजस्थान में इस प्रकार के जो डेपुटेशन पर सबोर्डिनेट या डाक्टर्स थे, उनका डेपुटेशन कैंसिल करके जहां पदस्थापन था, वहां भेजा है। यह बहुत अच्छा किया है। आगे भी इस नीति के अंदर समावेश किया जाए। वेकेंसी की फीलिंग की जाए। अगर दस परसेंट राजस्थान में ओवरआल वेकेंसी रहती है तो गांव, शहर तथा हर जिले में एक ही अनुपात रहे। अनबैलेंस होने से कई जगह तो डेपुटेशन पर आकर बहुत सारे डाक्टर्स और एएनएम हो जाते हैं और कई जगह 25 परसेंट भी पद भरे हुए नहीं है। इस नीति में ये समावेश किया जाए। स्टेट के पास जो रिसोर्सेज हों, डाक्टर्स, सबोर्डिनेट स्टाफ, उपकरण ये उसी अनुपात में हो। कोई भी चीज जिला लेवल पर उपलब्ध कराई जानी है तो वह की जाए। इसका एक प्लान बनाकर, इसको लागू किया जाए।

अभी यह देखा गया है कि अधिकतर डाक्टर्स की यह इच्छा रहती है कि जब वेकेंसी निकलती है तो उसमें कम्पीटिशन में सरकारी नौकरी में आने का प्रयास कम रहता है। डाक्टर्स चाहते हैं कि खुद का प्राइवेट अस्पताल खोलें या खुद किसी बढ़िया प्राइवेट अस्पताल में जाएं। इस नीति में यह भी समावेश करना चाहिए कि जो डाक्टर्स एमबीबीएस या पीजी किये हुए हैं, उनको राज की नौकरी में आने में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने में उनको हिचक क्यों होती है? इस हिचक को दूर करने के लिए, अट्रेक्शन के लिए जो भी किया जाना है, उसका इस नीति में हमको समावेश करना चाहिए। पहले भी

(श्री रूपाराम)

कई सदस्यों ने बताया है, विशेषकर जो बच्चे अध्ययनरत हैं, उनके पाठ्यक्रम में जो भी चीजें हों, उनको इस नीति में ले लाएं, इसमें उनका समावेश होना चाहिए ताकि उनका शुरू से दिमाग उसी ढंग से बने जिससे भविष्य में वे ध्यान रखें। कोई भी विद्यार्थी, बच्चा या बच्ची जो अध्ययनरत होते हैं, उनके लिए एक खेल कम्पलसरी रखा जाए चाहे समय कम रखें। विश्व में जो भी खिलाड़ी है, वह साधारणतया स्वस्थ रहता है। यह किया जाए तो अच्छा रहेगा। जल स्रोतों के बारे में, खान-पान में मिलावट के बारे में सब ने कहा है। खेती के बारे में एक ऐसी नीति बने जैसे अभी शायद डूंगरपुर जिले को आर्गेनिक खेती में ले रखा है। बजट में और भी आ सकते हैं। सम्पूर्ण राजस्थान नीरोगी रहे इसके लिए धीरे-धीरे राजस्थान में खेती को आर्गेनिक पर ले जाएं। आर्गेनिक उत्पाद को राशन की दुकान पर, 80 से 85 परसेंट आमजन जो गांव या ढाणी में रहता है, को उपलब्ध करवाया जाए।

(17.00 बजे)

उसको अगर बाजार से जाकर लेने के लिए कहो तो आर्गेनिक उत्पादों की दर ज्यादा होती है, वह लेने की कोशिश नहीं करेगा, वह सस्ती वस्तु ही लेगा। उसको विशेष अनुदान देकर राशन की दुकान में जरूरतमंद खाद्य पदार्थ हैं, जीने के लिए खाना आवश्यक है वह राज्य सरकार उनको उपलब्ध कराए। क्षेत्र में जितने भी फंड वगैरह आते हैं, उसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, घूमने के लिए ट्रैक, फिटनैस सेंटर, इस प्रकार की व्यवस्था वहां अनिवार्य रूप से की जाए ताकि लोगों की दिनचर्या बदल सके। जैसलमेर ज़िले में पोछीणा गांव है, जहां राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे तब आए थे। उनसे चार-पांच लोग मिले, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर थी, प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने जीवन में एक भी गोली नहीं ली है। उन्होंने कहा आपको बुखार वगैरह कुछ नहीं आता है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी नहीं आया। जब उनके खानपान की दिनचर्या पूछी तो उन लोगों ने बताया कि 100 वर्ष की आयु तक भी एक-डेढ़ किलो भी आटा नहीं खाया था। उन्होंने सिर्फ ऊंटनी का दूध पिया। 5-6 महीने ऊंटनी को लेकर जंगल में जाते, आधा किलो आटा साथ ले जाते थे, वही वापस ले आते थे, कभी कोई खीर में काम लेते थे। ऊंटनी पशु दिनों दिन कम होता जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए, अनुदान देने के लिए, कुछ किया जाए।

श्री सभापति: कनक्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): शादी-ब्याह होते हैं उसके लिए भी कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए। शादी कम उम्र में होने से भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और भी कई आयोजनों पर, जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ताकि एक कांपीटिशन की स्थिति पैदा हो। कौन स्वस्थ रहे, इसके लिए भी कंपीटिशन की भावना पैदा करनी चाहिए।

दिनों-दिन जलवायु प्रदूषित हो रही है, इसके उपाय भी इस ठोस नीति में डालने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में जयपुर का वातावरण भी दिल्ली जैसा हो जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, नीरोगी राजस्थान की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। मनुष्य की पहली आवश्यकता है कि वह शरीर की रक्षा करे। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो उसकी बुद्धि भी स्वस्थ रहती है। उन्होंने बहुत आगे तक कहा था कि 2 वर्ष के लिए सारे मंदिर पट, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब बंद कर दीजिए, सबको मैदान में ले आइये। मैदान से उनका यह अर्थ नहीं था कि मैदान में लाइये, उनके कहने का तात्पर्य था कि शरीर को शक्तिशाली बनाइए, शरीर को स्वस्थ बनाइये। शरीर स्वस्थ बनेगा तो मन, बुद्धि ठीक से काम करने लग जाएगी। जब यह ठीक से काम करने लग जाएगी तो मनुष्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। समस्या हमारे खान-पान की है।

माननीय मंत्री महोदय, पिछली बार भी शुद्ध के लिए युद्ध का नारा दिया था। आज भी आपका नारा बहुत अच्छा है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने इस अभियान को लिया है, परंतु नीचे जो स्थिति है, आपने देखा होगा खानपान की। आरएसईबी वाले कहते हैं सात हार्स पावर की मोटर, तीन हार्स पावर की मोटर। हार्स पावर क्या है? हॉर्स क्या खाता है, वह घास खाता है, चने खाता है। पावर किसमें होता है, घास में पावर है, चने में पावर है। यानी कि वेजिटेरियन में पावर है, नोनवेज में पावर नहीं है। सुबह बच्चा स्कूल जाता है, जल्दी-जल्दी भेजते हैं, टिफिन में ठंडा ठूंसकर, दूध पिलाकर भेज देते हैं। सामान्यता शास्त्र यह नहीं कहता है, यह कहता है कि प्रातः काल राजा की तरह भोजन करो। प्रात: काल रईसी भोजन

(श्री धर्मनारायण जोशी)

करो, और दोपहर में साधु की तरह भोजन करो, माफ करना यह शब्द अच्छा नहीं है, रात को मंगते की तरह भोजन करो। 40-50 वर्ष पहले देखा होगा। में किसान का बेटा हूं। गांव में जब यूरिया आया तो गोबर की खाद की मजाक उड़ाते थे। यूरिया आया फसल यूं चलती है। आज यूरिया की क्या स्थिति है, आयुर्वेद की क्या स्थिति है? आज आयुर्वेद, रामदेव जी को लोग-बाग पूज रहे हैं। आज कहते हैं कि यूरिया को हटाओ, गोबर की खाद लाओ, जैविक खाद लाओ, यही स्थिति नहीं है क्या?

माननीय मंत्री महोदय हमारे यहां पर सारी दवाइयां रसोई में हैं। अगर ठीक से हम उसका पालन करें तो दवाई की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। हल्दी है, विज्ञान कहता है कि तुलसी का नियमित सेवन करने वाले के कभी कैंसर नहीं होता। नासा 100 वर्ष पहले आया, हमारे यहां गणेश जी की सर्जरी बहुत पहले हो गई थी। नहीं हुई थी क्या गणेश जी की सर्जरी? सर्जरी ही थी, क्या था। गणेश जी की सर्जरी तो बहुत पहले हो गई, नासा तो 100 वर्ष पहले आया। ऐसी स्थिति में हम सब लोग एकजुट होकर राजस्थान को स्वस्थ रखने के लिए कुछ करें। आज बाजार से घी लेने जाइये, तो पूछा जाता है कि कौनसा घी चाहिए, दीपक का चाहिए, यज्ञ का चाहिए या खाने का चाहिए, तीन प्रकार का घी बाजार में मिलता है। आज नीति बहुत अच्छी नीति लाए हैं, जो व्यक्ति मिलावट करते हैं, सख्ती से उनके लिए दंड की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित रूप से यह परिस्थिति ठीक हो सकती है।

आपने देखा होगा कि लोग सवेरे घूमने जाते हैं। सब जाते हैं, मैं भी जाता हूं, सवेरे शाखा जाता हूं। देखा होगा, कितने लोग घूमते हुए मिलते हैं, बड़े-बड़े गार्डन, ट्रैक खड़े कर दीजिए और सब का सर्वे करवाइये, सर्वे में यह आएगा कि डाक्टर ने कहा है, इसलिए हम घूम रहे हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं घूम रहे हैं, उनको डाक्टर ने सलाह दी है इसलिए घूम रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, हम जगह-जगह गोष्ठियां करें, लोगों को प्रशिक्षित करें, बच्चों को प्रशिक्षित करें, उनके खान-पान को ठीक करें। आपने देखा होगा कि रात को भोजन के बाद भरी सर्दी में आइसक्रीम चलती है। हमारे यहां आइसक्रीम तो निषेध है, भोजन के बाद आइसक्रीम चल ही नहीं सकती। आइसक्रीम लेने वाला मरेगा, उसको कैंसर होगा। यह साइंस कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि हम खानपान को ठीक करें। हमारी पहली आवश्यकता है कि हम खानपान को ठीक करें। उसके लिए आप

(श्री धर्मनारायण जोशी)

जगह-जगह कैंप लगाएं। रामदेव जी से चिढ़ है तो किसी दूसरे संत को लाएं, आपके संत को लाएं, परंतु योगा के माध्यम से इसको ठीक कर सकते है।

आपसे दो और निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय अभी दस तारीख को एक घटना घटी। आपसे प्रार्थना है कि थोड़ी मोनिटरिंग ठीक ढंग से करें। भीलवाड़ा ज़िले में दीगोद है, वहां एक एक्सीडेंट हुआ, रात को 10 बजे 9 लोग मर गए, 15 घायल हुए, दो उसके बाद मरे, 11 लोग मर गए, हास्पिटल गए वहां पर चार डाक्टर डेप्यूट हैं परंतु एक भी नहीं मिला, यह स्थिति है। यह आपकी गलती नहीं है, मोनिटरिंग की कमी है।

दूसरा, एक निवेदन और था। हमारा उदयपुर हास्पिटल है, वहां सारी जांच फ्री में होती है। पैसे ले रहे हैं 250-500 रुपये, रसीद कौनसी दे रहे हैं, रसीद दे रहे हैं कंप्यूटर से निकली हुई, जिसमें कोई नंबर नहीं है, क्रमांक नहीं है। मैं बहुत देर तक देखता रहा, बाद में मैंने उससे कहा कि आप जांच कर रहे हो, इसमें फ्री में कौन है और बिना फ्री में कौन है, 90 साल के आदमी के भी 250 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हम 10:00 बजे के पहले फ्री करते हैं। मैंने कहा कि 7:30 बजे का केस है। आपको आश्चर्य होगा मैंने माथा फोड़ी की, प्राइवेट कंपनी वाला जिसने ठेका ले रखा है वह आया उनको 50000 रुपये उसी समय दिलवाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मोनिटरिंग को सही करें। 7.30 बजे सैंट्रल लैब गए, दो आदमी ठाठ से सो रहे थे, 24 घंटे लैब चलनी है पर सो रहे हैं, हमने उनकी वीडियोग्राफी की। उनसे पूछा कितनी तनख्वाह है, तो उन्होंने कहा कि साहब पांच हजार रुपये देते हैं। पाँच हजार रुपये से तो उसका गुजारा नहीं होता, फिर वह वैसा ही काम करेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है इस सारे अभियान में, जो भी नीति है, नीति बहुत अच्छी है।

आपने देखा होगा कि देश का प्रधान मंत्री केदारनाथ में 17 घंटे तक योग करता है। आध्यात्म के आधार पर मौन रहता है। यह हमारे लिए प्रेरणा लेने वाला विषय है। वैचारिक रूप से हमारे मतभेद हो सकते हैं, अच्छी बात स्वीकार करके लागू करें, यही प्रार्थना है, बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अपने यहां राजस्थान में तो आक बटु के पवन भखे और तुरिया आगल जाए, तुरिया का मतलब घोड़ा, तुरिया आगल जाए, कंथाकर को राखे हिरण किसा घी खाए। हिरण न तो चने खाता है। वैद्य जी हैं, इनको एक सुझाव देता हूं क्रिया योग करो। क्रिया योग में न

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पीने के पानी की जरूरत है, न भोजन की जरूरत है। 1800 साल से गूगल को देख लो। महावतार बाबा आज भी जीवित है।

और सुनो, आम आदमी के लिये हरड़, बहेड़ा, आंवला और चौथी नीम गिलोय, इन चारों का सेवन करें तो रोग कहां से होय। और, सवेरे पानी पीओ, दोपहर में छाछ छक कर पियो, शाम को दूध पीयो तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्री, विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये आप। श्री धर्मनारायणजी जोशी, समाप्त करें अब। (व्यवधान) दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): आपका पहली बार आज प्रेम प्रकट हुआ है, मैं इसके लिये इस सदन में बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्योंकि मैं जब भी खड़ा हुआ, आपने जैसा ही टोका, मेरा सारा सिस्टम बिगड़ गया, मैं सारा भूल जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये।

श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे नीरोगी राजस्थान पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी का मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने ऐसा सोचा कि बीमार का इलाज करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई बीमार ही न हो। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत प्रयास किये जा रहे हैं कि हमारा राजस्थान स्वस्थ रहे, यहां के सभी नागरिक स्वस्थ हों, सभी को अच्छा इलाज मिले।

मैं मेरी ओर से सुझाव देना चाहूंगा, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं, आपने जांचें फ्री कीं, दवाएं फ्री कीं। सब-सेन्टर खोल रहे हैं,

(श्री बलजीत यादव)

पी.एच.सी. खोल रहे हैं, सी.एच.सी. बना रहे हैं। बहुत प्रयास पिछली सरकार ने भी किये और बहुत प्रयास अभी भी कर रहे हैं। फिर भी सोचने की बात है कि क्या कारण है कि आज भी रोगियों की संख्या तेज गति से बढ़ती जा रही है। गम्भीर से गम्भीर बीमारियां बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही हैं। मेरे विचार से इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वह है मिलावटी खान-पान, और एक जागरूकता का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर-किसान दो जून की रोटी कमाने के लिये बहुत ही व्यस्त रहता है। उसका संघर्ष प्रतिदिन चलता रहता है। वह प्रतिदिन जीता है, प्रतिदिन मरता है, और जीने के लिये संघर्ष करता रहता है। इस आपाधापी में और इस संघर्ष में अगर उसको कोई छोटी-मोटी बीमारी होती है तो वह व्यक्ति कभी उस दिन की मजदूरी पाने से वंचित न रह जाये, और उसके बच्चे क्या खायेंगे, या उसका गुजारा कैसे होगा, इसलिये वह डाक्टर के पास नहीं जाता है। फिर वह बीमारी बढ़ती-बढ़ती उस स्थिति में पहुंच जाती है कि अब उसका इलाज होना मुश्किल है तब वह जाकर हास्पिटल पहुंचता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब बीमारी इतना विकराल रूप ले लेती है तो उसका इलाज भी होना सम्भव नहीं होता है। इसलिये यह बहुत ही अच्छी आपकी सोच है कि वह इस स्थिति तक लोग नहीं पहुंचें इसलिये लोगों में जागृति लायें कि जरा से भी उनमें कोई बीमारी के लक्षण हों तो वह डाक्टर को चैक करवायें। उनको इस बात का ज्ञान रहे कि अगर उसने इस बीमारी का अभी इलाज नहीं किया तो यह बीमारी मेरे लिये बहुत ही घातक हो सकती है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, आप इतना सारा पैसा मुफ्त दवा पर, मुफ्त इलाज पर, दूसरी चीजों पर, जागृति लाने पर, इन सब चीजों पर खर्च कर रहे हो। मेरा आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से कहना है कि जो मिलावट हो रही है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। यहां सदन में बैठा प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि खाने की हर चीज में मिलावट है। दूध मिलावटी, मावा मिलावटी, पनीर मिलावटी, दवा मिलावटी, दारु मिलावटी, सब चीज में मिलावट है। शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं कर पाते हैं। सबको पता रहता है कि यहां पर यह दूध आ रहा है, अगर इसको चैक करेंगे, इस आदमी का मिलावटी मिलेगा। सरस डेयरी, चाहे अमूल डेयरी हो, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी बहुत सी बार, कितनी बार पकड़ा भी है, और एक आम धारणा है, वहां किसी भी बच्चे से भी पूछो तो वह यह बता देगा कि यह-यह व्यक्ति मिलावट करता

(श्री बलजीत यादव)

है, यह-यह व्यक्ति दूध मिलावटी बनाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनमें कौन सी ऐसी शक्ति है कि वे बरसों से करते आ रहे हैं। 20-25 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही हो नहीं पाई है। कई बार मैंने सी.एम.एच.ओ. को बोल करके कार्यवाही करवाई कि यहां पर यह चीज मिलावटी बन रही है, पकड़ो। उन्होंने कार्यवाही भी की। सभापति महोदय, उसके बाद वह व्यक्ति फिर चालू रखता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि, जो यह कानून बने कि मिलावटी को पकड़ें तो कानून इतना सख्त बनाया जाये, कि कोई भी मिलावट करने से पहले डरे। क्योंकि, सभापति महोदय, यह एक तरह से उनके द्वारा हत्या की जा रही है। तो ऐसे लोगों पर जो हत्या की सज़ा होती है, उसी प्रकार का कानून बने कि ऐसी उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले।

सभापति महोदय, दवाइयां भी नकली मिल रही हैं। लोग कहते हैं नकली दवा मिल रही है। मैं एक एक्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे पास किसी एक व्यक्ति का फोन आया कि, साहब, उसकी दुकान के अन्दर नकली दवा है, यह खबर कहीं टी.वी. पर चला दी। वह व्यक्ति सिफारिश कर रहा है, और कह रहा है कि नकली दवा तो सभी दुकानों पर मिलती है। वह अकेला नहीं बेच रहा है। इसलिये मैं इस ओर स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि इन दुकानों को चैक किया जाये।

नकली शराब, मैं समझता हूं, राजस्थान की प्रत्येक दुकान पर, कोई अपवाद छोड़ दो, नहीं तो उस पर नकली शराब बरसों से मिलती आ रही है। इससे राजस्थान सरकार को रेवेन्यू का भी लोस हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इनको भी चैक किया जाये।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि कैंसर की बीमारी, जो गांव में सबसे ज्यादा फैल रही है, उसका कारण धूम्रपान भी है और जो पेस्टीसाइड्स यूज किये जा रहे हैं खेती के लिये, वह सबसे बड़ा उसका कारण है, लोगों में यह एक भ्रम हो गया कि अगर मैं पानी में इसकी मात्रा ज्यादा डाल करके ज्यादा छिड़काव करूंगा, किसान सोचता है, तो मेरी फसल ज्यादा अच्छी होगी, इस पर कोई रोग नहीं लगेगा।

सभापति महोदय, ऐसी सोच पंजाब के किसानों की रही और पंजाब के किसान पेस्टीसाइड्स बहुत भारी मात्रा में प्रयोग करते थे। उसका कारण रहा

(श्री बलजीत यादव)

कि पहले पंजाब के अन्दर सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट हुआ करते थे। अभी वह चीज यहां राजस्थान में भी हरियाणा होती हुई आ गई। आप सबको इस बात का ज्ञान होगा, अगर सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों को बीमारियां हो रही हैं तो लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है, सांस की प्रदूषण की वजह से बीमारियां हो रही हैं। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा कि ऐसी भी जागृति जनता में लाई जाये। जनता में, किसानों के अन्दर जागृति लाने का प्रयास किया जाये कि वह पेस्टीसाइड का ज्यादा उपयोग न करें और जैविक खेती की तरफ वे लोग मुड़ें। उससे निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारे इस राजस्थान को हम रोगी होने से बचा पायेंगे।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से गवर्नमेंट हास्पिटल में जो डाक्टर होता है, वही उसी शहर में अपना प्राइवेट हास्पिटल खोल लेता है। सभापति महोदय, उसका ध्यान सरकारी हास्पिटल में इलाज करने की जगह अपना प्राइवेट हास्पिटल कैसे चमके, कैसे फले-फूले, उस ओर उसका ज्यादा ध्यान रहता है।

श्री सभापति: कनक्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): दो मिनट में खतम कर रहा हूं, सभापति महोदय।

तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो पहले कहा करते थे कि जो चिकित्सक होता है, वह भगवान का रूप होता है, वह भगवान बनकर लोगों की जान बचाता है। सभापति महोदय, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं कि मेरे कोई रिलेटिव जयपुर में आये। मैं उनको ले गया कि लिवर खराब हो गया। वह आदमी शराब ज्यादा पीता था, लिवर खराब हो गया। बड़े से बड़ा जो डाक्टर बताया, मैं उसके पास लेकर गया, सभापति महोदय, उन्होंने कहा छह महीने या आठ महीने से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। आप उसका लिवर ट्रांसप्लांट कराइये। इसके पैसे जल्दी से जल्दी कहो कि 40-50 लाख रुपये एकत्रित करें। मैं कम से कम 5-6 डाक्टर, जो टाप के बताये, सभी के पास गया। किसी ने एक साल लाइफ बताई, किसी ने 8 महीने बताई, किसी ने 10 महीने बताई।

वह दिल्ली में गया तो उसको आपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे कि साहब, अब इसका लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे और कहा कि जान बचेगी नहीं। फिर एक कोई भले डाक्टर से मैंने सलाह की तो उसने कहा कि एक बार रोको और

(श्री बलजीत यादव)

मुझे दिखाओ। सभापति महोदय, उसकी जांच की और उन्होंने उसकी दवा लिखी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ऐसी है कि हम लोग पेशेंट को अपना ग्राहक समझते हैं। मैं जिस डाक्टर के पास गया, डाक्टर का पहला क्वेश्चन यह था कि यह कितने पैसे खर्च कर सकता है? इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? इसके पास कोई कार्ड है क्या? कोई सुविधा है क्या? कर्मचारी है क्या? डाक्टर का पहला क्वेश्चन यही था।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि लगभग 7 साल हो गये वह व्यक्ति आज भी स्वस्थ है और उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गयी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो मेरे कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो इस तरह के डाक्टर्स हैं जो यूं जनता को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगे और ऐसा कानून लाया जाए, कोई बेवजह किसी का आपरेशन कर रहे हैं, जरूरत नहीं है तो भी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी सजा मिले क्योंकि वह भी क्राइम कर रहे हैं कि कोई आदमी जमीन बेचकर, सभापति महोदय, अगर मुझे एक मिनट दें तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, बस एक ही मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, एक बहुत ही बड़ा हास्पिटल जयपुर का ही है और बहुत फेमस हास्पिटल है। मैं उसमें पेशेंट को लेकर गया तो, सभापति महोदय, मैंने पर्ची दी। मैं चुनाव लड़ा हुआ था सैकण्ड था। सभापति महोदय, जब मैं अंदर गया तो डाक्टर साहब मुझसे ज्ञान की बातें करने लगे, कहा कि फलां पार्टी ज्वाइन कर लो।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, 30 सैकंड में कर रहा हूं। थोड़ा सा बता रहा हूं। यह बहुत काम की चीज है वह ऐसी बातें करने लगे कि यह पार्टी चोर, वह चोर, यह ईमानदार, मैं एक ईमानदार पार्टी की तरफ जोड़ना चाहता हूं, मेरा मिशन है भ्रष्टाचार मिटाना, ईमानदारी लाना।

सभापति महोदय, बात करते-करते एक गरीब आदमी था, उसके बारे

(श्री बलजीत यादव)

में कम्पाउंडर आया कि वह डिस्चार्ज कर रहा है तो वह बोले इसको अभी डिस्चार्ज क्यों कर रहे हो? उसको बुलाओ तो उन्होंने कहा कि साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं उस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो उसने कहा कि उसके बेटे को बुलाकर लाओ और बेटा आया, उसके कपड़े फटे हुए थे तो डॉक्टर उसको कैसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था कि भाई, क्यों छुट्टी करवा रहे हो? उसने कहा कि साहब पैसे खत्म हो गए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। माननीय सदस्य श्री पदमाराम।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, खतम कर रहा हूं। 30 सैकंड में खतम कर रहा हूं, 10 सैकंड में खतम कर रहा हूं तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपकी जमीन बेच दो। वह कहता है कि आपका बाप है, इनके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? मैंने पूछा कि बीमारी क्या है? तो गैस्ट्रोलॉजी का डाक्टर था और उसको कैंसर की बीमारी थी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि डाक्टर साहब, कहां भ्रष्टाचार मिटा रहे हो? कहां ईमानदारी की बात कर रहे हो? सबसे बड़े डाकू तो आप ही बैठे हो, आप इसको बेवजह गुमराह करके लूट रहे हो। यह अंतिम स्टेज पर कैंसर है, वह मरने वाला है उसकी जमीन बिकवा रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री पदमाराम।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करे, कोई कानून लाए। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को नीरोगी राजस्थान के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने राजस्थान की सवा सात करोड़ जनता को नीरोगी रखने के लिए, नीरोगी राजस्थान पर विचार करने की मंशा रखी, इस पर आज चर्चा हो रही है। अपन सबका यह दायित्व है कि राजस्थान के अंदर कोई बीमार नहीं हो, राजस्थान में किसी मां का बेटा नहीं खोए, किसी बहन का सिंदूर नहीं उजड़े, किसी बाप के बुढ़ापे का सहारा खतम नहीं हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपन सब मिलकर काम करें। चर्चा हो रही है और चर्चा के अंदर हर आदमी अपना-अपना

(श्री पदमाराम)

मत व्यक्त कर रहा है, डिबेट हो रही है कि किस प्रकार से अपना मनोबल कैसे ऊंचा हो, आज इसके अंदर तो कोई राजनीति की बात नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच, उन्होंने जल के ऊपर चर्चा करवाई, बिजली के ऊपर चर्चा करवाई और आज राजस्थान को नीरोगी, राजस्थान के अंदर कोई बीमारी नहीं हो, राजस्थान का हर आदमी आगे बढ़े, राजस्थान का नाम रोशन करें, उस पर चर्चा का विषय रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज प्राइवेट हास्पिटल ज्यादा बढ़ रहे हैं, सरकारी हास्पिटल के अंदर जो लोग जा रहे हैं बाहर से जो व्यापारी लोग खड़े हैं, वह यह कह रहे हैं कि इस हास्पिटल में आप जाओगे और आपको जो नि:शुल्क दवाई मिल रही है, वह दवाई लेते ही आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी और कुछ दिनों के अंदर आप खतम हो जाओगे, यह मामला चल रहा है, इसके ऊपर अपन सबको मंथन करना चाहिए। इन सबके ऊपर विचार करना चाहिए। हर जगह प्रचार करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने जो नि:शुल्क दवा योजना लागू की है, यह एक संजीवनी है, गरीब के लिए एक सहारा है। जिस गरीब के पास पैसे नहीं हैं, जिस गरीब के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और वह बीमार पड़ जाता है, उसका हास्पिटल में इलाज करवाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए यह एक संजीवनी साबित हुई है। जब पिछली गहलोत सरकार थी, उसके अंदर तो हालत यह हो गई थी कि कई सारी मेडिकल की दुकानें बंद हो गई थीं। सब लोग यह सोच रहे थे कि यह तरह-तरह की जो नि:शुल्क दवाइयां मिल रही हैं, मेडिकल स्टोर पर कोई दवाइयां बिक नहीं रही थीं जिसके कारण लोग बेरोजगार होना प्रारम्भ हो गए थे।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी की सोच, अपन सब मिलकर राजस्थान को बीमारी से कैसे उभारें, हास्पिटल के अंदर जो भी दवाई स्टार्ट की और जो भी एक बार आदमी दवा स्टार्ट कर दी, वह जब तक जीएगा तब तक उसकी दवाई का अंत नहीं आएगा, यह क्या कारण है? गुजरात के अंदर, हमारे क्षेत्र के लोग ज्यादातर गुजरात जाते हैं। मलेरिया, बुखार की दवाई स्टार्ट कर दी, उसको बीस टाइम की दवाई देंगे और जब तक वह जीएगा दवाई लेगा तो जीएगा और दवाई बंद कर दी तो 15-20 दिन में खतम हो जाएगा यह हालत है। लोग व्यापारी बन गए हैं। डाक्टर लोग जो प्राइवेट हास्पिटल खोल रहे हैं, वह अपना एक बिजनस समझकर काम कर रहे हैं तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जो प्राइवेट हास्पिटल है, वह जो तरह-तरह की दवाइयां, जो नकली दवाइयां बेचकर आम आदमी के

(श्री पदमाराम)

जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि अभी माननीय श्री बलजीत यादवजी ने जो बात की वह बिलकुल सही बात है। आज हर मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की जरूरत है और खाने की हर सामग्री में मिलावट के सिवाय कुछ भी नहीं है। पूरे सबको मालूम है, सभी मंत्रियों को मालूम है, सभी विधायक महोदय को मालूम है कि मिलावट कौन कर रहा है? जमाखोरी कौन कर रहा है? जो अनाज का भंडारण कर रहे हैं और सस्ती दर से खरीदकर उसके ऊपर तरह-तरह के कीटनाशक छिड़ककर उसकी रक्षा करते हैं और फिर वह सब बाजार में बेचते हैं। मिलावट का आटा, मसाले मिलावट के, तेल मिलावट का, घी मिलावट का, किसी शादी-ब्याह के अंदर कितनी भी घी की जरूरत हो, 15 मिनट पहले आर्डर दो और हजार पीपे आ जाएंगे और यदि उनको कह दो कि सौ पीपे दूध की जरूरत है तो दूध तो नहीं मिलेगा। दूध नहीं मिलेगा तो घी कहां से आया? ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियां जो पैदा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

दूसरा, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर जो जिले के अंदर एक है, उसका यह दायित्व बनता है कि वह हर मेडिकल स्टोर को चैक करे। क्षेत्र के अंदर जो दुकानें हैं उनको चैक करे। ऐसी कोई व्यवस्था करें परंतु चैक करने वाला कोई नहीं है। मेरे को मालूम है कि पांच, दस साल पहले मैं एम.एल.ए. रहा, फिर प्रधान रहा, हमारे क्षेत्र में ड्रग्स इंस्पेक्टर कभी आया ही नहीं। किसी दुकान को चैक ही नहीं किया। किसी मेडिकल की दुकान वाले ने कभी हमको फोन ही नहीं किया कि फलां आदमी आया है और हमें परेशान कर रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करने की कोशिश करें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी बीमारियों के लिए जो दवाई की व्यवस्था की वह धन्यवाद के पात्र हैं। अपन सबका यह दायित्व बनता है कि इसका प्रचार करें कि यह बड़ी बीमारी किसी को नहीं हो, यह ऐसी बीमारियां हैं जो अरबपति लोग, करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी वह बच नहीं सकते। कैंसर है, कैंसर की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। हमारे यहां के, हमें बहुत बड़ा दर्द हो रहा है कि समाजसेवी तन सिंह जी,

(श्री पदमाराम)

उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी परंतु इस बीमारी से लड़ते-लड़ते उनका अंत हो गया। तो, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, कि कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करने वाले लोग जो जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करने की मंशा रखती है? उसके अंदर मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसे लोग जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, पशु आहार उसके अंदर मिलावट, दूध जो गाय नहीं देती है तो दूध दुहने के इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए वह एक प्रकार का जहर है। पशुओं के अंदर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, वह एक टाइप का जहर है। वह जो सेवन करेगा उसके साथ बीमारी के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जहरीली दवा पैदा करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उनके ऊपर छापा लगाया जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि माननीय गहलोत साहब की मेहरबानी से मेरे यहां पर पिछले कार्यकाल के अंदर तीन पी.एच.सीज. खोल दी थीं और उनकी आज आठ साल से बिल्डिंग्स नहीं हैं।

हास्पिटल के अंदर जिसकी बिल्डिंग नहीं है तो उसमें इलाज कैसे होगा? चौहटन सी.एच.सी. को 50 बैड का हास्पिटल घोषित कर दिया था। आज दिन तक वह हास्पिटल शुरू नहीं हो सका है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि चौहटन सी.एच.सी. के अंदर 50 बैड का हास्पिटल स्टार्ट किया जाए और सेड़वा सी.एच.सी. के अंदर 50 बैड का हास्पिटल शुरू करने की मैं मांग करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, कल बजट पेश हो, मेरा पिछड़ा क्षेत्र है और पिछड़े क्षेत्र के अंदर कोई डाक्टर और नर्स रहना नहीं चाहते। वहां पर अधिकांश पद खाली हैं, आप उनको भरने की कोशिश करें। चौहटन सी.एच.सी. के अंदर जो बड़े-बड़े डाक्टरों के पद खाली हैं, वहां पर केवल एक-दो डाक्टर ही हैं। पूरी सेडवा सी.एच.सी. के अंदर एक डाक्टर है और जहां आयुर्वेदिक हास्पिटल में डाक्टर है, उनको आयुर्वेदिक दवाइयों का लोगों को वितरण करने के लिये, लोगों को उसकी जानकारी देने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और अपना जो पुराना सिस्टम था, जो मेहनत करता था, खेती के अंदर काम करता था, वह आज पूरा वातावरण चेंज हो रहा है। आज पर्यावरण की समस्या है। आज हर आदमी पांच-दस मिनट भी पैदल नहीं चलना चाहता। ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों का यूज़ कर रहा है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। वातावरण प्रदूषित होने के कारण कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, आज नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज कई टाइप के नशे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा हैं और अभी नये-नये नशे आ गये हैं जो स्मैक है, चरस हैं, जो जवान बच्चों के अंदर एक टाइप की बीमारी पैदा हो गयी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): उसकी रोकथाम करने की कोशिश करें। नहीं तो आने वाले समय के अंदर यह बीमारी, कैंसर बनकर पूरे समाज के अंदर फैल जाएगी और आज जो अत्याचार हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, जो लोग लूटपाट का काम कर रहे हैं, इसका मेन कारण यह है कि यह नशा बहुत मंहगा है। उसके पास पैसे नहीं है इसलिए बेरोजगारी के कारण चोरी-डकैती करके अपने नशे की पूर्ति करना चाहते हैं। इस कारण से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है राजस्थान को नीरोगी बनाने की, राजस्थान को आगे बढ़ाने की, राजस्थान के अंदर कोई बीमारी नहीं रहे, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, 'नीरोगी राजस्थान' नाम बड़ा प्यारा है। फोल्डर भी बहुत सुंदर हैं। इतना खर्चा इलाज पर लगाते तो बढ़िया था। सभापति महोदय, मैं किस भाषा में कहूं। आपणे कवै न फाडते न सीडतो कोण ओवडे। एक दर्जी कपड़े सिलने बैठे और उसको फाड़े तो वह दर्जी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं 'घरे कोनी अख्त को बीज कांग्रेस न भावे हलुआ-खीर। पीसो तो है कोनी गोजा में। बजट बढ़ाओ, राजस्थान को नीरोगी रखना है, तो स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाओ। पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में रिक्त पद पड़े हैं वह भरो और लोगों में, यह जो आप नि:शुल्क इलाज की बात करते हो, विश्वास कायम करो। मैं हकीकत में कह रहा हूं, सभापति महोदय, मैं पहले यहां बोल चुका हूं। इस विषय पर तो लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, मैं सही कह रहा हूं। प्रैक्टिकली बात बताई थी मैंने, मैंने मेरे शरीर का अनुभव करके बतायी, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। या तो यह डाक्टर जितने भी सरकारी सेवा में हैं, इनके कोई दिमाग में खराबी है। लोगों के मन में यह बात भर दी गयी कि यह जो सरकारी दवाइयां हैं बिल्कुल फैल्योर हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? मैं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पूरी जमात से दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहता, क्यों? क्या पता कब डाक्टर के पास जाना पड़ जाए। सभापति महोदय, उसमें जो बीमारी है वह आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। यानी वाकई में अगर लोगों को लाभ पहुंचाना है तो प्रथम दवाई के प्रति विश्वास कायम करो और फिर जितने भी गांव में चाहे पी.एच.सी. हैं, या उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, चाहे सी.एच.सी. हैं, कहीं भी स्टाफ नहीं, सभापति महोदय, तो नीरोगी राजस्थान होगा कैसे? दवाई बांटेगा कौन, जब कोई कम्पाउंडर, नर्स और डाक्टर है ही नहीं। इसलिए आलतू-फालतू के नारे देने से अपनी पीठ को थपथपाने से कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करो, वह सम्पूर्ण करो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप राजस्थान के अंदर 'नीरोगी राजस्थान' बनाकर साबित करो, लोगों को दिखाओ तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एक यह जो सबसे बड़ी बीमारी है, सभापति महोदय, जनसंख्या। यह टिड्डियों की तरह बढ़ रही है। हाल क्या है? एक-एक घर में दस-दस बच्चे। आप हिम्मत करके वोटों की तरफ मत देखो। भगवान की तरफ देखकर और एक बच्चे का प्रोविजन करो। यह राजस्थान दस साल में ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और नीरोगी भी हो जाएगा। हर वस्तु पर कंट्रोल कर लेगी सरकार, चाहे कोई हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि चर्चाएं बहुत होती हैं पर जब कोई इम्प्लीमेंट करने की बात हो, सबसे पहला काम यही है कि इस जनसंख्या को रोको। पक्ष-विपक्ष मिलकर, आपस के भेदभाव भुलाकर इस टिड्डी दल को रोको। फिर जाकर हमें कामयाबी मिलेगी नीरोगी राजस्थान की।

माननीय सभापति महोदय, अभी मिलावट की बात चल रही थी। किसान आलतू-फालतू की बात नहीं करता पर शुद्ध अनाज उसके घर भी नहीं है। जो अनाज है, वह पेस्टिसाइड से, यूरिया से, डी.ए.पी. से दूषित हो गया है। दूध भी दूषित है, घी भी दूषित है, आज हालात बड़े विचित्र हैं। भाषण सब दे रहे हैं, करने वाले हम हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया कि यह निर्णय करने का दिन कब आएगा? कब इम्प्लीमेंट करने का दिन आएगा जिससे राजस्थान में कोई सुधार हो।

माननीय सभापति महोदय, मिलावट के मामले में मेरे से पूर्व वक्ता बहुत बोले हैं। हल्दी में मिलावट, मिर्च में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, केवल एक नमक है, नमक में मैंने अभी तक मिलावट नहीं देखी। बाकी यह जो बड़े लोग खाते हैं, उसमें तो मिलावट

(श्री रामप्रताप कासनियां)

हो सकती है। यह जो थैले वाला नमक है, न कंकरी वाला, उसमें मिलावट नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मिलावट में कोई शिकायत करे, सैम्पल भरे तो सैम्पल फेल। अब यह क्या बीमारी है? जो लैब है, वह सरकार के अधीन है। यह सैम्पल फेल क्यों होते हैं? मिलावट करने वालों की अप्रोच लैब तक होती है और प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। यानी कैमिकल रिपोर्ट 302 की बदली हुई है। मैं यह बात बिलकुल प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको जिससे आदमी की सज़ा होती है, वहां तक मिलावट है। जब कोई एक कारतूस या गन के बारे में लिख दे कि यह तो इससे मैच नहीं खाता तो वह बरी होता है। हमारे यहां की लैब का यह हाल है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों को राजस्थान को नीरोग बनाना है तो एक ही दवा है, मैं बार-बार कह रहा हूं कि जनसंख्या पर कंट्रोल, दवाई के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करो, अच्छे साधन मुहैया कराओ। गांवों के अंदर डाक्टर और नर्स को रहने के लिये मकान उपलब्ध करावाओ। एक और बीमारी है कि थोड़ी-सी ऊंची आवाज में किसी डाक्टर से बात करो तो एकदम आनन-फानन में कह देता है कि मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा। यह क्या बीमारी है? पढ़-लिखकर सरकार ने कितना खर्चा लगाया, और थोड़ा-सा धंधा चलते ही वह डाक्टर वहीं पर सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी प्राइवेट दुकान खोल लेता है।

माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्य शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे कि गांवों में यह जो आर.एम.पी. डाक्टर हैं, इनके पीछे मैं यह नहीं कहता कि इनमें कोई बुरा नहीं है।

मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में पूरा इलाज नहीं होगा, कम से कम गांवों में प्राथमिक चिकित्सा तो उपलब्ध करवा दो, तब जाकर के इन डाक्टरों को चाहे आप हटाओ, कुछ भी करो, जो गलत काम करे उसको सज़ा दो पर यह पुलिस जो आर.एम.पी. डाक्टरों के एकदम पीछे लगी हुई है, मंत्री महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक उपचार करने का काम, ग्रामीण क्षेत्र में खांसी, जुकाम, बुखार, कोई चोट लग जाए तो पट्टी करना, स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाने में आर.एम.पी. डाक्टरों का बहुत महत्व है, उनको प्रैक्टिकल अनुभव है। आपके यह जो डिग्री वाले डॉक्टर हैं, इनसे ज्यादा अनुभव उन आर.एम.पी. डाक्टरों को है। यह जरूरी नहीं है कि कोई पुस्तक पढ़ने से ही डाक्टर बनता है, डाक्टर बनता है अनुभव से, काम करने से। यह

(श्री रामप्रताप कासनिया)

डाक्टर खुद हाथ से काम नहीं करते, नीचे जो नर्स है, कंपाउंडर है, केवल सर्जरी का एक चीरा लगाते हैं, वह भी कोई एक्सपर्ट हो तो शायद यह पास में ही खड़े रहते हैं, काम उनसे ही कराते हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में सम्पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा दो तब तक इन आर.एम.पी. डाक्टर्स के पीछे पुलिस लगाओ। मैं यह गांवों की बात बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: झोलाछाप के बारे में।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): चलो, झोलाछाप पर तो आनै माफ कर द्यो, लारो छोड़ द्यो जित्तै वो सुविधा उपलब्ध न होवे। धन्यवाद।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य जो बैठे हुए हैं, जो बोलने वाले हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक तो अभी बिल बाकी पड़ा हुआ है और माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट होना है, तो मेहरबानी करके आप लोग पांच-पांच मिनट में केवल सुझाव देंगे।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): साहब, दस मिनट तो दें।

श्री सभापति: मेरा सभी से आग्रह है, जो भी माननीय वक्ता बोलने वाले हैं वह पांच-पांच मिनट में सिर्फ अपने सुझाव देंगे या अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो बताएंगे और यह आवश्यक रूप से होगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय का भी यह निर्देश है। स्टेटमेंट होना है, एक बिल बाकी पड़ा हुआ है। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब हमने समय तय किया कि छह बजे तक होना है तो फिर समय का डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलने वालों पर आसन से तय होना चाहिए। कारण क्या है कि पहले वाला 15 मिनट, 20 मिनट बोलता है और जब लास्ट वाले को पांच मिनट देते हैं तो वह हमसे कहता है कि आपने हमारा नंबर पीछे क्यों लिखा?

मैं यह चाहता हूं कि एकाध कोई हो सकता है जो विशेष प्रकार की जानकारी देनी हो उसको दो मिनट ज्यादा दे दिए लेकिन जब छह बजे तक समाप्त करना है तो उसके हिसाब से ही तो दिन भर का हो। आप जैसी सूची

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारी ओर इनकी आई, आप कहते हैं कि 20 की सूची नहीं चल सकती मैं 10 की सूची लूंगा और मैं 10 मिनट से ज्यादा किसी को नहीं बोलने दूंगा, तब तो इससे चर्चा का कोई अर्थ निकलता है नहीं तो एक 15 मिनट तक बोलता है और फिर जैसे ही पांच मिनट के लिए कहते हैं तो कहते हैं, कि आपने हमारा नाम पीछे क्यों लिख दिया? तो मैं सोचता हूं कि यह व्यवस्था आप यहीं से टाइमिंग को देखकर के, जो भी है लिखते हैं, चाहे उधर से सूची आती है, चाहे हमारे यहां से सूची आती है, उस सूची के मिनट जोड़ करके हो, 10-20 मिनट, आधा घंटे का फर्क हो सकता है लेकिन उसको टाइम में डालने का प्रयास करेंगे तो चर्चा भी ठीक होगी और विषय भी ठीक आएगा। किसी विषय पर बोलने के लिए 10 मिनट बहुत होते हैं।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुबह जब आप लोगों ने नाम दिए, आपने भी 16 नाम दिए हैं और इधर से भी 16 नाम दिए हुए हैं, निर्दलीय विधायक भी बोलने वाले हैं और बाकी सब पार्टियों के विधायक भी बोलने वाले हैं और आज आपने स्टेटमेंट का समय भी दे रखा है कि माननीय मंत्री महोदय का स्टेटमेंट होगा। एक बिल बाकी पड़ा हुआ है और अभी 14 माननीय सदस्य और बोलने बाकी हैं। तो यदि आप यह चाहते हैं कि सभी 10-10 मिनट बोलें, मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब 20-20 नाम देवें। वह पार्टी तय करेगी कि उनको 10 ही नाम देने हैं... (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेहरबानी करके यह जो बाकी के बचे हुए नाम हैं आप इनमें से...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लास्ट वाले पर आकर के सारा का सारा आप पांच मिनट में लाकर देते हो।

श्री सभापति: तो फिर मैं डायरेक्ट राजेंद्र जी राठौड़ को बुला लेता हूं, बाकी जो माननीय सदस्य बचे हुए हैं वो नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) श्री हीराराम।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कुछ लोग रह जाएं वो जब स्वास्थ्य विभाग की डिमांड हो उस समय अपने सुझाव दे दें।

श्री सभापति: नहीं, यह आप लोगों को आवश्यक रूप से करना पड़ेगा।

(श्री सभापति)

माननीय श्री हीराराम। (अनुपस्थित) श्री अमीनुद्दीन कागजी। कृपया शांत रहें।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): सभापति महोदय, 'नीरोगी राजस्थान', 'पहला सुख नीरोगी काया' के संदर्भ में बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत साहब को और हमारे लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते में मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो जनता क्लीनिक का लोकार्पण किया गया।

मैं समझता हूं कि चिकित्सा क्षेत्र में जिस तरीके से नया स्थान, नया आयाम छूने जा रहा है, यह जनता क्लीनिक, जो शहरी गरीब हैं उनके लिए मैं एक संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि पिछले करीब छह दिन में जो दो जनता क्लीनिक हैं, उनमें 125 और 130 ओ.पी.डी. दोनों जनता क्लीनिक पर देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो क्वालिटी आफ मेडिसिन है, 300 दवाइयां वो उपलब्ध हैं। मेरा आकलन है कि अगर एक जनता क्लीनिक से सवा सौ से डेढ़ सौ व्यक्ति प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं तो यह मेडिकल क्षेत्र में ड्रास्टिकली चेंजेज होने जा रहा है।

मैं सदन को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने जो मंत्री जी से आग्रह किया था कि मुझे शहरी क्षेत्र में करीब दस जनता क्लीनिक की आवश्यकता है, वह प्रस्ताव मैंने मंत्री जी को भेज दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से यहां की जनता लाभान्वित हो रही है और प्रतिदिन प्रति क्लीनिक पर, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्षेत्र के लोगों को 50 हजार रुपये से 60 हजार रुपये का एक जनता क्लीनिक के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को फायदा होता है और मेरा अनुमान यह है कि अगर आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस जनता क्लीनिक उपलब्ध करा देंगे तो मैं समझता हूं कि प्रतिवर्ष 15 करोड रुपये सरकार की तरफ से लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में जो लाभ मिलेगा वह ट्रिमेंडस होगा और यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है, उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बताया। आज की जीवनशैली में बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं और उसके लक्षण पहचानने में थोड़ा समय भी लगता

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

है अगर टाइम पर डायग्नोसिस नहीं होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज की जीवनशैली में अगर हम सरकारी स्तर पर हैल्थ अवेयरनैस कैंप लगाना शुरू कर दें तो उसमें महत्वपूर्ण समय हम मिस नहीं कर पाएंगे। आज की तारीख में जीवनशैली की वजह से जिस तरह से हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डाइबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। जिनका अगर समय पर डायग्नोसिस नहीं होता है तो उसके गंभीर परिणाम होते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्षेत्र के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जहां जगह नहीं है वहां पर हम हैल्थ अवेयरनैस सेंटर की शुरुआत करें तो तो हमारे खाते में एक नई उपलब्धि आएगी।

जिस तरह से सब लोगों ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट एक गंभीर रूप ले चुकी है और मैं समझता हूं कि पिछले एक साल में जिस तरह से सरकार ने काम किया है और काफी मिलावटखोरों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी मिलावटखोरों से कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है।

साथ ही आज जिस तरह से सरकार नशा मुक्ति को लेकर चिंतित है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो मेरा किशनपोल विधान सभा क्षेत्र है, मैंने यहां के पुलिस कमिश्नर से भी काफी बार आग्रह किया है और एक-दो इलाके ऐसे हैं जहां आजकल नशे को लेकर युवा पीढ़ी में एक नया प्रचलन चला है।

हमने सरकारी स्तर पर और पुलिस कमिश्नरेट में बात करके कुछ काम करने की कोशिश की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से नशे से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, क्षेत्र के अंदर कुछ नशा मुक्ति केन्द्र होना बहुत जरूरी हैं। इस पर कृपया ध्यान दें। जिस तरह से हमारी सरकार में बुजुर्गों, जो कि हमारी धरोहर हैं, उनके लिए पिछले बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की। एक उम्र और एक पड़ाव के बाद में तकरीबन हार्ट अटैक, किडनी, ब्रेन अटैक का सामना करना पड़ता है, इनके लिए जो दवाइयां फ्री की हैं, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें आज यह देखने की जरूरत है कि जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी धरोहर हैं, उनको हम किस तरह से समय पर उपचार उपलब्ध करा सकें।

सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है, मैं हमारे मंत्री जी और यहां जितने भी अधिकारी बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो प्रमुख

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

10 बीमारियां हैं, जिसमें पोलियो, टीबी, तपेदिक, हैपेटाइटिस बी, गलघोंटू, काली खांसी, निमोनिया, टिटनस, मैननजाइटिस, खसरा, रुबेला और दस्त, इनके लिए सरकारी स्तर पर जो टीकाकरण के कैम्प लगाए जाते हैं, उनमें और रेगुलरिटी रखी जाए। समयबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जाए।

सभापति महोदय, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नीरोगी राजस्थान में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में हमें ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी समय में चिकित्सा के क्षेत्र में नया राजस्थान, नीरोगी राजस्थान पूरे भारत में एक नया आयाम छुएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

स्वास्थ्य विभाग की नीरोगी राजस्थान नीति पर विचार

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं कुशलगढ़ विधान सभा से आती हूं। मेरी विधान सभा में एक हॉस्पिटल है, उसमें डाक्टरों के खाली पद पड़े हुए हैं। वहां नर्सें भी नहीं हैं। मेरी विधान सभा की जो नर्सें हैं, वह बाहर हैं। वह छोटे-छोटे बच्चे लेकर के सिरोही आदि जगह में हैं। मेरी विधान सभा में जो पद खाली पड़े हैं, उसमें जो बाहर नर्सें लगी हुई हैं, उनको वहां लगाया जाए।

(श्रीमती रमीला खड़िया)

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कुशलगढ़ में एक अस्पताल खोलने की आवश्यकता है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि कुशलगढ़ विधान सभा में एक हास्पिटल खोला जाए। वहां डाक्टर्स नहीं हैं, उनके पद खाली पड़े हुए हैं। उन खाली पदों को भरा जाए। जो नर्सें नहीं हैं, एएनएम नहीं हैं, जीएनएम नहीं हैं, उन्हें भरने की कोशिश करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

शासकीय वक्तव्य

परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार रूपी मासिक बंधी

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा दलालों के जरिए, वाहन मालिकों को डरा-धमकाकर मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त करने की सूचना प्राप्त होने पर मुख्यालय स्तर पर गोपनीय सत्यापन किया गया। संदिग्ध आरोपीगणों के गोपनीय रूप से किए गए सत्यापन से प्रकट हुआ कि परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा दलालों के जरिए वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों को चलाने के लिए वाहन संचालकों को धमकी दी जाकर प्रति माह रिश्वत राशि मासिक बंधी के रूप में नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है। उक्त सत्यापन के पश्चात तकनीकी एवं व्यक्तिश: निगरानी भी की गई।

इस क्रम में तनुश्री लॉजिस्टिक में कार्यरत विष्णु कुमार एवं मनीष तथा अन्य मध्यस्थ दलालों के द्वारा दिनांक 16.02.2020 को फरवरी माह की मासिक बंधी के रूप में परिवहन अधिकारियों को रिश्वत राशि का भुगतान किए जाने की प्रबल संभावना होने के कारण ब्यूरो मुख्यालय द्वारा डेढ़ दर्जन टीमों का गठन किया गया। श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। जिसमें परिवहन विभाग में फैले व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है।

कार्यवाही के दौरान उदयवीर सिंह, परिवहन निरीक्षक, परिवहन विभाग को दलाल श्री मनीष शर्मा के द्वारा 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मनीष शर्मा के पास अन्य अधिकारियों को मासिक बंधी देने हेतु रखे गए 1 लाख 20 हजार रुपये भी जब्त किए गए।

अनेक माननीय सदस्य: 1 करोड़।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसमें तो 1 लाख 20 हजार हैं।

श्री सभापति: कृपया शांति से सुनें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बड़े पैमाने पर प्राइवेट दलालों के जरिए वाहनों की सूची बनाकर उसकी मासिक बंधी प्राप्त की जा रही थी। उसे परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहुंचाया जा रहा था। इस क्रम में एसीबी द्वारा कुल 13 व्यक्तियों के 22 टेलीफोनों को इंटरसेप्ट किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारी गजेन्द्र सिंह, डीटीओ शाहजहांपुर, विनय बंसल, डीटीओ चौमूं, महेश शर्मा, डीटीओ मुख्यालय तथा परिवहन निरीक्षक शिवचरण मीणा, उदयवीर सिंह, आलोक बुढ़ानिया, श्री रतनलाल मीणा, नवीन जैन को डिटेन किया जाकर उनके निवास की तलाशी ली गई।

इसके अतिरिक्त प्राइवेट व्यक्ति मध्यस्थ दलाल जसवंत सिंह यादव, बस संचालक, गोल्ड लाइन ट्रांसपोर्ट कंपनी श्री विष्णु कुमार, तनुश्री लॉजिस्टिक ममता पत्नी योगेश कुमार उर्फ बंटी, मनीष शर्मा, तनुश्री लॉजिस्टिक श्री रणवीर एवं श्री पवन उर्फ पहलवान तथा विष्णु कौशिक को भी ब्यूरो द्वारा डिटेन किया गया। उनके निवास तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तलाशी ली गई। ब्यूरो के दलों के द्वारा किए जा रहे तलाशी अभियान में अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपये के करीब नकद, प्रोपर्टी के दस्तावेज तथा मध्यस्थ दलालों के पास से रिश्वत लेने देने की सूचियां, हिसाब-किताब का ब्यौरा, लैपटाप, मोबाइल फोन पर लेनदेन व रिश्वत के हिसाब किताब के महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। अब तक कुल 8 परिवहन विभाग के अधिकारीगण तथा 7 प्राइवेट व्यक्तियों को डिटेन किया जाकर पूछताछ की जा रही है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि परिवहन विभाग पर एसीबी द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। 13.12.2013 से 16.12.2018 तक यानी गत सरकार के वक्त में 30 प्रकरण दर्ज किए गए थे।

(18.00 बजे)

ट्रैप के 15 प्रकरण थे, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के 3 प्रकरण थे और पद के दुरुपयोग के 12 प्रकरण दर्ज किए जाकर 16 निरीक्षकों,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
6 डीटीओ और 8 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 17.12.18 से अब तक परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 6 प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिनमें ट्रैप के 3 प्रकरण हैं, आय से अधिक सम्पत्ति का 1 प्रकरण है और पद के दुरुपयोग के 2 प्रकरण हैं। 16.02.20 को परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा दलालों के माध्यम से रिश्वत प्राप्त करने की सूचना पर कार्यवाही जारी है।

श्री सभापति: ...(व्यवधान) विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं एसीबी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने कार्यवाही की। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ और बड़े पैमाने पर मासिक बंधी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों से ली जाती थी, आपने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि आपने 8 परिवहन अधिकारी, 7 दूसरे दलालों को डिटेन कर रखा है। मंत्री महोदय, क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे, क्या यह सही नहीं है कि यह मासिक रूप से दलाली का काम जनवरी, 2019 से प्रारम्भ होकर अब तक चल रहा है? तो कितनी-कितनी मासिक बंधी इसमें दी जाती थी? जिन 15 लोगों को आपने डिटेन किया है, क्या इन सबके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे? जो 1 करोड़ 20 लाख रुपये और सम्पत्ति के दस्तावेज इन सबका सत्यापन करने के पश्चात् कुल मिलाकर इतने बड़े भ्रष्टाचार पर आप कोई विशेष टीम बनाकर चूंकि आपने पिछली सरकार के बारे में कुछ बता दिया, कुछ इसमें बता दिया इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आपका आगे का एक्शन प्लान क्या है और इसमें कितने महीनों से मासिक बंधी इनसे ली जाती थी, उसके बारे में बताएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको बता चुका हूं कि दिनांक 16.2.2020 से परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा दलालों के माध्यम से रिश्वत प्राप्त करने की जो सूचना मिलती जा रही है, उसके आगे जितनी भी कार्यवाही सम्भव है वह सब कार्यवाही की जा रही है। जहां तक सवाल इस बात का है, यह कोई बहुत बड़ा प्रकरण है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने कहा कि इसमें डायरियां भी पकड़ी गई हैं, लैपटाप पर भी हैं, इंटरसेप्टर पर भी बातें हुई हैं तो उनका सबका खुलासा होगा, खुलासा होने के बाद जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह होगी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, यह स्थगन मेरा ही था। यह जो पूरा मामला मंत्रीजी ने माना, एक बात तो हमारे उप नेताजी ने अभी कही कि मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है और सरकार स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि परिवहन विभाग में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात को सदन में मंत्रीजी ने स्वीकार किया है और मंत्रीजी ने स्टेटमेंट भी दिया है। मैं दो-तीन बातें मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि यह जो भ्रष्टाचार की बात जो आज आई, एक साथ ही इतनी बड़ी कार्यवाही हुई, यह केवल बस आपरेटरों का एक नमूना है। माननीय सभापति महोदय, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर बाकायदा प्रूफ सहित कहा कि चेसिस और सीट के बीच में जो एक सुरंगनुमा बसों के अंदर बनाया हुआ है, प्रत्येक प्राइवेट बस में पांच से सात टन माल जीएसटी चोरी का चलाया जा रहा है, इस पर तुरंत कार्यवाही की जाए। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि सीकर जिले के अलावा पूरे राजस्थान में इस पर कहां-कहां पर कार्यवाही हुई, मंत्रीजी इसको सदन में जरूर बताएं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विषय यह है कि इस पूरे में अवैध बसों के संचालन का एक मामला तो आया, लेकिन लगातार मीडिया ने भी प्रूव किया है और प्रूफ दिए हैं कि प्रतिदिन की उगाही एक दिन से 50 हजार रुपये बजरी माफियाओं के माध्यम से होता है। राजस्थान में रात को जो अवैध टोल नाके लगते हैं और सुबह तक चलाए जाते हैं और प्रत्येक ट्रक से जो बजरी माफियाओं से वसूली की जा रही है, उसकी अब तक कितनी राशि वसूल की गई है माफियाओं के द्वारा? जब माफिया पकड़ में आ गया तो वह भी स्टेटमेंट आ जाए कि कितनी राशि वसूल की गई है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो जसवंत था, दलाल जो पकड़ में आया, वह बहुत चालाक था, अजमेर रोड पर उसका ट्रैक चलता था, इसी ने पैसे इकट्ठे किए। जसवंत कौन है? इसके किसके साथ सम्बन्ध हैं? इसने किसको पैसा दिया और क्या चार महीने पहले भी कोई ट्रांसपोर्ट विभाग का पैसा बनीपार्क में पकड़ा गया था, यदि पकड़ा गया तो पैसा किस उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा था और वह किस आधार पर छोड़ा गया? इन सब बातों का मंत्री महोदय समय पर जवाब दें और राजस्थान में 1 करोड़ 20 लाख रुपये यदि सरकार के एसीडी द्वारा पकड़े जाएं, एसीडी निश्चित रूप से बधाई का पात्र है, हम सब ताली बजाकर उनको बधाई दे रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख रुपये किसको दे रहे थे, यह गम्भीर विषय है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, विराज तो जाएंगे लेकिन एक करोड़ 20 लाख रुपये किसको जा रहे थे?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): आखिर इसको किसका प्रश्रय है? यह बस आपरेटरों का यूनियन....

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000 ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने बताया कि 01 जनवरी, 01 जनवरी की बात छोड़िए, यह तो मैं आपको बता चुका हूं कि 13.12.13 से 16.02.18 तक तीस प्रकरण दर्ज हुए थे, तीस। उन तीसों पर कार्यवाही भी हुई है। यह जो प्रकरण दर्ज हुआ है इस पर भी आगे इन्वेस्टीगेशन चलेगा, आपके पास कोई सूचना हो तो आप एसीबी को भिजवा देना।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) विराजिए। श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहा हूं, हाउस को तो आर्डर में लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर। ...(व्यवधान) जवाब दे दिया, आपने पूछ लिया। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान) विराजिए। (व्यवधान) श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)।

श्री सभापति: नीरोगी राजस्थान पर बोलेंगे आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं नीरोगी राजस्थान पर ही बोल रहा हूं, आप हाउस को आर्डर में लाइए। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) श्री अभिनेश महर्षि। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि। (व्यवधान)

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का उत्तर दिया है, भ्रष्टाचारियों को जिस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सबके विरोध में, यह ऊपर से लेकर नीचे तक डूबी भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जो गोते लगा रहे हैं, हमारा दल बहिर्गमन करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

विभिन्न विषयों पर विचार

स्वास्थ्य विभाग की निरोगी राजस्थान नीति पर विचार

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर। (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित)। श्री बाबुलाल खराड़ी (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित)। श्री नारायण सिंह देवल (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित)। श्री गुलाबचन्द कटारिया (अनुपस्थित)। (व्यवधान) श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज का विषय नीरोगी राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही वह खुश रह सकता है और हमारी सरकार ने 'नीरोगी राजस्थान' शब्द को सार्थक किया है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

वह कहां है मेरा राजस्थान?
जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू दही दूध में आती थी।
वह कहां है मेरा राजस्थान?
पत्थर पर पिसी चटनी मसाले की खुशबू सब्जी में आती थी।
वह कहां है मेरा राजस्थान?
घर के आंगन चौक में भैंस-गाय की बछिया कूदा करती थी।
वह कहां है मेरा राजस्थान?
जहां चूल्हे पर बर्तन में बनी,
हरे चने, सरसों का साग, कढ़ी की खुशबू आया करती थी।
वह कहां है मेरा राजस्थान?
जहां दादी नानी की घुट्टी,
हरड़, जायफल, लूण की खुशबू आया करती थी।
वह कहां है मेरा राजस्थान?
नीरोगी राजस्थान,
जहां बैठकर ठिठोलियां,
हंसी मसखरी की धारा बहा करती थी,
वह कहां है मेरा राजस्थान?

श्री सभापति: बहुत बढ़िया।

(18.09 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये शब्द, नीरोगी राजस्थान शब्द को सार्थक किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। अभी थोड़े दिन पहले, एक महीने पहले, गरीब परिवार से, बीपीएल परिवार से गुढ़ा गांव से एक विधवा महिला मेरे पास आई, उसने कहा कि मेरे बेटे का बोन ट्रांसप्लांट होना है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है।

आपकी सरकार है और फ्री दवा की आपके मुख्य मंत्री महोदय ने जो योजना चलायी है, क्या उसके अंतर्गत मेरे बेटे का ट्रीटमेंट हो जाएगा? मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सरकार, मुख्य मंत्री तथा चिकित्सा मंत्री को कि उसका मई महीने में एसएमएस हास्पिटल में बोनमैरो ट्रांसप्लांट किया गया। ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनका कि इस तरह से फ्री में सरकार की तरफ से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
एसएमएस में इलाज हुआ। ऐसे कितने ही लोग होंगे। यह तो एक उदाहरण है मेरे पास।

यह नीरोगी राजस्थान शब्द अपने आपको चरितार्थ करता है। पिछली सरकार में मैंने कोखली और मशीन के लगाने की प्रक्रिया में सरलता लाने के लिये कहा था, क्योंकि वह सिर्फ आठ वर्ष की आयु तक ही लग पाती है। बच्चा आठ वर्ष का हो गया। बार-बार विधान सभा में लिखकर देने के बावजूद वह नहीं लग पायी उस बच्चे को। ऐसी प्रक्रियाओं में सरकार को सरलता लानी चाहिए, जिससे कि जनता को लाभ मिल सके। सरकार की जननी सुरक्षा योजना, फ्री दवा योजना, आंखों का आपरेशन होना, सोनोग्राफी करना, जनता क्लीनिक खोले जाना, गर्भवती महिलाओं की जांच करना, डिलीवरी फ्री होना, बच्चों का टीकाकरण, इन सबके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन में प्रवेश)

फिर आती है इलेक्ट्रोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी। ये जो आयुर्वेद या होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी हैं यानी आयु बढ़ाने वाली जो प्राकृतिक दवाएं होती हैं जिन्हें प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से तैयार किया जाता है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसी दवाएं जो शरीर के लिये लाभदायक होती हैं, चाहे गैस्ट्रिक हो, बीपी हो, स्टोन हो, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं और जो चमड़ी से सम्बन्धित रोग हैं, उनके लिये ये दवाएं कारगर साबित हुई हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: समय का ध्यान रखें प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इन दवाओं को बढ़ावा देने के लिये, आयुष के डाक्टर्स को बढ़ावा देने के लिये, इनके हास्पिटलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिये सरकार काम करे। अभी जो खोले हैं, इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। पिछली सरकारों ने सिर्फ आंकड़ों में जो हास्पिटल क्रमोन्नत किये थे, मेरे बानसूर में भी घोषणा की थी, लेकिन हुआ नहीं था तो अब की जो सरकार है वर्तमान की, उसने हरसोरा में पीएचसी से सीएचसी खोली, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, कृपया नीरोगी राजस्थान पालिसी पर बोलें। धन्यवाद। श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह जो रासायनिक दवाओं का मुद्दा है, इस पर अगर रोक नहीं लगायी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्लीज समझें। हो गया आपका। पालिसी पर डिस्कशन है। यहां डिमाण्ड पर डिस्कस नहीं कर रहे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज बैठें। नाट अलाउड। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। गलत परम्परा नहीं।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नीरोगी राजस्थान। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेड़ता क्षेत्र में हमारे यहां सरकारी अस्पताल है। वहां अभी 15 डाक्टर हैं। मैं 8 तरीख को अस्पताल गयी थी तो वहां 9 डाक्टर मिले थे।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो सरकारी अस्पताल हैं जहां सरकारी दवाइयां मिलती हैं, वह गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें आप कृपा करके दवाई ठीक से उपलब्ध कराएं। इससे गरीब लोगों की सहायता हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आज आपने सभी एमएलएज को एक लैटर दिया कि बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, गुटखा नहीं खाना और दारू नहीं पीनी तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपकी सरकार है तो आप इसे पूरी तरह से बंद ही करवा दें ताकि कोई बीमार ही नहीं हो।

मैं आपसे यह आग्रह करती हूं कि आप सब मिलकर यह काम करें। इससे राजस्थान सरकार मजबूत होगी। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत (अनुपस्थित) श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने नीरोगी राजस्थान पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं बहुत कम बोलूंगा। बीकानेर जिले में सम्भाग का सबसे बड़ा हास्पिटल पीबीएम है। वहां पर जो हार्ट की मशीन है, वह लम्बे समय से खराब पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों को बधाई दूंगा। भारत सरकार आयुष्मान भारत अभियान चला रही है और राजस्थान सरकार नीरोगी

(श्री गिरधारीलाल)

राजस्थान पर चर्चा करा रही है। निश्चित रूप से राजस्थान में चाहे कोई भी कुछ भी कहे, जब नि:शुल्क दवाएं शुरू हुईं तो सबसे ज्यादा फायदा कमजोर गरीब, दलित, पिछड़ों को मिला।

चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, यह योजना निरंतर चलती रही। अंत में यही कहूंगा कि मिलावटखोरी का जमाना है। यदि हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में मिलावटखोरी बंद हो जाती है, चाहे खद्यान्न में हो या सब्जियों में हो, ऐसा कानून अगर आप अपने आदेश से ले आएं, कीटनाशकों पर अगर रोक लग जाए और जैविक खेती चालू हो जाए तो रोग पैदा ही नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आज नीरोगी राजस्थान के ऊपर जो चर्चा है, उस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दिन भर की चर्चा में काफी सारे सुझाव आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी, दोनों के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि पहले छह बरस की आयु तक ग्रामीण पृष्ठभूमि में बच्चा खेलता-कूदता था। फिर जाकर स्कूल में एडमिशन लेता था। ठीक उसी तरह से वह माहौल हर समय उसे स्कूल में भी मिलता था, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि आज एक बिल्डिंग में स्कूल चल रहे हैं, जहां पर बच्चों के लिये खेलने की व्यवस्था नहीं है।

यह एक नीरोगी राजस्थान के लिये अहम हिस्सा होगा कि हमें स्कूलों में जो शारीरिक शिक्षा है, उसे अनिवार्य करना चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्हें हम मान्यता देते हैं, कृपया उनके लिये यह भी अनिवार्य किया जाए कि बच्चों के खेलने के लिये भी स्थान होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि टीकाकरण के ऊपर जिस तरह से काम हुआ और खासकर के पोलियो मुक्त भारत बनाने की जो बात थी, जिसमें एक एड आती थी 'दो बूंद जिंदगी की', जिसने सबको प्रभावित किया और उस जागरुकता अभियान के तहत आज भारत पोलियो मुक्त है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी और उनसे आश्वासन भी चाहूंगी, किशोर-किशोरी के स्वास्थ्य से

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

सम्बन्धित। जहां तक मैं समझती हूं कि 12 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, जिनमें शारीरिक परिवर्तन होता है, लेकिन एक सामाजिक गैप के कारण या हमारे बीच में जो खाई है, हम अपने बच्चों से वह बात नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वे फोन के जरिये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अधूरा ज्ञान उन्हें कहीं न कहीं अशिक्षा और अपराध की तरफ ले जाता है। बच्चों को मानसिक तौर पर जूझना पड़ता है। इस पर मैं कहना चाहूंगी कि हमें जागरुकता अभियान चलाकर स्कूलों में सेमिनार करने चाहिए जिससे कि इस ऐज में हम उन्हें सही ज्ञान दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, आज समाज में बलात्कार जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, उस पर भी कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी सिखाना होगा। उन्हें समझाना होगा कि बुरा स्पर्श क्या है और अच्छा स्पर्श क्या है।

जिससे कि आने वाले समय में उन्हें मानसिक वेदना से न गुजरना पड़े और वे अपना बचाव कर सकें। ये मेरे तीन सुझाव माननीय मंत्री जी से थे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्योंकि हम पॉलिसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मेरा व्यक्तिगत आग्रह रहेगा कि कटारिया जी और राजेन्द्र जी राठौड़ यदि इसमें पार्टिसिपेट करें तो चर्चा सार्थक होगी। मैं, कटारिया जी, आपसे पहले राजेन्द्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा और फिर कटारिया जी से। माननीय सदस्य, मैं क्षमा चाहता हूं, इसलिए कि यह नीरोगी राजस्थान एक पालिसी डिसीजन है, जिस पर चर्चा करने का उद्देश्य था पर मोटे तौर पर हमने डिमाण्ड पर डिस्कशन कर लिया। हमने सोच-समझकर यह रखा कि कोई पालिसी है, उसकी सदन में चर्चा की जाए और आज चर्चा करने के पीछे मन्शा यही थी कि जो नीरोगी राजस्थान के सम्बन्ध में राजस्थान की सरकार की कल्पना है उसको साकार करने के लिए सब मिल-जुलकर राजस्थान को कैसे हम आगे बढ़ा सकें, इसकी चर्चा करने का था। मोटे तौर पर माननीय सदस्यों ने डिमाण्ड के रूप में अपने मेडिकल हैल्थ बातों को ज्यादा कह दिया इसलिए मैंने निवेदन किया कि राजेन्द्र जी राठौड़ और कटारिया जी, पालिसी के सम्बन्ध में हम कैसे राजस्थान को नीरोगी राजस्थान करने में आगे बढ़ सकें और राजस्थान सरकार की पालिसी में कर सकें, यह चर्चा करने के लिए आज हमने विषय रखा था, इसलिए मैं राजेन्द्र जी राठौड़ और कटारिया जी से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही फरमाया। कई मौके ऐसे होते हैं और कई अवसर भी सदन में ऐसे आते हैं जब समग्र राजस्थान की चर्चा जब हम करते हैं और वह चर्चा राजस्थान निरोग कैसे हो, राजस्थान बीमारियों से मुक्त कैसे हो, राजस्थान के माथे पर आज जो बीमारू राज्यों में शामिल होने का कलंक लगा है, वह किस प्रकार से हटे, इसके लिए निश्चित तौर पर हमें सब लोगों को दलीय सीमा से अलग उठकर विचार करना चाहिए। इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उनका एकमात्र वाक्य जो मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा 'पहला सुख - नीरोगी काया'। यह शाश्वत सत्य भी है कि काया जब तक निरोगी नहीं होगी, इस संसार का कोई भी सुख कोई भी व्यक्ति भोग नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो श्रेष्ठ नागरिक होगा और इसीलिए तो कहा है कि हैल्थ इज वैल्थ।

मैं समझता हूं कि नीरोगी राजस्थान की जो अवधारणा है, मंत्री महोदय, ठीक इसी प्रकार की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगस्त, 2015 से दिसम्बर, 2015 में आरोग्य राजस्थान को लेकर प्रारम्भ हुई थी और उस समय भी नोन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमारी जीवन-शैली से जुड़ी हुई हैं उनके लिए हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आरोग्य रथ के माध्यम से डाइबिटिक, हाइपरटेंशन, एनीमिया, अर्ली-डिटेक्शन आफ कैंसर, इन सबके कैम्प लगे थे। मैं तो स्वागत करता हूं, यह जो अभिलाषा है, आपकी नीरोगी राजस्थान और इसमें निश्चित तौर पर किसी के दो मन्तव्य हो ही नहीं सकते क्योंकि राजस्थान के साढ़े सात करोड़ लोगों के जन-प्रतिनिधि के रूप में हम यहां बैठे हैं। इसके लिए एक जो बात अब तक की चर्चा में आई है, मंत्री महोदय, आज राजस्थान को निरोग करना है तो आपको गांव के उप केन्द्र से लेकर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जो शीर्षस्थ हमारी संस्था है, उसके अन्दर हमारे पास आधारभूत संरचनाओं में कहां-कहां, क्या-क्या कमी है, हमारे मानव संसाधन में क्या-क्या कैसी कमी है उसे देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है और इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान की जब चर्चा करते हैं तो राजस्थान को बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष महोदय, ये चार ऐसे राज्य हैं, जो स्वास्थ्य मापदण्डों के अनुसार राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। मंत्री महोदय, आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2000 के अन्दर 189 देशों के एक संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किये थे, जिनमें हिन्दुस्तान भी एक था। उसके पीछे मन्शा यह थी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि हम पूरे विश्व के अन्दर शिशु मृत्यु दर को कम करें और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में हम बढ़ोतरी करें, एचआईवी, एड्स, मलेरिया और कम्युनिकेबल डिजीज से पूरा विश्व एकमत होकर किस प्रकार लड़े। आज जो हमारे पास हैल्थ इंडिकेटर हैं, आज देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार है, आज राजस्थान में वह 37 है, आज मातृ मृत्यु दर देश में 186 है और राजस्थान में 244 है। अब ये एमडीजी के जो गोल थे उनको हम प्राप्त नहीं कर सके और अध्यक्ष महोदय, अब 2015 से 2030 तक एमडीजी के गोल्स की जगह एसडीजी आ गई, सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल आ गई और इनको प्राप्त करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।

अभी मुझसे पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अपनी बात कही। पहले जब विकसित राज्य, विकासशील राज्य इन सबकी जब चर्चा होती तो ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा हुआ करती थी जिसके आधार पर यह आकलन हुआ करता था कि कौनसा राज्य विकासशील है, कौनसा राज्य विकसित है और उसके अन्दर उस देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस देश के इकोनोमिक इंडिकेटर के लिए, उसकी जीडीपी के लिए, उसके सोशल इंडिकेटर्स के आधार पर वह ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता था। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने निश्चित तौर पर सही बात कही कि अब पैमाने बदल गये। अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि दिसम्बर, 2019 को यूएनओ ने फिर इस बार हैप्पीनैस इंडेक्स जारी किया। इस हैप्पीनैस इंडेक्स के अन्दर अगर बेंचमार्क कोई है तो इन्होंने हैल्थ इंडिकेटर्स को दूसरी चीजों के साथ-साथ रखा और इसके अन्दर फिनलैण्ड इस बार दिसम्बर, 2019 में हैप्पीनैस इंडेक्स में पहले नम्बर पर है। डेनमार्क दूसरे नम्बर पर है, नीदरलैण्ड तीसरे नम्बर पर है और हम 140 नम्बर पर हैं। इसी प्रकार का एक कंसेप्ट, हम राज्य के अन्दर हैप्पीनैस इंडेक्स के आधार पर, हमारे खुशहाली सूचकांक के आधार पर आकलन करें। 2017 के अन्दर एक विचार आया था पर वह आगे नहीं बढ़ पाया और अब मध्य प्रदेश इसकी तैयारी कर रहा है। 2020 के अन्दर मध्य प्रदेश अपना हैप्पीनैस इंडेक्स जारी करेगा और मैं समझता हूं कि इन सबके साथ जब चर्चा चलती है तो डब्ल्यूएचओ ने कुछ मापदण्ड बना रखे हैं, हम उन मापदण्डों के अनुसार क्या हमारे चिकित्सा संस्थानों के अन्दर वे पैरामेडिक्स, वे हमारे फैकल्टी के डाक्टर्स दे पाएंगे? आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज कोई भी अभियान आप चलाओ तो आज भी इस राजस्थान के अन्दर 33 परसेंट हमारी बहिनें ऐसी हैं, जिनके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर है, निश्चित तौर पर इसकी चिन्ता होनी चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा पर, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि पिछली बार जो बजट रखा गया था, अब तीन दिन बाद बजट आएगा इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा एक लाख 16 हजार का जो एनुअल प्लान था, उसमें आपके विभाग को एनुअल प्लान में पैसा मिला वह 7477 यानी कुल मिलाकर 6.2 फीसदी पैसा आपको मिला। इससे पहले जब एनुअल प्लान रखा गया था, एक लाख 7 हजार 885 का, उसमें मिला था 7865 यानी 7.6 फीसदी। मैं यह उम्मीद करता हूं, आप यह बहुत अच्छा अभियान लेकर आए हैं और मैं यह समझता हूं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है, हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, एक-एक गांव तक जाएंगे पर इसके अन्दर निश्चित तौर पर आपका बजट बढ़े इसके लिए आपको काम करना चाहिए।

एक मैं निवेदन करूं कि यह जो नेशनल हैल्थ मिशन चला 2006 से 2007 में, यह भी इसी लक्ष्य के साथ चला था कि देश के अन्दर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कम हो। इस पूरे मिशन का भी आप अपने स्तर पर मूल्यांकन करें, इसको रिव्यू करें। पिछली बार जो अपने को पैसा मिला था, 7141 करोड़ जिसका 42 परसेंट ही खर्च हुआ। इसके अन्दर मैं एक और निवेदन करूं कि इसी मिशन के अन्दर जो 3500 से अधिक की आबादी के ग्राम थे, उन सारे गांवों में एक विलेज हैल्थ कमेटी बनी उसमें पंच, सरपंच, गांव का हैड मास्टर, गांव का ग्राम सेवक, गांव के अन्दर कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी हो, वह था। यह जो हैल्थ कमेटी बनी इनकी संख्या आज 43400 है। आप इस मिशन के साथ इन हैल्थ कमेटी को एक्टिव करो। आपने कहा था कि आप 42 हजार गांवों के अन्दर दो-दो स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए निश्चित तौर पर इस प्रकार के लोग आएंगे पर इससे पहले आप 43400 जो हैल्थ कमेटियां बनी हैं और हरेक हैल्थ कमेटी के अन्दर 10-10 लोग हैं, आप निरोग राजस्थान के कंसेप्ट को वहां तक लेकर जाओ, ताकि गांवों में इसकी व्यापक चर्चा हो। मैं समझता हूं कि आपका मुख्य फोकस नोन कम्युनिकेबल डिजीज पर है, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई, जिसकी चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की। अध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है, डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि नोन कम्युनिकेबल डिजीज में हिन्दुस्तान में पिछले दशक के अन्दर जो 37.9 परसेंट मौतें होती थीं, एक दशक के अन्दर बिगड़े हुए पर्यावरण ने, बिगड़े हुए खानपान ने और बिगड़ी हुई जीवनशैली ने इसको बढ़ाकर 61.8 कर दिया। आज विश्व मंच पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पर्यावरण के प्रदूषण और दूषण से किस प्रकार बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष: वाइंड-अप करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहूंगा, मेरे पास कहने को बहुत था पर चूंकि आपका इशारा है, मैं मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि आप इस मिशन को, इस नीरोगी राजस्थान को आप चलाएं, हम भी आपके साथ हैं। इसके साथ-साथ आपके पास संसाधन क्या हैं? इसको भी आप निश्चित तौर पर देखें और विशेषतौर पर बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस मिलावट की चर्चा की थी, मैं, यह जो 1 दिसम्बर, 2019 को फूड सेफ्टी स्टैण्डर्ड अथोरिटी आफ इण्डिया की जो ताजा रिपोर्ट है, उसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट में राजस्थान नौवें स्थान पर है। वह रिपोर्ट क्या कहती है उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, चना, बेसन, धनिया, जीरा, इनमें 3.6 फीसदी सामग्री खाने योग्य अनसेफ है और जो इसको खायेगा उसके स्वास्थ्य को नुकसान होगा।

ये जो अलवर जिले के अंदर नकली मावा, नकली पनीर, नकली दूध की एक नई राजधानी बनती चली गई, हरियाणा, यूपी तक जा रहा है। निश्चित तौर पर आप इस पर कार्यवाही करें। एक जयपुर के आसपास गंदे पानी से जो सब्जियां पैदा हो रही हैं, जयपुर नहीं, हर बड़े शहर में इन सब्जियों की, एक रिपोर्ट आपके पास होगी, आपके सवाई मानसिंह चिकित्सालय के डाक्टरों की सबने मिलकर एक कमेटी बनाई थी।

अध्यक्ष महोदय, ये सब्जियां बड़े शहरों के पास जो पैदा हो रही हैं। इनमें क्रोमियम है, इनमें नाइट्रेट्स हैं। इसके कारण से कैंसर फैल रहा है, कम से कम आपकी जो स्थानीय निकाय की इकाइयां हैं, ये तो प्रबन्ध करें कि इससे नहीं हो और एक जो सब्जियों के अंदर अब, अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो हरित क्रांति 1966 के अंदर आई, इसने हमें खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म निर्भर तो बना दिया, पर सही कह रहे थे, रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य, ये अभिशाप के रूप में हमें कुछ ऐसी बीमारियां दे गई। हमने केमिकल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया, यूरिया का किया, डीटीपी का किया, पेस्टिसाइड्स का किया। आज अशुद्ध अनाज के अंदर जो कृषि मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट यह कह रही है कि भारत में खाद्य पदार्थों में कीटनाशक का अवशेष 20 परसेंट है। 20 परसेंट अवशेष हमारे खाद्य पदार्थों में कीटनाशक का आ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर मात्र 2 परसेंट है। पंजाब के बाद हनुमानगढ़, गंगानगर कैंसर का गढ़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बन गया। आपके नेशनल हैल्थ प्रोजेक्ट की ताजा रिपोर्ट यह कह रही है कि 2018 में पिछले 10 वर्षों की तुलना में डेढ़ सौ परसेंट कैंसर के मिल गए।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा क्या कहें, कहने को तो बहुत कुछ था। परन्तु मैं यह कहूंगा कि यह जो नीरोगी राजस्थान है। मंत्री महोदय, 'राइट टू हैल्थ' इन नारों से काम नहीं चलेगा। हम जिन पैरों पर खड़े हैं, हमारे पास संसाधन कहां है? आपने इसमें आयुर्वेद को एक तरह से अलग कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा, मैं गांव में रहता हूं, बचपन के अंदर कान दुखता था, दादी-नानी गरम तेल करके, उसके अंदर लहसुन लगाकर कानों में डालती थी, हमारे पुराने जो नुस्खे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनको आर एण्ड डी करें, उन पर रिसर्च करें, उनकी आज के समय में साइंटिफिक वैल्यू उस पर भी आप देखें। इसके अंदर समग्र रूप से आप जन चेतना करना चाहते हैं और जन चेतना के लिए आप राजस्थान के 60 परसेंट लोगों को स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। मैं समझता हूं आप इस अभियान के लिए आगे तो बढ़ रहे हैं और इसके साथ जब तक आप समुदाय को नहीं लेंगे, आज निजी चिकित्सालय हैं। जो आपके साथ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़े थे। आज आपने उस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की तो आपने हत्या कर दी, मर गई वो, तो और नई जो आप इंशोरेंस की लांच कर रहे हैं। महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना, इसके अंदर अब तक आपके पास कोई भी सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी आई नहीं, क्योंकि आपने 50 करोड़ रुपये उसमें सिक्योरिटी मनी रख दी।

आज हो क्या रहा है, आज सारे निजी चिकित्सालयों का विश्वास आपसे टूट रहा है और आप नीरोगी राजस्थान में निजी चिकित्सालयों को जब तक शामिल नहीं करोगे। इसलिए अभियान के रूप जन जाग्रति का काम तब बनेगा, जब आपके पास सारे संसाधन होंगे, गांव के अंदर आयुर्वेद चिकित्सालय का वैद्य बना बैठा है, प्राइवेट बैठा है, निजी चिकित्सक बैठा है वह भी आपके साथ जुड़े, आपके खुद के स्वास्थ्य मित्र जो बनाएंगे, वो भी जुड़ें, हैल्थ विलेज कमेटी के लोग भी जुड़े। तब यह राजस्थान निरोग होगा। इस राजस्थान नीरोगी के कंसेप्ट के लिए आपने जो शुरुआत की है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और हम सब लोग चाहेंगे कि राजस्थान नीरोगी हो, राजस्थान के माथे से बीमारूपन का जो कलंक लगा हुआ, स्वास्थ्य इंडिकेटर्स के कारण से वह हटे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महादेय, इस तेजी से जाते हुए समय के अंदर पूरी बात तो हुई नहीं फिर भी आपने बड़ी कृपा की, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज दिन भर इस विषय पर चर्चा हुई। मैं इस भावना से, नीरोगी राजस्थान के बारे में लेकर आये, मैं इसका स्वागत करता हूं। जो कुछ भी हमारे मन में है निश्चित रूप से हम इसको धरती पर उतारने का प्रयत्न करें, केवल घोषणा कर देने मात्र से अपना काम नहीं चलेगा, मैं चाहता हूं कि कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिन पर ज्यादा आर्थिक भार नहीं है, उसको हम ला सकते हैं। वैसे आपने कुछ बिन्दु बनाये हैं, उस बिन्दु के हिसाब से, अब ये जो प्रदूषण है। मैं सोचता हूं प्रदूषण को रोकने के लिए कम से कम एक काम पांच साल तक हमारा यह कार्यकाल रहेगा, वृक्षारोपण पर हम सबसे ज्यादा जोर देकर के विधायक फण्ड को साल में एक सर्टेन राशि को विधायक फंड के पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, इस पर खर्च करें तो मैं सोचता हूं वातावरण को, हम बदलने का काम कर सकते हैं। जिसमें सरकार पर किसी प्रकार का कोई ज्यादा वज़न आने वाला नहीं है। इसको इसमें प्राथमिकता देते हुए जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें।

दूसरा, खाद्य पदार्थ में मिलावट है। यह सुनते-सुनते तो हमें भी इस सदन में 40 साल हो गये और यह आलोचना प्रति आलोचना चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसका कोई स्थाई हल हो नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो सैम्पल लिये गये हैं और जिन सैम्पल में अमानक पाया गया, उस पर कठोर कार्यवाही होने के कुछ सिम्बल महीने में दस-पांच भी आप तय करके लटका दो, तो मेरी गांरटी है, एक साल बाद आप उसमें कमी सौ परसेंट देखोगे। लेकिन, आप और हम सब मिल-मिलाकर के उनको रफा-दफा करने का जो काम करते हैं। उसके कारण से चाहे वह अधिकारी हो, चाहे आप हो, चाहे राजनेता हो, चाहे आपका मिलने वाला भाई हो, व्यापारी हो, जिस ढंग से भी अपना व्यवहार करते हैं। जब तक हम स्वयं अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये बोलने का अधिकार भी हमको नहीं है कि हम इस मिलावट के खिलाफ हैं। परेशान सब हैं, महसूस सब करते हैं, कानून भी बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा समय पर सैम्पल का टैस्ट नहीं होता, समय पर उसका निर्णय नहीं होता, वर्षों गुजर जाते हैं, आठ साल में एक मिलावटी को इस राजस्थान में सज़ा नहीं मिले, इससे बड़ा प्रमाण आपके और मेरे सामने क्या हो सकता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूं, मैं भी हूं आठ साल में, मैं अपने आप को नहीं बचा रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार और ये जो मिलावटखोरी है, यह कोई हमारे टाइम पर, इसके उदाहरण नहीं आते थे, सैकड़ों उदाहरण रोज आते थे, रोज अख़बार में आता था, लेकिन स्थाई हल ढूंढ़ने की ओर चलो, स्थाई हल ढूंढने का रास्ता एक ही हो सकता है कि जो संगीन केस बन गया, उसको मोनिटरिंग करने के लिए, आपका डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति उसके लगातार पीछे पड़ा रहे और जब तक उसका निर्णय होकर के नहीं आता है, तब तक उसको नहीं छोड़ें, ऐसे महीने में 10 केस भी आप बनाकर के लटका दोगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि निश्चित रूप से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन कमी आने का रास्ता जरूर उसमें से बनेगा।

अब ये जो व्यसन वाला है। आप और हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल के लिए हम लोगों ने भी प्रयत्न किया, नहीं हुआ और व्यसन इस ढंग से चल रहा है कि अब तो हमारा नौजवान बच्चा, जो स्कूल में जा रहा है, वह भी इसकी लत में आ रहा है। अब इसके लिए भाषण देने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, केवल यह कठोरता मांगता है। अब पूरा कोटा, कौन नहीं जानता है, ड्रग माफिया का अड्डा बन गया है। आप और हम सब रोज जानते हैं, रोज बोलते हैं, रोज करते हैं, जितने भी स्कूल और कालेजेज, उनके बाहर जो भी आपके छोटे-मोटे खोमचे लगे हुए हैं। उन पर मिलने वाली जो कुछ भी पुड़िया है, उसको कौन नहीं जानता है। कौन ऐसा ट्यूरिस्ट सेंटर, जिसमें पुड़िया नहीं, कौन ऐसी जगह है। मैं सोचता हूं इस पर कंट्रोल करने का मन हो और इसके लिए कोई तो एजेंसी बनाकर के जो इसको ठीक प्रकार से करने का प्रयत्न करें। खतम नहीं कर सकेंगे, यह बात तय है, लेकिन अगर हम 10 परसेंट भी, आने वाली संतति को भी बचा लिया, तो अपने देश का बहुत बड़ा भला कर लिया। जिसको जाना है वो तो जाएगा, लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है। उसको हम किसी प्रकार से रोकने का, मैं सोचता हूं यह जो जनसंख्या नियंत्रण पर आज जो विषय आया है, इस हाउस में, मैं सब माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से इस पर हमें कोई तो विचार करके इसमें कदम बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह धर्म से जुड़ा हुआ विषय नहीं मानते हुए, वास्तव में यह समस्या समस्या है। इस समस्या को हल करने में हमारी सरकार भी, केन्द्र सरकार भी, सब लोग मिल बैठकर के इसके बारे में कोई रास्ता तय करें। जिसके कारण से इस पर हम किसी तरह से नियंत्रण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर सकें। समस्या जो है वह वास्तव में घूम फिरकर के आयेगी, बजट पर और सच में हिन्दुस्तान की जो रैंकिंग है दुनिया की पर कैपिटा जो इंवेस्टमेंट, जो हम मेडिकल पर करते हैं। अमेरिका तो बिलकुल पर टाप पर है, उसमें 7 लाख 19 हजार 848 रुपये पर व्यक्ति पर वर्ष खर्च होता है। हमारे यहां जो है, भारत में होता है, इस समय वो 14 हजार रुपया है और हमारा जो है राजस्थान, राजस्थान का घटकर के जो अपना 2018 में आया है तो 1661 रुपया, अब कहां हिन्दुस्तान खर्च करता है पर कैपिटा 14 हजार और राजस्थान पर कैपिटा खर्च करता है 1661 रुपया, यह 2018 के आंकड़े के आधार पर है। अब इससे तो हम इस समस्या का हल नहीं कर सकेंगे, भाषण भले ही आप दे दो, मैं दे दूं, कोई सुझाव दे दो, ये लगा दो, वो लगा दो, स्थान भर दो, समस्या हल होगी इससे?

अब इस बजट को आप कैसे बढ़ा सकते हो जब अबकी बार आपने नीरोगी राजस्थान बनाने का प्रयास किया है तो बजट आ रहा है उसमें आप अपना प्रोविजन बढ़ाइए अगर बढ़ा सकते हैं तो। यह वर्ष यूं मानकर चलो कि मेडिकल को समर्पित हमारा बजट है ऐसा करके भी अगर हम आगे बढ़ सकें और कुछ योजनाओं को हम मिला सकें तो बहुत अच्छा रहेगा।

मैं सोचता हूं कि परसेंटेज के हिसाब से चलें तो हम पर कैपिटा जो खर्च कर रहे हैं, वह 2016-17 का 1,104 रुपये था और अभी 2019-20 में 1,664 रुपये पर कैपिटा राजस्थान में अपन मेडिकल की दृष्टि से जो बजट हमारा है, वह खर्च कर रहे हैं और उसमें भी कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है यानी 2016-17 से लेकर के एक तरह से हम परसेंटेज के हिसाब से 1.08 पर थे। अभी अपन 1.3 पर हैं। मतलब लगातार इतने वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद भी बजट बढ़ाने के बाद भी अगर अपन अपने बजट का हिस्सा लेवें तो बजट का सामान्य था जो जीडीपी का अपन तीन परसेंट स्टैंडर्ड सोचते हैं, लेकिन अभी अपन एक परसेंट पर आ पाए हैं और हमारा जो बजट है, उसका अपन यह मानते हैं कि कम से कम 15% खर्च होना चाहिए मेडिकल पर। अभी अपन राजस्थान में 6.01 तक ही पहुंच पाए हैं तो जब तक आपके बजट एलोकेशन में बदलाव नहीं होगा तब तक आप योजना कितनी भी बना लो लेकिन उस योजना को क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा।

मैं सोचता हूं कि और नए खोलो या न खोलो, लेकिन जो आपने खोल दिये हैं यह आपका भी है, हमारा भी है कि हम ज्यों ही चुनाव आते हैं तो हर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक को खुश करने के लिए यह भी खोल दो, वह भी खोल दो। आप भी करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जब तक आप उसकी कमी पूर्ति नहीं कर सकते हो तो मैं सोचता हूं कि मैं बीमार हो गया और मुझे अहमदाबाद जाने के लिए गाड़ी किराए पर अगर मिल जाएगी तो जिस हास्पिटल में पूरा स्टाफ होगा उसमें जाने में मुझे क्या दिक्कत आएगी। जो आदमी यहां से चलकर अहमदाबाद और मुंबई जा सकता है इलाज कराने के लिए तो मैं सोचता हूं कि जो कम से कम डिस्टेंस पर जितनी आपकी पीएचसी सीएचसी को स्ट्रैंथन कर सको, क्रमवाइज चलो, ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ कर दो लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्स को कमप्लीट कर सकते हो तो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर कमप्लीट करो। उससे नीचे फिर आप पंचायत समिति को क्लियर कर सकते हो तो पंचायत समिति क्लियर करो उसके बाद 10 पंचायतों के बीच में अगर कोई पीएचसी है उसको स्ट्रैंथन कर सकते हो तो उसको स्ट्रैंथन करो, तब तो जाकर के आपके स्टाफ के आधार पर वास्तव में इलाज हो सकेगा।

दूसरा, दुर्भाग्य यह है कि हर व्यक्ति पैसे के चक्कर में लगा हुआ है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, सोच एक ही है कि मैं कैसे कमाऊं और कैसे कमाने के कारण से जो कुछ डाक्टर जैसा प्रोफेशन जिसको सेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था दुर्भाग्य है कि गरीब जनता का कितना पैसा लगाया होगा, वह गरीब भूखा रहता है। वह भी कुछ टैक्स देकर के उस कालेज को मेडिकल कालेज को चलाता है और उस बच्चे को तैयार करके डाक्टर बनाता है लेकिन उसके मन में यह भाव नहीं आता है कि जिसने मुझे पढ़ा करके तैयार किया मेरा भी कुछ फर्ज है, उसके प्रति मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह तो उसको प्रयोग करता है। मतलब आप यह देखो कि कोई अगर इन डाक्टर्स की जो प्रेसक्रिप्शन लिखते हैं, उसे किसी अच्छे डाक्टर को बिठाकर दिखाओ तो इसमें 6 जो लिखे हैं इनमें तीन तो फालतू हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है उसमें। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 6 जो दवाई लिखता है उसमें से तीन का 0% उपयोग है लेकिन केवल और केवल अपने पैसे की दृष्टि से और उसको खुश करने के लिए कि मैंने आज, अब दो पैसे की कोई दवाई दे दे, डाक्टर भटनागर जो थे, वह एक ऐसे डाक्टर थे कि 15 रुपये में सारा काम हो जाता था लेकिन उसको अच्छा नहीं मानते थे और जो 200 रुपये की दवाई लिखे उसको अच्छा मानने की जो मनोवृत्ति बनी है इस मनोवृत्ति का इलाज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तभी हो सकता है कि जो दवाई मिल रही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूं पर दवाई में जितना फर्जीवाड़ा आ रहा है, उसी दवाई के नाम से बेईमान लोग उसी दवाई को चला रहे हैं। नाम तो उसका वही है, सैंपल उसका वही है लेकिन दवाई कोई दूसरी चल रही है। अगर इसको भी कंट्रोल करके हम उसको सजा नहीं दे सकेंगे तो मैं सोचता हूं कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे।

जिस भावना से आप लाए हो उसमें विशेष करके जो हमारी जीवन प्रक्रिया थी, जिस प्रकार से हमारा दैनिक जीवन था, कम से कम एक तो करें हम अभी सिलेबस में जोड़कर के बच्चों के पाठ्यक्रम में इस स्वास्थ्य की दृष्टि से एक चैप्टर उनकी चौथी-पांचवी क्लास के बाद कम से कम उस बच्चे को पढ़ाने के लिए डालें तो भी मैं सोचता हूं कि थोड़ा-बहुत उसमें से कुछ निकलकर के आएगा। आज नहीं आएगा तो 5 साल बाद आएगा। दूसरा हमने खेल को इतना इग्नोर कर दिया पढ़ाई के पीछे कि कोई बच्चा खेलता ही नहीं है न तो मां-बाप खेलने जाने देते हैं और न विद्यालयों में कहीं जगह खेलने की है। जब तक आदमी स्वस्थ नहीं होगा न वह भले ही कितना ही अक्लमंद हो जाए वह बांका होकर ही चलेगा थोड़े दिन बाद। मैं आपको सही कह रहा हूं और हम सब लोग भी तैयार हुए हैं वह इस कारण से हैं कि हम खूब जमीन में गिरे हैं, उठे हैं, चले हैं, खेले हैं। यह जो खेल को आपने विद्यालय से कमजोर किया है या पीटी को आपने कमजोर किया है या शारीरिक शिक्षा को जो कमजोर किया है उसके कारण से भी हम उस बच्चे को अच्छा जीवन दे नहीं पा रहे हैं।

दूसरा तो मैं देश का दुर्भाग्य ही मानता हूं कि 72 साल के बाद भी अभी तक हिन्दुस्तान की बीस परसेंट आबादी ऐसी है जो सवेरे रोटी खाती है तो शाम को खाएगा कि नहीं खाएगा पता नहीं। उस कष्ट को तो हम सब मिलकर मिटा सकते हैं, कोई एक दिन में जादू का डंडा तो उसमें नहीं चला सकते लेकिन विभिन्न योजनाएं जो चलती हैं आपकी सरकार की, दुर्भाग्य यह है कि हम जो पोषाहार देते हैं उसमें कट मार लेता है, जो सामान सप्लाई करते हैं उसमें कट मार लेता है। जब तक इन कटमारों को सख्त नहीं करोगे तब तक कोई इलाज नहीं हो सकता है। चाहे आप कितनी ही योजनाएं बना दो, कितना ही परिवर्तन कर दो, कितने ही अच्छे मन से कर दो लेकिन जब तक इन अच्छे और बुरे के बीच में समाज के बीच में अंतर खड़ा नहीं करोगे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। भावना बहुत अच्छी है मैं स्वागत करता हूं और मैंने जब आपने मुफ्त दवाइयां शुरू कीं तब भी मैं इस विधान सभा में था मैंने खड़े होकर के कहा कि एक बीमार आदमी को 10 रुपये की गोली भी मिल जाए न तो उसके मन में इतनी खुशी होती है क्योंकि उसकी जेब में हाथ डालें तो 10 रुपये भी नहीं निकलते थे। लोटा दे करके दुकान पर जाता था और फिर वह कुड़की लेकर जाता था तो उसके लिए तो वरदान साबित हो गया लेकिन योजना की क्रियान्विति में जो-जो कमजोरियां लगती हैं उन कमजोरियों को सुधारने का काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। हमारे पास धन नहीं है कोई चिंता नहीं है लेकिन जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग हम अच्छे से अच्छे कैसे कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि डाक्टर भी कोई भगवान नहीं है, समय-समय पर ऐसे अवसर उनके सामने भी आने चाहिए, ऐसे कुछ कार्यक्रम होने चाहिए जिनमें उसमें भी मानवीयता पैदा होने का प्रयत्न हो।

मैं सोचता हूं आदमी कितना ही कैसा भी होगा लेकिन कई बार वातावरण देखने के बाद उसके मन में भी काम करने की शक्ति में बदलाव आता है। आप और हम सब लोगों ने भी अपने जीवन को देखा कि अपन कहां से उठे और कहां चले, जब तक सम्पर्क जिन लोगों के साथ रहता है, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए कि उन कार्यक्रमों में अच्छे डॉक्टर्स का वर्ष में एक बार निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सम्मान समारोह शुरू करें। चाहे वह प्राइवेट करता है कुछ भी, जो अच्छा डाक्टर है जिसको बच्चा-बच्चा कहता है कि यह डाक्टर बहुत अच्छा है तो मैं सोचता हूं कि जो नहीं करते हैं न जो केवल पैसे के चक्कर में पड़कर के सुबह शाम मतलब जितने पेशेंट वह हास्पिटल में देखता है उससे तीन गुना वह घर पर देखता है। कम से कम जो प्रैक्टिस नहीं करके भी लोगों की सेवा करता है, ऐसे डाक्टर्स भी आपके पास हैं ऐसा नहीं है, बहुत तगड़ेतगड़े यहां मैंने शेखावत जी को देखा था तो ऐसा नहीं है कि डाक्टर की कोई कमी है यहां पर हमारे पास बहुत अच्छेअच्छे सेवाभावी डाक्टर हैं लेकिन वर्ष में स्टेट लेवल पर भी कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम करके 5-50 डाक्टर, कंपाउंडर जिनकी बहुत अच्छी सर्विस है, वास्तव में पब्लिक जिसको चाहती है उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करो तो मैं सोचता हूं कि एक कम्पीटिशन पैदा होगा और इसमें नकारात्मक सोच नहीं रख करके मिल बैठकर के विशेष करके जनसंख्या के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ऊपर नियंत्रण कैसे हो सकता है, पर्यावरण संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं और इन मिलावटखोरों के खिलाफ हम कितनी सख्ती से कार्यवाही कर सकते हैं इन तीन बिंदुओं पर भी अगर इस नीरोगी राजस्थान में अपन चार कदम आगे बढ़ गए तो राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी।

विभिन्न विषयों पर विचार

स्वास्थ्य विभाग की निरोगी राजस्थान नीति पर विचार

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नीरोगी राजस्थान अभियान के बारे में पक्ष और विपक्ष के करीब 29 माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही उपयोगी बहुमूल्य सुझाव दिए और मुझे खुशी इस बात की है कि जो यह अभियान मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया है, क्योर के ऊपर तो हम सभी बात करते ही हैं प्रिवेंशन पर पहली बार ध्यान रखकर उन्होंने इस नीरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है राजस्थान में और जिस तरह की पाजिटिव अप्रोच सदन के सभी माननीय सदस्यों की सामने आई है मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान नीरोगी बनेगा आने वाले समय में क्योंकि यह एक समाज की, पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ विषय है कि बीमारी होए ही क्यों।

हम उन तमाम बिन्दुओं पर काम करें जिससे आम आदमी बीमार

(श्री रघु शर्मा)

नहीं पड़े और अगर फिर भी किसी कारण से बीमार पड़ जाये तब फिर हमारे क्योर के सिस्टम को सुदृढ़ करें। अभी जो अभियान माननीय मुख्य मंत्री जी ने 18 दिसम्बर से शुरू किया है, अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से माननीय सदस्यों का सहयोगी वातावरण रहा है, इसमें हमें जन सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इस तरह के अभियान में जब तक हम आम पब्लिक को इन्वाल्व करके नहीं चलेंगे, आम आदमी का सहयोग लेने में हम कामयाब नहीं होंगे, तब तक ऐसे अभियानों की सफलता को हम सुनिश्चित भी नहीं कर सकते। नीरोगी राजस्थान के अभियान को सफल बनाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13 विभागों को जोड़कर इस अभियान को राजस्थान में सफल बनाने का जो लक्ष्य रखा है, अधिकांश माननीय सदस्य कई मिलावट के बारे में चिंतित थे, कई माननीय सदस्य नशे के बारे में चिंतित थे, कई माननीय सदस्य पर्यावरण के बारे में चिंतित थे, इसमें अलग अलग विभागों का रोल है। किसी में पुलिस विभाग का रोल भी होता है। कहीं स्कूल एजुकेशन की बात भी है, कहीं हायर एजुकेशन की बात है, कहीं टेक्निकल एजुकेशन की बात है। हमारा जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसकी भूमिका की बात है। ऐसे करीब 13 डिपार्टमेंट्स को क्लब करके राज्य स्तर पर चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें इन डिपार्टमेंट्स के सभी प्रमुख शासन सचिवों को सम्मिलित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर इसी प्रकार की कमेटी बनेगी। संबंधित जिलों के जिलाधीशों के नेतृत्व में यह कमेटी बनेगी। यह तीन स्तरीय कमेटी होगी, जिसमें एक उपखण्ड स्तरीय कमेटी होगी और पूरे राजस्थान में जो हमारे राजस्व ग्राम हैं, जैसा अभी माननीय सदस्यों को भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी है इस बात की कि पूरे राजस्थान के जितने भी राजस्व ग्राम हैं और शहरी क्षेत्रों में जो वार्ड हैं, एक निश्चित समयावधि में हम लोगों की तैयारी है कि एक हमारी बहन और एक हमारा भाई, जो स्वेच्छा से इस मुहिम को कामयाब करने के लिये समय देना चाहते हैं और उनको हमने टर्म दिया है 'स्वास्थ्य मित्र'। 'स्वास्थ्य मित्र' पूरे राजस्थान में एक नेटवर्क बनाएंगे और यह संख्या करीब एक लाख से ज्यादा की होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण अंचल में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम, यह भी काम कर रहे हैं और उनको और इनकी संख्या को मिलाएंगे और जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि

(श्री रघु शर्मा)

इन्होंने इनके समय में 10-10 आदमियों की कोई कमेटियां बनाई हैं, अच्छा सुझाव है, हम उनको भी शामिल करेंगे। क्योंकि यह विषय न कांग्रेस का है, न बीजेपी का है, यह राजस्थान के आम व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखने का एक अभियान है और इसमें सब लोगों के इन्वाल्वमेंट के बिना हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मुख्य मंत्री जी का यह आहवान जन जन का बने अभियान, हम सब मिलकर बनाएंगे स्वस्थ और नीरोगी राजस्थान। वक्त की चुनौती समंदर है, कोशिश की कश्ती पर नजर है। कोशिश जीत जायेगी, चाहे तेज कितना ही भंवर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन बिन्दुओं को हमने इस अभियान में शामिल किया है, उसमें ज्यादातर बिन्दुओं के बारे में जानकारी हमने माननीय सदस्यों को पहुंचाई है। सबसे पहला बिन्दु गैर संचारी रोग, जो जीवनशैली पर आधारित है। मोटापा, मधुमेह, बीपी, मनोरोग, हृदय रोग, पक्षाघात, कैंसर, फेफड़े संबंधी रोग हैं, यह हमारे जीवनशैली आधारित रोग हैं। यह बिन्दु इसका प्रमुख बिन्दु रखा है। दूसरा है संचारी, जो समय-समय पर मौसमी बीमारियों की वजह से होते हैं। चाहे स्वाइन फ्लू हो, समय-समय पर मौत के आंकड़ें बढ़ते रहते हैं, यह भी इस अभियान का एक हिस्सा रहेगा। तीसरा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जिसमें एनिमिया, कुपोषण, शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विकास। चौथा है टीकाकरण और वयस्क टीकाकरण। पांचवां पाइंट है, किशोर अवस्था में स्वास्थ्य। इसमें भी एनिमिया, कुपोषण, मोटापा, माहवारी एवं स्वच्छता के बारे में बात है। छठा है, जैवियेट्रिक केयर, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल। सातवां है, नशा मुक्ति अभियान। इसमें शराब, ड्रग्स, तंबाकू, किसी भी प्रकार का नशा है, उससे राजस्थान को कैसे मुक्त किया जाये, यह भी इस अभियान का हिस्सा रहेगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में अधिकांश माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है और यह चिंता का विषय है भी। इसीलिए हमने इस अभियान के अंतर्गत इस बिन्दु को भी शामिल किया है। आगे है प्रदूषण नियंत्रण। जिस तरह से एनवायर्नमेंट पोल्युटेड हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाये। जलवायु संबंधी बीमारियों की रोकथाम कैसे हो, यह भी हमारे इस अभियान का एक बिन्दु रहेगा। दसवां पाइंट है, हमारा जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार कल्याण का कार्यक्रम। इन दस बिन्दुओं को लेकर राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने यह नीरोगी राजस्थान का अभियान शुरू करने का संकल्प व्यक्त किया है। इसके तहत यह जो हमारी 1 लाख 30 हजार आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो

(श्री रघु शर्मा)

हम स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे और जो दूसरी कमेटियां बना रखी हैं, उन सबको क्लब करके एक टीम बनेगी, जो यह लोग डोर टू डोर जाएंगे, मास अवेयरनैस का प्रोग्राम हम चालू करेंगे और बीमारियों से बचाव के उपाय और अगर हो जाती हैं तो उनका उपचार कैसे कराएं, इसके बारे में मार्स अवेयरनैस का प्रोग्राम चलाएंगे। नीरोगी राजस्थान एप भी हम लेकर आ रहे हैं। सिटीजन एप भी लेकर आ रहे हैं। नीरोगी राजस्थान एप सम्पूर्ण राजस्थान में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर-घर जाकर डिजिटल हैल्थ सर्वे का काम इसके माध्यम से होगा। सिटीजन एप के माध्यम से आमजन को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी जानकारी और आपातकालीन प्राथमिक उपचार हेतु सलाह और चिकित्सक से संपर्क एवं एंबुलेंस आदि की सुविधा के बारे में जानकारी देंगे। नीरोगी राजस्थान के अंतर्गत मास अवेयरनैस का जो कार्यक्रम हैं, उसमें चाहे प्रभात फेरी है, चाहे नुक्कड़ नाटक है, चाहे क्विज कांपीटिशन कराने की बात हो, इस तरह की गतिविधियां आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। हर वर्ष 18 दिसम्बर को, क्योंकि 18 दिसम्बर को इस अभियान को माननीय मुख्य मंत्री जी ने शुरू किया था, जैसा अभी डाक्टर्स के बारे में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो हम पुरस्कृत करेंगे ही करेंगे लेकिन नीरोगी राजस्थान बनाने की दिशा में जो हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, चाहे वह किसी राजस्व ग्राम में हों, चाहे वह तहसील में हों, चाहे वह जिले में हों, उनको भी हर साल सम्मानित करने का हमने एक कार्यक्रम बनाया है, ताकि इस कार्यक्रम को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर संचारी रोग, इसमें हमारी जो आशा सहयोगिनी हैं, वह घर-घर जाकर डिजिटल सर्वे कर हैल्थ रिकार्ड बनाने का काम करेंगी। सब सेंटर और पीएचसी पर स्क्रीनिंग भी की जायेगी और बीमार पाये गये व्यक्ति को उपयुक्त परामर्श व इलाज उपलब्ध होगा। आम जन को स्वस्थ जीवनशैली के लिये योग और व्यायाम अपनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, जैसा अभी माननीय कटारिया साहब ने कहा, वास्तव में यह सही बात है कि जब हमारा बचपन था तो हमारे पास खेल मैदान थे, नहीं भी थे तो भी शाम को एक दो घंटे खेलते थे। चाहे हमारे प्राचीन खेल हैं, जिनमें कोई खर्चा नहीं होता है, फुटबाल है, कबड्डी है, वालीबाल है, आज यह चलन बंद हो गया है, जो बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इसको कैसे प्रोत्साहित करें, इसके लिये आने वाले समय में हर राजस्व

(श्री रघु शर्मा)

ग्राम में खेल के मैदान कैसे विकसित हो और वहां पर खेल की मिनिमम सुविधाएं हमारी नौजवान पीढ़ी को कैसे मिलें, ताकि खेल के मैदान पर वह खेल सकें, अपने आपको स्वस्थ रख सकें।

(19.00 बजे)

इसके अलावा, एक और चीज जिसका लाभ हम लोग बचपन में खूब उठा चुके हैं, गांवों में वाचनालय की सुविधा हुआ करती थी जो शनै: शनै: अब खतम हो गयी है। हमारा इस अभियान के अंतर्गत प्रयास होगा कि गांवों में एक तरफ खेल मैदान हों और दूसरी तरफ वाचनालय हों। जहां पर पत्रिकाएं और समाचार-पत्रों के ताजा समाचारों से हमारी नौजवान पीढ़ी अपडेट रहे। बहुत सारी जानकारियां इनके माध्यम से उनको मिल सकती हैं। इन वाचनालयों को भी गांव-गांव में अच्छे साहित्य की सुविधा के साथ हम शुरू कर सकें, यह भी हमारा प्रयास रहेगा।

सिलिकोसिस की बीमारी बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हमारी सरकार इसके ऊपर नीति भी लेकर आयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सिलिकोसिस एरिया है, जहां पर माइनिंग एरिया है। यह बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि एक बार अगर यह बीमारी हो जाए तो उसके बाद यह लाइलाज बीमारी हो जाती है। हमारी यह कोशिश रहेगी कि इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर, चाहे माइनिंग एरिया में कार्यरत मजदूर हो, चाहे माइनिंग एरिया में रहने वाले लोग हों, उनको बचाव के तरीके। हमारा यह जो सिस्टम है और इस सिस्टम में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको कैसे बचाव के तरीक बताएं, मास्क लगाना है और किस तरह से बचना है, मास्क को गीला रखना है! इसके अलावा अर्ली डिटेक्ट करने के बारे में भी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर ये सुविधाएं उपलब्ध हों, उन क्षेत्रों के अंदर ताकि यह जो भयावह स्थिति सिलिकोसिस की बन रही है, उस पर भी हम नियंत्रण कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए हम लोग समय-समय पर मीटिंग भी करते रहते हैं, क्योंकि इससे जो स्थितियां पैदा होती हैं, अलग-अलग मौसम के हिसाब से अलग-अलग बीमारियां होती हैं, उन पर कैसे रोक लगायी जाए, कैसे प्रिवेंशन का काम किया जाए, उसके लिए घर-घर में सर्वे करने की बात है। साप्ताहिक रूप से एंटी लार्वा एक्टिविटी कैसे चले? सोर्स डिटेक्शन की गतिविधि कैसे संपादित की

(श्री रघु शर्मा)

जाए, फोगिंग हो, अभी हमने पूरे राजस्थान के लिए 11 लाख मच्छरदानियां वितरित की हैं।

अभी ताजा-ताजा कोरोना वायरस का प्रकोप चाइना से सामने आया। हमने इसकी भी व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर की है और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का काम किया गया और सैम्पल लेने का काम किया गया। जब पहले-पहले एक एमबीबीएस का स्टूडेंट आया, हमने तत्काल कहा कि उसे एस.एम.एस. हास्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाए और आइसोलेशन में रखने के बाद उस वक्त क्योंकि इसकी जांच की सुविधा वहां नहीं थी, उसका सैम्पल पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजा गया। सौभाग्य की बात है कि वह नैगेटिव आया। उसके बाद एसएमएस अस्पताल में हमने जांच की सुविधा प्रारम्भ की और करीब 80 सैम्पलों की जांच हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुकून का विषय है कि वे 80 के 80 सैम्पल नैगेटिव निकले। यह भी हमारी सजगता की वजह से और जो लोग चीन से आए, पहले फेज में चार जिलों के 18 लोग आए। हमने सीएमएचओज को एडवाइजरी जारी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका 28 दिन का कोर्स है। जो भी आदमी वहां से आया है, उस पर 28 दिन तक निगरानी रखी जाए ताकि कहीं उसमें कोई लक्षण पाए जाएं तो तत्काल उसका इलाज किया जा सके। यह 28 दिन का कोर्स अधिकांश जगहों पर जो लोग चाइना से आए, उन पर पूरा हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू की रोकथाम और उसकी निगरानी के लिए, जनवरी, 2019 में 2123 स्वाइन फ्लू के पोजिटिव केसेज हमारे प्रदेश में पाये गये और जो उपाय किये गये, मैंने जैसा ऊपर बताया। जनवरी, 2020 में पूरे राजस्थान में मात्र 60 स्वाइन फ्लू के रोगी मिले हैं, और कैजुअलटी जीरो है। हमने ये प्रयास किये कि मौसमी बीमारियों पर कैसे नियंत्रण किया जाए। यह मैंने आपको निवेदन किया। टीबी के ऊपर भी बहुत काम प्रदेश में हुआ है और इस पर हमारा स्लोगन है कि 'टी.बी. हारेगी और राजस्थान जीतेगा'

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो टीकाकरण की बात है। अभी दो दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। मैं भी उसमें था। टीकाकरण बीमारी की रोकथाम में बहुत बड़ा सहयोगी कदम हो सकता है। सिरोही से जो माननीय सदस्य आते हैं, उनके जिले में 100 परसेंट टीकाकरण है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में 95 परसेंट टीकाकरण

(श्री रघु शर्मा)

का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन चार-पांच जिले ऐसे हैं, जिनका 80 परसेंट के आसपास एवरेज है। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान का जो एवरेज अभी है, वह 88.9 परसेंट है। जो घनी आबादी है, छितरी हुई आबादी है या ट्राइबल एरिया है, जहां पहाड़ियों पर एक-एक मकान है। इसमें एक तो लैफ्ट आउट बच्चे और एक हैं ड्रापआउट बच्चे और एक वह कैटेगरी होती है जो प्रतिरोध करती है। हमने कार्य योजना बनायी है। अभी मेरी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ टीकाकरण के बारे में वीडियो कांफ्रेंसिंग थी। हमने उनको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार कार्य योजना बनायेगी। जो कई लोग भ्रांतियों की वजह से प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि उनके मन में शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निवारण करें। जो ड्रापआउट बच्चे हैं, उनको हम हमारे सिस्टम के माध्यम से वापस टीकाकरण की तरफ लेकर आएं और जो लैफ्टआउट बच्चे हैं, उनको हम तलाशें ताकि राजस्थान 100 परसेंट का लक्ष्य टीकाकरण में प्राप्त कर सके, यह नीरोगी राजस्थान का भी लक्ष्य है और हम इसको आने वाले टाइम में हासिल करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं में खून की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर अभी सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की। 80 प्रतिशत जो गर्भवती महिलाएं हैं, वे एनीमिया की शिकार हैं। कुपोषण की रोकथाम में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इनसे हम कार्डिनेट करके गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए इस अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान देंगे, यह हमारा लक्ष्य है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर , यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और प्रदेश के लिए भी है। इसमें मैं राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं मानता हूं। क्योंकि अगर आप आरोपप्रत्यारोप पर आ जाएंगे, इतना संवेदनशील मसला है। किसी भी बच्चे की मौत होती है तो सरकार में बैठा हुआ कौन आदमी इस बात से खुश होगा? लेकिन इसमें अगर हम गंदी राजनीति पर उतर आएंगे तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमने मातृ मृत्यु दर में कमी की है। शिशु मृत्यु दर में हम कमी लाये हैं। मैं उस दिन भी यही निवेदन करना चाहता था, जब प्रश्न लगा था। 2014 से हमारे प्रतिशत में लगातार गिरावट आ रही है और अब यह गिरावट का दौर जारी रहना चाहिए, इसलिए इसे हमने इस अभियान का हिस्सा बनाया है।

(श्री रघु शर्मा)

ज्यादा से ज्यादा संस्थागत प्रसव हों, इसके लिए राजस्थान में जो हाई डिलीवरी पाइंट्स हैं, उनकी कंडीशंस हैल्दी रहे, सरकार का यह लक्ष्य है, टारगेट है और हम इसको आने वाले टाइम में पूरा करेंगे। राज्य में 587 जननी सुरक्षा एक्सप्रेस हैं, 104 एंबुलेंस हैं, यह गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को उच्च चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाने का काम अभी कर रही हैं और प्रसव के पूर्व और प्रसव के पश्चात यह फैसिलिटेट कर रही हैं। यह जो जननी सुरक्षा एक्सप्रेस है, हमने प्रदेश में 108 एंबुलेंस सेवा चालू कर रखी है। 701 एंबुलेंस कार्यरत हैं, इसमें लंबे समय से कुछ नकारा भी हो गयी हैं। 200 नई एंबुलेंस अभी हम प्रिक्योर कर रहे हैं, ताकि जो नकारा हैं, उनका रिप्लेसमेंट हो जाए और यह व्यवस्था भी राजस्थान को नीरोगी बनाने में कारगर तरीके से काम करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोरावस्था में जो रोग होते हैं, उनमें एनिमिया है, कुपोषण है, मोटापा है, माहवारी में स्वच्छता है। अभी हमारी बहन अनिता भदेल जी चिंतित थीं। राजस्थान के दूरदराज इलाकों में सेनिटरी नेपकिन वितरित करने की जो शुरूआत की गयी है, यह हम सुनिश्चित करेंगे कि दूरदराज के इलाकों में भी सेनिटरी नेपकिंस पहुंचे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी सेनिटरी नेपकिन मिले, इसके अलावा एडोलसेंट हैल्थ क्लिनिक किशोरों के लिए, इसे उजाला क्लिनिक बोलते हैं, किशोरों से दोस्ताना व्यवहार। कई बार हमारे किशोर पेरेंट्स से झिझक के मारे शेयर नहीं करना चाहते, उनकी कई प्रोब्लम्स होती हैं, उन प्रोब्लम्स को उचित माध्यम से इन उजाला क्लिनिक के माध्यम से वे शेयर करें, ताकि उनका समाधान हो सके।

10 जिलों में अभी 314 क्लिनिक ऐसे संचालित हैं। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान में उजाला क्लिनिक, हम लोग स्थापित करें। मासिक धर्म में स्वच्छता की स्कीम का मैंने बता ही दिया। 10 से 19 वर्ष की उम्र के किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य का परीक्षण, इस अवस्था में होने वाले रोगों की जानकारी देकर उन्हें निदान के प्रति जागरूक करने का भी इस अभियान के तहत हमने लक्ष्य निर्धारित किया है।

राजस्थान एनीमिया मुक्त कैसे हो? 30 जनवरी, 2019 से इस अभियान की शुरूआत की थी और इसमें वीकली आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव, नेशनल डी-वार्मिंग डे जो कि अगस्त में मनाते हैं, ये गतिविधियां आयोजित करके एनीमिया के स्तर में

(श्री रघु शर्मा)

कमी लाने का सरकार का सोच है। आने वाले समय में इसको और मजबूती के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। वृद्धावस्था में जेरियाट्रिक केयर, वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा योजना का जो लाभ है, वह सुनिश्चित कराना सरकार की प्राथमिकता में है। इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे ही सरकार बनी, उनकी पेंशन में वृद्धि की और उनको जिस तरह की बीमारियां वृद्धावस्था में हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द, गठिया, सांस में तकलीफ, अकेलापन, भूलने की आदत, मानसिक रोग, ये जो हमारा ट्रिपल ए का सिस्टम है, वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करने का भी काम करेगा और इन बीमारियों से उनका कैसे निदान हो? इसमें भी सहयोग प्रदान करेगा। इसमें समय-समय पर वार्तालाप उनके माध्यम से हो, प्राणायाम और योग की तरफ कैसे उनको मोड़ सकते हैं? इस पर भी ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा जो सरकारी सुविधाएं अस्पताल में हैं, उनका लाभ कैसे मिले, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

नशा मुक्ति अभियान- यह तो मैं नहीं कहता कि पूरे प्रयास हो गये। लेकिन यह चिंता का प्रश्न पूरे सदन का है। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी अभी कहा कि हम चाहेंगे तो भी एकदम बटन दबाकर नशा मुक्ति कर नहीं पाएंगे। लेकिन प्रयास हमने नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने ई-सिगरेट को प्रतिबंधित किया है। जो ये हुक्का बार हैं, मां-बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और वे हुक्का बार पर बैठे रहते हैं। अब कोई कहता है कि इसमें निकोटिन नहीं होता। निकोटिन नहीं होता लेकिन लंग्स में धुआं तो जा ही रहा है। किसी भी रूप में बीमारी तो पैदा करेगा ही करेगा। हमने इसको प्रतिबंधित किया है। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जैसा सुझाव आया था, हम शिक्षा विभाग से समन्वय करके ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराएंगे। हमारे बच्चे को पाठ्यक्रम में ही इन बातों के बारे में अवगत कराया जाएगा कि नशे के दुष्प्रभाव क्या-क्या हैं? अगर हम नशा करेंगे तो हमारे शरीर पर क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ेगे, कितनी उम्र कम हो जाएगी, क्या-क्या बीमारियां हो जाएंगी? यह हम बताएंगे। 30 जनवरी को हमने जोधपुर से नशा मुक्ति अभियान की शुरूआत की वर्ष 2019 में। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि एक दिन में 1 करोड़ 13 लाख बच्चों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। ये प्रिवेंशन की तरफ ही हमारा कदम था। इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने 33 संस्थाओं को पुरस्कृत किया। इसमें सिर्फ राजस्थान राज्य था जिसको डब्ल्यूएचओ ने पुरस्कृत किया।

(श्री रघु शर्मा)

हम काम कर रहे हैं और आगे भी हमारी मंशा है। राजस्थान में हम डी-एडिक्शन केन्द्र खोलें, कम से कम जिला स्तर पर, अभी तो बात आ रही थी कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर खोल दो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर खोल दो, लेकिन अभी प्रारंभिक चरण में, अभी तक हमारे जिला स्तर पर भी डी-एडिक्शन सेंटर नहीं है। सरकार प्राथमिक स्टेज पर 33 जिला मुख्यालयों पर डी-एडिक्शन सेंटर खोलेगी जिससे जो एडिक्टेड हैं, उनको नशा मुक्त कैसे किया जाए? इसकी काउंसलिंग या उसकी जो भी छोटी-मोटी दवा है, वह उपलब्ध कराएंगे।

मानानीय अध्यक्ष महोदय, इन सबके अलावा सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है, खाद्य पदार्थों में मिलावट। अगर वास्तव में इससे लड़ना है तो राजस्थान में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हम लोगों को जागरूक होकर स्वयं को आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। आम आदमी की जिंदगी खतरे में पड़ रही है, यह आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं लेकिन रोकथाम के ऊपर काम नहीं हो रहा है। कानून जो बना हुआ है, वह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 2006 में बना, 2011 में बना, उस कानून के तहत कार्यवाही, अभी मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा, इसकी जो लेबोरेट्रीज हैं, 11 लेबोरेट्रीज हैं, राजस्थान के अंदर। इसमें से 3 लेबोरेट्रीज को 11-11 करोड़ की राशि देकर सुदृढ़ किया। जयपुर की तो पहले ही सुदृढ़ थी। बाकी जो 2 लेबोरेट्रीज हैं, उनमें भी 11-11 करोड़ के इक्विपमेंट आए। हमारी बाकी जो 8 लेबोरेट्रीज है, वहां पर भी टैस्टिंग फेसिलिटीज हों। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कार्यवाही नहीं होती है, यह सही है। यह इसलिए सही है कि हमारे सिस्टम में हमने सुधार किया ही नहीं। मैंने अधिकारियों को कहा कि एक अधिकारी सैम्पल कलेक्ट करे। अधिकारी भी हमारे पास कम हैं, यह भी सच्चाई है। हम अधिकारी बढ़ा रहे हैं। अभी आरपीएससी में भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन कम से कम 6 सैम्पल लेने की एक व्यक्ति की जिम्मेदारी रहे और वह सैम्पल सेंट्रलाइज सिस्टम से, यह अभी तक लागू नहीं है, यह मैंने कहा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी इस बात को कि जो सैम्पल भेजने वाला आदमी है, वह सेंट्रल सिस्टम के पास सैम्पल भेजेगा। उसका कोडिंग डी-कोडिंग होगा। उसके बाद उसको कौन-सी लेबोरेट्री में हम जांच के लिए भेजेंगे, उसका निर्णय भी यहां प्रदेश स्तर से होगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी क़ानूनन कार्यवाही की जाए, ऐसा नहीं है कि हमने

(श्री रघु शर्मा)

कार्यवाही नहीं की है लेकिन इसमें क्या प्रोविजन्स हैं? अगर मान लो किसी को यहां किसी भी कोर्ट के माध्यम से सज़ा मिल भी गई तो उसके बाद भी जो प्रोविजन इसमें रखा गया है कि एक महीने में वह आदमी अपील में जा सकता है। अपील में जाएगा तो भारत सरकार के द्वारा जो लेबोरेट्रीज तय की हुई हैं, उस लेबोरेट्री में जाता है। बचाव के रास्ते ज्यादा हैं और पनिशमेंट के रास्ते कम हैं। मैंने कहा है लीगल ओपिनियन ले लें, क्योंकि मुख्य मंत्री जी भी चिंतित हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा है, जो मैं सदन में कहना चाहता हूं, सदन के बाहर कहा कि इन मिलावटखोरों को फांसी की सज़ा भी दी जाए तो वह भी कम है। यह हमारे मुख्य मंत्री जी का सोच है।

मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य स्तर पर मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य स्तर पर इस कानून के अतिरिक्त भी अगर यह सदन सहमत होगा तो आने वाले समय में हम कठोर से कठोर कानून लेकर आएंगे। मैं आपसे सुझाव लूंगा, मैं यही तो कह रहा हूं। सरकार की यह मंशा है। जो एग्जिस्टिंग कानून है, उसमें बचने के रास्ते बहुत हैं। हमारी इच्छा यह है कि ऐसा कानून इस विधान सभा के माध्यम से हम राज्य स्तर पर लेकर आएं कि कोई मिलावटखोर बचने नहीं पाएं। कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। राजस्थान में एक वातावरण बने, जिससे आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ का जो गोरखधंधा चल रहा है, इस पर हम अंकुश लगा सकें।

इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण पर बहुत अच्छे सुझाव आए। यह सुझाव अच्छे हैं। इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे राजस्थान में 10 परसेंट भू-भाग है, पूरे कंट्री का। पानी है हमारे पास 1 परसेंट। अगर सघन वृक्षारोपण होगा, न केवल पर्यावरण संतुलन होगा बल्कि बरसात का प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा और यह राजस्थान के लिए एक अच्छा कार्यक्रम सिद्ध होगा। हम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से टाई-अप करके स्वयं सेवी संस्थाओं को शामिल करते हुए आप लोगों का सहयोग लेते हुए पूरे राजस्थान में सघन वृक्षारोपण कैसे हो, प्रदेश का पर्यावरण कैसे बचे, प्रदूषण से शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों को हम रोक पाएं, इस पर भी नीरोगी राजस्थान के तहत काम किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या पर भी बहुत चिंता व्यक्त की गई। यह चिंता का विषय है भी। मैंने तो एक-दो प्लेटफार्म पर कहा भी है कि एक नारा दिया था, हम दो-हमारे दो। अब वह पुरानी बात हो गई। अब नारा आना चाहिए, हम दो-हमारा एक। क्या हुआ देवनानी साहब?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): चाइना का...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उन्होंने पूछा है साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बोलें। प्लीज डोंट इंटरवीन।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बढ़ती हुई आबादी हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है।

और मास अवेयरनैस के लिए हम जो टीम खड़ी कर रहे हैं वह घर-घर जा कर आम आदमी को कन्विंस करेगी। आपकी आमदनी इतनी नहीं है जितनी आपके पास संतान हो गई। कैसे पढ़ाओगे, कैसे कपड़े पहनाओगे, क्या खिलाओगे, खुद आम आदमी में अगर यह भावना आ गई कि मेरी जो स्थिति है, उसके अनुरूप मेरा परिवार सीमित रहना चाहिए। इसका एक जन जागरण का अभियान पूरे प्रदेश में चले यह काम हम नीरोगी राजस्थान के अंतर्गत करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कई सवाल उठे। आधारभूत ढांचे को लेकर भी उठे। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र में हमने 28 वादे किए। हम सरकार में आए। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि उनमें से 50 प्रतिशत कामों को हम एक साल में पूरा कर पाए। मेरे चिकित्सा विभाग की बात कर रहा हूं। यह इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। 2008 से 2013 का कार्यकाल था, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। हमने पिछले कार्यकाल में 3537 सेंटर खोले थे जब 2008 से 2013 के बीच हम सरकार में थे। आप भी पांच साल सरकार में आए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नीरोगी राजस्थान पर बोलो ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब आप आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की बात करेंगे, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। आपने भाजपा शासन के पांच वर्षों में सात सब सेंटर खोले, यह सतत प्रक्रिया चलती रहे तो आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। (व्यवधान) मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। आप कोई भी कंपेरिजन कर लो। आप पीएचसी की बात कर लीजिए, 2008 से 2013 के बीच में 822 खोली थीं। आप सत्ता में आए जब 46 खुलीं। अभी हमारी सरकार के एक साल में हमने 52 पीएचसी खोल दी हैं। यह एक साल की अवधि के अंदर है।

(श्री रघु शर्मा)

कोटा में बच्चों की मौत हो गई, एक बैड पर दो बच्चे क्यों लेटे हैं यही सवाल उठाते हैं। अब बात है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर शय्याओं में वृद्धि नहीं होगी तो जो पेशेंट आएगा उसको आप कहां लेटाओगे। शय्याओं की वृद्धि है, यह पिछले कार्यकाल में हमने 3445 बढ़ाई। जब आप लोग आए आपने 785 बढ़ाई। यह सच्चाई है, मैं इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं। इस एक साल में, जब से यह सरकार आई है, हमने 1050 बैड की स्वीकृति दी है। 11 माह में 15 नये सरकारी मेडिकल कालेज, कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह तो भारत सरकार ने खोले हैं, आपका क्या है। मुझे एक बात बताइए कि इसी नीरोगी राजस्थान की बहस में आप बात कर रहे हो कि भारत सरकार ने खोले हैं। 15 मेडिकल कालेज खोले हैं। हमारे मालवीय नगर से आने वाले सदस्य का भी यही बयान आया कि भारत सरकार ने खोले हैं। आप मुझे बताइए पांच साल यहां भी आपकी सरकार थी, पांच साल वहां भी आपकी सरकार थी, इस नेक काम को आपको तभी कर लेना चाहिए था, कहीं तो मानोगे। यह नेक काम करना था, तो आप ही कर लेते। यह हमने किया, कम से कम इतना तो साधुवाद दे दो। इसके लिए क्या-क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि बजट का ही प्रोवीजन नहीं है। इस सदन का समय क्यों खराब करते हो। आपको जानकारी ही नहीं है। बहस में ऐसे तथ्य रखना जरूरी है क्या? आप पहले पता करिए कि मेडिकल कालेज कैसे खुलते हैं, इस बात की जानकारी लेकर आओ, तब यहां आलोचना करो। यह कोई असत्य तथ्यों पर आलोचना करने का प्लेटफार्म नहीं है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने सभी जगह एमसीआई के नोर्म्स के अनुसार जमीनों का आवंटन समयबद्ध तरीके से करवाया। वहां पर जो अस्पताल उनकी बैड कैपेसिटी एमसीआई के नोर्म्स कहते हैं, उनके अनुसार है कि नहीं है, यह सुनिश्चित किया गया। जमीन और अस्पताल का डिस्टेंस वह एमसीआई के नोर्म्स के अनुसार है या नहीं, यह सुनिश्चित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय यह बजट पर आ गए। बिना बजट के मेडिकल कालेज खुल जाएगा क्या? हम राजस्थान की जनता को जवाब दे देंगे? यहां कह रहे हैं कि बिना बजट के खोल रहे हैं। कोई बिना बजट के नहीं खुलेगा। 195 करोड़ भारत सरकार दे रही है, 130 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार दे रही है। अब आप कहो कि भारत सरकार ने खोल दिए, इसी राजस्थान की जनता

(श्री रघु शर्मा)

ने आपकी पार्टी के 25 एम पी चुनकर भेजे हैं। यह मेडिकल कालेज कोई कांग्रेस के लिए खुल रहे हैं क्या? यह तो राजस्थान की जनता के लिए खुल रहे हैं। आलोचना करने से पहले आप यह मत भूलिए कि 25 एम पी राजस्थान की जनता ने जिता कर भेजे हैं। मैसिव मेंडेंट दिया है। अगर आप 195 करोड़ रुपये दे रहे हो तो हमारा भी तो हिस्सा है, टैक्स का। राजस्थान की जनता टैक्स नहीं देती है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह नीरोगी राजस्थान ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह गलत परंपरा है। माननीय सदस्य, गलत परंपरा है, आप मंत्री रहे हुए हैं। आप बैठिए प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मेरा नाम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मंत्री रहे हुए हैं, प्लीज बैठिए। अंकित नहीं होगा। आप बैठें, आप बैठें। गलत परंपरा है। माननीय मंत्री जी वाइंड-अप करिए, प्लीज।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सर, मैं पूरी बात तो रखूंगा। +++

श्री अध्यक्ष: आक्षेप नहीं लगाएं। (व्यवधान) आप बात समझें। आप पहले सुन लें। चर्चा का कोई समय होता है। अनंत समय तक चर्चा नहीं की जा सकती। मेरा आपसे निवेदन है, कृपया अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से राजस्थान जूझ रहा था। एक साल के अंदर 11 सुपर स्पेशलिटी पीजीसी और 950 पीजी की सीटें, जिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा होगा, हम लेकर आए हैं। जिससे राजस्थान में आने वाले वर्षों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर होगी। देखिए, मैं इसमें कोई आलोचना नहीं कर रहा, कटाक्ष नहीं कर रहा, उपलब्धि तो बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इस एक साल में एमबीबीएस की 650 सीटें बढ़ी हैं। अब 2600 हो गई हैं। यूजी की सीटें राजस्थान में 2600 हो गई हैं। गरीब का बच्चा भी डाक्टर बनने का सपना देख सकता है। तीन ज़िले जो शेष बचे हैं, जालौर, प्रतापगढ़ व राजसमंद,

(श्री रघु शर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने दो में तो पीपीआर बना दी है। जालौर की पीपीआर बन गई है। प्रतापगढ़ की पीपीआर बन गई है। मुख्य मंत्री जी का निर्देश था, सरकार बनने के साथ ही कि राजस्थान के जितने ज़िले हैं, उनमें सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कालेज खुलने चाहिए, और उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। 15 मेडिकल कालेज की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

माननीय, सदन को बताना चाहता हूं, यह बजट नहीं होने की बात कर रहे हैं, बीएफसी में पैसा अनुमोदित हो गया है। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत परंपरा नहीं। मंत्री बोल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बहुत ज्यादा ज्ञान का अजीर्ण नहीं होना चाहिए किसी को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भारत सरकार भी साल के हिसाब से इसका पैसा जारी करती है। एक साथ 195 करोड़ रुपया नहीं आएगा। एक साथ 130 करोड़ रुपये हम भी खर्च नहीं करने वाले। यह फैज मैनर में आएगा, हर बजट के साथ। इस साल का बजट आने दो, पता लग जाएगा, आज मेरे से क्या जवाब मांग रहे हो। ऐसे सवाल पहले से आप खड़े करते हो, सदन के अंदर जानकारी रखकर आया करो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए, गलत परम्परा नहीं। अंकित नहीं होगा। आप बैठे प्लीज। अंकित नहीं होगा, आप सुन नहीं रहे हैं?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य I will name you आप बैठिए प्लीज। आप पहली बार आए हैं, क्या परंपरा डालना चाहते हैं? आप बोलें, जो सुनें? मंत्री बोलें जो नहीं सुनेंगे?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीनियर सिटीजन और बीपीएल फैमिलीज के लिए भी सवाल उठा था। सीटी स्कैन, एमआरआई हीमोडायलिसिस को निःशुल्क किया था। सात मेडिकल कालेज में तो चालू हो गई है, बाकी में हम चालू करेंगे। जो चीज स्वीकार

(श्री रघु शर्मा)

करने लायक है, वह चीज हम सदन में कह रहे हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सात मेडिकल कालेज में हम दे रहे हैं, बाकी में हम अब चालू करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर सदस्य हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान को गर्व है, हमने जन घोषणा पत्र में कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को मजबूती देंगे। मुझे खुशी है 25 दिन के अंदर उत्तर भारत के सरकारी क्षेत्र का एमएमएस अस्पताल पहला केन्द्र बना है, जहां दो हार्ट ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हुए हैं। मैं बच्चे से मिलकर आया था, 17 साल का बच्चा था और इसके लिये हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच के अनुसार इसी एक साल में अत्याधुनिक तकनीक का वहां ओ.टी. बनाया गया, जहां हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। यह बातें बहुत सालों से हो रही थीं। यह अमल में हम लेकर आये हैं। सोटो का गठन हुआ। यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। अभी-अभी वित्त विभाग से आदेश जारी हुए हैं। चार विशेषज्ञ चिकित्सक, जो लीवर ट्रांसप्लांट का काम करेंगे, आने वाले समय में एस.एम.एस. अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट का काम भी हमारी सरकार शुरू करने वाली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भर्ती के मामले को ध्यान में रखते हुए अभी विभाग के अधिकारियों को, यह जो कोटा का प्रकरण हुआ, उसके बाद कहा कि हर महीने राजस्थान का चाहे उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कालेज से जुड़ा हुआ अस्पताल है, वहां तक के टोटल जो स्ट्रक्चर हैं, उसमें कितना मैन-पावर स्वीकृत है, कितना कार्यरत है, कितनी कमी है, इस डाटा का संधारण, मासिक रूप से किया जायेगा। मैं उसको खुद रिव्यू करूंगा। उसके लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसी प्रकार इक्विपमेंट के लिये भी, जो स्वीकृत इक्विपमेंट हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र पर, वहां से लेकर मेडिकल कालेज से जुड़े अस्पताल तक, कौनसे उपकरण खराब हैं, कितने स्वीकृत हैं, और कितने अण्डर मेंटिनेंस हैं। हमारा यह रिकार्ड मंथली संधारित होगा ताकि हम टाइमली बजट अलोकेशन भी कर सकें, और यह कभी सुनने को नहीं मिले कि उपकरण की कमी से किसी व्यक्ति के इलाज में कोई कोताही हो गई। लास्ट में एक बात और।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इस एक साल में चिकित्सा विभाग के अन्दर रिकार्ड नियुक्तियां

(श्री रघु शर्मा)
हुई हैं। हमने अराजपत्रित वर्ग में 20 हजार नियुक्तियां की हैं और पांच हजार प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 1563 डाक्टरों की भर्ती हमने की है। उसमें से 737 तो रैगुलर बेसिस पर है और बाकी यू.टी.बी. पर हैं। इसके अलावा, क्योंकि मैं जानता हूं, पी.जी. और लीव रिजर्व की वजह से, हमेशा हमारे पास राजस्थान के अन्दर 2000 डाक्टर्स की कमी रहती है। इसलिये हमने वित्त विभाग को लिखा है। हो सकता है, बजट में कोई खुशखबरी मिल भी जाये। हमने वित्त विभाग को लिखा है कि 2000 डाक्टर्स की कमी को एड्रैस करने की, हमको आप वित्तीय स्वीकृति प्रदान करो, ताकि आने वाले समय में राजस्थान में चिकित्सकों की कमी नहीं रहे। यह जो आज माननीय सदस्यों की चिंताएं थीं, कहीं पी.एच.सी. में डाक्टरों की कमी है, कहीं सी.एच.सी. में डाक्टर नहीं हैं। नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का काम पूरा हो गया है। इसकी मैरिट लिस्ट जारी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कोई लिटिगेशन है, उस पर इस महीने फैसला हो जायेगा। उनको नियुक्ति देने का काम करेंगे, ताकि दूर-दराज के इलाकों में, चाहे वह आदिवासी इलाका है, चाहे वह रेगिस्तानी इलाका है, चाहे वह एस्पीटेशनल डिस्ट्रिक्ट है, कहीं भी राजस्थान में न डाक्टर की कमी रहेगी, न चिकित्साकर्मियों की कमी रहेगी। इस सोच के साथ हम नीरोगी राजस्थान लेकर आये हैं।

लास्ट में, आयुर्वेद के बारे में दो पाइण्ट, बस, अध्यक्ष महोदय।

माननीय कटारिया साहब ने बोला था, राज्यपाल के अभिभाषण पर, जब आप अपना वक्तव्य दे रहे थे, हैल्थ और वैलनेस सेन्टर। अभी यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा भी कि इसमें हम फिसड्डी हैं, अट्ठाईसवें नम्बर पर हैं। अब किसी ने पूछा क्या, है क्या यह हैल्थ और वैलनेस सेन्टर? डेढ़ लाख रुपये मात्र भारत सरकार दे रही है, वह किसके लिये दे रही है कि उस बिल्डिंग की पुताई कर दो, और जो भी भारत सरकार के कार्यक्रम हैं, उनका प्रचार करो। वैलनेस सेन्टर की जो असलियत है, सच है, वह भी हमको जान लेना चाहिए। चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे एलोपैथी में हो, और 7 लाख का एक कमरा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर बनाने का हमको दिया है। उस पर हम काम कर रहे हैं, यह गुमराह करने की बात नहीं है। हम बोल रहे हैं हैल्थ और वैलनेस सेन्टर पर राजस्थान फिसड्डी हो गया। फिसड्डी कहां हो गया, रंगाई-पुताई में फिसड्डी हो सकते हैं लेकिन पैसा कुछ मिला नहीं है।

स्वास्थ्य बीमा योजना के मामले में आप सदन को गुमराह नहीं कर

(श्री रघु शर्मा)

सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं। अभी यह ट्रस्ट मोड पर चल रहा है। राजस्थान में इसके लाभार्थी पहले एक करोड़ परिवार थे। भामाशाह को बंद नहीं किया है। आपकी अच्छी योजना थी, मैं सदन में कहता हूं और कभी कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि योजना खराब है। एक गरीब को समर्पित योजना है। हम इसकी तारीफ करते हैं। इसको कोई बंद नहीं किया। मेहरबानी करके आप यह भ्रांति मत फैलाइये। हमने स्वास्थ्य बीमा योजना को इंटिग्रेटेड फार्म में चालू किया है। आप लोग तो लागू कर नहीं पाये थे। आप ही के प्रधान मंत्री की योजना थी, आयुष्मान भारत योजना। वह क्या कारण रहे, वह तो आप जानो। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक सितम्बर, 2019 से ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे का मतलब 'हमारे' नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं माननीय कटारियाजी के नि:शुल्क दवा योजना के बारे में दिये गये बयान का स्वागत करता हूं। जब यह योजना लागू की, तब इन्होंने इसकी तारीफ की। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह कहा गया कि दवा के नाम पर कांग्रेस सरकार जहर दे रही है। आप कितना पाप कर रहे हो। यह जहर है, जो हम दे रहे हैं। तो आप सही हैं, या भारत सरकार सही है। मोदीजी की सरकार पिछले छह महीने से लगातार नि:शुल्क दवा योजना में राजस्थान को नम्बर एक रैंकिंग दे रही है। अभी भी जनवरी की जो रैंकिंग हुई उसके अन्दर हमारा स्कोर 72.49 प्रतिशत आया। सैकण्ड रहा तेलंगाना। भा.ज.पा. शासित राज्य कहीं नहीं हैं, बहुत नीचे हैं। इसलिये जो काम अच्छा हो रहा है, उस पर राजनीति, मेहरबानी करके नहीं करनी चाहिए। आप लोग कटारियाजी को फालो करिये। उस पर बात करनी चाहिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह जो अभी इंश्योरेंस वाली बात आई, 59.70 लाख परिवार प्रधान मंत्रीजी के कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवरेज में आते हैं, जो कैटेगिरी उन्होंने राजस्थान में रखी है। हमने इसको राजस्थान में इंटिग्रेटेड फार्म में लागू किया है। इंटिग्रेटेड में 80 प्रतिशत, माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरलेपिंग है, 80 प्रतिशत ओवरलेपिंग होने के बावजूद भी, एक करोड़ दस लाख फैमिलीज हो गईं, दस लाख फैमिलीज बढ़ी हैं। यह जो प्रोग्राम हमने लागू किया है। कोई बंद नहीं किया। यह जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी, जिसका कार्यकाल 12 तारीख को खतम हो गया, उसके बाद हम ट्रस्ट मोड पर चला रहे हैं। हमने टेण्डर किया है, टेण्डर में अगर एक ही कम्पनी आई तो हम वह 'आप' नहीं हैं, हम 'हम' हैं। उसकी रेट कोटेशन ज्यादा हो, और अगर मान लो आपस में प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो, कैसे उस टेण्डर को हम कर दें, ट्रस्ट मोड पर हम संचालित कर रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है। आपको मैं कह रहा हूं, आपके कार्यकाल के कोई दो महीने उठा लो। हम दो महीने से इसको चला रहे हैं। दो महीने के आपके कार्यकाल में, कोई से दो महीने, उससे ज्यादा इफैक्टिव तरीके से ट्रस्ट मोड पर हमारे इन दो महीने में इसको चलाया है। आप आंकड़े उठाकर देख लो।

आयुर्वेद के बारे में एक बात कहकर खतम करूंगा, अध्यक्ष महोदय। बातें तो बहुत हैं। अभी कटारिया साहब की भी पीड़ा थी। उन्होंने कहा आयुर्वेद के बारे में। पहले तो यह छप गया कुछ अखबारों में कि हमने आयुर्वेद को नीरोगी राजस्थान का हिस्सा ही नहीं बनाया। लेकिन यह सही नहीं है। उस दिन भी जब राज्यपाल के अभिभाषण पर कटारिया साहब बोल रहे थे, आपकी पीड़ा से मैं सहमत हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है। ये जो प्रमोशन का काम है, मैं आपके माध्यम से ही उनको बताना चाहता हूं। 2017 तक की प्रक्रिया हमने पूरी कर दी। अब सिर्फ 2017-18 और 2018-19 बचा है। उसको भी आने वाले समय में हम लोग पूरा कर देंगे।

इसके अलावा औषधियों का जो प्रोक्योरमेंट है, उसके आर्डर जारी किये हैं। आयुर्वेद में 21 करोड़ की दवाइयां खरीद रहे हैं। जब प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस पूरा हो जायेगा तो सब जगह इसको वितरित कर दिया जायेगा। कहीं भी दवाई की कमी नहीं है। एक मेडिशनल प्लांटेशन बोर्ड था, जो सुसुप्तावस्था में चला गया था। किसी का ध्यान ही नहीं था। हमने इस सरकार में आने के बाद

(श्री रघु शर्मा)

उसको रिवाइव किया है, ताकि वे पौधे जो औषधि निर्माण में काम आते हैं, उनकी खेती को राजस्थान में बढ़ावा मिले। हम यह काम भी शुरू कर रहे हैं।

इसके अलावा, हमारी सरकार द्वारा गठित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, अब यह किसने बंद किया, बताओ। हमने तो बनाया था। बंद किसने किया, सवाल इन्हीं से पूछ लेता हूं। अब बताओ पांच साल में हमने तो खोले थे, आपने एक ही नहीं खोला।

इसके अलावा, 2003 में भारत का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में अगर किसी ने बनाया तो अशोक गहलोतजी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। 2010 में हमारी ही सरकार थी, यूनानी और होम्योपैथी का अलग से डाइरेक्ट्रेट बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। 2011 में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, जो हमने बनाया, यह अलग बात है कि 2016 में आप सरकार में थे, तो आपने उसको बंद कर दिया। इसके अलावा 2012 में भारत में प्रथम राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, कौंसिल हमने बनाई। 2012 में ही प्रथम यूनानी महाविद्यालय टोंक में खोला, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खोला। 2019 में अभी जब हम सरकार में आये, राजस्थान नर्सिंग परिषद और उसके नियम, हमने दोनों जारी कर दिये।

इसके अलावा, यह जो विधा है, चाहे होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, इनके बजट में 10 परसेंट की बढ़ोतरी की है। पिछला बजट जब पेश हुआ तो कटारिया साहब ने चिंता व्यक्त की थी।

इसके अलावा और कार्य योजना भी बना रहे हैं। राजस्थान में मेडि-टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सोच रखा है कि जहां-जहां, क्योंकि हमारा पर्यटन का राज्य है, यहां पर खूब टूरिस्ट आते हैं। हमने वह डेस्टिनेशन तय किये हैं, पूरे राज्यभर में जिला कलेक्टर्स को लिख दिया है, उसके लिए रिक्वायर्ड लैंड अलाट करने के लिए, प्राकृतिक और नैसर्गिक वातावरण में जमीनें हमको अलाट करो, ताकि हम राजस्थान में पी.पी.पी. मोड पर योग, पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा के केन्द्र और यह जो हमारी पुरानी पद्धति है, इनके सेंटर्स डवलप कर सकें ताकि आदमी अपनी चिकित्सा भी करवा सकता है और पर्यटन का लाभ भी राजस्थान में उठाकर जाए, यह सब काम मेडि-टूरिज्म की स्थापना से संभव हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें कहने को हैं, आप समय

(श्री रघु शर्मा)

नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक सार्थक चर्चा हुई। राजस्थान को नीरोगी बनाने का इस सदन का संकल्प होना चाहिए, यह राजस्थान का संकल्प होना चाहिए और राजस्थान के जन-जन का संकल्प बने, यह अभियान, ताकि राजस्थान नीरोगी बने और राजस्थान जब नीरोगी बनेगा, तब ही राजस्थान समृद्ध बनेगा, तब ही राजस्थान प्रगतिशील बनेगा, तब ही राजस्थान उन्नत राजस्थान बनेगा तो यह जो मुख्य मंत्रीजी का सोच है, यह दूरगामी परिणाम राजस्थान के लोगों के लिए लेकर आएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। चर्चा समाप्त हुई।(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप प्लीज, नीचे बैठें। माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं, नए सदस्य नहीं हैं। आप प्लीज, नीचे विराजें। अध्यक्ष खड़ा हुआ है। आप नहीं समझ रहे? माननीय सदस्य, आप प्लीज, बैठें। आप बैठें। आप नीचे बैठें। आप पुराने माननीय सदस्य हैं, नए सदस्य नहीं हैं। अध्यक्ष खड़ा है, तब भी आप खड़े हो रहे हैं। माननीय सदस्य, आप पुराने माननीय सदस्य हैं, नए नहीं हैं। फिर आप बोल रहे हैं। चर्चा समाप्त हुई। विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक।

माननीय मंत्रीजी, मुझे मालूम था कि अगला विधेयक भी आपका है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा था।

मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि यह पालिसी पर डिस्कशन करने का पहली बार प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि यह अच्छी चर्चा हुई। मंत्रीजी ने अच्छा जवाब दिया पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट से संबंधित वह सारी बातें हुई वह डिमांड पर डिस्कस होती तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि पालिसी पर डिस्कस करने का पहला प्रयास किया।

आजादी के बाद, मैं समझता हूं कि पहली बार राजस्थान की विधान सभा में किसी भी सरकार की पालिसी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर कैसे कार्य कर सकें, उसकी चर्चा करने का प्रयास किया।

सभी माननीय सदस्यों ने और खास करके सभी पार्टी के माननीय सदस्यों ने भाग लिया, उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि जब कभी भी कोई पालिसी बनाएं, जिस पालिसी का सीधा संबंध राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिए

(श्री अध्यक्ष)

हो, उस पालिसी की विस्तृत चर्चा को इस हाउस में डिस्कस करके लागू किया जाए तो मैं यह समझता हूं कि राजस्थान की जनता को बहुत लाभ मिलेगा।

आज की चर्चा में सबने भाग लेकर जो एक नई परम्परा प्रारम्भ की है, उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूं।

अब माननीय सदस्य, विचारार्थ लिए जाने वाला विधेयक भी माननीय मंत्रीजी का है। मंत्रीजी ने पूरी क्षमता से जवाब दिया है और सभी माननीय सदस्यों की जो भावना है, यह हमारी जो चर्चा है, उस चर्चा को हम विधेयक में भी उसी ढंग से देखें कि जो भी माननीय सदस्य का जनमत पर प्रस्ताव है, वही चर्चा यहां जाए। बाकी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है तो मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि चर्चा में सारगर्भित भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने जनमत पर भाग लिया है, वह टू द पाइंट डिस्कस करेंगे तो हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर पाएंगे।

माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ के लिए। विचारार्थ लिया जाए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सॉरी, सर। विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधान सभा के चौथे सत्र में हम हैं। वैसे तो इस सवा साल के अल्प समय में सरकार ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार की प्राथमिकता में हमारी यूनिवर्सिटीज अभी नहीं आ पाई हैं, तो मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

यह चाहूंगा कि यूनिवर्सिटीज पर भी सरकार की कृपा हो, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान नई उपलब्धियां अर्जित कर सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल पर चर्चा हो रही है, हमारा काम ही यही है, प्लीज, आप ध्यान रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के लिए लाये हैं और पहले भी दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए इसी तरह के संशोधन विधेयक लाये गये थे, क्या हश्र रहा? लोकायुक्त की जांच हो गयी, संभागीय आयुक्त की जांच हो गयी, जांचें प्रमाणित हो गयीं, लिपिक भर्ती में घोटाले सामने आ गये, शिक्षक भर्ती के घोटाले सामने आ गये, वाइस चांसलर के रिश्तेदार को 100 में से 100 नम्बर देने के मामले सामने आ गये, आज 15 महीने बीतने के बाद भी राजस्थान की विधान सभा ने तो आपको अधिकार दे दिया, यूनिवर्सिटीज की हालत सुधारने की दिशा में कहां कदम उठाये गये?

इस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को लें, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले ही साल रिटायरमेंट के दिन, इसी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सिर्फ इस कारण से नाराज होकर के कि निजी कालेज की एन.आर.आई. सीट उनके मुताबिक नहीं दी गयी तो प्रिंसिपल को हटा दिया, डीन को हटा दिया और इस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हालात ये बने कि जब वाइस चांसलर की सेवानिवृत्ति का समारोह था तो सात विभागाध्यक्ष उनके कार्यक्रम के अंदर नहीं गये और आपने, मंत्रीजी, निश्चित रूप से बजट बढ़ाया होगा, लेकिन हमारी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की हालत ये है कि 1882 सीट्स में से 964 सीट्स होम्योपैथिक, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा की खाली पड़ी हुई हैं और हमारे प्रतिपक्ष के मित्र बार-बार देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को योग का आविष्कारक बताकर भले ही कुछ भी कहें, लेकिन राजस्थान के अंदर इस आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के मातहत चल रही 466 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, हम अपने नौजवानों को उस योग की पढ़ाई के लिए आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की भर्ती के मामले में आई, इसी तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जहां से आते हैं, उस व्यास विश्वविद्यालय में पिछले साल अप्रैल में जिनका टेंडर खतम हो गया, उसके बाद भी आठ महीने तक वह करोड़ों रुपये का काम करते रहे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आयुर्वेद के ऊपर है। माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं। बिल पर चर्चा का स्कोप, जो बिल है, उसी का है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन करूंगा, उसी पर चर्चा करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप बारबार इस तरह के अमेंडमेंट क्यों लेकर आ रहे हैं? पिछले एक साल से इस तरह के हर यूनिवर्सिटी के मामले में अमेंडमेंट लेकर यह आ रहे हैं, उसका कोई नतीजा निकल रहा है? अगर यूनिवर्सिटीज हमारी प्राथमिकता में हैं, दुनिया की 500 जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज सलेक्ट की गयी हैं, उसमें हिन्दुस्तान की सिर्फ दो ही यूनिवर्सिटी हैं। जे.एन.यू. और दिल्ली यूनिवर्सिटी और राजस्थान की तो कोई भी सरकारी शिक्षण संस्था उसमें शामिल नहीं है। दस लाख बच्चे दुनियाभर के अमरीका पढ़ने जाते हैं, जिसमें आधे भारत के और चाइना के हैं और हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिर्फ चार विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं।

अब इसमें सुधार कैसे लाया जाए? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यूनिवर्सिटीज को न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केन्द्र कैसे बनाया जाए? आप इस तरह के यह अमेंडमेंट मत लाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के लिए एक एक्ट लेकर आइये। आप कमेटी बनाइये, कैबिनेट सब-कमेटी बनाइये। चाहे सैक्रेटरीज की एक सब-कमेटी बनाइये लेकिन इसके माध्यम से व्यापक चर्चा यूनिवर्सिटीज पर करिए।

(19.50 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

पूरे राजस्थान की समस्त यूनिवर्सिटीज का एक एक्ट लेकर आइए और यदि राजस्थान में इस पर अध्ययन नहीं हुआ हो, तो आप महाराष्ट्र में अपने अधिकारियों को भेजें। महाराष्ट्र के तमाम विश्वविद्यालयों के लिए वहां पर एक एक्ट लाया गया है और उसके माध्यम से, नहीं तो हर यूनिवर्सिटी का हाल बेहाल है। कहीं पर आपने कार्यवाही प्रस्तावित कर दी तो वह कोर्ट से स्टे लेकर आ गये। आठ महीने से बैठे हुए हैं। कहीं पर आपने कार्यवाही प्रस्तावित

(श्री संयम लोढ़ा)

कर दी तो वह छुट्टी लेकर चले गये, फिर कहीं से आश्वासन मिला तो आकर वापस से ज्वाइन कर लिया।

तो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज बदहाली की स्थिति में पहुंच रही हैं और उसको निकालने की चुनौती को सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। पांच विश्वविद्यालयों में धांधली की रिपोर्ट राजभवन में पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से और सरकार से विनती करूंगा कि पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज को प्राथमिकता दें। एक एक्ट पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज का लेकर आएं। अब वह पुराना स्वायत्तता वाला मामला चला गया। आप चाहे इसमें कितने ही नैतिक आचार लिखिए, कितनी ही आप सत्यनिष्ठा लिखिए, कितने ही आप सांस्थानिक प्रतिबद्धता लिखिए, उस कैलिबर के लोग हैं नहीं। घूम-फिरकर फिर उसी तरह के लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर आ रहे हैं और कोशिश करनी चाहिए, वह एक्ट जब लाएं तो उस एक्ट में भी आप प्रावधान रखें कि उसी यूनिवर्सिटी के किसी आदमी को आप कुलपति के रूप में चयनित करें। जिससे वह उस यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि को समझे और राजस्थान, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रसातल की तरफ जा रहा है, उस पर अंकुश लग सके और राजस्थान फिर से ऊंचाइयों पर पहुंच सके। राजस्थान में वीबी. जॉन, नामवर सिंह, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' इस तरीके के लोग हमारे राजस्थान की यूनिवर्सिटी में रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त में फिर इसी तरह के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों को हम लाएं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे बच्चे अपना भविष्य बना सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर सदन चर्चा कर रहा है। मूल रूप से 2002 का जो यह एक्ट था, उसकी धारा 24 के अंदर माननीय मंत्री महोदय दो संशोधन लेकर आये हैं। एक संशोधन 24 में सब सैक्शन धारा 2 के अंदर और एक 24 और 25 धारा के बीच में नई धारा 24(क) इंसर्ट कर रहे हैं। मूल रूप से यू.जी.सी. ने जो विश्वविद्यालय में कुलपति की अर्हताओं में एकरूपता लाने के लिये विश्वविद्यालय विधियां

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिनियम 2017 बनाने के लिये जो निर्देश दिये गये थे मूल रूप से और उसके पश्चात् 2018 के अंदर भी, माननीय सभापति महोदय, यू.जी.सी. ने अपने नियम 7.3 के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिये, उन निर्देशों के अनुसार एकरूपता लाने के लिये इस बिल को आज सदन में प्रस्तुत किया गया है। मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि हमारा प्रदेश उन सौभाग्यशाली प्रदेशों में है, पूरे हिन्दुस्तान के अंदर पांच आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं- गुजरात, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अभी इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में आपने बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश की। माननीय सभापति महोदय, सत्य तो यह है कि 2004 के अंदर यह विश्वविद्यालय उस समय स्थापित हुआ और पहले कुलपति बने जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जब आयुर्वेद की बात चलती है, माननीय सभापति महोदय, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, यह जनमानस से जुड़ी हुई एक इस प्रकार की लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है। इसके बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ यह कहते हैं, कि हमारी सुश्रुष संहिता यह कहती है कि, इस सृष्टि से रचयिता ब्रह्मा जी ने एक लाख श्लोक इस आयुर्वेद के बारे में बोले, जो प्रजापति कुमारों ने, इन्द्र भगवान ने और धन्वन्तरि जी ने सुना और धन्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत मुनि ने इन आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की।

माननीय सभापति महोदय, पहली यह पद्धति है जिसका पांच हजार वर्ष से ज्यादा पुराना दस्तावेजी इतिहास ऋग्वेद, यजुर्वेद के अंदर आज भी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर हम यह कह सकते कि आज इस चिकित्सा पद्धति की सबसे बड़ी आधारभूत संरचना इस देश में किसी के पास है तो राजस्थान के अंदर है। आज राजस्थान के अंदर 3,369 आयुर्वेद चिकित्सालय हैं। मंत्री महोदय, यह आपके प्रगति प्रतिवेदन में आपने लिखा है। 10 महाविद्यालय और एक विश्वविद्यालय है। मैं समझता हूं कि आप अभी हमारे प्रधान मंत्रीजी का नाम ले रहे थे। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर आयुष मिशन की स्थापना 2014-15 के कालखण्ड में हुई। यह हमारी लुप्त होती पद्धतियां हैं। योग के जनक की बात तो आप करें। योग तो हमारे ऋषियों ने दिया, मनीषियों ने दिया, उसका पुराना इतिहास है। परंतु योग को पूरे विश्व में पहचान दिलाने का अगर किसी को श्रेय जाता है, तो कहने में संकोच नहीं करना चाहिए, यह आपके और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी को जाता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि पहली बार आयुष मंत्रालय बना और आज इस राजस्थान में 2,229 आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हैं, 2,593 कम्पाउंडर हैं और 318 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी हैं। अभी आपने कहा माननीय प्रतिपक्ष के नेता के नाम से पदोन्नति की बात कही।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह विश्वविद्यालय के ऊपर बात हो रही है या पूरे आयुर्वेद पर ही चर्चा कर रहे हो।

एक माननीय सदस्य: बीच में डिस्टर्ब मत करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर जाइए। अपने स्थान पर जाकर बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बात मैंने इसलिए कही, माननीय सभापति महोदय, यह जो विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय से 46 शिक्षण संस्थाएं सम्बद्ध हैं और इन सारी शिक्षण संस्थाओं का मन्तव्य एक ही है कि राजस्थान के अंदर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, जो सबसे पुरानी पद्धति है, इसके लिये योग्य चिकित्सक किस प्रकार तैयार हों और इसलिए पूर्व में जो योग्य चिकित्सक हैं, उनका उपयोग पूरा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर चिंता प्रकट करनी चाहिए। मैं निवेदन करूं कि आप जो कह रहे थे, आपका प्रगति प्रतिवेदन घर जाकर पढ़ना। उसके अंदर आपके प्रधान आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 118 पद हैं, वह सारे के सारे रिक्त पड़े हैं, वरिष्ठ आयुर्वेद अधिकारी के 458 पद हैं, सारे रिक्त पड़े हैं, वरिष्ठ आयुर्वेद अधिकारी ग्रेड सैकण्ड के 1450 पद हैं, इनमें 556 रिक्त पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रतिवेदन मैंने पढ़ा इसके साथ जोड़कर, उसके पृष्ठ 22 के अनुसार इसका बजट है 941 करोड़ रुपये। यह आयुर्वेद विभाग का बजट है, जो वेतन और परिलब्धियों और रख-रखाव में खर्च होता है। इसी में मैंने पढ़ा, इसमें आयुष मिशन में 16 करोड़ रुपये भारत सरकार का है, 19 करोड़ का दवाइयों का बजट है। अब, माननीय सभापति महोदय, हम जिस पद्धति से चले हुए विश्वविद्यालय पर यहां रचना कर रहे हैं, सरकार 941 करोड़ रुपये वेतन और तनख्वाह पर खर्च कर रही है और दवाई देने के नाम पर सिर्फ 19 करोड़ रुपये और मैं समझता हूं कि आपने इस प्रगति प्रतिवेदन में लिखा है कि इस बार एक वर्ष में दिसम्बर तक 1,44,28,000 रोगी इसके अंदर आये हैं। निश्चित तौर पर इस पर भी आपको चिंता करनी चाहिए और मंत्री महोदय, यह जोधपुर विश्वविद्यालय है, इसमें एकवर्षीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पाठ्यक्रम योग पंचकर्म का और चार वर्ष का बी.एस.सी. नर्सिंग का पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर चीज को एक ट्यूबलर विजन से नहीं देखना चाहिए। इस योग में, पंचकर्म में और यह जो चार वर्ष का बी.एस.सी. नर्सिंग का पहली बार प्रारम्भ हुआ, आप मुझे बताएंगे, आपके खुद के ध्यान में है क्या कि इस प्रकार का कोई कोर्स चल रहा है और इनको बढ़ाने के लिये आगे आप क्या करेंगे?

मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जब आप मुफ्त दवा योजना की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद ने कौनसा गुनाह कर दिया, नि:शुल्क दवा योजना और नि:शुल्क जांच की परिधि में आयुर्वेद को क्यों नहीं लेकर आते आप? इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सरकार यह जो आज बिल लेकर आयी है, जिस बिल की धारा 24(2) और 24(क) के माध्यम से विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन में एकरूपता के लिये, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देश को मानना इनकी मजबूरी है। जब मानना मजबूरी है, पर इसके साथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बारे में निश्चित तौर पर आपको चिंता करनी चाहिए। इसमें फैकल्टी लगभग-लगभग खाली पड़ी है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की जो दशा सुधरी थी पिछले कालखण्ड में, मैं आपकी तरह अपनी वाहवाही नहीं लेना चाहता, पर मुझे अफसोस है कि आपने निरोग राजस्थान जैसी सारगर्भित चर्चा के अंदर भी राजनीति कर दी। आज आप इस बिल के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जिसको 2004 के अंदर पहले कुलपति के रूप में प्रारम्भ हुआ, उस समय एक सोच के साथ आयुष मिशन प्रारम्भ हुआ देश के प्रधान मंत्री की सोच के कारण। आप इस विश्वविद्यालय में एकरूपता तो ले आओगे, पर चिंता तो करें आप। इस विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का वातावरण है क्या, इस विश्वविद्यालय में शोध का वातावरण है क्या? जिस विश्वविद्यालय में फिस्टूला और फिशर का आपरेशन होता है, फायदा उठा लेना मंत्री महोदय, फिस्टूला और फिशर के आपरेशन के लिये जिसकी ख्याति थी, आज एक साल के अंदर क्या कारण हैं कि दूर-दूर के रोगी आये करते थे इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए चिकित्सालय में, जो कम होते जा रहे हैं, इसलिए मेरा प्रस्ताव है जनमत जानने के लिये इसको परिचालित किया जाए, ताकि पूरे राजस्थान की जनता का मत आ जाए और इसके बाद में सदन वापस बैठकर फिर चर्चा करे, इसलिए मेरा निवेदन है कि जनमत जानने हेतु जो मेरा प्रस्ताव है, उसके अनुरूप कार्यवाही करें।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

(20.00 बजे)

श्री अशोक लाहोटी: माननीय सभापति महोदय, इस बिल में आयुर्वेद भी है और विश्वविद्यालय भी है और दोनों का ही सम्बन्ध हमारे भारत की प्राचीन विरासत से रहा है। इस भारत को यदि महान माना गया है, विश्व गुरु माना गया है तो आयुर्वेद और वेद जैसे, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की देन के कारण और आयुर्वेद जैसी हमारी जीवन पद्धति के कारण हमने भारत को विश्व का गुरु बनाया, विश्व में महान बनाया। यहां विश्वविद्यालय की बात भी है और आयुर्वेद की भी है।

सभापति महोदय, आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है, आज पूरा विश्व आयुर्वेद को फालो कर रहा है, यह देन किसकी है, यह देन भारत की है, हमारी परम्पराओं की है, हमारी वैदिक और सनातन संस्कृति की है, और भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की है जिसके कारण आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है।

सभापति महोदय, आज ऐसे समय में बैठकर मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार ने यहां पर एक साल के छोटे से कार्यकाल में शिक्षा के मंदिरों का राजनीतिकरण करने का, शिक्षाविदों को अपदस्थ करने का एक रिकार्ड कायम कर दिया है। सभापति महोदय, यह रिकार्ड इसलिए कायम कर दिया कि एक वर्ष में लगातार हर विश्वविद्यालय में केवल कुलपति हटाने के बिल लाए जा रहे हैं, आखिर सरकार कर क्या रही है?

मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1950 में कांग्रेस पार्टी के इनके पूर्वजों ने इस देश में विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने का, पहली बार केन्द्र में यदि कोई बिल आया और यदि काम शुरू हुआ तो कांग्रेस पार्टी के इनके पूर्वजों ने किया। लेकिन आज यह सरकार क्या कर रही है? खुद अपने घोषणा पत्र के विपरीत बिल पर बिल ला रही है और वह भी केवल संख्या बल के आधार पर शिक्षा के मंदिरों का राजनीतिकरण करने के लिए ला रही है।

सभापति महोदय, मुझे यह भी पता है कि यह बिल यहां पास करेंगे लेकिन आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि यह विश्वविद्यालय शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविदों का मंदिर है। और इस भारत में यह कहते हैं, 'हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर

(श्री अशोक लाहोटी)

हिन्दुस्तान से।' हम नौजवानों को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, हम युवाओं को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज स्वायत्तता खतम करने की तरफ, आप अपने खुद के घोषणा पत्र के विपरीत यह काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी एक रिपोर्ट आई है कि राजस्थान में एक भी विश्वविद्यालय ए प्लस ग्रेड का नहीं है। रिसर्च का स्तर दिन-प्रतिदिन गिर रहा है, शिक्षकों के 50 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। अच्छा होता यदि हम इनकी गुणवत्ता के लिए कोई बिल लाते, छात्रों की सुविधा के लिए लाते, शिक्षकों की भर्ती के लिए लाते, नई रिसर्च के लिए लाते, शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए लाते, नए आयुर्वेद सेन्टर्स के लिए लाते। नए आयुर्वेद सेन्टर्स खोलने का भी एक भी काम नहीं किया है। एक आयुर्वेद सेन्टर खुला था, मैं अभी यदि उस पर चर्चा करूंगा तो फिर कोई न कोई सत्ता पक्ष के लोग उत्तेजित होकर खड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं फिर कभी मौका देख लूंगा।

सभापति महोदय, यदि मैं इस बिल की बात करूं तो इस बिल में बड़े-बड़े शब्दों का उपयोग किया गया है, क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार संहिता, सांस्थानिक प्रतिबद्धता, इन बड़े शब्दों का उपयोग किन चीजों के लिए किया जा रहा है, राजनीतिकरण करने के लिए, अपदस्थ करने के लिए, शिक्षा का स्तर गिराने के लिए। फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आपने यह शब्द रख लिए पर इन शब्दों का पैमाना क्या है? इस बिल में स्पष्ट करते कि इन शब्दों को मापने का यंत्र क्या है? जब लाना ही था तो इस बिल को डिफेक्टिव क्यों लाए? इस बिल में खोलकर लिखते कि आप इनको किस तरह से तय करेंगे। क्या यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के सदस्य होना आवश्यक है या राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मैम्बर होना आवश्यक है, या कोई भाई-भतीजा होना आवश्यक है। इसमें कुछ तो खोलते, इस बिल को तो पूरा करते, यह डिफेक्टिव बिल नहीं आता।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के सारे निर्णय बोम और सिंडिकेट से होते हैं और हर यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट में 15 में से 8 मैम्बर राज्य सरकार के नियुक्त किए हुए होते हैं, राज्य सरकार के पक्ष के होते हैं। तो फिर डर किस बात का है, फिर क्यों यह बिल शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए लाया जा रहा है? केवल कुलपतियों को हटाकर अपने आदमियों को कुलपति लगाने के लिए।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आपने 24क में लिखा है, कुलपति

(श्री अशोक लाहोटी)

हटाए जाने पर लिखा है, 'जांच करके कुलपति को हटाया जाएगा,' मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस बिल में कहां लिखा कि जांच कौन करेगा? क्या कुलपति की जांच कोई बाबू करेंगे, क्या कुलपति की जांच वहां के फैकल्टी के स्टाफ करेंगे? इसमें आप खोलते कि एक रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे या वर्तमान न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे कि हाई कोर्ट के होंगे, एक यू.पी.एस.सी. का मैंबर होगा, एक आर.पी.एस.सी. का मैंबर होगा, सभापति महोदय, एक आप किसी को नियुक्त करते यहां किसी बुद्धिमान सत्ता पक्ष के किसी विधायक को तो एक वह होता। कोई न कोई तो इसका मापदंड होता।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं आपने लिखा कि कुलाधिपति राज्य सरकार से परामर्श लेकर, सभापति महोदय, यह मेरा स्ट्रांग आब्जेक्शन है, कुलाधिपति को परामर्श शब्द बाउंड करता है, बाधित करता है। यहां इस शब्द का उपयोग होना चाहिए कि कुलाधिपति राज्य सरकार के सुझाव से, सभापति महोदय, परामर्श नहीं लिख सकते।

श्री सभापति: संक्षेप में अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी: बस खतम कर रहा हूं, मुझे पता था, सभापति महोदय।

इतना ही नहीं, आपने एक शब्द लिखा है, विनिर्दिष्ट व्यक्ति को कुलपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। फिर मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति कौन होगा? इसमें छुपी छुपाई बातें क्यों लिखी गई हैं। सभापति महोदय, अच्छा होता कि इस बिल को या तो शिक्षा के महत्व को समझते हुए, कांग्रेस पार्टी अपना खुद का महत्व समझते हुए सरकार यह बिल लाती नहीं, फिर भी यदि ले आए हो तो इन चीजों को खोलकर रखें और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए और इसमें जल्दबाजी नहीं करें और राजस्थान का यह सदन इसमें अपने आपको इस तरह के बिल बार-बार पास करके शिक्षा के मंदिरों का राजनीतिकरण नहीं करे। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020, माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में बोला,

(श्री अभिनेश महर्षि)

निश्चित रूप से इस बिल के संशोधन से पहले विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित जितने भी आए हैं उन सब बिलों के अंदर सरकार की एक ही बात, एक ही मंशा जाहिर होती है कि हम किस तरह से कुलपतियों को हटाने का अधिकार इन बिलों के माध्यम से लेकर के आएं।

मैं ऐसा मानता था कि सरकार कोई भी हो वह कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा हमारी धुरी है, शिक्षा वह नींव है जहां से हम इस देश का निर्माण करते हैं और जब हम शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करने लग जाएंगे, जिसके अन्दर राज्यपाल महोदय जो कुलाधिपति होते हैं उनको भी, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि जब उनको भी सरकार की मंशा जिस तरह से अभिभाषण पढ़ने के लिए राज्यपाल महोदय को जो लिख कर के दे दिया जाता है वह बोलना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल के माध्यम से राज्यपाल महोदय से वही करवा लिया जाएगा जो राज्य की सरकार चाहेगी और राज्य की सरकार वो चाहेगी जो उनको सूट करता है, यदि कोई कुलपति उनको सूट करता है तो रख लेंगे और यदि कुलपति सूट नहीं करता है तो नहीं रखेंगे। तो सीधा-सीधा बिल का नाम दे देते कि हमारी मर्जी से कुलपति को हटाएं और हमारी मर्जी से कुलपति को रखें। इस बिल में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं करनी चाहिए, इन बिलों के माध्यम से राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए।

जिस आयुर्वेद की बात कर रहे थे, आयुर्वेद के कारण हिन्दुस्तान की विश्व में एक प्रतिष्ठा होती थी। बड़े-बड़े राजा-महाराजा हों या बड़े-बड़े अधिकारी हों, जब बीमारी लाइलाज हो जाती थी तो उस लाइलाज बीमारी का इलाज कराने के लिए बड़े-बड़े वैद्य को याद किया जाता था और उन वैद्य की दवाई से शर्तिया निश्चित रूप से लाइलाज बीमारियां ठीक होती थीं। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, हमारे वैद्य लोग भी मजबूर होकर के, जब उनकी अनदेखी होती है, जब सरकार की तरफ से उनका संरक्षण नहीं होता है तो वैद्य लोग भी एलोपैथिक दवाई लिखने के लिए मजबूर होने लग गए हैं।

मुझे याद है मेरे पिताजी की स्मृति में मेरे गांव में हमने आयुर्वेद चिकित्सालय खोल करके दिया था, आयुर्वेद हास्पिटल खोल करके दिया, बिल्डिंग बनाई, उसके अंदर सब कुछ दिया लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहां पर

(श्री अभिनेश महर्षि)

किसी तरह की, राजेंद्र राठौड़ साहब ठीक कह रहे थे कि जिस तरह से आपने सारी दवाइयां फ्री देने का काम किया, आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप उन दवाइयों को आयुर्वेद हास्पिटल के अंदर भी दें जिससे हमारी विलुप्त होती जा रही इस चिकित्सा पद्धति को भी हम संरक्षित कर सकें, हम इसको बचा सकें और हमारे देश की जो प्रतिष्ठा थी उस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकें। बहुत गंभीर बिंदु की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, इसके बारे में सारी बात हो गई है लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर के सोचे। हम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने लग जाएं।

इसके अंदर 2-3 बातें इस तरह की लिखी गई हैं जिस पर मुझे निश्चित रूप से एतराज है। मेरे से पूर्व भी एक सदस्य ने कहा कि किसी समकक्ष पद वाले, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इसमें गाइडलाइन स्पष्ट बननी चाहिए। जब किसी भी बिल के अंदर संशोधन किया जाता है तो उसके अंदर गाइडलाइन स्पष्ट होनी चाहिए। गोलमोल गाइडलाइन देकर के हम फिर दुबारा एक प्रश्नवाचक चिह्न छोड़ देते हैं। सही होता कि आयुर्वेद में, आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शोध नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बाते हैं जिनको कवर करके इस बिल को लाना चाहिए था, इस बिल को लाने के बाद में इसके अंदर संशोधन करना चाहिए था। मेरा मानना है कि यह आधा-अधूरा संशोधन है और वह संशोधन भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण लिया जाता रहा है। इसका मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए, इस बात की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। (अनुपस्थित) श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2020 में माननीय मंत्री महोदय 2 संशोधन लेकर के आए हैं। एक तो मूल जो अधिनियम है, उसकी धारा 2 के 24 के अंदर आपने कहा है कि किसी समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला और कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं हो, उससे पूर्व अभिव्यक्ति और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और सांस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतर स्तर वाला, यह आपने इसमें स्थापित किया है।

दूसरी तरफ आप धारा 24 और 25 के बीच में, 24 क लेकर के आए हैं। जिसमें आप लिखते हैं कि, कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसा आदेश करने से पूर्व, राज्य सरकार के आदेश से उस व्यक्ति को कुलपति के पद से हटा सकते हैं। अब जब कुलपति के पद से उसको हटाना है तो इसका मतलब है कि उस कुलपति ने उस विश्वविद्यालय में कुछ गलत काम किया है। यदि गलत काम किया है तो फिर यह जो अभिव्यक्ति आपने इसमें स्थापित की है, सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और सांस्थानिक प्रतिबद्धता तो इसका क्या मतलब है? क्या उस व्यक्ति में यह सारी चीजें नहीं थीं? उसके मानदंडों को वह पूरा नहीं कर रहा था? उसके बावजूद भी आपने उसको कुलपति लगाया और उसके बाद में उसको हटाना पड़ा। दोनों ही चीजें एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। अब जब विरोधाभासी चीजें हैं तो इसको आप कैसे सुनिश्चित करेंगे?

सभापति महोदय, आगे आप लिखते हैं उपधारा एक में, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। अब आदेश में कौनसा व्यक्ति विनिर्दिष्ट होगा? यह प्रश्न सब माननीय सदस्यों के जेहन में है। आपने इस विश्वविद्यालय के जो अधिनियम हैं, इसमें आपने 10 वर्ष के अनुभव वाला लिखा है। जो विनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा वह 10 वर्ष के अनुभव वाला ही होगा या उससे कम अनुभव वाला होगा। उससे कम अनुभव वाला होगा तो आप उसको कैसे इसमें कुलपति का काम करने के लिए सक्षम मान सकते हैं? यह दोनों चीजें एक-दूसरे के विपरीत हैं। इस अधिनियम में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आयुर्वेद बहुत पुरातन पद्धति है और हम सब यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पुरातन पद्धति में कोई साइड इफैक्ट नहीं है। इस वजह से यह स्थापित हुई। आज भी

(श्रीमती अनिता भदेल)

इस पद्धति से यदि उपचार होता है तो व्यक्ति अच्छी तरह से और कम समय में बिना साइड इफैक्ट के सुधार होता है। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो माननीय मंत्री महोदय मुझे बताएंगे कि आयुर्वेद की जो नर्सेज हैं, नर्सिंग कैडर है, पहले एलोपैथी के नर्सिंग कैडर में शहरी कैडर अलग था और ग्रामीण कैडर अलग था, बाद में सरकार ने इन दोनों को मर्ज कर दिया। आयुर्वेद के नर्सिंग कैडर में भी शहरी कैडर और ग्रामीण कैडर को अलग-अलग किया। लेकिन एलोपैथिक के नर्सिंग कैडर को तो आपने मर्ज कर दिया। लेकिन आपने आयुर्वेद के नर्सिंग कैडर को मर्ज क्यों नहीं किया?

श्री सभापति: संक्षेप में अपनी बात कहें माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिलकुल, बिलकुल, सभापति महोदय, मैं कह रही हूं। दूसरी तरफ आप स्वस्थ राजस्थान में आयुर्वेद को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। इसके साथ-साथ आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में रिसर्च नहीं के बराबर है। विश्वविद्यालय स्वायत्तता के नाम पर भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। वहां पर कोई भी, कुछ भी, कैसे भी गलत नियमों के आधार पर, नियमों की गलत व्याख्या के आधार पर करते हैं और फिर कोर्ट में जाकर के स्टे लेते हैं। इसके बावजूद भी हम यदि इसको करने जा रहे हैं तो फिर हम इसकी पुख्ता व्यवस्था करें। अगर इतना उच्च मानकधारी व्यक्ति भी यदि कोई गड़बड़ करे तो उसको सज़ा मिल सके।

सभापति महोदय, एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हम आयुर्वेद से अपेक्षा तो बहुत करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का जो नर्सिंग कैडर है, उनके पे ग्रेड और एलोपैथिक के नर्सिंग के पे ग्रेड दोनों में बहुत अंतर है।

श्री सभापति: आप इस बिल पर बोलें न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं आयुर्वेद से संबंधित ही बोल रही हूं। हम आयुर्वेद विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो इस विश्वविद्यालय के तहत आयुर्वेद के जो भी हास्पिटल्स हैं, औषधालय हैं, उनकी भी तो बात करेंगे न। आयुर्वेद औषधालयों की बात करते हैं, तब इनमें कार्यरत कार्मिकों की भी बात करेंगे। विश्वविद्यालयों में नामांकन क्यों नहीं हो रहा है? वह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वहां नामांकन ठीक प्रकार से हो और लोग इसकी ओर आकर्षित हों। वे तभी आकर्षित होंगे जब हम उनको अच्छी पे ग्रेड देंगे और एलोपैथी और आयुर्वेद में कोई भिन्नता नहीं रखेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 2020 में संशोधन है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि विश्वविद्यालय कोई सामान्य जगह नहीं होती है। उसमें किसी भी प्रकार का अगर आप संशोधन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा गहराई से विचार करें। वैसे तो आपने सारे विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर को कान पकड़कर के हटाओ, कान पकड़कर के बिठाओ, जैसा चाहो करो, कोई बात नहीं। आज आप कर रहे हो, कल कोई दूसरा आएगा, वह इसी तरह से इसका दुरुपयोग करेगा। इस पद पर रहने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय में एक तरह से काम करने की जो आजादी दी है, उसको आप पूरी तरह से प्रतिबंधित करके, अपनी इच्छानुसार चलाने का मानस रखकर यह बिल लेकर आए हो।

सभापति महोदय, आप जो इसमें अमैंडमेंट कर रहे हो राजस्थान अधिनियम की धारा 15 की उप धारा 24 में, संशोधन में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, अधिनियम 2002, अधिनियम में 15, उसके पश्चात् मूल अधिनियम में कहा गया कि, धारा 24 की उप धारा 2 के अंदर अभिव्यक्ति किसी समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव हो, इस पर थोड़ा विचार करिए। राजस्थान में आज की तारीख में आपका कोई 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रोफेसर है क्या? इसका मतलब आपकी यह सोच है कि राजस्थान का कोई भी आयुर्वेदिक क्षेत्र में काम करने वाला, शिक्षण करने वाला आपके इस विश्वविद्यालय में तो किसी भी कीमत पर वाइस चांसलर बन ही नहीं सकता। कारण क्या है कि आपका न तो प्रमोशन समय पर है। आपके पास कालेज तो लिमिटेड हैं।

आपके पास राजस्थान में 2 आयुर्वेद कालेज थे। एक जयपुर का था और एक उदयपुर का था। जयपुर वाला राष्ट्रीय आयुर्वेद के साथ जुड़ गया। वह केन्द्र सरकार का अंग बन गया। अब आपके पास एक आयुर्वेद कालेज था, एक मात्र उदयपुर, जो कि सबसे पुराना था लेकिन जोधपुर से आपको प्रेम था।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप विश्वविद्यालय वहां ले गए। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मुझे यह बता दें कि आज की तारीख में राजस्थान में ऐसे कितने कालेज हैं, जहां पर आपको 10 साल के अनुभव का प्रोफेसर मिल जाएगा।

अगर आपने इनमें पदोन्नति भी समय पर की होती। अगर आपको लगता है कि समय पर हमने पदोन्नति की उसके कारण से हमारे पास कोई व्यक्ति उपलब्ध हो जाएगा, जैसे आप टैक्निकल कालेज में या जो व्यावसायिक कालेज है, उसमें आपने दस वर्ष की प्रोफेसर की अवधि को कम किया तभी जाकर आपको, कारण क्या है कि इस लाइन में पढ़ने वाले बच्चे को हमारे यहां तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है वह पांच साल में छह साल में हो जाता है, इसको दस साल लगता है तब जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाता है और उसके बाद जब उसकी नौकरी लगती है तब उसकी उम्र चालीस और पैंतालीस के लगभग आ जाती है। उसके बाद उसको एसोसिएट प्रोफेसर बनना और उसके बाद प्रमोशन के बाद दस साल की अवधि, कम से कम मैं यह गारंटी से कह सकता हूं कि राजस्थान में आने वाले दस वर्ष में कोई भी आयुर्वेद का अध्यापक, प्रोफेसर होकर के आपका वाइस चांसलर बनने की योग्यता निर्धारित कर पाएगा, इसको विशेष रूप से सोच लीजिए कि जैसे टैक्निकल एजुकेशन में और व्यावसायिक शिक्षा में आपने दस वर्ष के अनुभव को प्रोफेसर के लिए हटाकर भी उसको लेने का प्रावधान किया, उसके बारे में आपको इसमें विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा क्या है कि जब इसकी नियुक्ति में वह सारी योग्यताएं, सत्यनिष्ठ है कि नहीं है, नैतिक चरित्र है कि नहीं है, ये जो सारी सबमें धाराएं जोड़ी हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जिससे किसी आदमी की नैतिकता को नाप लो। जब आपकी सर्च कमेटी होती है तो सर्च कमेटी उन सब लोगों को ढूंढने का प्रयास करती है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति कहीं पर भी कोई मिल जाए लेकिन हमारी असफलता किस कारण से हुई, जिसमें हम सब लोग शरीक हैं, हम लोग अपने-अपने आदमियों को वाइस चांसलर बनाने लगे तब से लेकर ये सारे के सारे विश्वविद्यालय में समस्याएं आनी खड़ी हुईं, एक के बाद एक घोटाले, घपले, चाहे जिसको नियुक्त कर लिया। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जेल जाकर आ गए, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। इस प्रकार की जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

परिस्थितियां होती हैं, उनको समझकर इसमें करना चाहिए। दूसरा क्या है कि मैं सोचता हूं कि वाइस चांसलर को अगर सरकारी राय के आधार पर हटा दिया हमने तो यह पूर्णत: विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता पर हमला है कि नहीं, जो पहले भी आपने किया है। बाकी सारे विश्वविद्यालयों में भी आपने इसी प्रकार का प्रोविजन डालकर कुलाधिपति को आपने राय के आधार पर वाइस चांसलर को हटा देने का। अब यहां पर आपने वाइस चांसलर के लिए कहा कि इसका सस्पेंशन पीरियड जब तक रहेगा और तब तक उसकी तनख्वाह मिलती रहेगी। मतलब ऐसी दुर्गति तो किसी सामान्य छोटी नौकरी करने वाले व्यक्ति की भी नहीं होती, वैसी नौकरी आप वाइस चांसलर की बनाकर उस विश्वविद्यालय से उपलब्धि लेना चाहते हैं।

आज 2003 से लेकर विश्वविद्यालय बना हुआ है जोधपुर, मैं इतना जानना चाहता हूं कि शोध कार्य की दृष्टि से इस विश्वविद्यालय की उपलब्धि क्या है, कोई एक बता दे। दूसरा क्या है कि रसायनशाला इस आयुर्वेद की जान है। लेकिन दुर्भाग्य से, लम्बे वर्षों से उसमें हम भी राज में रह गए, आप भी रह गए, मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता हूं। जिस रसायनशाला में हमारी 200 दवाइयां बनती थीं और वह सम्पूर्ण राजस्थान में सब जगह जाती थीं उसके कारण से आयुर्वेद अस्पताल हमारे पूर्णत: सशक्त चलते थे। हम बचपन में भी हमारे गांव में ऐलोपैथिक हास्पिटल नहीं था लेकिन आयुर्वेद हास्पिटल था और उसके कारण से हमारे गांव के हर व्यक्ति की हर प्रकार की बीमारी का सामान्यत: इलाज हो जाता था। लेकिन अब आपने यह जो रसायनशाला है इन रसायनशालाओं को तो बिलकुल एक तरह से दफ्तर दाखिल कर दिया और प्राइवेट लोग जो अपनी दवाइयां बनाते हैं, उनकी दुकानदारी चालू करने के लिए आपने सारी दवाइयां उनसे खरीदकर कमीशन के आधार पर, लो स्टैण्डर्ड की दवाइयां खरीदकर हमने पैसे का तो उपभोग कर लिया लेकिन सच में वह प्रभावी दवाइयां नहीं रहने के कारण से उस वैद्य की भी दुर्गति हो गई उस गांव में, कारण क्या है कि किसी को बुखार भी चढ़ जाता है तो वैद्य आपकी यह जो दवाएं देता है रसायनशाला की जगह खरीद कर जो बांट रहे हो उसका असर ही नहीं होता है, और उसके कारण से उस वैद्य को कोई वैद्य मानने को तैयार नहीं है। इसके कारण से वैद्य आयुर्वेद का है लेकिन उपयोग क्या करता है दवाइयों का, ऐलोपैथिक दवाइयां करके वह अपने गांव में अपने आपको स्टैण्ड रखता है। यह जो रसायनशालाओं की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दुर्गति हुई है, उनको फिर से आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आपको आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के इन हास्पिटलों को बचाना है और इनकी प्रतिष्ठा कायम करनी है। कारण क्या है कि उनमें जो क्वालिटी है, पता नहीं आयुर्वेद आपका विश्वविद्यालय है, मुझे बता दो कि इस प्रकार की जड़ी-बूटियों को पैदा करने के लिए इस विश्वविद्यालय में 13 साल में कौन-कौनसे ऐसे स्थान बना लिए जहां विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पैदा होने के बाद उसको दवाई के रूप में काम में लेना आपने शुरू कर दिया। न तो शोध हुआ है और न इसमें जड़ी-बूटियों के आधार पर कोई फील्ड आपने तैयार किया जहां पर फील्ड में दवाइयां यह पैदा करके उसके ऊपर किसी प्रकार का आपने प्रयोग किया। मुझे यह बता दो इस आयुर्वेद डिपार्टमेंट को इतने साल चलते हुए हो गया, दस साल से इस आयुर्वेद का कोई डाइरेक्टर नहीं है, एक-दो साल नहीं है, दस साल से इस आयुर्वेद विभाग का कोई डाइरेक्टर नहीं बन सका, कारण यह है कि आपने नीतियां इस प्रकार से बदलीं, 2009 में आपने पहले जो हमारा प्रिंसिपल होता था कालेज का वह डाइरेक्टर के उसमें जा सकता था। अब आपके सलेक्शन हो नहीं रहा है और लगातार आप उसको पोस्टपोन करते चले जा रहे हो, बिना डाइरेक्टर के आयुर्वेद विभाग क्या चलेगा? आपका आयुर्वेद डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर है, फील्ड में, इसमें कोई दोराय नहीं, आपके अस्पताल हैं, आपके सारे के सारे सेंटर है लेकिन वह सारे के सारे डम्प होकर पड़े हैं। आज की तारीख में एक तरह से उनको जो आप सैलेरी दे रहे हैं उस सैलेरी का कोई उपयोग नहीं है। कारण क्या है कि गांव में आयुर्वेद की कोई दुकान नहीं होती है जहां से बीमार दवाई खरीदकर ला सके। उसको दवाई लेने के लिए या तो उदयपुर आना पड़ेगा या फिर उसको जो कुछ भी वहां उपलब्ध होगा तो बिना दवाई के, बिना दुकान के, बिना आपके मेडिसन के किस प्रकार से डिपार्टमेंट चल रहा है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय 13 साल से स्थापित है, 2003 में हुआ, आप अपने सोलहवें साल में हैं, सोलह साल में यदि राजस्थान के आयुर्वेद विभाग में हास्पिटलों में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं। इस विश्वविद्यालय के आधार पर खड़ा कर दिया हो तो उसका उदाहरण बता दीजिए कि ये यह आने के बाद में हुआ। इसके पहले आपका आयुर्वेद डिपार्टमेंट था, इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले जो आपकी रसायन शाला और स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में राजस्थान का हर व्यक्ति आयुर्वेद को बहुत प्रभावी चिकित्सा पद्धति मानकर चलता था लेकिन इस आयुर्वेद के ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसका पंचकर्म है। मैं कहता हूं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है कोई हास्पिटल पंचकर्म का मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर उसको आप वैल इक्विप्ड करो तो आदमी के शरीर का सारा शोधन करने का, अगर दो-तीन साल में एक बार ही उसमें जाकर बीस-इक्कीस दिन भर्ती रहकर सब प्रकार के ट्रीटमेंट ले तो आयुर्वेद में बहुत प्रभावी उपाय है। प्राकृतिक चिकित्सालय लगभग मरणासन्न हो गया। आप वहां आज की तारीख में किसी प्रकार का कुछ है ही नहीं तो आपने तेरह साल तक इस विश्वविद्यालय में जितने बच्चों को पढ़ाया, जिनको आपने विभिन्न विषयों में योग्यता देकर तैयार किया, मुझे यह बता दो इस विश्वविद्यालय में तैयार हुए बच्चों ने पंचकर्म के कहां-कहां सेंटर बना दिए जिसके कारण से हो रहा है, कहां-कहां प्राकृतिक चिकित्सालयों को आपने मजबूत कर दिया तो वह बता दीजिए। आपके इन विद्यालयों से निकले हुए जितने भी बच्चे हैं अब तक क्या उन सबका अपाइंटमेंट हो गया, चाहे वे नौकरी पर लग गए या वो व्यक्तिगत भी अपनी दुकान नहीं चला सकते। हमारा ऐलोपैथिक का एक आदमी जो भी आपका निकलता है वह कम से कम अपना व्यक्तिगत धंधा चलाकर भी अपनी जिंदगी चला सकता है, आयुर्वेद में तैयार व्यक्ति इस विश्वविद्यालय से पहले वाले से नहीं कह रहा हूं, इस विश्वविद्यालय से तैयार किया हुआ कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं लगे, कोई चिंता की बात नहीं लेकिन उसका स्वयं का व्यवसाय शुरू करके भी उसने अपना जीवनयापन कर लिया हो तब तो आपके विश्वविद्यालय का मतलब है। उपलब्धि बहुत बड़ी है कि सारे हिन्दुस्तान में पांच ही विश्वविद्यालय बने हैं उसमें से एक हमने बनाया है, बहुत अच्छी बात है लेकिन इसकी उपलब्धि को जब देखने का काम करेंगे तो उपलब्धि 'जीरो' बनती है। कृपा करके आप यह दो जो परिवर्तन इसमें कर रहे हो कि उसको जब चाहो तब हटा लो, हटाते समय उसको इतनी सुविधा आपने जरूर दे दी कि तनख्वाह मिलती रहेगी, जांच होगी, आपको भी कुछ कहने का अधिकार होगा। मैं सोचता हूं कि ऐसा तो राज के कोई छोटे कर्मचारी को निकालते हैं इतनी दुर्गति तो नहीं करते, इतनी बड़ी संस्था, हिन्दुस्तान में केवल पांच विश्वविद्यालय हैं, उसमें एक विश्वविद्यालय आपके यहां है उसके वाइस चांसलर को भी आपने ऐसी तलवार लटका दी कि जहां कोई काम कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, भगवान जाने लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति जरूर हो जाएगी कि जब चाहे उतार दें जब चाहे जब बैठा दें।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, एक तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)।

श्री सभापति: एक-एक डिब्बा च्यवनप्राश का भिजवा दो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कुछ सवाल उठाए तो उनका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा।

श्री सभापति: डिब्बे की बात तो करो। (व्यवधान) इस बात को गौर से सुनो। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 'माननीय', स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। (व्यवधान) स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ...(व्यवधान) 'माननीय' कहा है सर। (व्यवधान) 'अमाननीय' नहीं कहा न? 'माननीय' कहा है, 'अमाननीय' कहा हो तो माफी चाहता हूं। अब 'माननीय' बोल देता हूं।

यह जो इन्होंने विभाग द्वारा इस वर्ष औषधियों के बजट को कमतर बताया है, असली फिगर है, 33.75 करोड़ रुपये। करेक्ट कर लें, कोई बात नहीं। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक विभाग के लिये क्रय भी कर रहे हैं हम। दूसरा आपने कहा, 2018-19 में रोगियों की संख्या कम हो गयी है। यह फिगर करेक्ट कर लें आप। 60337 रोगी 2018-19 में आये और 2019-20 में दिसम्बर तक 62422 आये।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सात महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत 490 सीटों में से वर्ष 2019-20 में 298 सीटों पर प्रवेश हो गया है और 192 सीटों पर प्रवेश नहीं हुआ है। एक माननीय सदस्य ने कहा, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि भारत में ऐसा कोई पद नहीं है, जिसे हटाये जाने का प्रोविजन नहीं हो। इसीलिए, कुलपति को भी हटाये जाने का प्रोविजन होना चाहिए। विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट में सात नहीं, दो ही सरकारी सदस्य होते हैं।

कटारिया साहब ने कहा कि हमने प्रोविजन डाल दिये सबको हटाने के। हमने प्रोविजन जरूर डाले, लेकिन इस एक साल के कार्यकाल में यह तो बताएं, हमने किसी को हटाया है क्या? एक को भी नहीं हटाया, लेकिन आप तो माननीय इतने सूरमा थे कि बिना प्रोविजन के आपकी सरकार आते ही दो-दो विश्वविद्यालय के कुलपतियों को मजबूर करके आपने इस्तीफा दिला दिया। बताऊं आपको नाम? बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति को मजबूर किया आपने। मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति को मजबूर किया आपने। समय से पहले उनका इस्तीफा करवाया।

(श्री रघु शर्मा)

यह आपकी फितरत में है। हमारी मानसिकता साफ है। इसमें भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने दो बार 14 अगस्त, 2018 को, पत्र मेरे पास है, उसके बाद 16 अक्टूबर, 2018 को कुलपति के रिमूवल के सम्बन्ध में डायरेक्शंस जारी किये कि यह प्रोविजन होना चाहिए। उनकी अनुपालना कर रहे हैं।

दूसरा, यूजीसी के जो नोर्म्स हैं, एक और जो संशोधन है, उन नोर्म्स का गजट में नोटिफिकेशन है, उनकी अनुपालना हम कर रहे हैं। तीसरा, मान लें किसी प्रक्रियाधीन जांच के दौरान दोषसिद्धि हो जाए, कोई गबन कर ले, वित्तीय कुप्रबंधन हो जाए, नियुक्तियों में अनियमितताएं हो जाएं, प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित निर्देश, अनेक समस्याएं हैं जिनमें विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों में अधिक पारदर्शिता जवाबदेही और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये लाये हैं। इसके अलावा जो स्लोगन है हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का- 'संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह', ऐसा प्रशासन देना। यह उसके तहत भी हम लाये हैं।

अत: कुलपति को कुलपति के पद के कर्तव्यों के निर्वहन से वंचित करने, कुलपति के निलम्बन एवं कुलपति के रिमूवल सम्बन्धी प्रस्तावों को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधिनियम में शामिल करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 18.07.2018 के सैक्शन 7.3 के अनुरूप कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करने हेतु डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2020 प्रस्तुत किया गया है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 एवं 3 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2020 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 20:36 बजे मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2020 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर में पर्यटक स्थलों का विकास व सौन्दर्यीकरण

111. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2018 से 20 जनवरी, 2020 तक पर्यटक स्थलों, पुरातत्व स्मारकों एवं संरक्षित स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस स्थान के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गयी तथा किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि व्यय किये जाने हेतु सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में जोधपुर जिले में कौन-कौनसे पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य प्रक्रियाधीन व निर्माणाधीन हैं तथा उक्त निर्माण कार्यों में किस-किस निर्माण कार्य पर कितना-कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों की ढाणियों में पेईंग गैस्ट नीति व हैरिटेज नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2018 से अब तक पर्यटक स्थलों, पुरातत्व स्मारकों एवं संरक्षित स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत एवं राज्य योजनान्तर्गत आबंटित एवं व्यय राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वेदश दर्शन योजना एवं प्रसाद योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्टस हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। राज्य योजनान्तर्गत कार्यों पर व्यय तत्संबंधी नियमों के अनुरूप किया जाता है, जिसके संबंध में शर्तों का उल्लेख प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में किया जाता है।

(पर्यटन मंत्री)

(3) जोधपुर जिले में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत कराए जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "य" पर एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(4) राज्य में पर्यटकों को पेईंग गैस्ट आवास उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान पेईंग गैस्ट हाउस स्कीम, 2012 विद्यमान है। उक्त स्कीम पूरे प्रदेश में लागू है। विभाग में हैरिटेज नीति बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बकानी (खानपुर) में उपखण्ड मुख्यालय की स्थापना

112. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर की तहसील बकानी पर उपखण्ड मुख्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट सत्र 2019-20 में की गयी घोषणा के अतिरिक्त राज्य में कहीं भी नये उपखण्ड बनाने का विचार नहीं है।

इस प्रकार के प्रस्तावों पर प्रशासनिक आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति, परस्पर प्राथमिकता आदि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर यथोचित निर्णय लिये जाते हैं।

फलौदी के महाविद्यालयों में रिक्त पद

113. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में किन-किन स्थानों पर महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में किन-किन संकायों में किन-किन विषयों की स्वीकृति जारी की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालयों में किस-किस स्तर के शैक्षणिक तथा गैर

(श्री पब्बाराम)

शैक्षणिक पदों की स्वीकृतियां जारी की गयी है? उक्त में से कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप उक्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्तियों को निरस्त कर उक्त महाविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों को सुचारु चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में, फलौदी एवं बाप में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, फलौदी एवं बाप में संचालित संकाय एवं विषयों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) राजकीय महाविद्यालय, फलौदी एवं बाप में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-02 एवं 03 पर संलग्न है।

(4) राजकीय महाविद्यालय, फलौदी से सीमित अवधि के लिये दो शैक्षणिक कार्मिकों को अन्य महाविद्यालयों में लगाया गया था, लेकिन शैक्षणिक कार्य के प्रभावित होने के दृष्टिगत उनके आदेशों को निरस्त कर दिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली शहर में संचालित संकटग्रस्त औद्योगिक इकाइयों को विशेष पैकेज

114. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर में किस–किस औद्योगिक क्षेत्र में टैक्सटाइल्स उद्योग की कितनी–कितनी इकाइयां संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रदूषण की समस्या के कारण अनेकों इकाइयां बंद हो गयीं एवं अनेकों इकाइयों की उत्पादन क्षमता में

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कटौती कर दी गयी एवं अनेकों इकाइयों में स्थापित मशीनरी, प्रिन्टिंग टेबल इत्यादि को सीज कर दिया गया है? यदि हां, तो पूर्णतया बंद, आंशिक बंद, उत्पादन कटौती, सीज मशीनें इत्यादि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संकट-ग्रस्त औद्योगिक इकाइयों को विशेष पैकेज देकर इनमें पूर्ण उत्पादन क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली शहर के निम्न औद्योगिक क्षेत्र में टैक्सटाईल उद्योग की इकाइयां स्थापित/संचालित हो रही हैं:-

(अ) मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र - 341

(आ) पुनायला रोड औद्योगिक क्षेत्र - 224

(इ) महावीर उद्योग नगर - 09

(ई) रीको औद्योगिक क्षेत्र - 71

(2) यह सही है, क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल पाली के अनुसार पर्यावरण कानूनों की अवहेलना, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अवहेलना एवं अन्य कारणों से वर्तमान मे कुल 53 टैक्सटाइल औद्योगिक इकाइयां बंद हैं। बंद इकाइयां की सूची परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या 32/2014 किसान पर्यावरण संघर्ष समिति जैतपुर बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.5.2017 की अनुपालना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली द्वारा पाली की संयुक्त उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की सदस्य इकाइयों को रोस्टर प्रणाली के तहत संचालन की अनुमति दी गयी है। रोस्टर प्रणाली राज्य स्तर से अनुमोदित है।

53 टैक्सटाइल औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के अतिरिक्त अनेकों इकाइयों की उत्पादन क्षमता में कटौती करने, अनेकों इकाइयों में स्थापित मशीनरी, प्रिंटिंग टेबल इत्यादि को सीज करने आदि के संबंध में जानकारी नहीं है।

(3) राज्य सरकार टैक्सटाइल औद्योगिक इकाइयों को थ्रस्ट सैक्टर के तहत सहायता प्रदान कर रही है:-

(उद्‌योग मंत्री)

1. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2019 (बिन्दु 5-18) के प्रावधान :-

टैक्सटाइल क्षेत्र में राशि 25.00 लाख रुपये या इससे अधिक का निवेश करने वाली इकाइयों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बेस्ड (जेड एल डी) इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने पर सिविल वर्क को छोड़ते हुए मशीनरी क्रय हेतु सप्लायर को किये गये भुगतान का 20 प्रतिशत राशि या अधिकतम राशि 1.00 करोड़ रुपये की कैपिटल सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

2. राज्य की नई सीईटीपी नीति :-

राज्य की नई सीईटीपी नीति प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी में अम्बेडकर छात्रावास का निर्माण

115. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्‌यार्थियों के लिए बनाये जाने वाले छात्रावास निर्धारित नीति अनुरूप ही उक्त श्रेणी के छात्रावास बनाये जा रहे है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विद्‌यार्थियों के लिए निर्मित छात्रावासों में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं को एक किलोमीटर या इससे भी अधिक दूरी तय करके शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई हेतु आना जाना पड़ रहा है? यदि हां, तो ऐसी स्थिति किस कारण से कितने छात्रावासों की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बून्दी प्रथम तथा बून्दी द्वितीय का निर्माण राजकीय महाविद्‌यालय बून्दी से 2 किमी. या इससे अधिक दूरी पर है? यदि हां, तो दूरी पर छात्रावास निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या छात्रावास निर्माण के लिए उचित स्थान पर भूमि की अनुपलब्धता पर सही स्थान पर छात्रावास निर्माण के लिए भूमि या भवन

(श्री रामनारायण मीना)

अधिग्रहण किये जाने के लिए भी सरकार द्वारा आदेश जारी किए हुए हैं? यदि हां, तो अब इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के अन्तर्गत छात्रावास खोले जाते हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। छात्रावास खोले जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त स्थान पर भूमि आबंटन किये जाने पर छात्रावास निर्माण करवाया जाता है। विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास, जो शिक्षण संस्थान से एक किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर स्थित है, की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि निकटता के आधार पर भूमि उपलब्ध होने पर छात्रावास भवन निर्माण कार्य करवाया जाता है।

(3) जी हां। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बून्दी प्रथम तथा बून्दी द्वितीय दोनों ही कक्षा 6 से 12 स्तर तक के विद्यालय स्तरीय छात्रावास हैं, न कि महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास हैं।

(4) जी हां। सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, सरकार के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक पं. 26 (3)सा.प्र./2/2014 दिनांक 28.04.2017 की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

छात्रावास निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित की जाती है, भूमि आबंटित होने के बाद यदि भूमि विवादित होती है, अनुपयुक्त स्थान पर होती है, तो पूर्व में आबंटित भूमि के स्थान पर दूसरे स्थान पर राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटन करवाई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा में ए.एन.एम. के रिक्त पद

116. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालौर जिले में ए.एन.एम. के कहां-कहां, कितने-कितने पद

(श्री नारायण सिंह देवल)

स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जालौर जिले में नियमित ए.एन.एम. के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जालौर जिले में एनएचएम के अधीन संविदा पर ए.एन.एम. के 232 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध वर्तमान में 152 ए.एन.एम. पदस्थापित हैं। जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में नियमित ए.एन.एम. के 118 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 92 पद भरे हुए हैं एवं 26 पद रिक्त हैं।

नियमित ए.एन.एम. के अतिरिक्त एनएचएम योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 38 ए.एन.एम. संविदा पर कार्यरत हैं।

जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ए.एन.एम. के नियमित रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन भर्ती से भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज. पर्यटन विकास निगम में लाइट साउण्ड शो की निविदा में अनियमितता

117. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा जारी लाइट एण्ड साउण्ड शो के 45 करोड़ के 9 कार्यों की निविदा में अनियमितता होने के आधार पर उक्त निविदा प्रक्रिया निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो किस स्तर पर तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह भी सही है कि पर्यटन विकास निगम को पांच निविदा में से एकल निविदा स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो क्यों व किस स्तर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य की नई पर्यटन नीति कब तक लागू कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा जारी लाइट एण्ड साउण्ड शो के 45 करोड़ के 9 कार्यों की निविदाओं के सम्बन्ध में माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा यू.ओ. नोट के माध्यम से निर्देश प्रदान किए गए।

निर्देशानुसार प्राप्त प्रतिवेदनों का राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण कर दिया गया।

उक्त 9 कार्यों की निविदाओं में से चार कार्यों की निविदाएं तकनीकी अर्हताएं पूर्ण नहीं किए जाने के कारण दिनांक 28.01.2020 को निरस्त की गयी तथा चार अन्य कार्यों की निविदाएं प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण दिनांक 13.02.2020 को निरस्त की गयी हैं। शेष एक कार्य की निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के तहत प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) नवीन पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार कर अन्य विभागों से टिप्पणी प्राप्त की जा रही है। विहित कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात सक्षम अनुमोदन उपरान्त नवीन पर्यटन नीति को लागू किया जाएगा।

बाड़मेर में नवीन राजस्व ग्राम

118. श्री अमीन खां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में विगत 5 वर्षो में कितने नवीन राजस्व ग्राम नए बनाए गए हैं? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई गांव के नाम जाति एवं व्यक्तियों के नाम से रखे गये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के नाम संशोधित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में पिछले 5 सालों में कुल 253 नवीन राजस्व ग्राम बनाए गये हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

119. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में भवन निर्माण से संबंधित क्या-क्या कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में कुल कितने छात्र-छात्राएं किस-किस कक्षा में अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालय में कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में विज्ञान व वाणिज्य संकाय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में आगामी सत्र से विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में भवन निर्माण से संबंधित कोई कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) उक्त महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में कक्षावार अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) उक्त महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-02 व 03 पर संलग्न है।

उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(4) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लम्बित प्रकरण

91. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जिला बाड़मेर में कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत संधारित योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर बाड़मेर जिले में तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदनों में प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कमी होने के कारण पोर्टल पर निरस्त किये गये।

(2) कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

झालावाड़ में विधवा व परित्यक्ता पेंशन के लम्बित आवेदन

92. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में विगत एक वर्ष में कितनी विधवा परित्यक्ता, विकलांगता पेंशन के कितने आवेदन लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशन आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सभी श्रेणियों में स्वीकृत पेंशनधारियों को पेंशन समय पर प्राप्त नहीं हो रही है? यदि हां, तो ऐसे कितने पेंशनधारी हैं जिन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत झालावाड़ जिले में विगत एक वर्ष में लंबित आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार हैः

वृद्धावस्था पेंशन	विधवा पेंशन	विशेष योग्यजन पेंशन
NIL	NIL	NIL

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत झालावाड़ जिले में कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(3) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में पेंशन राशि के भुगतान की स्थिति निम्नानुसार हैः

कुल पेंशनर	पेंशनर जिनको पेंशन का भुगतान किया गया	बकाया पेंशनर्स की संख्या
193449	191412	2037

शेष पेंशनर्स के भुगतान नहीं होने के कारणः

1. गलत बैंक खाता अंकित किए जाने के कारण लौटाए गये 1525
2. नई पेंशन स्वीकृत होने के कारण आगामी माह में भुगतान के कारण लंबित 510
3. पेंशन रोके गए प्रकरण 02

वर्तमान में अधिकांश पेंशन राशि का भुगतान ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) के माध्यम से पेंशनर्स के बैंक खातों अथवा पोस्ट आफिस खातों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ पेंशनर्स के बैंक खातों की संख्या गलत होने या बैंक शाखा का आईएफएससी कोड गलत होने के कारण आर.बी.आई. से पेमेन्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। पेंशनर द्वारा राजस्थान जन आधार पोर्टल में बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सही करवाकर संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उस पेंशनर की पेंशन का भुगतान उसके सही खाते में ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) द्वारा कर दिया जाता है।

अनूपगढ़ में संचालित छात्रावासों में सीटें बढ़ाने की योजना

93. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला श्रीगंगानगर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं और उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की कितनी-कितनी संख्या है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को देय सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के छात्रावासों में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में अनुसूचित जाति के 23 छात्रावास संचालित हैं तथा अनुसूचित जनजाति का छात्रावास संचालित नहीं है। उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की संख्या एवं तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अन्तर्गत 4 छात्रावासों में 4 छात्रावास अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं, उनमें से कोई भी रिक्त नहीं है।

(3) उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्रति विद्यार्थी 2500/- रुपये प्रतिमाह की राशि की सुविधाएं भोजन, वस्त्र, सब्जी, फल, बिजली-पानी व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर अवलोकनीय है।

(4) उक्त छात्रावासों में सीटें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण

94. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में विगत एक वर्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के कितने विद्यार्थियों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त छात्रवृत्ति के कई प्रकरण लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत चार वर्षों में कितने मानसिक एवं विमंदित छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया? वर्षवार, लाभान्वितों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जा रही है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कितने बीपीएल परिवार के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के प्रकरणों में विलम्ब के क्या कारण रहे एवं उक्त प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में विगत एक वर्ष (2018-19) में अनुसूचित जाति**,** अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वितरित छात्रवृत्ति की राशि एवं लाभार्थियों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। कोटा जिले में वर्ष 2018-19 के लम्बित आवेदन पत्रों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कोटा जिले में विगत चार वर्षों (2015-16 से 2018-19) में मानसिक एवं विमंदित छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण से छात्रवृत्ति राशि का वितरण नहीं किया गया है।

(4) विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अन्तर्गत निर्धारित आय सीमा तक आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों मे से नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है जिसमें बीपीएल परिवारों के विद्यार्थी भी शामिल हैं। कोटा जिले में गत दो वर्षों (2017-18 एवं 2018-19) में योजनावार बीपीएल विद्यार्थियों को दी गयी छात्रवृत्ति की राशि एवं विद्यार्थियों का संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के लम्बित आवेदन पत्रों का कारण सम्बन्धित महाविद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धता के सत्यापन हेतु महाविद्यालयों द्वारा मान्यता सम्बन्धी दस्तावेज आनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है। सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2018-19 की मान्यता सम्बन्धी दस्तावेज आनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये जाने उपरान्त नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

95. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितने प्राथमिक, सामुदायिक व उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं तथा उनमें किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों पर डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों को/ पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रक्रियाधीन भर्ती से चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पद को स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जाएंगे।

विभाग में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं, नियुक्ति के समय नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने का प्रयास किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मिलावटी खाद्य पदार्थों के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

96. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भारी समस्या है? यदि हां, तो जनवरी, 2019 से फरवरी, 2020 तक विभिन्न जिलों में मिलावटी खाद्य पदार्थ के कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विशेषकर घी, मसाले, दुग्ध एवं दवाइयों में मिलावट के प्रकरणों पर की गइ कार्यवाही तथा इसमें हुए विलम्ब के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा समय-समय पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण का कार्य किया जाता है। जनवरी 2019 से 05 फरवरी, 2020 तक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

1867 नमूने सबस्टैण्डर्ड, मिसब्राण्ड एवं अनसेफ पाये गये, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में घी, मसाले एवं दुग्ध के मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड पाये गये 360 प्रकरणों में से 189 प्रकरण खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 व 52 के तहत न्याय निर्णयन अधिकारी (एडीएम) के समक्ष प्रस्तुत किये गये जा चुके है तथा अनसेफ पाये गये 76 प्रकरणों में से 26 प्रकरण एक्ट की धारा 59 के तहत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

शेष प्रकरणों में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही अनुसंधान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनवरी 2019 से 5 फरवरी, 2020 के दौरान दवाइयों के 17 नमूनें मिलावटी श्रेणी में पाये गये। जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त प्रकरणों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बुडाना में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

97. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के ग्राम बुडाना में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भूमि आबंटित होने के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बुडाना जिला झुन्झुनूं के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्माण का कार्य, पीआईपी वर्ष 2016-17 में स्वीकृत किया गया था। इस कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.07.2016 को जारी की गई। जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

तत्पश्चात् निविदा विज्ञप्ति जारी की जाकर न्यूनतम निविदादाता मैसर्स एम.आर. कन्स्ट्रक्शन जयपुर को अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड सीकर द्वारा कार्यादेश दिनांक 14.10.2016 को जारी किये गये। जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

तत्समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य हेतु आबंटित भूमि पर विवाद होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

तत्पश्चात् मिशन निदेशक एनएचएम के द्वारा दिनांक 28.09.2018 को ग्राम बुडाना जिला झुंझुनूं के स्थान पर ददरेवा जिला चूरू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की संशोधित स्वीकृति जारी की गयी, जिसकी प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

वर्तमान में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुडाना के निर्माण हेतु दिनांक 08.08.2019 को 0.60 हैक्टेयर (6000 वर्ग मीटर) भूमि आबंटित की गयी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुडाना के भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुडाना के भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगोद के औषधालयों में रिक्त पद

98. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कुल कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कुन्दनपुर में कम्पाउन्डर का पद लम्बे

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

समय से रिक्त है? यदि हां, तो उक्त को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांगोद विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेद विभाग में रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कुन्दनपुर में नर्स/कम्पाउण्डर का पद दिनांक 03.08.2018 से रिक्त है।

वर्तमान में कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर के 416 पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पत्रकारों को वरिष्ठता के आधार पर भू-खण्ड का आबंटन

99. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सूचना एवं जन संपर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पत्रकार कल्याण के लिए कोई योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 में पत्रकारों के कल्याण के लिए क्या-क्या कार्य किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में पत्रकार कल्याण के लिए 'पत्रकार पेंशन योजना' के अन्तर्गत 2 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 में किस-किस पत्रकार को पेंशन सम्मान प्रदान किया गया और उस सम्मान में कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पत्रकारों को वरिष्ठता के आधार पर रियायती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो वर्ष 2019-20 में कितने पत्रकारों को भूखण्ड उपलब्ध कराये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में पत्रकार कल्याण के लिए बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 181 में राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार पेंशन (सम्मान) योजना को पुन: प्रारम्भ किया जाने का प्रावधान किया गया है। जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 27.01.2020 को जारी किया गया है।

(सूचना एवं जन संपर्क मंत्री)

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में पत्रकारों के कल्याण के लिए किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्त विभाग के बजट मद से 75.00 लाख राशि पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष में वित्त विभाग की आई.डी.सं. 101905243 दिनांक 05.11.2019 को हस्तान्तरण की जा चुकी है। उक्त योजना का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 27.01.2020 को जारी हुआ है। योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पत्रकारों से आवेदन आमन्त्रित कर योजना की क्रियान्विति की जाऐगी।

(3) जी नहीं। पत्रकारों को वरिष्ठता के आधार पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर के ट्रोमा सेन्टर में रिक्त पद

100. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज व अस्पताल में ट्रोमा सेंटर का निर्माण कब हुआ तथा इसके निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी व कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रोमा सेंटर में मरीजों का इलाज कब से प्रारम्भ हुआ तथा इसके लिए सरकार ने कौन-कौनसे कितने पद स्वीकृत किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ट्रोमा सेंटर में गत 2 वर्षों में कितने मरीज भर्ती हुए तथा उनमें से कितनों को अन्य चिकित्सालय हेतु रैफर किया गया? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में कितने चिकित्सक व स्टाफ कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त ट्रोमा सेंटर में मरीजों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिक्त पदों पर चिकित्सक व अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर में ट्रोमा सेन्टर का निर्माण दिनांक 01.09.2012 को हुआ एवं इसके निर्माण के लिए 80.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये तथा 80.00 लाख व्यय किये गये।

(2) उक्त जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के ट्रोमा सेन्टर में मरीजों का इलाज 02 सितम्बर, 2012 से शुरू हुआ। ट्रोमा सेन्टर में कालेज स्तर पर स्वीकृत पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

पदनाम	**स्वीकृत**
सहायक आचार्य सर्जन	02
सहायक आचार्य निश्चेतन	02
सहायक आचार्य अस्थि	02
केज्यूल्टी चिकित्सा अधिकारी	02
स्टाफ नर्स श्रेणी द्वितीय	10
लैब टेक्नीशियन	03
सहायक रेडियोग्राफर	03

(3) विगत दो वर्षों में जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के ट्रोमा सेन्टर में कुल 1854 मरीज भर्ती हुए एवं कोई मरीज रैफर नहीं किया गया है। वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**भर्ती मरीज**	**रैफर मरीज**
2018	1377	0
2019	477	0
योग	**1854**	**0**

(4) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर के सर्जरी, निश्चेतन व अस्थि रोग विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, जिसमें ट्रोमा सेन्टर के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना भी सम्मिलित है।

(5) जी हां। विभाग द्वारा राज्य स्तर पर रिक्त पदों हेतु सहायक आचार्य सर्जरी के 16 पदों पर सहायक आचार्य निश्चेतन के 17 पदों पर एवं

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

सहायक आचार्य अस्थि रोग विभाग के 6 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रेषित की गयी थी जिनका राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन भी जारी किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुन्धा पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

101. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में स्थित सुन्धा पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

गंगेश्वर महादेव मंदिर (धुंआ कलां) को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

102. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली उनियारा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्राम धुंआ कलां स्थित गंगेश्वर महोदव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

रामगंजमण्डी में श्मशान घाट, विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण

103. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन दिलावर)

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के कितने गांवों में श्मशान घाट, मृतक पशु डालने हेतु स्थान व विद्यालय के खेल मैदान हेतु भूमि का आबंटन व पट्टा जारी किया गया है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस पर अतिक्रमण है तथा उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष गांवों में उक्त के लिए जमीन का आबंटन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में (तहसील रामगंज मण्डी क्षेत्र सम्पूर्ण तथा तहसील लाडपुरा की 4 ग्राम पंचायत) श्मशान घाट, मृतक पशु डालने हेतु स्थान व खेल मैदान हेतु भूमि का आबंटन किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं	**नाम तहसील**	**ग्रामों की संख्या जहां पर भूमि का आबंटन किया गया है**			**विशेष विवरण**
		श्मशान घाट	**मृतक पशु डालने हेतु**	**विद्यालय में खेल मैदान हेतु**	
1	लाडपुरा	10	-	05	शमशान घाट हेतु उपलब्ध भूमि की सूची परिशिष्ट-अ तथा खेल मैदान की सूची परिशिष्ट-ब संलग्न है।
2	रामगंज मण्डी	44	-	46	श्मशान घाट हेतु उपलब्ध भूमि की सूची परिशिष्ट-स तथा खेल मैदान की सूची परिशिष्ट-द संलग्न है ।

1. तहसील लाडपुरा के ग्रामों में श्मशान हेतु आबंटित भूमि की सूची मय जमाबन्दी परिशिष्ट-अ पर तथा विद्यालय हेतु खेल मैदान की सूची मय जमाबन्दी परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इसी प्रकार तहसील रामगंज मण्डी में श्मशान घाट हेतु भूमि आबंटन की सूची मय

(राजस्व मंत्री)

जमाबन्दी परिशिष्ट-स पर तथा विद्यालय हेतु खेल मैदान की सूची मय जमाबन्दी परिशिष्ठ द पर संलग्न प्रस्तुत है।

2. रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में मृतक पशु डालने हेतु भूमि का आवंटन नहीं हुआ है।

(2) उपरोक्त में से तहसील रामगंज मण्डी क्षेत्र के ग्राम (1) लसोडिया (2) पीपाखेडी (3) निमाणा (4) सुकेत (5) जुल्मी (6) हनोतिया (7) मोडक गांव (8) रोसली के श्मशान भूमि पर संलग्न सूची परिशिष्ट-स के अनुसार अतिक्रमण है।

तहसील लाडपुरा के ग्राम मन्दरगढ़ में परिशिष्ट-ब के अनुसार व तहसील रामगंज मण्डी के गांव (1) सलावदखुर्द (2) दुर्जनपुरा (3) नालोदिया के खैल मैदान में परिशिष्ट-द के अनुसार अतिक्रमण है। उक्त अतिक्रमण को हटाने की विधिक प्रक्रिया पूरी करके कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जल्दी ही हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

मा. मंत्री महोदय एवं मा0 सदस्य के मध्य हुई चर्चा के पश्चात् राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के पत्र दिनांक 20.11.19 द्वारा दिये गये निर्देशों की तत्परता से पालना किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, कोटा को दिनांक 13.02.2020 को पुन: स्मरण पत्र जारी किया गया है।

(3) शेष गांवों में उक्त प्रकार की भूमि आबंटन के संबंध में तहसील/ जिला स्तर पर प्रस्ताव पेण्डिंग नहीं है। उपयुक्त भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जाएगी।

मा. मंत्री महोदय एवं मा. सदस्य के मध्य हुई चर्चा के पश्चात् राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के पत्र दिनांक 20.11.19 द्वारा दिये गये निर्देशों की तत्परता से पालना किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, कोटा को दिनांक 13.02.2020 को पुन: स्मरण पत्र जारी किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल दायीं मुख्य नहर के रख-रखाव व निर्माण के कार्य

104. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चम्बल दायीं मुख्य नहर के रख-रखाव एवं निर्माण लागत मध्यप्रदेश तथा राजस्थान द्वारा 75.40 : 24.60 के अनुपात

(श्री रामनारायण मीना)

में वहन किये जाने के कारण कार्य करवाये जाने से पूर्व में मध्यप्रदेश शासन से सहमति ली जाती है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने कार्यों की सहमति प्राप्त है तथा कितने कार्यों की सहमति लेने की प्रक्रिया विचाराधीन है और कितने की सहमति ली जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नहर का रख-रखाव तथा सफाई समयबद्ध तरीके से नहीं किये जाने से अंतिम छोर तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है? यदि हां, तो समय पर पानी पहुंचाने के लिए बनाई जाने वाली कार्य-योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नहरों में पानी के रिसाव को रोकने के लिए किए जाने वाले कार्य अपर्याप्त होने के कारण सिंचाई पानी में कमी हो जाती है? यदि हां, तो रिसाव को रोकने के लिये बनाई जा रही कार्य-योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि समय पर नहर के रख-रखाव संबंधी निर्णय दोनों राज्य सरकारों के मध्य त्वरित गति से नहीं हो पाते हैं? यदि हां, तो त्वरित निर्णय के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चम्बल दायीं मुख्य नहर के रख-रखाव एवं निर्माण कार्यों हेतु मध्यप्रदेश एवं राजस्थान के तकनीकी अधिकारियों द्वारा रबी सिंचाई के लिए नहरों के संचालन के उपरान्त संयुक्त निरीक्षण/भ्रमण किया जाकर आगामी वर्ष के लिए किये जाने वाले कार्यों पर सहमति प्रदान की जाती है। तदनुसार कार्य सम्पादित करवाये जाते हैं।

दोनों राज्यों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2019-20 में करवाये जाने वाले कार्यों के लिए दिनांक 27.05.2019 एवं 28.05.2019 को संयुक्त निरीक्षण उपरान्त 19 कार्य राशि रु. 490.00 लाख के कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी नहीं। उक्त नहर का रख-रखाव एवं सफाई कार्य उपलब्ध बजट अनुसार समयबद्ध तरीके से क्लोजर अवधि में कराया जाता है एवं जल वितरण समिति की बैठक के निर्णय अनुसार रोटेशन प्रोग्राम तैयार कर उसी अनुरूप कृषकों को पानी टेल तक उपलब्ध करवाया जाता है।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

(3) जी हां। चम्बल परियोजना की नहरें कच्ची एवं 60 वर्ष पुरानी होने के कारण इनसे पानी का रिसाव हो रहा है। चम्बल परियोजना की नहरों के रिसाव में कमी लाने के लिए नहरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि रु. 1274 करोड़ की बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में की गयी थी। जिसमें से राशि रु. 939 करोड़ के कार्य नाबार्ड से वित्त पोषण कर करवाए जाने थे, उक्त कार्यो के विरुद्ध राशि रु. 709.35 करोड़ के 15 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। 2 कार्य मध्यप्रदेश-राजस्थान के साझा कार्यो के तहत राशि रु. 70.15 करोड़ स्वीकृत किये गये है एवं 1 कार्य विश्व बैंक की सहायता से RACP योजना में राशि रु. 12.09 करोड़ की स्वीकृत कर करवाये जा रहे हैं। शेष कार्य राशि रु. 229.66 करोड़ के नाबार्ड से वित्त पोषण उपलब्ध होने के उपरान्त कराये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति एवं विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। साझा दायीं मुख्य नहर के रख-रखाव के लिए दोनों राज्यों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, भ्रमण किया जाकर आवश्यक रख रखाव के कार्यों का चिन्हीकरण किया जाता है। प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश-राजस्थान नियंत्रण मण्डल की तकनीकी समिति की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें उच्च स्तरीय तकनीकी अधिकारियों द्वारा रख रखाव एवं अति-आवश्यक साझा कार्यों को प्राथमिकता से करवाये जाने हेतु कार्ययोजना पर विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में नवीन राजस्व ग्राम

105. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाडमेर में दिसम्बर, 2014 से 25 जनवरी, 2020 तक कितने राजस्व ग्राम बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2014 से 25 जनवरी, 2020 तक विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बने सभी राजस्व ग्रामों की जमाबन्दी एवं ट्रेस नक्शा की अलग-अलग व्यवस्था कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नवसृजित राजस्व ग्रामों की सूची सभी विभागों

(श्री हमीर सिंह भायल)

को सौंपे जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में दिसम्बर, 2014 से अब तक कुल 253 नवीन राजस्व ग्राम बनाए गये हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में दिसम्बर 2014 से अब तक कुल 32 नवीन राजस्व ग्राम बने हैं, जिसमें से तहसील सिवाना के 01 ग्राम की जमाबंदियां एवं नक्शा ट्रेस की अलग-अलग व्यवस्था कर दी गयी है।

तहसील सिवाना व सिणधरी का राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन होने के कारण ई-धरती साफ्टवेयर में नवीन राजस्व ग्राम के इन्द्राज करने का आप्शन नहीं होने से तहसील सिवाना में 19 ग्राम एवं तहसील सिणधरी में 12 ग्राम इस प्रकार कुल 31 नवीन राजस्व ग्रामों की जमाबंदियां एवं नक्शा ट्रेस की अलग-अलग व्यवस्था नहीं की जा सकी है जो प्रक्रियाधीन है।

(3) नवीन राजस्व ग्राम की अधिसूचना सभी विभाग के मंत्री एवं प्रमुख सचिव आदि को भिजवाई जाती रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में संचालित महाविद्यालय

106. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में कितने निजी एवं राजकीय महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में कुल कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार एवं महाविद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में निजी क्षेत्र में 43 सहशिक्षा, 10 कन्या एवं 01 विधि महाविद्यालय सहित कुल 54 निजी महाविद्यालय एवं राजकीय क्षेत्र में 06 सहशिक्षा एवं 04 कन्या महाविद्यालय सहित कुल 10 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) उक्त महाविद्यालयों में कुल 17955 छात्र एवं 23238 छात्राएं अध्ययनरत हैं जिनका विधान सभा क्षेत्रवार एवं महाविद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 व 02 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर राजकीय महाविद्यालय के लिए भूमि का आबंटन

107. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि खानपुर राजकीय महाविद्यालय के भवन के लिए जमीनें आबंटित कर दी गयीं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजकीय महाविद्यालय, खानपुर के भवन निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजसमन्द के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

108. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए वर्तमान व विगत वर्ष में कितने नए विद्यालय व महाविद्यालय खोले गये?

(2) उक्त शिक्षा के प्रदेश में विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पदों पर कार्मिक वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला राजसमन्द में संस्कृत शिक्षा में विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत, रिक्त, कार्यरत पदों की संख्या क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त शिक्षा में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया किस चरण में चल रही है तथा उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में विगत वर्ष 2018-19 में कोई भी नवीन राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय नहीं खोला गया। वर्तमान वर्ष 2019-20 में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, बौंली, सवाई माधोपुर को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। साथ ही 06 उच्च प्राथमिक स्तर, 10 प्रवेशिका स्तर एवं 49 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करने एवं 05 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने की स्वीकृति फरवरी माह में जारी की गयी है।

(2) संस्कृत शिक्षा के महाविद्यालय एवं विद्यालयों में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिला राजसमन्द में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) महाविद्यालय के शैक्षिक पदों को भरने हेतु महाविद्यालय सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम अधिसूचित किये जाने के उपरान्त भर्ती प्रक्रिया सम्भव हो सकेगी।

संस्कृत शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 264 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। शेष 22 पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर दिनांक 03.2.2020 से 06.02.2020 तक काउन्सलिंग का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

शारीरिक शिक्षक III ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

अध्यापक के 226 पदों पर विभागीय स्तर पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ सहायकों के 131 पदों की अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई हुई है।

प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)